अक्तूबर-दिसंबर, 2017 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
अविनाश शुक्ला

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304 भाग-I, 300 – हत्या – मृतक द्वारा अभियुक्त को थप्पड़ मारना – अभियुक्त द्वारा सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाया जाना – मृतक का शव से पांच या अधिक गोली निकाला जाना – हत्या की दोषसिद्धि – जब यह साबित हो जाता है कि गोली अभियुक्त ने मारी है तो न्यायालय ने दोषसिद्ध करने में सही दोषी ठहराया है ।

शिवराम साहू बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 276

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (263) – (296) क्रमशः

पृष्ठ संख्या 167 – 320 **(2017) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – अक्तूबर-दिसंबर, 2017 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 167 – 320)

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री असलम खान और पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2017 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर-दिसंबर, 2017

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अरशद **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	167
कैलाश मंडल **बनाम** असम राज्य	255
बजरंगी पांडेय **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	219
रमाकांत साहू **बनाम** ओडिशा राज्य	246
शिवराम साहू **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	276
संत राम **बनाम** दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) राज्य	264
सुभाष चंद **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	283
हेमंत कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	305

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 263 – 296

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20)

– धारा 4 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 304क, 279 और 337] – निर्मुक्त करने की शक्ति – असावधानी से स्कूटर चलाकर मृत्यु कारित किया जाना – इस तथ्य की स्पष्ट साक्ष्य से पुष्टि होना – आवेदक-अभियुक्त की आयु पर विचार किया गया तथा आवेदक-अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है – यह तथ्य प्रकट हुआ है कि यह दुर्घटना 23 वर्ष पूर्व घटित हुई, इसलिए दंड को एक वर्ष से घटाकर पंद्रह दिन किया जाता है ।

सुभाष चंद बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 283

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 256, 300, 378 – द्वितीय – परिवाद – सम्पोषणीय – शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर अभियुक्त की दोषमुक्ति होना – द्वितीय परिवाद सम्पोषणीय न होना – धारा 378 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए अपील का समुचित निपटारा किया है ।

रमाकांत साहू बनाम **ओडिशा राज्य** 246

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 279, 337, 338 – उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाना – जीवन का संकटापन्न कृत्य द्वारा दुखद हानि कारित होना – अधिकथित रूप से अभियुक्त बस चालक के उतावलेपन से चलाने के कारण दुर्घटना से बस में यात्रा करने वालों को पहुंची क्षति – अभियोजन साक्षी का घटनास्थल पर उपस्थित न होना – यात्री को पहुंची क्षति का साबित न किया जाना – न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषमुक्ति सही है ।

हेमंत कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 305

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 और 149 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27] – हत्या – सामान्य उद्देश्य – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों ने एक साथ मिलकर मस्जिद के बाहर और अंदर घुसकर हत्या की घटना कारित की और सबका एक ही सामान्य उद्देश्य था अतः अभियुक्तों को उपरोक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

अरशद बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 167

– धारा 304 भाग 2 – हत्या – सबूत – पारिस्थितिक साक्ष्य – पीड़िता (पत्नी) अभियुक्त (पति) का एक साथ रहना – अभियुक्त-अपीलार्थी शराब पीकर पीड़िता को पीटा करता था – यदि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के कारित हुई क्षतियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और पीड़िता के शव को मकान के पीछे बांस के झुंड में छुपाया जाना साबित हुआ है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 में उपांतरित करना न्यायसंगत है ।

कैलाश मंडल बनाम **असम राज्य** 255

– धारा 304क, 278, 337 – असावधानी से मृत्यु कारित किया जाना – आवेदक-अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसके द्वारा स्कूटर से मृतक को चोट पहुंचाई गई परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई – साक्षियों का परिसाक्ष्य, अकाट्य और विश्वसनीय है अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा दी है कि मृतक को मारुति कार से टक्कर लगी, यह बात कहना मिथ्या है – आवेदक-अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

सुभाष चंद बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 283

– धारा 304 भाग-I, 300 – हत्या – मृतक द्वारा अभियुक्त को थप्पड़ मारना – अभियुक्त द्वारा सर्विस रिवाल्वर

पृष्ठ संख्या

से गोली चलाया जाना – मृतक का शव से पांच या अधिक गोली निकाला जाना – हत्या की दोषसिद्धि – जब यह साबित हो जाता है कि गोली अभियुक्त ने मारी है तो न्यायालय ने दोषसिद्ध करने में सही दोषी ठहराया है ।

शिवराम साहू बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 276

– धारा 376, 2(छ) [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6] – अनैतिक व्यापार और सामूहिक बलात्संग – अभियुक्त के विरुद्ध यह अभिकथन किया जाना कि उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया और उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला – अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अविश्वसनीय होगा क्योंकि अभियोक्त्री लगभग एक मास अभियुक्त के साथ रही और उसने भागने की भी कोशिश नहीं की – वेश्यावृत्ति के स्थान का साक्ष्य प्रकट नहीं होना – अभियोजन को अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए और वह प्रतिरक्षा पक्ष की कमजोरियों का लाभ नहीं ले सकता – अभियुक्त प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है ।

संत राम बनाम **दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) राज्य** 264

– धारा 376, 109 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6] – बलात्संग और दुष्प्रेरण के लिए दंड – दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है परन्तु यह तब जब कि उसके साक्ष्य की संपुष्टि हो अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

संत राम बनाम **दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) राज्य** 264

– धारा 498क, 304 [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4] – दहेज मृत्यु –

पृष्ठ संख्या

मरणासन्न कथन – यदि मृतका के मरणासन्न कथन से यह प्रकट हुआ कि मेरे शरीर पर आग स्टोव जलाने के दौरान लगी जिससे यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थीगण द्वारा आग नहीं लगाई तो अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

बजरंगी पांडेय बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 219

– धारा 498क, 304ख [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 और 4] – जहां मामले में साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास हो और अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है और अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

बजरंगी पांडेय बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 219

अरशद*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 24 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति भारत भूषण और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 149 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27] – हत्या – सामान्य उद्देश्य – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों ने एक साथ मिलकर मस्जिद के बाहर और अंदर घुसकर हत्या की घटना कारित की और सबका एक ही सामान्य उद्देश्य था अतः अभियुक्तों को उपरोक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को वादी ओबैदुर्रहमान पुत्र इरफान अहमद ग्राम सजनी, थाना अहरौला, जिला आजमगढ़ तथा उसके पिता व चाचा एजाज अहमद व निरहू **उर्फ** बदरे आलम पुत्र गफ्फार, नाटे **उर्फ** महफूज पुत्र मकबूल तथा गांव के बरसातू **उर्फ** इस्लाम पुत्र बशीर, मकबूल पुत्र सईद, जुलकदर **उर्फ** नन्हू पुत्र इकबाल, गफ्फार पुत्र सुलेमान एवं गांव वच आसपास के लोग जुमा की नमाज पढ़ने आए थे । नमाज 1.30 बजे दिन में अदा करके सभी लोग उठकर चलने लगे कि पुरानी रंजिशवश जावेद **उर्फ** हिटलर पुत्र मोबीन अपने हाथ में राइफल लिए हुए मोबीन के भांजे निसार **उर्फ** मिट्टू पुत्र अज्ञात जो अपने मामू मोबीन के यहां रहता है अपने हाथ में रिवाल्वर लिए हुए, अशहद **उर्फ** बुन्नू पुत्र मोबीन अपने हाथ में रिवाल्वर लिए हुए, अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर निवासी सजनी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए अकमल पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम सजनी अपने हाथ में कट्टा लिए हुए, शब्बू पुत्र इंतेजार साकिन मुंडियार थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ जो जावेद का सगा बहनोई है अपने हाथ में राइफल लिए हुए, शाह आलम माता

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

झिनकी सा. सजनी अपने हाथ में कट्टा लिए हुए, इरफान मास्टर जो ग्राम कौड़िया थाना कप्तानगंज जो आजमगढ़ का रहने वाला है तथा अहरौला इंटर कालेज में अध्यापक है तथा अरशद के यहां रहता है अपने हाथ में बंदूक लिए हुए मस्जिद को घेर लिए । जावेद के ललकारने पर उक्त सभी लोग मस्जिद के सटे उत्तर स्थित गली में अपने-अपने असलहों से गोलियां चलाकर इरफान व एजाज को गोली मारकर हत्या कर दिए, इसके बाद उक्त जावेद आदि मस्जिद के पूर्वी गेट से घुसकर निरहू **उर्फ** बदरे आलम पुत्र गफ्फार व नाटे **उर्फ** महफूज पुत्र मकबूल को खोजने लगे कि निरहू व नाटे मस्जिद के दक्षिणी गेट से बाहर भागना चाहे कि उक्त सभी लोगों ने अपने-अपने असलहों से फायर करते हुए निरहू व नाटे की गोली मारकर हत्या कर दी तथा ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे । उक्त घटना को बरसातू, मकबूल, लुलकदर, गफ्फार तथा इश्तियाक पुत्र अब्दुल शमी आदि तमाम लोगों ने घटना करते व आते-जाते अभियुक्तों को देखा है, सभी मृतकों की लाशें मौके पर पड़ी हैं, सभी बदमाश अपने-अपने पास लिए असलहों को लहराते व धमकाते हुए पूरब तरफ भाग गए । वादी ओबैदुर्रहमान ने इस आशय की तहरीर तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को 14.25 बजे थाना अहरौला, जिला आजमगढ़ में दी । वादी की उपरोक्त तहरीर पर तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को ही 14.25 पर पुलिस थाना अहरौला द्वारा चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-1/1, 108 कां. लालता प्रसाद द्वारा लिखी गई तथा अभियुक्तगण जावेद **उर्फ** हिटलर पुत्र मोबीन, निसार **उर्फ** मिट्ठू पुत्र अरशद अशहद **उर्फ** बुन्नू पुत्र मोबीन, अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर, अकमल **उर्फ** बुन्नू पुत्र मोबीन, अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर, अकमल पुत्र शब्बीर, शब्बू पुत्र इन्तेजार, शाह आलम माता झिनकी, इरफान मास्टर ग्राम कौड़िया थाना कप्तानगंज के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं. 110/2000 धारा 147, 148, 149, 302/34 भा. दं. वि. व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट का तफतीशी कायम किया गया और इस मुकदमे कायमी का इन्द्राज जी डी तारीख 20 अक्तूबर, 2000 के रपट सं. 22 समय 14.25 बजे जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श क-55 है, पर भी अंकित किया गया और इस मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष अहरौला श्री शुभनरायन की । बाद में कायमी मुकदमा विवेचक एस आई बी एच राव व हमराहियान पुलिस कर्मचारीगण सी पी सं. 844 पहलवान, का सी पी सं. 625 हरीराम, सी पी सं. 524 रणजीत बहादुर यादव के साथ घटनास्थल पर जाकर हाजी अल्ताफ, जावेद, कायामुद्दीन, मोह. सोहराव व मुहम्मद साजिद को पंच मुकर्रर करके मृतक इरफान, नाटे **उर्फ** महफूज, एजाज **उर्फ** जज्जू, निरहू **उर्फ** बदरे आलम के शवों की पंचायतनामा कार्यवाही

सम्पन्न की एवं चारों शवों को अलग-अलग कपड़ों में रखकर सील मुहर किया एवं प्रत्येक का पंचायतनामा तैयार किए तथा चारों शवों को, कार्बन कापी एफ. आई. आर., जी डी कायमी मुकदमा व अन्य संबंधित कागजातों के साथ का. हरीराम, का. रणजीत बहादुर यादव को पोस्टमार्टम कराने हेतु सुपुर्द किया । विवेचक उपरोक्त ने मौके पर ही मौजूद वादी मुकदमा ओबैदुर्रहमान का बयान लिया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-15 तैयार किया व घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी तथा मौके पर पड़े खोखा कारतूस को कब्जा पुलिस में लिया एवं इनसे संबंधित फर्द प्रदर्श क-9 लगायत प्रदर्श क-14 तैयार की । आपराधिक अपील सं. 257 सन् 2005, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण अरशद **उर्फ** मिस्टर, अकमल एवं शाह आलम की ओर से तथा आपराधिक अपील सं. 164 सन् 2005, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जावेद **उर्फ** हिटलर तथा अशहद **उर्फ** बुन्नू की ओर से सत्र परीक्षण सं. 187 सन् 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 6, आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश तारीख 24 नवम्बर, 2004 को अपास्त कराने के आशय से यह अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस केस (मामले) में 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट – एक इकबाल द्वारा तथा दूसरी वादी ओबैदुर्रहमान द्वारा पत्रावली पर मौजूद हैं और अभियोजन पक्ष का केस पूर्ण रूप से आधारित है, वह पूर्ण रूप से धारा 162 दं. प्र. सं. (दंड प्रक्रिया संहिता) से आच्छादित होगी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र 4 मुलजिम व 3 मृतक प्रदर्शित हैं जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 4 मृतक 8 मुलजिम प्रदर्शित हैं और विवेचना के पश्चात् 2 मुलजिमों के विरुद्ध अंतिम आख्या 6, के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अवर न्यायालय में विचारण के पश्चात् चारों अभियुक्तों का धारा 25/27 आयुध अधिनियम में दोषमुक्ति का आदेश और सभी मुख्य धाराओं में एक अभियुक्त इरफान का दोषमुक्ति का आदेश है, इससे पूरे अभियोजन पक्ष का केस संदेह के घेरे में है और ऐसे गवाहों की गवाही पर विश्वास किया जाना उचित नहीं होगा ; निष्पक्ष गवाहों को पेश नहीं किया गया है ; तथ्य के गवाह एक ही समूह (ग्रुप) के हैं ; चिक एफ. आई. आर. में ओवर राइटिंग है ; एफ. आई. आर. एंटी टाइम है ; इरफान व अकमल का अन्यत्र मौजूद होने का पर्याप्त साक्ष्य है ; अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त इरफान के अन्यत्र मौजूद रहने का तर्क स्वीकार किया गया है ; दोनों पक्षों को एक-दूसरे से रंजिश स्वीकार है, लेकिन रंजिश का कारण स्वयं वादी पक्ष का है ; तथ्य के गवाहों ने घटना कहां से

देखी, इसे नक्शा नजरी में नहीं दिखाया गया है ; इससे स्पष्ट है कि गवाह मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई घटना नहीं देखी । उक्त सभी आधारों पर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं । इसके जवाब में वादी पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वयं बनाए गए नक्शे व अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में गवाहों के घटना देखने का स्थान दिखाया गया है ; धारा 313 दं. प्र. सं. के बयान में स्वयं अभियुक्त जावेद अहमद व मोहम्मद अरशद **उर्फ** मिस्टर व शाह आलम ने वादी मुकदमा, मृतकगण व अन्य लोगों की उपस्थिति घटना के समय स्वीकार की है ; घटना का सही होना स्वीकार किया है ; इसी घटनास्थल पर इन्हीं 4 मृतकों का कत्ल होना स्वयं डी. डब्ल्यू. 6 ने स्वीकार किया है ; इकबाल पुत्र शमी द्वारा कथित लिखाई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का कोई साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है ; रंजिश के तहत ही इतनी बड़ी घटना को मुलजिमानों द्वारा अंजाम दिया गया है ; ओबैदुर्रहमान की साक्ष्य को यदि आंशिक रूप से विश्वसनीय साक्षी की भी संज्ञा दे दी जाए तो भी अभियुक्तों का दोषमुक्ति का कोई आधार नहीं है ; मकबूल पूर्ण रूप से निष्पक्ष साक्षी है ; अन्यत्र स्थित होने का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ; इरफान का घटना के समय जिस स्कूल में पढ़ाना बताया गया है वह घटनास्थल से मात्र 5-6 किमी. दूर है ; वहां से घटनास्थल पर आसानी से पहुंचा जा सकता है ; सभी मुलजिम एक ही समूह (ग्रुप) के हैं ; आपस में घनिष्ट सगे संबंधी हैं ; किसी भी अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति संदेहजनक नहीं है ; अतः अभियुक्तगण दंडित किए जाने योग्य हैं । मकबूल पुत्र सईद खां ने सशपथ कहा है कि घटना तारीख 20 अक्तूबर, 2000 की है, शुक्रवार का दिन था । जुमा की नमाज पढ़ने वह बड़ी मस्जिद में गया था । मुलजिमान में जावेद, बुन्नू, मिस्टर, शाह आलम, अकमल, मिट्ठू प्रधान, शब्बू साकिन मुडियार, इरफान मास्टर, सा. कौड़िया कप्तानगंज थे । इनमें जावेद के हाथ में राइफल, मिट्ठू रिवाल्वर लिए थे । बुन्नू **उर्फ** अशहद रिवाल्वर, मिस्टर **उर्फ** अरशद बंदूक, अकमद कट्टा, शब्बू राइफल, शाह आलम कट्टा, इरफान मास्टर बंदूक लिए थे, जावेद ने ललकारा और गोली चलाई, इसके बाद बुन्नू ने गोली चलाई । जावेद मुलजिम ने ललकारा और सबसे पहले जावेद ने इरफान को राइफल से मारा, इसके बाद ताबड़तोड़ सभी मुलजिमान ने गोली मारी । इरफान व एजाज को उत्तरी गली में गोली मारकर हत्या की गई । निरहू व नाटे को मस्जिद के अंदर गोली मारी गई । इनको जावेद व बुन्नू मुलजिम ने गोली मारी, इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर फायरिंग किया । मस्जिद के बाहर

व भीतर मिलाकर कुल चार कत्ल हुए । उसके साथ बरसातू, चमन, ओबैदुर्रहमान व अन्य लोगों ने घटना को देखा था । इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने तथ्य के दोनों गवाहों के माध्यम से पूरी घटना को साबित किया है । हमने दोनों गवाहों की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा का गहनता से विश्लेषण किया । अपीलार्थीगण व विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में इन गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण किया गया । पी. डब्ल्यू. 1 मृतक इरफान का पुत्र है । नक्शा नजरी व पी. डब्ल्यू. 2 के अनुसार भी घटनास्थल के पास ही पी. डब्ल्यू. 2 का मकान है, उसकी उपस्थिति किसी प्रकार से मौके पर संदेहास्पद नहीं है, मृतक का पुत्र होने के नाते पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक था क्योंकि दोनों गवाह 8 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं और इस घटना को अंजाम देना बता रहे हैं । लेकिन विवेचक ने इन 8 मुलजिमानों में से 2 अभियुक्त निसार **उर्फ** मिट्ठू व शब्बू के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया है और विवेचक ने अभियुक्त इरफान के विरुद्ध इस घटना को अंजाम देने में उसके मौके पर उपस्थित होने का कोई साक्ष्य नहीं पाया है न षड्यंत्र होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल किया है, इसके बावजूद इरफान के विरुद्ध सभी धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में जहां गवाहान 3 अभियुक्तगण को गलत रूप से नामित कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है कि उस गवाही में से सही बात को निकालकर सही मुलजिमान को सजा दी जाए और निर्दोष को दोषमुक्त किया जाए । इसी कारण दोनों गवाहों की गवाही को हमने काफी बारीकी से प्रत्येक दृष्टिकोण से परीक्षण किया है । इस प्रकार अभियुक्त ने मौखिक साक्ष्य व अभिलेखीय साक्ष्य से घटना के समय अपनी उपस्थिति जनता इंटर कालेज अहरौला जिला आजमगढ़ में होना साबित की है । अभियुक्त इरफान अहमद ने अपनी जमानत होने के समय व धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों में भी यही आधार लिया है । पी. डब्ल्यू. 1 को यह सुझाव दिया गया है कि इरफान मास्टर जनता इंटर कालेज में 1 बजे दिन से लेकर 1.40 बजे तक विज्ञान पढ़ा रहे हों । यद्यपि गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है, लेकिन इन सबसे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त इरफान अहमद ने शुरू से ही अपने अन्यत्र मौजूद होने के आधार को लिया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में व गवाहों के बयानों में अभियुक्त इरफान के पास बंदूक होना दिखाया है । लेकिन पी. डब्ल्यू. 3 बताते हैं कि चश्मदीद गवाह इस्लाम **उर्फ** बरसातू ने इरफान के हाथ में कट्टा होना बताया था, बंदूक होना नहीं । पी. डब्ल्यू. 3 यह भी स्वीकार करते हैं कि तीनों

चश्मदीद गवाहान जुलकदर **उर्फ** नन्नू, गफ्फार व इश्तियाक ने अपने बयान में यह कहीं भी नहीं कहा है कि इरफान घटना के दिन, घटना के समय, घटनास्थल पर रहे हों और उन्होंने उसे देखा हो । यद्यपि इन गवाहों को अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया है । गवाह इश्तियाक ने अपने धारा 161 दं. प्र. सं. के बयान में बताया था कि मास्टर इरफान ने घटना से दो दिन पूर्व षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया था और घटना के समय वह भी कहीं रहा होगा और उन्होंने तफ्तीश इस घटना में षड्यंत्र कर, राय मशविरा कर मिस्टर व हिटलर को कानूनी सलाह देने वाला मुख्य आदमी है और इरफान मास्टर ने घटना की योजना दो दिन पूर्व अरशद **उर्फ** मिस्टर प्रधान के बरामदे में बैठकर बनाने में अपने दिमाग का इस्तेमाल इस घटना में षड्यंत्र करने के दोषी थे । अभियोजन पक्ष ने इश्तियाक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं किया है । उसके धारा 161 दं. प्र. सं. के बयानों का कोई महत्व नहीं है । अतः षड्यंत्र रचने का साक्ष्य भी इरफान के विरुद्ध साबित नहीं है । विवेचनाधिकारी के बयानों से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें इरफान के विरुद्ध उसकी मौके पर उपस्थिति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है । पांच लोगों ने जो ग्राम सजनी के ही रहने वाले हैं, ने मास्टर इरफान के पक्ष में शपथपत्र दिए थे कि वह इस घटना में सम्मिलित नहीं थे । यद्यपि विवेचनाधिकारी के अनुसार मास्टर इरफान के विरुद्ध केवल धारा 120-बी भा. दं. सं. की ही साक्ष्य कही गई थी और इसी कारण उनके विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध का आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था । लेकिन वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि इरफान के विरुद्ध साजिश के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं मिला था । तो फिर इरफान के विरुद्ध विवेचनाधिकारी ने 120-बी भा. दं. सं. या शेष पांच अभियुक्तगण के समान धारा 147, 148, 149, 302/34 भा. दं. सं. व धारा 7 क्रि. ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र कैसे प्रस्तुत कर दिया । इस प्रकार साक्ष्य के उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त इरफान की इस केस में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अभियुक्त अकमल के विरुद्ध दोनों गवाहों की साक्ष्य में कोई ऐसा कथन नहीं आया है, जिससे उसकी मौके पर उपस्थिति साबित न हो । इसी प्रकार से अन्य शेष 4 अभियुक्तगण की भूमिका के संबंध में भी कोई संदेह नहीं रह जाता है । जिस प्रकार से इरफान व अकरम ने अपने अन्यत्र होने का तर्क लिया, यदि शेष अभियुक्तगण घटनास्थल पर नहीं थे, वे कहीं अन्यत्र उपस्थित थे तो उन्होंने भी कहीं अन्यत्र होने का तर्क क्यों नहीं लिया, जबकि स्वयं जावेद, अशहद, शाह आलम अपने धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों में मौके पर

उपस्थिति स्वीकार कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पांचों मुलजिमान की उपस्थिति के संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय रूप से दिया है । जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि क्या वादी ओबैदुर्रहमान द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी-टाइम है । अभियुक्तगण की ओर से यह भी कहा गया है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिप्तलेखन है और घटना का समय कुछ और था । इस संबंध में विवेचनाधिकारी ने बताया है कि पंचायतनामा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखकर ही भरा गया था । यदि घटना का समय कुछ और होता और समय में परिवर्तन चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद में किया गया तो फिर सारे पंचायतनामे रिपोर्ट में घटना सूचित करने का समय 14.25 बजे की जगह कुछ और लिखा गया होता । पी. डब्ल्यू. 8 ने इस बात को इनकार किया है कि कत्ल की घटना पहले 12.25 बजे लिखाई गई हो । बाद में लिप्तलेखन करके 13.30 बजे बनाया गया हो । गवाह ने स्वयं कहा है कि सूचना का समय गलती से घटना के कालम में लिख दिया गया था, फिर उसे ठीक किया गया । गवाह ने इस बात से इनकार किया है कि जी डी व चिक रिपोर्ट एंटी-टाइम लिखी गई हैं । इससे स्पष्ट है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुई इस लिप्तलेखन का लाभ अपीलार्थीगण को नहीं मिल रहा है । यह स्पष्ट है कि इस केस में घटना 1.30 बजे अपराह्न की है और थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 2.25 बजे अपराह्न पर दर्ज करा दी गई है । इस घटना में चारों लाशों का पोस्टमार्टम 20/21 अक्तूबर, 2000 की रात्रि में ही 2.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे पूर्वाह्न के बीच कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर करा दिए गए । डाक्टर के पास पंचायतनामें व अन्य संबंधित अभिलेख प्रदर्श क-27 लगायत प्रदर्श क-43 जो मौके पर तैयार किए गए थे, सील शुदा लाशों के साथ भेजा गया, उन्हें प्राप्त हुए । इन सभी अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इन अभिलेखों में प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी. डी. कायमी मुकदमा की प्रतिलिपि भी उनको भेजी गई है । इन सभी अभिलेखों पर इस केस का अपराध संख्या, मृतकों के नाम, थाना आदि तथ्य अंकित हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी ओबैदुर्रहमान की तहरीर के आधार पर ही घटना की रिपोर्ट तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को 2.25 बजे अपराह्न पर दर्ज हुई । इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद विवेचना आरंभ हुई है । अतः ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट को एंटी-टाइम नहीं माना जा सकता है । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि स्थानीय पुलिस थाना अहरौला द्वारा इस घटना के निमित्त स्पेशल रिपोर्ट रात्रि में 10.35 बजे अपराह्न पर भेजी गई, इससे स्पष्ट है

कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी-टाइम लिखी गई । हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट भेजने का अभिप्राय मात्र इतना ही होता है कि जिला मजिस्ट्रेट संज्ञेय अपराध की विवेचना पर नियंत्रण रख सके, आवश्यकतानुसार विवेचक को आवश्यक निर्देश दे सके । जैसा कि स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोष नहीं है, जिसमें कि सभी तथ्यों का समावेश किया जाए । इस दौरान बहस अपीलार्थीगण की ओर से तमाम तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि वादी ने इन तथ्यों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा और उन आधारों पर घटना के समय वादी की उपस्थिति संदेहजनक हो जाती है । अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि वादी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखना बताता है कि अशहद **उर्फ** बुन्नू ने भी गोली चलाई जो एजाज को लगी, जावेद ने निरहू को गोली मारी, यह तथ्य उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक को बताए और यह तथ्य उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट में न लिखे हों तो वह इसका कारण नहीं बता सकता है कि अब अपने बयानों में ओबैदुर्रहमान इन बातों को बता रहा है । अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में इन बातों को न लिखे जाने से उनको "सुधार" की संज्ञा दी जाएगी और उन बयानों पर अब यकीन नहीं किया जा सकता है । हम अपीलार्थीगण की ओर से दिए गए इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि जिस वादी के पिता का कत्ल उसके आंखों के सामने तीन अन्य रिश्तेदार/परिचितों के साथ कुछ देर पूर्व हुआ हो, वो मात्र एक घंटे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा रहा हो, उस समय उसकी मानसिक स्थिति/स्तर की कल्पना की जा सकती है । अतः यह आवश्यक नहीं था कि वादी सारे तथ्यों का समावेश उसी समय अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में करता, कानून की ऐसी मंशा भी नहीं है और न ही आवश्यकता है और इस आधार पर अभियुक्तगण किसी लाभ को पाने के अधिकारी नहीं है । अपीलार्थीगण की ओर से कहा गया है कि इसी प्रकार से कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो या तो गवाहों को धारा 161 दं. प्र. सं. के बयानों में नहीं है या फिर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट और न्यायालय में दिए गए बयान में नहीं है । अपीलार्थीगण की ओर से कहा गया है कि ओबैदुर्रहमान के न्यायालय में दिए गए बयान के अनुसार अभियुक्त जावेद ने घटना के समय ललकारा और ललकारते ही अपनी राइफल से इरफान को गोली मार दी और इरफान की हत्या करने के बाद अभियुक्तगण मस्जिद के पूर्वी गेट से निकलकर मस्जिद के अन्दर घुस गए और उसी समय निरहू **उर्फ** बदरेआलम तथा नाटे **उर्फ** महफूज मस्जिद के दक्षिणी गेट से बचकर निकलना चाहते थे, में से जावेद ने निरहू को गोली मार दी और अभियुक्त बुन्नू ने नाटे **उर्फ** महफूज को गोली मार

दी । जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे कथन नहीं हैं । प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि जावेद के ललकारने पर यह सभी लोग मस्जिद से सटे उत्तर स्थित गली में अपने-अपने असलहों से गोली मारकार इरफान व एजाज की हत्या कर दी और उसके बाद जावेद आदि मस्जिद के पूर्वी गेट से घुसकर निरहू व नाटे, जो मस्जिद के दक्षिणी गेट से बाहर भागना चाह रहा था, इन सभी लोगों ने अपने-अपने असलहों से फायर करते हुए, निरहू व नाटे की गोली मारकर हत्या कर दी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुलजिमान द्वारा मस्जिद को चारों ओर से अपने हाथों में असलहा लेकर घेरने वाली बात बताता है जबकि न्यायालय में ऐसी बात नहीं बताता है । तथ्य के गवाहों ने मृतकों की जिस प्रकार की और जहां-जहां चोटें आना बताया है, शवपरीक्षण आख्या से उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है । गवाहों ने यह भी बताया है कि मृतक क्या-क्या कपड़े पहने थे, इस तथ्य की पुष्टि भी पंचायतनामा से हो रही है । इससे स्पष्ट हुआ कि यह दोनों गवाह मौके पर उपस्थित थे । पी. डब्ल्यू. 1 ने अपने बयान में बताया है कि 2 व्यक्तियों के फायरिंग द्वारा कत्ल होने के बाद वह मस्जिद के अन्दर जाकर पेशाब-खाने में छिप गया । गवाह ने यह बताया है कि उसे बाहर भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि मस्जिद के पूरब मुलजिमानों के घर थे और पश्चिम की ओर मुलजिमान स्वयं खड़े थे इसलिए वह मस्जिद के बाहर नहीं भागा । गवाह ने बताया कि जब वह पूर्वी गेट से मस्जिद में घुसा था तो मुलजिमान मस्जिद के पश्चिमी गेट पर थे और पेशाबघर में वह अकेला छिपा था । पेशाबघर में घुसने के बाद मुलजिमान मस्जिद के अन्दर आए और 2 कत्ल किए । न्यायालय द्वारा पूछने पर गवाह ने कहा है कि "अगर मुलजिमान मुझे पेशाबघर में छिपे देखते तो मुझे भी मार डालते, लेकिन मुलजिमान मुझे नहीं देखे, मैंने घटना पूरा देखा, मैं ज्यादा डरा हुआ था ।" गवाह के इस स्वाभाविक बयान से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि इस गवाह ने 3 कत्ल होने के बाद मस्जिद के पेशाबघर से घटना देखी, जहां अन्य 2 कत्ल हुए हैं, इस गवाह की उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं रह जाता है । गवाह ने स्पष्ट कहा है कि पेशाबघर में यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो तो बाहर देख सकता है क्योंकि इसकी दीवार औसत आदमी के नाभि तक है जो करीब 4 फीट होगी, इसकी पुष्टि सत्र न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नक्शा नजरी से होती है । गवाह ने यह भी कहा है कि "मुलजिमान जिसको मारना चाहते थे उसे वे खोज रहे थे, लेकिन वे मुझे नहीं खोज पाए" इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि यद्यपि नमाज के समय मस्जिद में काफी तादाद में लोग थे लेकिन चूंकि भगदड़ मच चुकी थी, तमाम तादाद में लोग थे, उनमें से जिन

लोगों का कत्ल मुलजिमान को करना था उन्हें वे तलाश करके मार रहे थे । ओबैदुर्रहमान ने विस्तार से मौके पर घटित घटना का वर्णन किया है जिससे उसकी उपस्थिति किसी भी प्रकार संदेहजनक नहीं है । उसने बताया है कि उसके पिता को खड़ी अवस्था में गर्दन में चोट लगी थी, वह लड़खड़ाए, फिर जमीन पर गिर गए । गिरी अवस्था में भी दूसरे आग्नेश्यास्त्र की चोट लगी लेकिन दूसरी गोली किधर से लगी, नहीं देख पाया । एजाज को पहली चोट उनके पैर में उसके पिता से एक कदम की दूरी पर लगा था । कल 9-10 फायर हुए । मकबूल भी पुष्टि करता है । यह सब बातें गवाहों की उपस्थिति को और मजबूत बनाती हैं । दोनों गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि जावेद के द्वारा इरफान को, अशहद **उर्फ** बुन्नू के द्वारा एजाज को पहले गोली मारी गई उसके बाद मस्जिद के उत्तरी गली में अन्य मुलजिमानों ने भी गोली चलाई उसके बाद मस्जिद में घुसकर अभियुक्त जावेद व बुन्नू ने निरहू व नाटे पर गोली चलाई और फिर सभी लोगों ने फायर किया है । इस प्रकार गवाह गोली मारने की स्पष्ट भूमिका जावेद व अशहद **उर्फ** बुन्नू की बता रहे हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट कहा गया है कि सभी मुलजिमान ने दोनों जगह गोली चलाई । अतः धारा 149 भा. दं. सं. के तहत इन पांचों मुलजिमानों की भूमिका एक सी मानी जाएगी । चूंकि वह इस विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं और कत्ल करने में एक सी भूमिका निभा रहे हैं, सबका सामान्य आशय व उद्देश्य मृतकों को जान से मारना है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उभयपक्ष के मध्य चुनावी रंजिश चली आ रही है । अभियुक्त जावेद द्वारा धारा 307 भा. दं. सं. में दर्ज कराया गया मुकदमा व उसके व अभियुक्त अरशद के मन में अपने-अपने वर्चस्व कायम करने की भावना घटना का एक मुख्य कारण था । दोनों पक्षों के अपने-अपने ग्रुप हैं । अभियुक्त जावेद ने मृतक बदरेआलम को जिस केस में फंसाया था, उसमें उसकी जमानत वादी के पिता इरफान अहमद द्वारा ली गई थी और इसमें बरसातू व इसलाम पुत्र शब्बीर ने जमानत ली थी । अभियुक्त अरशद के विरुद्ध मृतक एजाज अहमद दो बार प्रधानी का चुनाव लड़े, दोनों बार अरशद चुनाव जीते और इसी प्रधानी के चुनाव में अरशद की पत्नी रिजवाना भी ग्राम प्रधान चुनी गई और उनके ग्राम प्रधान रहने के दौरान एजाज के चाचा के लड़के अरशद ने फर्जी प्रस्ताव बनाकर गल्ला व चीनी का कोटा ले लिया था, जिसके विरुद्ध इस अभियुक्त अरशद ने अपनी पत्नी की तरफ से तत्कालिक उप-प्रधान द्वारा धारा 419, 420 भा. दं. सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई । इन सबसे स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य रंजिश की पृष्ठभूमि है और यह भी स्पष्ट है

कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त जावेद अहमद व अशहद **उर्फ** बुन्नू सगे भाई हैं, अभियुक्त अकमल व अभियुक्त अरशद **उर्फ** मिस्टर सगे भाई हैं, अभियुक्त शाह आलम भी इन्हीं के खानदान के हैं । अभियुक्तगण अरशद **उर्फ** मिस्टर, अकमल, जावेद फूफेजात भाई हैं और अकमल के पिता शब्बीर अभियुक्त निसार **उर्फ** मिट्ठू के सगे मामू हैं । इस प्रकार सभी मुलिजमानों आपस में सगे संबंधी हैं । जहां पक्षकारों में ऐसी रंजिश हो, वहां एक व्यक्ति दूसरे पर वार करने की, यहां तक कि हत्या जैसे गंभीर अपराध करने का भी विचार बना लेता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा पक्ष सही मुलजिमानों के साथ-साथ गलत व्यक्तियों को भी उस मुकदमे में फंसाने की नियत रखता है, जैसाकि इस केस में साबित हुआ है । अतः उन परिस्थितियों में न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह गवाहों के साक्ष्य को सूक्ष्मता से अध्ययन कर, विश्लेषण कर उचित निष्कर्ष निकाले । इस केस में वादी पक्ष की ओर से गवाहान विवेचना के दौरान उपस्थित थे, वे आपस में संबंधी हैं, मृतकों के रिश्तेदार हैं, लेकिन न्यायालय में केवल मृतक इरफान के लड़के वादी ने व निष्पक्ष गवाह मकबूल ने गवाही दी है । अन्य गवाह न्यायालय में परीक्षित क्यों नहीं हुए, इसका स्पष्टीकरण नहीं है । यह आवश्यक नहीं है कि सारे गवाह परीक्षित किए जाएं, लेकिन चूंकि इस केस में अभियोजन पक्ष ने दोनों चश्मदीद गवाहों के माध्यम से अपने कथन को संदेह से परे साबित कर दिया है, उन परिस्थितियों में इन अभियुक्तगणों को धारा 302 भा. दं. सं. के अपराध में दोषी न मानने का कोई कारण पैदा नहीं हो रहा है । ओबैदुर्रहमान, मकबूल व विवेचनाधिकारी के बयानों के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया है कि विवेचनाधिकारी ने अपने बनाए गए नक्शा नजरी में महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट नहीं दिखाया था, जिसका लाभ अभियुक्तगण लेना चाह रहे थे और इसी कारण तत्कालिक सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ ने मौके पर जाकर अपने नक्शा नजरी दिनांकित 21 मई, 2004 व स्पाट इंस्पेक्शन नोट बनाकर मौके की स्थिति पूर्ण से स्पष्ट कर दी गवाहों ने घटना कहां-कहां से देखी, लाशें कहां-कहां पड़ी थीं । इस निरीक्षण टिप्पणी व सत्र न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नक्शा नजरी के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों गवाहों ओबैदुर्रहमान व मकबूल के द्वारा मस्जिद के बाहर व अन्दर घटना देखा जाना संभव था और मकबूल की उपस्थिति मौके पर संदेहजनक नहीं रहती है, क्योंकि उसका घर घटनास्थल के बिल्कुल पास है और उसने स्वीकार किया है कि वह नमाज पढ़ने इसी मस्जिद में जाता था और ओबैदुर्रहमान की उपस्थिति स्वयं अभियुक्त जावेद अहमद, मो.

अरशद **उर्फ** निसार अपने बयानों में स्वीकार करते हैं। अतः संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। डी. डब्ल्यू. 6 के बयान से भी यही घटनास्थल साबित हो रहा है। मुशीर अहमद का कथन है कि उसका घर सजनी गांव से 2 कि. मी. दूर है, चूंकि उसके गांव में कोई जामा मस्जिद नहीं है, इसलिए वह सजनी गांव में ही जामा मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ता है। उसके साथ उसके गांव के दो चार और लोग भी थे और दिन में डेढ़ बजे नमाज खत्म हुई थी, नमाज खत्म होने के बाद सभी लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। मस्जिद के पूरब व पश्चिम में गेट है, वह पूरब वाले गेट से बाहर निकला था तथा उत्तर वाली गली से होकर अपने घर जा रहा था तभी उसने देखा कि 2 आदमी मुंह में काला ढाठा बांधे कट्टे से फायरिंग करने लगे, यह फायरिंग इरफान व एजाज पर कर रहे थे, वह दोनों गिर पड़े, गोली चलने से वह व अन्य लोग मस्जिद के पूर्वी गेट से निकले तो वहां पर 2 और आदमी मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए नाटे व निरहू को जान से मार दिया। इस प्रकार जगदीश राय ने वही सारी बातें बता रहा है जो ओबैदुर्रहमान और मकबूल ने बताई है। इन सबसे घटनास्थल पर 4 लोगों का कत्ल होना साबित हो रहा है। अब केवल यह तथ्य देखना रह गया है कि इस घटना को कारित करने वाले 4 ही लोग थे या ज्यादा थे और उनमें यही अभियुक्त थे या कोई अन्य व्यक्ति थे। यह गवाह आगे कहता है कि उसने अभियुक्तगण जावेद, अशहद व शाह आलम को मस्जिद में नमाज के समय नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कहा है कि इस केस में उसने जो बयान हल्फी दिया था, वह शब्बू व निसार के पक्ष में था, यह लोग घटना करने वाले में नहीं थे। इस प्रकार इस गवाह के बयान को यदि पढ़ा जाए तो यह गवाह उन 6 अभियुक्तों में से केवल जावेद, अशहद व शाह आलम शब्बू व निसार की मौके पर उपस्थिति नहीं बताता है जबकि स्वयं अभियुक्त जावेद का अपने धारा 313 दं. प्र. सं. में कथन है कि वह उस दिन नमाज के समय मौजूद था। शाह आलम कहता है कि घटना वाले दिन वादी व मृतकगण व अन्य लोग उक्त मस्जिद में इकट्ठा हुए थे या नहीं यह सही है या नहीं उसे नहीं मालूम और अपनी उपस्थिति के बारे में प्रश्न सं. 4 के जवाब में कहता है नहीं मालूम। स्पष्ट है कि वह वहां मय हथियार मौजूद था। इस प्रकार इस तथ्य पर स्पष्ट हो गया कि यह गवाह झूठ बोल रहा है और मुलजिमान को बचाना चाहता है, ऐसी स्थिति में इस गवाह के मुलजिमों के संबंध में दिए बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में ओबैदुर्रहमान व मकबूल के बयानों को गलत मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है।

अभियुक्तगण की ओर से दिया गया यह सुझाव कि मृतकों की स्वयं की अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि थी, कोई बाहरी व्यक्ति आए और उन्होंने उन्हें मार दिया, मानने योग्य नहीं है । हम अभियुक्तगण के इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि बाहरी लोगों ने उन्हें मारा हो । इस संबंध में ओबैदुर्रहमान और मकबूल के साक्ष्य में कोई भी संदेहजनक बात नहीं है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम इस निश्चित राय के हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपना कथन अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा किए गए हत्या के अपराध को साबित कर दिया है और इस संबंध में अवर न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जावेद अहमद **उर्फ** हिटलर, अशहद **उर्फ** बुन्नू, अकमल, अरशद **उर्फ** मिस्टर व शाह आलम को धारा 148, 302 सपठित धारा 149 भा. दं. वि. तथा धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गत दोषी पाए जाने तथा अभियुक्त मास्टर इरफान अहमद को सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का निष्कर्ष विधि अनुकूल है । अतः इस संबंध में अवर न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 24 नवम्बर, 2004 में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाते हैं और वह पुष्ट किए जाने योग्य है । (पैरा 25, 26, 28, 33, 37, 44, 45, 46, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 62 और 63)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 12 एस. सी. सी. 680 : **कुरत्ती मल्लया** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	38
[2011]	(2011) 8 एस. सी. सी. 65 : **राजस्थान राज्य** बनाम **अब्दुल मनन** ;	58
[2009]	2009 क्रिमिनल ला जर्नल 2071 : **मै. सियाराम और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	58
[2009]	(2009) 1 एस. सी. सी. (क्रि.) 763 : **महमूद और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	47
[2009]	2009 (67) ए. सी. सी. 526 (एस. सी.) : **मणि** बनाम **राज्य** ;	38
[2009]	(2009) 1 एस. सी. सी. (क्रि.) 299 : **परमजीत सिंह** उर्फ **मिठू सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	47

[2008]	2008 क्रिमिनल ला जर्नल 3495 : **कर्नाटक राज्य** बनाम **चिक्काहोत्तप्पा** उर्फ **वाराडे गौड़ा और अन्य ;**	58
[2008]	(2008) 17 एस. सी. सी. 239 : **विट्ठल पुंडलिक जेंजे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	55
[2007]	ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2868 : **कुलविन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य ;**	38
[2005]	(2005) 9 एस. सी. सी. (क्रि.) 788 : **जयश्री यादव** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	47
[2003]	2003 क्रिमिनल ला जर्नल 3632 : **उमेद सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य ;**	43
[2002]	(2002) 9 एस. सी. सी. 744 : **गोपाल और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	47
[2001]	ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3031 : **मुंशी प्रसाद और अन्य** बनाम **बिहार राज्य ;**	55
[2000]	2000 क्रिमिनल ला जर्नल 1616 : **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **एस. रायाप्पा और अन्य ;**	55
[1998]	(1998) 1 एस. सी. सी. 149 : **शिव राम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	47
[1997]	(1997) एस. सी. सी. (क्रि.) 716 : **मिथिलेश उपाध्याय** बनाम **बिहार राज्य सरकार ;**	35
[1997]	(1997) एस. सी. सी. (क्रि.) 591 : **राजेश कुमार** बनाम **धरमवीर आदि ;**	35
[1996]	(1996) एस. सी. सी. (क्रि.) 950 : **हरी चंद आदि** बनाम **दिल्ली राज्य ;**	35
[1996]	(1996) 8 एस. सी. सी. 552 : **राम सजीवन सिंह** बनाम **बिहार राज्य ;**	47
[1994]	1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3067 (एस. सी.) : **रामसिंह बावाजी जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य ;**	43

[1985]	ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 880 : **राम अवतार जाज और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	55
[1985]	ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 131 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **गोकरन और अन्य ;**	47
[1981]	1981 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 911 : **दूधनाथ पांडेय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	35
[1965]	ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 : **मसालती और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	55
[1957]	ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614 : **वेदिवेलू थेवर** बनाम **मद्रास राज्य ।**	38

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 257 के साथ दांडिक अपील सं. 164/2005 और 2005 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 399 और 2005 की सरकारी अपील सं. 2238.

2001 के सेशन विचारण सं. 187 में आजमगढ़ के न्यायालय सं. 6, अपर सेशन न्यायाधीश श्री सोमेश्वर सिंह द्वारा पारित तारीख 24 नवंबर, 2004 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री जे. ए. आजमी, अश्वनी कुमार अवस्थी, जे. ए. अंसारी, जे. जे. मुनीर, जे. एस. सेनगर, के. पी. एस. यादव, कैलाश प्रकाश पाठक, मनीष तिवारी, पी. के. गिरी, एस. के. दूबे, एस. के. शर्मा, एस. पी. यादव और दिलीप कुमार

विरोधी पक्षकार की ओर से सर्वश्री मनीष त्रिवेदी अपर महाधिवक्ता, एस. पी. सिंह और संजय कुमार सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – आपराधिक अपील सं. 257 सन् 2005, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण अरशद **उर्फ** मिस्टर, अकमल एवं शाह आलम

की ओर से तथा आपराधिक अपील सं. 164 सन् 2005, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जावेद **उर्फ** हिटलर तथा अशहद **उर्फ** बुन्नू की ओर से सत्र परीक्षण सं. 187 सन् 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 6, आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश तारीख 24 नवम्बर, 2004 को अपास्त कराने के आशय से दायर की गई है ।

आपराधिक पुनरीक्षण सं. 399 सन् 2005, वादी ओबैदुर्रहमान की ओर से तथा शासकीय अपील सं. 2238 सन् 2005, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सत्र परीक्षण सं. 187 सन् 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 6 आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश तारीख 24 नवम्बर, 2004 के विरुद्ध इस आशय से दायर की गई है कि अभियुक्त इरफान मास्टर के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का अपराध किया जाना पूर्णतः साबित किया गया है, जिसे नजर अंदाज करते हुए एवं संदेह का लाभ देते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाए तथा अभियुक्त इरफान मास्टर को कानून के अनुसार दंडित किया जाए ।

2. उक्त निर्णय एवं आदेश के द्वारा अभियुक्त जावेद अहमद **उर्फ** हिटलर, अशहद **उर्फ** बुन्नू, अकमल, अरशद **उर्फ** मिस्टर व शाह आलम को धारा 148 भा. दं. वि. के अन्तर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपया अर्थदंड से तथा अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास का दंड, धारा 302 सपठित धारा 149 भा. दं. वि. के अंतर्गत आजीवन कारावास का दंड एवं 5-5 हजार रुपया अर्थदंड तथा अर्थदंड की अदायगी न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास का दंड तथा धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपया अर्थदंड तथा अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के निर्देश दिए गए हैं । अभियुक्त मास्टर इरफान अहमद को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया है । अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण अरशद **उर्फ** मिस्टर, अकमल, अशहद **उर्फ** बुन्नू व शाह आलम को धारा 25-27 आयुध अधिनियम के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है ।

3. चूंकि यह आपराधिक अपीलें, आपराधिक निगरानी एवं शासकीय अपील एक ही घटना से संबंधित है तथा सभी सत्र परीक्षणों में पारित एक

ही निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, इसलिए इन सभी अपील व निगरानी की सुनवाई एवं निस्तारण एक साथ किए जा रहे हैं ।

4. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को वादी ओबैदुर्रहमान पुत्र इरफान अहमद ग्राम सजनी, थाना अहरौला, जिला आजमगढ़ तथा उसके पिता व चाचा एजाज अहमद व निरहू **उर्फ** बदरे आलम पुत्र गफ्फार, नाटे **उर्फ** महफूज पुत्र मकबूल तथा गांव के बरसातू **उर्फ** इस्लाम पुत्र बशीर, मकबूल पुत्र सईद, जुलकदर **उर्फ** नन्हू पुत्र इकबाल, गफ्फार पुत्र सुलेमान एवं गांव वच आसपास के लोग जुमा की नमाज पढ़ने आए थे । नमाज 1.30 बजे दिन में अदा करके सभी लोग उठकर चलने लगे कि पुरानी रंजिशवश जावेद **उर्फ** हिटलर पुत्र मोबीन अपने हाथ में राइफल लिए हुए मोबीन के भांजे निसार **उर्फ** मिट्ठू पुत्र अज्ञात जो अपने मामू मोबीन के यहां रहता है अपने हाथ में रिवाल्वर लिए हुए, अशहद **उर्फ** बुन्नू पुत्र मोबीन अपने हाथ में रिवाल्वर लिए हुए, अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर निवासी सजनी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए अकमल पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम सजनी अपने हाथ में कट्टा लिए हुए, शब्बू पुत्र इंतेजार साकिन मुंडियार थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ जो जावेद का सगा बहनोई है अपने हाथ में राइफल लिए हुए, शाह आलम माता झिनकी सा. सजनी अपने हाथ में कट्टा लिए हुए, इरफान मास्टर जो ग्राम कौड़िया थाना कप्तानगंज जो आजमगढ़ का रहने वाला है तथा अहरौला इंटर कालेज में अध्यापक है तथा अरशद के यहां रहता है अपने हाथ में बंदूक लिए हुए मस्जिद को घेर लिया । जावेद के ललकारने पर उक्त सभी लोग मस्जिद के सटे उत्तर स्थित गली में अपने-अपने असलहों से गोलियां चलाकर इरफान व एजाज को गोली मारकर हत्या कर दिए, इसके बाद उक्त जावेद आदि मस्जिद के पूर्वी गेट से घुसकर निरहू **उर्फ** बदरे आलम पुत्र गफ्फार व नाटे **उर्फ** महफूज पुत्र मकबूल को खोजने लगे कि निरहू व नाटे मस्जिद के दक्षिणी गेट से बाहर भागना चाहे कि उक्त सभी लोगों ने अपने-अपने असलहों से फायर करते हुए निरहू व नाटे की गोली मारकर हत्या कर दी तथा ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे । उक्त घटना को बरसातू, मकबूल, लुलकदर, गफ्फार तथा इश्तियाक पुत्र अब्दुल शमी आदि तमाम लोगों ने घटना करते व आते जाते अभियुक्तों को देखा है, सभी मृतकों की लाशें मौके पर पड़ी हैं, सभी बदमाश अपने-अपने पास लिए असलहों को लहराते व धमकाते हुए पूरब की तरफ भाग गए । वादी ओबैदुर्रहमान ने इस आशय की तहरीर प्रदर्श क-1 तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को 14.25 बजे थाना अहरौला, जिला आजमगढ़ में दी ।

5. वादी की उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क-1 पर तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को ही 14.25 बजे पर पुलिस थाना अहरौला द्वारा चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-1/1, 108 कां. लालता प्रसाद द्वारा लिखी गई तथा अभियुक्तगण जावेद **उर्फ** हिटलर पुत्र मोबीन, निसार **उर्फ** मिट्ठू पुत्र अरशद, अशहद **उर्फ** बुन्नू पुत्र मोबीन, अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर, अकमल **उर्फ** बुन्नू पुत्र मोबीन, अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर, अकमल पुत्र शब्बीर, शब्बू पुत्र इन्तेजार, शाह आलम माता झिनकी, इरफान मास्टर ग्राम कौड़िया थाना कप्तानगंज के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं. 110/2000 धारा 147, 148, 149, 302/34 भा. दं. वि. व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट का तफतीशी कायम किया गया और इस मुकदमे कायमी का इंद्राज जी डी तारीख 20 अक्तूबर, 2000 के रपट सं. 22 समय 14.25 बजे जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श क-55 है, पर भी अंकित किया गया और इस मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष अहरौला श्री शुभनरायन ने की ।

6. वाद कायमी मुकदमा विवेचक एस. आई. बी. एच. राव व हमराहियान पुलिस कर्मचारीगण सी पी सं. 844 पहलवान, का सी. पी. सं. 625 हरीराम, सी. पी. सं. 524 रणजीत बहादुर यादव के साथ घटना स्थल पर जाकर हाजी अल्ताफ, जावेद, कायामुद्दीन, मोह. सोहराब व मुहम्मद साजिद को पंच मुकर्रर करके मृतक इरफान, नाटे **उर्फ** महफूज, एजाज **उर्फ** जज्जू, निरहू **उर्फ** बदरे आलम के शवों की पंचायतनामा कार्यवाही सम्पन्न की एवं चारों शवों को अलग-अलग कपड़ों में रखकर सील मुहर किया एवं प्रत्येक का पंचायतनामा प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-18 एवं प्रदर्श क-20 तैयार किए तथा चारों शवों को, कार्बन कापी एफ. आई. आर., जी डी कायमी मुकदमा व अन्य संबंधित कागजातों के साथ का. हरीराम, का. रणजीत बहादुर यादव को पोस्टमार्टम कराने हेतु सुपुर्द किया । विवेचक उपरोक्त ने मौके पर ही मौजूद वादी मुकदमा ओबैदुर्रहमान का बयान लिया तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-15 तैयार किया व घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी तथा मौके पर पड़े खोखा कारतूस को कब्जा पुलिस ने लिया एवं इनसे संबंधित फर्द प्रदर्श क-9 लगायत प्रदर्श क-14 तैयार की ।

7. पी. डब्ल्यू. 4 डा. जी. सी. सिंह ने तारीख 20/21 अक्तूबर, 2000 की रात्रि में ही जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से 2.00 बजे पूर्वाह्न पर मृतक इरफान तथा 3.00 बजे पूर्वाह्न पर मृतक एजाज **उर्फ** जज्जू तथा

4.00 बजे पूर्वाह्न पर निरहू **उर्फ** बदरे आलम एवं 5.00 बजे पूर्वाह्न पर नाटे **उर्फ** महफूज के शवों का पोस्टमार्टम किया ।

मृतक इरफान के मृत्यु से पहले आई हुई चोटें :–

1. छाती के ऊपरी भाग के बाईं ओर, बाईं हसुली के मध्य अंत 2 सें.मी. नीचे 1 सें.मी. × 1 सें.मी. × छाती गुहिका गहरा आयुध घाव प्रवेश । घाव के चारों ओर किनारा औंधा कालापनयुक्त और चक्कता था । दिशा पीछे की ओर और ऊपर की ओर थी । वक्ष कशेरूकी विदीर्ण था और धात्विक सामग्री से आकार बिगड़ गया था ।

2. गर्दन के दाहिनी ओर, दाहिने कान के बाह्य कर्ण के 4 सें.मी. नीचे 1 सें.मी. × 1 सें.मी. मांस का गहरा आयुध घाव प्रवेश था । घाव के चारों ओर कालापन और चक्कता था ।

3. गर्दन के पीछे आर-पार सी-7 से ऊपर 3 सें.मी. × 2 सें.मी. मांसपेशी तक गहरा बाह्य आयुध घाव था । क्षति सं. 2 से मिले हुए किनारे पर औंधी क्षति थी ।

8. **मृतक एजाज के मृत्यु से पहले आई हुई चोटें :–**

1. 1.5 सें.मी. × 1.5 सें.मी. × गर्दन गुहिका गहरा आयुध घाव का प्रवेश । गर्दन के बाईं ओर बाईं कान के 4 सें.मी. पीछे किनारा औंधा हुआ था । घाव के चारों ओर कालापन और चक्कता था ।

2. छाती के दाहिनी ओर दाहिने कक्ष के 2 सें.मी. ऊपर आर-पार 4 सें.मी. × 3 सें.मी. × छाती गुहिका घाव वाला बाह्य आयुध घाव । किनारे औंधे हुए थे, क्षति सं. 1 से जुड़ी हुई थी ।

3. दाहिनी ओर घुटने के जोड़ के ऊपर 25 सें.मी. दाहिनी जंघा के पूर्व पहलू पर 1.5 सें.मी. × 1.5 सें.मी. × मांसपेशी तक गहरा आयुध घाव प्रवेश । किनारे औंधे हुए थे और कालापन था ।

4. दाहिनी घुटने की चक्की खात के 10 सें.मी. ऊपर दाहिने जंघे के पिछले भाग पर 14 सें.मी. × 5 सें.मी. × मांसपेशी तक गहरा बाह्य आयुध घाव ।

9. **मृतक निरहू** उर्फ **बदरे आलम के मृत्यु से पहले आई हुई चोटें :–**

1. हड्डी, टेकी और खोपड़ी के बाईं ओर सिर पर 25 सें.मी. × 11 सें.मी. × कपाल गुहिका गहरा विदीर्ण घाव और बाईं ओर कर्ण

कशेरूकी गायब था और दाहिनी ओर कटा-फटा था ।

2. दाहिनी कांख के 8 सें.मी. नीचे दाहिने ऊपरी भुजा के अंदर भाग पर 1 सें.मी. × 1 सें.मी. × मांसपेशी तक गहरा आयुध प्रवेश घाव । किनारे औंधे हुए थे और घाव के चारों ओर कालापन था ।

3. दाहिने कंधे के 8 सें.मी. नीचे दाहिनी ऊपरी भुजा के बाहरी भाग पर 2 सें.मी. × 1.5 सें.मी. × मांसपेशी तक गहरा आयुध बाह्य घाव । किनारे औंधे हुए थे, क्षति सं. 2 से जुड़ी हुई थी ।

4. छाती के दाहिनी ओर पीछे मध्यरेखा के बाहर 2 सें.मी. और ग्रीवा-7 से नीचे 17 सें.मी. पर 1 सें.मी. × 1 सें.मी. × छाती तक गुहिका घाव वाला आयुध का प्रवेश घाव । किनारे औंधे हुए और कालापन लिए हुए था ।

5. बाईं स्तनाग्र के ऊपर 5 सें.मी. छाती के बाईं ओर ऊपरी भाग पर 4 सें.मी. × 3 सें.मी. × छाती तक गुहिका घाव वाला आयुध का बाह्य घाव ।

10. **मृतक नाटे** उर्फ **महफूज के मृत्यु से पहले आई हुई चोटें :–**

1. 12 बजे की स्थिति पर ऊपरी उरोस्थि गड्ढे के नीचे 5 सें.मी. छाती के मध्य रेखा पर 1 सें.मी. × 1 सें.मी. × छाती गुहिका घाव वाला आयुध प्रवेश घाव । किनारे औंधे हुए थे । किनारों पर कालापन था । मांसपेशी के नीचे बाईं ओर पीछे से टूटी दशा में एक धातु वस्तु पाया गया ।

2. दाहिनी स्तनाग्र के ऊपर 5 सें.मी. दाहिनी ओर छाती पर .5 सें.मी. × .5 सें.मी. × छाती तक गुहिका घाव वाला आयुध प्रवेश घाव । किनारे औंधे हुए थे दाहिने कंधे से 16 सें.मी. नीचे पीछे दाहिनी ओर की मांसपेशी में दो धात्विक वस्तुएं टूटी दशा में पाई गईं।

11. सभी मृतकों की शवपरीक्षण आख्या के अनुसार उपरोक्त चारों मृतकों की मृत्यु तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को 13.30 बजे पर आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण होना संभव है । इन मृतकों की शवपरीक्षण आख्या प्रदर्श क-47 लगायत प्रदर्श क-50 हैं ।

12. अभियुक्त निसार **उर्फ** मिट्ठू व शब्बू के विरुद्ध विवेचना जारी रखते हुए शेष अभियुक्तगण जावेद **उर्फ** हिटलर, अशहद **उर्फ** बुन्नू व अकमल, अरशद **उर्फ** मिस्टर व शाह आलम तथा इरफान के विरुद्ध धारा

147, 148, 149, 302/34 भा. दं. वि. व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अपराध की पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रदर्श क-26 प्रेषित किया ।

13. अभियुक्तगण निसार **उर्फ** मिट्ठू व शब्बू के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की ।

14. अभियुक्तगण अशहद, अकमल तथा शाह आलम के विरुद्ध असलहों की बरामदगी के आधार पर विवेचक एस. आई. शिवमूर्ति मिश्रा ने धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क-51 लगायत प्रदर्श क-54 प्रेषित किए ।

15. सारा प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया । सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण जावेद **उर्फ** हिटलर, अशहद **उर्फ** बुन्नू, अकमल, अरशद **उर्फ** मिस्टर, शाह आलम एवं इरफान के विरुद्ध तारीख 15 सितम्बर, 2001 को धारा 148, 302 सपठित धारा 149 भा. दं. वि. व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के आरोप लगाए गए तथा साथ ही अभियुक्तगण अरशद **उर्फ** मिस्टर, अशहद **उर्फ** बुन्नू, अकमल तथा शाह आलम के विरुद्ध धारा 25/27 आयुध अधिनियम के आरोप लगाए गए । अभियुक्तगण ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

16. अभियोजन पक्ष ने अपने केस के समर्थन में इस मुकदमे के वादी ओबैदुर्रहमान पी. डब्ल्यू. 1, मकबूल पी. डब्ल्यू. 2, थानाध्यक्ष शुभनरायन, पी. डब्ल्यू. 3, डा. जी. सी. सिंह पी. डब्ल्यू. 4, सोहराब अहमद पी. डब्ल्यू. 5, शिवमूर्ति मिश्रा पी. डब्ल्यू. 6, परमानंद पी. डब्ल्यू. 7 तथा लालता प्रसाद पी. डब्ल्यू. 8 को परीक्षित किया ।

17. अभियुक्त जावेद अहमद ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में कहा है कि मृतक बदरे आलम के विरुद्ध धारा 307 भा. दं. वि. का मुकदमा उसकी रिपोर्ट पर चला था । वह ग्राम-प्रधानी का चुनाव चार बार लड़ा था और चारों बार जीता था, उसे कोई रंजिश नहीं थी । इसने यह स्वीकार किया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को लगभग डेढ़ बजे दिन के पूर्व जुमा की नमाज पढ़ने वादी मुकदमा ओबैदुर्रहमान व मृतकगण के गांव के आस पास के लोग गांव के बीच स्थित बड़ी मस्जिद में इकट्ठा हुए थे । इस मुकदमे की घटना से इनकार किया है व अभियोजन कथन गलत बताए हैं । यह मुकदमा रंजिशन चलना बताया है तथा सांसद रमाकांत

यादव के दबाव में झूठा चलाना कहा है ।

18. अभियुक्त अशहद पुत्र मोबीन ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में घटना की अधिकतर बातों से अनभिज्ञता जाहिर की है तथा घटना के तथ्यों को गलत बताया है तथा इसने भी कहा है कि यह मुकदमा रंजिशन चलाया गया है तथा मुकदमा सांसद रमाकांत यादव के दबाव में झूठा चलाया गया है तथा उन्हीं के दबाव में गवाहों ने झूठी गवाही दी है ।

19. अभियुक्त मोहम्मद अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर अहमद ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में घटना की अधिकतर बातों से अनभिज्ञता जाहिर की है तथा घटना के तथ्यों को गलत बताया है तथा इसने कहा है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को लगभग डेढ़ बजे दिन के पूर्व जुमा की नमाज पढ़ने वादी मुकदमा व मृतकगण व गांव के आस-पास के लोग गांव के बीच स्थित बड़ी मस्जिद में इकट्ठा हुए थे तथा वह स्वयं भी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था । इसने कहा है कि वह इस समय गांव का प्रधान है, इससे पहले उसकी पत्नी सरवरी प्रधान थी, उसकी प्रधानी के दौरान मृतक एजाज के चाचा इश्तियाक के लड़के अरशद ने फर्जी प्रस्ताव बनाकर चीनी गल्ला का कोटा ले लिया था, उनके खिलाफ उसने अपनी पत्नी की ओर से एफ. आई. आर. कराई थी, उसी की रंजिश से इस केस में उसे झूठा मुलजिम बनाया गया है ।

20. अभियुक्त शाह आलम पुत्र इस्लाम अहमद ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में घटना की अधिकतर बातों से अनभिज्ञता जाहिर की है तथा घटना के तथ्यों को गलत बताया है तथा इसने भी कहा है कि यह मुकदमा रंजिशन चलाया गया है । तारीख 20 दिसम्बर, 2000 को 1.30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने वादी, मृतकगण व गांव के लोगों के बड़ी मस्जिद में इकट्ठे होने की बात सही है या नहीं उसे नहीं मालूम ।

21. अभियुक्त इरफान पुत्र अशफाक अहमद ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में घटना की अधिकतर बातों से अनभिज्ञता जाहिर की है तथा घटना के तथ्यों को गलत बताया है । उसने कहा है कि यह मुकदमा रंजिशन चलाया गया है । वह 1979 से जनता इंटर कालेज, अहरौला, आजमगढ़ में विज्ञान व गणित का प्राध्यापक था जो विद्यालय घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर है । उसका गांव रामपुर काजी कप्तानगंज में पड़ता है जो घटनास्थल से 35 किलोमीटर दूर है । घटना के समय वह अपने विद्यालय में व्यस्त था, सभी कक्षाएं पढ़ाई थीं और 10 बजे से 4 बजे

तक वह लगातार स्कूल में मौजूद रहा । विद्यालय समाप्त होने के बाद जब वह घर जाने के लिए विद्यालय से बाहर निकला तो पुलिस उसे बुलाकर थाने ले गई, वहां काफी भीड़ मौजूद थी । उससे पुलिस ने पूछताछ की थी, कालेज के अध्यापक व छात्र भी भारी संख्या में थाने में पहुंच गए थे, गिरफ्तारी का कारण पूछने पर बताया गया कि केस के बाबत जानकारी करनी थी, फिर पूछताछ करने के बाद उसे थाने से छोड़ दिया गया और वह घर गया था । रात में भोर में पुलिस उसे बुलाकर ले गई । उसके पूछने पर थाने में बताया गया कि इस कत्ल के केस में उसे मुलजिम बनाया जा रहा है । घटना की रिपोर्ट उसे शाम को थाने पर दिखाई गई, जो इकबाल पुत्र शमी द्वारा लिखी गई थी, उसमें उसे मुलजिम नहीं बनाया गया था, इसलिए थाने पर पहले उसे छोड़ दिया गया फिर ओबैदुर्रहमान की रिपोर्ट पर उसे मुलजिम बनाया गया और फर्जी गिरफ्तारी करके उसका चालान किया गया ।

22. अभियुक्त मुहम्मद अकमल पुत्र शब्बीर अहमद ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में घटना की अधिकतर बातों से अनभिज्ञता जाहिर की है तथा घटना के तथ्यों को गलत बताया है तथा इसने कहा है कि वह घटना के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और घटना के दिन इलाहाबाद में था तथा यह मुकदमा रंजिशन चलाया गया है तथा घटना के समय वह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इसरार अहमद के साथ पढ़ रहा था ।

23. बचाव पक्ष ने अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य में तेज बहादुर सिंह पुत्र शत्रुनाशन सिंह डी. डब्ल्यू. 1, जगदीश राय पुत्र स्व. सत्य नारायन राय डी. डब्ल्यू. 2, अमर बहादुर सिंह पुत्र लखपति सिंह डी. डब्ल्यू. 3 एजाज अहमद पुत्र शमशुल हक डी. डब्ल्यू. 4, इसरार पुत्र अब्दुल जब्बार डी. डब्ल्यू. 5 तथा मुशीर पुत्र इदरीश डी. डब्ल्यू. 6 को परीक्षित कराया है ।

24. हमने आपराधिक अपील सं. 257/2005 में अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी, आपराधिक अपील सं. 164/2005 में अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार तथा आपराधिक निगरानी सं. 399/2005 में निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता श्री मनीष त्रिवेदी को एवं इस निगरानी में विपक्षी सं. 2 की ओर से श्री आर. के. मिश्रा विद्वान् अधिवक्ता को एवं श्री राजीव शर्मा विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से सुना तथा शासकीय अपील सं. 2238 सन् 2005 में विपक्षी इरफान अहमद **उर्फ** मास्टर की ओर से श्री आर. के. मिश्रा विद्वान् अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर

उपलब्ध समस्त अभिलेख, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी अभिलेख एवं प्रश्नगत निर्णय व आदेश का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया ।

25. अपीलार्थीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस केस में 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट – एक इकबाल द्वारा प्रदर्श सी-1 तथा दूसरी वादी ओबैदुर्रहमान द्वारा प्रदर्श क-1 पत्रावली पर मौजूद हैं और अभियोजन पक्ष का केस पूर्ण रूप से प्रदर्श क-1 पर आधारित है, वह पूर्ण रूप से धारा 162 दं. प्र. सं. से आच्छादित होगी । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श सी-1 में मात्र 4 मुलजिम व 3 मृतक प्रदर्शित हैं जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 में 4 मृतक 8 मुलजिम प्रदर्शित हैं और विवेचना के पश्चात् 2 मुलजिमों के विरुद्ध अंतिम आख्या 6, के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अवर न्यायालय में विचारण के पश्चात् चारों अभियुक्तों की धारा 25/27 आयुध अधिनियम में दोषमुक्ति का आदेश और सभी मुख्य धाराओं में एक अभियुक्त इरफान का दोषमुक्ति का आदेश है, इससे पूरे अभियोजन पक्ष का केस संदेह के घेरे में है और ऐसे गवाहों की गवाही पर विश्वास किया जाना उचित नहीं होगा ; निष्पक्ष गवाहों को पेश नहीं किया गया है ; तथ्य के गवाह एक ही समूह (ग्रुप) के हैं ; चिक एफ. आई. आर. में ओवर राइटिंग है ; एफ. आई. आर. एंटी टाइम है ; इरफान व अकमल का अन्यत्र मौजूद होने का पर्याप्त साक्ष्य है ; अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त इरफान के अन्यत्र मौजूद रहने का तर्क स्वीकार किया गया है ; दोनों पक्षों को एक-दूसरे से रंजिश स्वीकार है, लेकिन रंजिश का कारण स्वयं वादी पक्ष का है ; तथ्य के गवाहों ने घटना कहां से देखी, इसे नक्शा नजरी में नहीं दिखाया गया है ; इससे स्पष्ट है कि गवाह मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई घटना नहीं देखी । उक्त सभी आधारों पर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं ।

26. इसके जवाब में वादी पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वयं बनाए गए नक्शे व अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में गवाहों के घटना देखने का स्थान दिखाया गया है ; धारा 313 दं. प्र. सं. के बयान में स्वयं अभियुक्त जावेद अहमद व मोहम्मद अरशद **उर्फ** मिस्टर व शाह आलम ने वादी मुकदमा, मृतकगण व अन्य लोगों की उपस्थिति घटना के समय स्वीकार की है ; घटना का सही होना स्वीकार किया है ; इसी घटनास्थल पर इन्हीं 4 मृतकों का कत्ल होना स्वयं डी. डब्ल्यू. 6 ने स्वीकार किया है ; इकबाल पुत्र शमी द्वारा कथित लिखाई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का कोई साक्ष्य अभियुक्तगण की ओर से

प्रस्तुत नहीं किया गया है ; रंजिश के तहत ही इतनी बड़ी घटना को मुलजिमानों द्वारा अन्जाम दिया गया है ; पी. डब्ल्यू. 1 की साक्ष्य को यदि आंशिक रूप से विश्वसनीय साक्षी की भी संज्ञा दे दी जाए तो भी अभियुक्तों का दोषमुक्ति का कोई आधार नहीं है ; पी. डब्ल्यू. 2 पूर्ण रूप से निष्पक्ष साक्षी है ; अन्यत्र स्थित होने का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ; इरफान का घटना के समय जिस स्कूल में पढ़ाना बताया गया है वह घटनास्थल से मात्र 5-6 किमी. दूर है ; वहां से घटनास्थल पर आसानी से पहुंचा जा सकता है ; सभी मुलजिम एक ही समूह (ग्रुप) के हैं ; आपस में घनिष्ट सगे संबंधी हैं ; किसी भी अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति संदेहजनक नहीं है ; अतः अभियुक्तगण दंडित किए जाने योग्य हैं ।

27. पी. डब्ल्यू. 1 वादी ओबैदुर्रहमान ने न्यायालय में उपस्थित सभी अभियुक्तों को नाम से जानना बताया व घटना के समय उनके पास क्या हथियार थे, स्पष्ट रूप से बताया है तथा उनके आपसी करीबी रिश्तों के बारे में बताया है तथा कहा है कि घटना का दिन शुक्रवार था, वह तथा उसके पिता इरफान अहमद व चाचा एजाज अहमद, बदरे आलम, निरहू, नाटे, बरसातू **उर्फ** इस्लाम, मकबूल, गफ्फार अहमद, जुलकदर, इश्तियाक और गांव व अगल बगल के गांव के तमाम आदमी जुमा की नमाज घटना के समय अदा करने आए थे । घटना 1.30 बजे दिन की है, घटना के समय वे लोग नमाज अदा करके अपने-अपने घर जा रहे थे, एजाज अहमद, इरफान अहमद उससे 10 कदम आगे थे, वे मस्जिद के उत्तरी गली में पहुंच गए, वह पूरबी गेट मस्जिद से निकलकर मस्जिद के गली के पास पहुंचा । जावेद अहमद ने ललकारा और ललकारते ही अपनी राइफल से इरफान को गोली मार दी । अशहद **उर्फ** बुन्नू ने भी गोली चलाई जो एजाज को लगी । इसी बीच शेष अभियुक्त भी ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे । उसके बाद वह तथा मकबूल व इस्लाम डर के कारण पूरबी गेट से मस्जिद में वापस चले गए । इसके बाद सभी अभियुक्तगण पूरबी गेट से मस्जिद में अंदर घुस गए । इसी बीच निरहू व नाटे मस्जिद के दक्षिणी गेट से बाहर निकलना चाहे कि अभियुक्त जावेद ने निरहू को गोली मारी, अभियुक्त बुन्नू ने नाटे को मारा । सभी लोगों ने फायर किया । इस घटना को उसके अलावा बरसातू **उर्फ** इस्लाम पुत्र बशीर, मकबूल अहमद वल्द सईद, गफ्फार अहमद वल्द सुलेमान, इश्तियाक अहमद वल्द शमी, जुलकदर वल्द इकबाल ने तथा गांव के तमाम लोगों ने देखा । मृतक एजाज व इरफान अहमद की लाश मस्जिद की उत्तरी गली में पड़ी थी, मृतक नाटे व बदरे

आलम की लाश मस्जिद के अंदर थी । इस घटना की रिपोर्ट प्रदर्श क-1 उसने रफीक अहमद से घर पर लिखवाकर थाने पर दर्ज कराई ।

28. पी. डब्ल्यू. 2 मकबूल पुत्र सईद खां ने सशपथ कहा है कि घटना तारीख 20 अक्तूबर, 2000 की है, शुक्रवार का दिन था । जुमा की नमाज पढ़ने वह बड़ी मस्जिद में गया था । मुलजिमान में जावेद, बुन्नू, मिस्टर, शाह आलम, अकमल, मिट्ठू प्रधान, शब्बू साकिन मुडियार, इरफान मास्टर, सा. कौड़िया कप्तानगंज थे । इनमें जावेद के हाथ में राइफल, मिट्ठू रिवाल्वर लिए थे । बुन्नू **उर्फ** अशहद रिवाल्वर, मिस्टर **उर्फ** अरशद बंदूक, अकमल कट्टा, शब्बू राइफल, शाह आलम कट्टा, इरफान मास्टर बंदूक लिए थे, जावेद ने ललकारा और गोली चलाई, इसके बाद बुन्नू ने गोली चलाई । जावेद मुलजिम ने ललकारा और सबसे पहले जावेद ने इरफान को राइफल से मारा, इसके बाद ताबड़तोड़ सभी मुलजिमान ने गोली मारी । इरफान व एजाज को उत्तरी गली में गोली मारकर हत्या की गई । निरहू व नाटे को मस्जिद के अंदर गोली मारी गई । इनको जावेद व बुन्नू मुलजिम ने गोली मारी, इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर फायरिंग किया । मस्जिद के बाहर व भीतर मिलाकर कुल चार कत्ल हुए । उसके साथ बरसातू, चमन, ओबैदुर्रहमान व अन्य लोगों ने घटना को देखा था ।

29. इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने तथ्य के दोनों गवाहों के माध्यम से पूरी घटना को साबित किया है । हमने दोनों गवाहों की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा का गहनता से विश्लेषण किया । अपीलार्थीगण व विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में इन गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण किया गया । पी. डब्ल्यू. 1 मृतक इरफान का पुत्र है । नक्शा नजरी व पी. डब्ल्यू. 2 के अनुसार भी घटनास्थल के पास ही पी. डब्ल्यू. 2 का मकान है, उसकी उपस्थिति किसी प्रकार से मौके पर संदेहास्पद नहीं है, मृतक का पुत्र होने के नाते पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य का गहनता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक था क्योंकि दोनों गवाह 8 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं और इस घटना को अंजाम देना बता रहे हैं । लेकिन विवेचक ने इन 8 मुलजिमानों में से 2 अभियुक्त निसार **उर्फ** मिट्ठू व शब्बू के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया है और विवेचक ने अभियुक्त इरफान के विरुद्ध इस घटना को अंजाम देने में उसके मौके पर उपस्थित होने का कोई साक्ष्य नहीं पाया है न षड्यंत्र होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल किया है, इसके बावजूद इरफान के विरुद्ध सभी धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में जहां गवाहान 3 अभियुक्तगण को गलत रूप से नामित

कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है कि उस गवाही में से सही बात को निकालकर सही मुलजिमान को सजा दी जाए और निर्दोष को दोषमुक्त किया जाए । इसी कारण दोनों गवाहों की गवाही को हमने काफी बारीकी से प्रत्येक दृष्टिकोण से परीक्षण किया है ।

30. जैसाकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 के कथनों से साबित हुआ है कि अभियुक्त जावेद के ललकारने पर पहले जावेद ने इरफान पर गोली चलाई फिर अभियुक्त बुन्नू ने एजाज पर गोली चलाई, फिर इसके बाद शेष मुलजिमों ने गोलियां चलाई हैं । इससे यह स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त इरफान की अलग से कोई विशेष भूमिका साबित नहीं हुई है, जिसमें उसके द्वारा किसी को सीधे-सीधे गोली मारना साबित हुआ हो । जबकि इरफान की ओर से कहा गया है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद ही नहीं था, बल्कि वह अहरौला कस्बे में इंटर कालेज में घटना के समय अध्यापन का कार्य कर रहा था । पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 व स्वयं विवेचनाधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि यह अभियुक्त उक्त कालेज में अध्यापन का कार्य करते हैं । इस बात को साबित करने के लिए अभियुक्त इरफान की ओर से अपने सफाई साक्ष्य में डी. डब्ल्यू. 1 तेज बहादुर सिंह, लिपिक, जनता इंटर कालेज, अहरौला को परीक्षित किया गया है, जिन्होंने अपने बयानों में बताया है कि मास्टर इरफान इस कालेज में सहायक अध्यापक के पद पर जुलाई, 1989 से नियुक्त हैं, विद्यालय मान्यता प्राप्त है । डी. डब्ल्यू. 1 ने अध्यापक उपस्थिति पंजिका 2000-01, अध्यापन समय सारिणी सत्र 2000-01 एवं पे बिल रजिस्टर क्रमशः प्रदर्श ख-1, ख-2 व ख-3 साबित किए हैं । प्रदर्श ख-1 के अनुसार 20 अक्तूबर, 2000 को अभियुक्त मास्टर इरफान अहमद को विद्यालय में उपस्थिति होना बताया गया है, उस पर इरफान अहमद के 20 अक्तूबर, 2000 के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । अध्यापन समय सारिणी 8 जुलाई, 2000 प्रदर्श ख-2 को बनना बताया गया है, जिस पर प्रिंसिपल जगदीश राय के हस्ताक्षर हैं । गवाह ने मास्टर इरफान की उपस्थिति 20 अक्तूबर, 2000 तक होने के कारण वेतन भुगतान बिल की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श ख-3 को साबित किया है । डी. डब्ल्यू. 1 ने यह भी कहा है कि जब वह विद्यालय से साढ़े दस बजे पेमेंट संबंधी कागजात लेकर कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ के लिए गए तो इरफान अहमद कालेज में मौजूद थे और उसी दिन शाम को जब करीब तीन बजे वह विद्यालय वापस पहुंचे तब अभियुक्त इरफान अहमद विद्यालय में उपस्थित थे । और

शाम को जब वह, इरफान अहमद के साथ कालेज से निकलकर अहरौला बाजार तक आए, तो बाजार से पुलिस इरफान को बुलाकर थाने ले गई। वह, विद्यालय के अध्यापक व छात्र भी थाने पहुंच गए। पूछताछ करने पर थाने वालों ने बताया कि चार लोगों की हत्या होने के संबंध में इरफान से पूछताछ करनी है और फिर शाम को करीब साढ़े पांच-छह बजे पूछताछ करके इरफान मास्टर को छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह पुलिस ने पुनः मास्टर इरफान को गिरफ्तार कर लिया। डी. डब्ल्यू. 1 की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं है, जिससे गवाह के कथनों को झूठा माना जा सके। डी. डब्ल्यू. 1 ने प्रतिपरीक्षा में बताया है कि इस कालेज में माह अगस्त से लेकर मार्च तक 9.50 बजे पर प्रार्थना शुरू होकर दस बजे सुबह तक 12.40 बजे तक क्लास चलते हैं, फिर 12.40 बजे से 1.00 बजे इंटरवल और 1.00 बजे से 40-40 मिनट तक की चार क्लास चलती हैं। इस प्रकार डी. डब्ल्यू. 1 के बयानों से मास्टर इरफान की उपस्थिति घटना के समय कालेज में ही साबित हो रही है।

31. डी. डब्ल्यू. 1 के कथनों की पुष्टि उक्त कालेज के प्रधानाचार्य डी. डब्ल्यू. 2 जगदीश राय के कथनों से हो रही है। अध्यापन समय सारिणी प्रदर्श ख-2 को इस गवाह ने साबित किया है। अध्यापन उपस्थिति पंजिका प्रदर्श ख-1 पर 20 अक्तूबर 2000 को दस बजे सुबह के पूर्व मास्टर इरफान अहमद की विद्यालय में उपस्थिति को गवाह ने साबित किया है। इस उपस्थिति पंजिका प्रदर्श ख-1 पर गवाह ने अपने व मास्टर इरफान अहमद के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है तथा प्रदर्श ख-3 को भी गवाह ने प्रमाणित किया है। डी. डब्ल्यू. 2 ने आगे बताया है कि मास्टर इरफान अपनी प्रथम घंटी पढ़ाने कक्षा 9 सी में गए थे और समय सारिणी प्रदर्श ख-2 के अनुसार मास्टर इरफान ने 10 बजे सुबह से 3.40 बजे अपराह्न तक 20 अक्तूबर, 2000 को लगातार अध्यापन कार्य किया था तथा खाली घंटी व इंटरवल में वह टीचर्स रूम में रहे। वह विद्यालय में बराबर निरीक्षण करते रहे। उस दिन मास्टर इरफान ने कक्षा 10 सी में पांचवीं घंटी 1.00 बजे अपराह्न से 1.40 बजे अपराह्न तक विज्ञान पढ़ाया था और उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान उन्हें पढ़ाते पाया था। डी. डब्ल्यू. 2 की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं जिससे गवाह के बयानों पर संदेह पैदा हो सके। गवाह ने इस बात को बताया है कि जिस कक्षा में वह पढ़ाते थे, वह स्कूल के गेट के ही सामने था, वह वहीं से देखते थे कि कौन विलंब से आ रहा है। स्कूल गेट पर दस बजे सुबह ताला लगा दिया

जाता था और यदि बीच में किसी को जाना होता था तो वह उनसे आज्ञा लेकर ताला खुलवाएगा । उनकी बिना आज्ञा के कोई चपरासी गेट नहीं खोलता था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी इजाजत के बिना कोई अध्यापक स्कूल के बाहर चला गया हो । गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अभियुक्त इरफान स्कूल रजिस्टर पर दस्तखत बनाने के बाद चले गए हों । इस प्रकार डी. डब्ल्यू. 2 के बयानों से भी अभियुक्त की उपस्थिति घटना के समय मौके पर साबित नहीं हो रही है, बल्कि स्कूल में ही साबित हो रही है ।

32. इसी प्रकार डी. डब्ल्यू. 3 अमर बहादुर सिंह जो उक्त कालेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, ने बताया है कि 20 अक्तूबर, 2000 को मास्टर इरफान व अन्य अध्यापक सुबह साढ़े नौ बजे तक विद्यालय में पहुंच गए थे । उपस्थिति रजिस्टर पर सब लोग अपने हस्ताक्षर करते थे । इस उपस्थिति पंजिका पर गवाह ने अपने तथा मास्टर इरफान के हस्ताक्षर साबित किए हैं, जो प्रदर्श ख-4 व ख-5 हैं । 20 अक्तूबर, 2000 को इंटरवल में मास्टर इरफान अध्यापकों के साथ अध्यापक कक्ष में बैठे थे, मास्टर इरफान लंच के पहले पांचवीं कक्षा में 10 सी क्लास में विज्ञान पढ़ाने गए थे, यह समय 1 बजे से लेकर 1.40 बजे अपराह्न तक का था । लंच के बाद जब वह 10 सी से पढ़ाकर निकल रहे थे । जब छठी घंटी पढ़ाकर वो अध्यापक कक्ष में आए तो वहां मास्टर इरफान उपस्थित थे और सातवीं व आठवीं घंटी भी मास्टर इरफान ने पढ़ाई थी । इस प्रकार इस गवाह के बयान से भी साबित हुआ कि घटना के समय यह अभियुक्त कालेज में ही अध्यापन कार्य कर रहे थे ।

33. इस प्रकार अभियुक्त ने मौखिक साक्ष्य व अभिलेखीय साक्ष्य से घटना के समय अपनी उपस्थिति जनता इंटर कालेज अहरौला जिला आजमगढ़ में होना साबित की है । अभियुक्त इरफान अहमद ने अपनी जमानत होने के समय व धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों में भी यही आधार लिया है । पी. डब्ल्यू. 1 को यह सुझाव दिया गया है कि इरफान मास्टर जनता इंटर कालेज में 1 बजे दिन से लेकर 1.40 बजे तक विज्ञान पढ़ा रहे हों । यद्यपि गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है, लेकिन इन सबसे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त इरफान अहमद ने शुरू से ही अपने अन्यत्र मौजूद होने के आधार को लिया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में व गवाहों के बयानों में अभियुक्त इरफान के पास बंदूक होना दिखाया है । लेकिन पी. डब्ल्यू. 3 बताते हैं कि चश्मदीद गवाह इस्लाम **उर्फ** बरसातू ने

इरफान के हाथ में कट्टा होना बताया था, बंदूक होना नहीं । पी. डब्ल्यू. 3 यह भी स्वीकार करते हैं कि तीनों चश्मदीद गवाहान जुलकदर उर्फ नन्नू, गफ्फार व इश्तियाक ने अपने बयान में यह कहीं भी नहीं कहा है कि इरफान घटना के दिन, घटना के समय, घटनास्थल पर रहे हों और उन्होंने उसे देखा हो । यद्यपि इन गवाहों को अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया है । गवाह इश्तियाक ने अपने धारा 161 दं. प्र. सं. के बयान में बताया था कि मास्टर इरफान ने घटना से दो दिन पूर्व षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया था और घटना के समय वह भी कहीं रहा होगा और उन्होंने तफ्तीश के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियुक्त इरफान इस घटना में षड्यंत्र कर, राय मशविरा कर मिस्टर व हिटलर को कानूनी सलाह देने वाला मुख्य आदमी है और इरफान मास्टर ने घटना की योजना दो दिन पूर्व अरशद उर्फ मिस्टर प्रधान के बरामदे में बैठकर बनाने में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर योजना बनाई और उनके दृष्टिकोण में मास्टर इरफान इस घटना में षड्यंत्र करने के दोषी थे । अभियोजन पक्ष ने इश्तियाक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं किया है । उसके धारा 161 दं. प्र. सं. के बयानों का कोई महत्व नहीं है । अतः षड्यंत्र रचने का साक्ष्य भी इरफान के विरुद्ध साबित नहीं है । विवेचनाधिकारी के बयानों से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें इरफान के विरुद्ध उसकी मौके पर उपस्थिति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है । पांच लोगों ने जो ग्राम सजनी के ही रहने वाले हैं, ने मास्टर इरफान के पक्ष में शपथ पत्र दिए थे कि वह इस घटना में सम्मिलित नहीं थे । यद्यपि विवेचनाधिकारी के अनुसार मास्टर इरफान के विरुद्ध केवल धारा 120-बी भा. दं. सं. की ही साक्ष्य कही गई थी और इसी कारण उनके विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध का आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था । लेकिन वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि इरफान के विरुद्ध साजिश के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं मिला था । तो फिर इरफान के विरुद्ध विवेचनाधिकारी ने धारा 120-बी भा. दं. सं. या शेष पांच अभियुक्तगण के समान धारा 147, 148, 149, 302/34 भा. दं. सं. व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र कैसे प्रस्तुत कर दिया ।

34. यह उल्लेखनीय है कि इस केस में इरफान व अन्य मुलजिमानों के अलावा शब्बू व निसार की नामजद मुलजिमान थे । दौरान जांच कुछ लोगों के शपथ पत्र के आधार पर कि शब्बू व निसार उर्फ मिट्ठू घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उनके पक्ष में अंतिम आख्या प्रेषित कर दी थी । चूंकि मुडियार के लोगों ने अपने शपथ पत्र में कहा था कि शब्बू व निसार उर्फ मिट्ठू नमाज पढ़कर मुडियार में शब्बू के दरवाजे पर चाय पी

रहे थे, इसी कारण विवेचनाधिकारी ने उन पर विश्वास करके जांच से अलग कर दिया था । जबकि इरफान के संबंध में विवेचनाधिकारी ने ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला । जबकि उनको जनता इंटर कालेज अहरौला के प्रधानाचार्य जगदीश राय ने यह बयान दिया था कि तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को मास्टर इरफान प्रातः दस बजे से सायं चार बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहे और अध्यापन कार्य किया । विवेचनाधिकारी का कथन है कि इस अध्यापन कार्य की जांच करने के लिए उन्होंने उस कालेज के संबंधित अभिलेख देखने का प्रयास किया, लेकिन कालेज के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि अभिलेख आलमारी में बंद हैं, चाबी उनके पास नहीं है, अतः वह उन अभिलेखों का अवलोकन नहीं कर पाए । विवेचनाधिकारी का यह कथन तर्कहीन है, उनकी लापरवाही स्पष्ट हो रही है । जब विवेचनाधिकारी को षड्यंत्र के अपराध तक के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो उन्होंने शब्बू व निसार की तरह उनके विरुद्ध अंतिम आख्या प्रेषित क्यों नहीं की ? अब न्यायालय में अभियुक्त इरफ़ान के विरुद्ध षड्यंत्र तक का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 अन्य अभियुक्तगण की तरह इरफान के द्वारा भी फायर करने की बात कह रहे हैं । कोई विशिष्ट भूमिका साबित नहीं है । अतः स्पष्ट हुआ कि गवाहान इस संबंध में विश्वसनीय व सच गवाही नहीं दे रहे हैं । इन परिस्थितियों में पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 के द्वारा इरफान की अन्य मुलजिमानों के साथ मौके पर बताई गई उपस्थिति के संबंध में दिए गए साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । यद्यपि गवाहान का कथन है कि मौके पर कुल आठ मुलजिमानों द्वारा फायर करने की घटना की गई, लेकिन हम भी अवर न्यायालय के द्वारा निकले गए इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि दोनों गवाहान इस संबंध में सही बयान नहीं दे रहे हैं और वे इस घटना में अधिक से अधिक व्यक्तियों को किसी न किसी कारण से मुलजिम के रूप में शामिल कराना चाह रहे हैं । हम विपक्षी इरफान की ओर से दिए गए इस तर्क से सहमत हैं कि गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को ही शाम को इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । इसका हवाला रोजनामचा-अम में व केस डायरी के पर्चे में किया गया, लेकिन कोई साक्ष्य न पाने के कारण उन्हें रिहा किया गया । विवेचनाधिकारी स्वयं स्वीकार करते हों कि उनकी तफ्तीश से यह निष्कर्ष निकला था कि घटना में मास्टर इरफान, शब्बू, निसार **उर्फ** मिट्ठू शामिल नहीं थे । अतः स्पष्ट है कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है ।

35. वादी पक्ष की ओर से **दूधनाथ पांडेय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1], **राजेश कुमार** बनाम **धरमवीर आदि**[2], **मिथिलेश उपाध्याय** बनाम **बिहार राज्य सरकार**[3], और **हरी चंद आदि** बनाम **दिल्ली राज्य**[4] वाले विनिर्णय प्रस्तुत किए हैं और तर्क प्रस्तुत किए हैं कि "अन्यत्र होने की" बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा और अभियुक्त ऐसा साक्ष्य देने में असफल रहा है । अन्यत्र होने के साक्ष्य में अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि उसके लिए अपनी उपस्थिति वाले स्थान से घटनास्थल तक पहुंचना पूर्ण रूप से असंभव था । या तो वह स्थान इतना दूर था या अन्य कारणोंवश वह वहां नहीं पहुंच सकता था । लेकिन इन प्रस्तुत विनिर्णयों का कोई लाभ वादी पक्ष को नहीं मिल रहा है क्योंकि मास्टर इरफान ने अपने समुचित साक्ष्य से यह साबित कर दिया है कि घटना वाले दिन वह सुबह से शाम तक कालेज में ही मौजूद रहे और अध्यापन का कार्य करते रहे । अभियुक्त का सामान्य आचरण भी इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि यदि वह इस घटना में किसी भी प्रकार से शामिल होते तो कालेज से बाजार की तरफ अपने साथियों के साथ सामान्य रूप से क्यों जाते जहां उसी दिन शाम को पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, फिर रात्रि में ही छोड़ देती है या फिर रात्रि में वह अपने घर पर ही क्यों सोते जहां पुलिस ने सुबह उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है । इस प्रकार पत्रावली पर विपक्षी इरफान के विरुद्ध समुचित साक्ष्य नहीं है कि उन्हें इस केस में किसी भी आरोप का दोषी मानकर दंडित किया जा सके । अवर न्यायालय ने इस संबंध में अपना सही निष्कर्ष निकाला है और उसमें हस्तक्षेप करने का हम कोई आधार नहीं पाते हैं । फौजदारी निगरानी सं. 399/2005 जो वादी ओबैदुर्रहमान ने अभियुक्त इरफान अहमद के संबंध में और फौजदारी अपील सं. 2238/2005 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस अभियुक्त इरफान अहमद के संबंध में अवर न्यायालय के दोषमुक्त के निर्णय व आदेश तारीख 24 नवम्बर, 2004 को निरस्त किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं और दोनों ही निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

36. जहां तक अभियुक्त अकमल की इस केस में भूमिका का प्रश्न है

---

[1] 1981 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 911.
[2] (1997) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 591.
[3] (1997) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 716.
[4] (1996) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 950.

अन्य अभियुक्तगण के साथ-साथ अभियुक्त अकमल पुत्र शब्बीर को भी इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसकी भी घटना में कोई विशिष्ट भूमिका अलग से नहीं दिखाई गई है । जब सभी मुलजिमानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, उसी भूमिका में इस अभियुक्त की भी भूमिका बताई गई है । लेकिन इस अभियुक्त की भूमिका के संबंध में कोई संदेह पैदा नहीं हो रहा है । अभियुक्त ने अपने अन्यत्र उपस्थित होने का आधार लिया है । इस केस में अभियुक्त अकमल व सहअभियुक्त अरशद सगे भाई हैं । इस अभियुक्त ने धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों में कहा है कि घटना के समय वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था और वह उस दिन इलाहाबाद में ही था । पी. डब्ल्यू. 1 मोहम्मद अकमल का घटना के दिनों इलाहाबाद में पढ़ना स्वीकार करते हैं । लेकिन वह किस क्लास में पढ़ते थे, उसे इसका ज्ञान नहीं है और वह इस सुझाव को गलत बताते हैं कि घटना के समय अभियुक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो और स्पष्ट कथन है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद था । पी. डब्ल्यू. 2 व पी. डब्ल्यू. 3 अकमल का घटना के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने की जानकारी से इनकार करते हैं । धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों में अकमल ने कहा है कि "यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इसरार अहमद के साथ पढ़ रहा था ।" अभियुक्त ने यह नहीं कहा है कि वह घटना वाले दिन घटना के समय वह वहां पढ़ रहा था । डी. डब्ल्यू. 5 इसरार ने जो थाना सिधारी आजमगढ़ का ही निवासी है, ने बताया है कि अकमल उसके साथ इलाहाबाद में मोहल्ला कटरा में कमरा लेकर रहते थे । अकमल एम. ए. द्वितीय वर्ष के छात्र थे, वह बी. ए. तृतीय वर्ष का छात्र था । तारीख 21 अक्तूबर, 2000 को अखबार के माध्यम से ग्राम सजनी में उक्त चार हत्याओं के बाबत पढ़ने पर उसने अकमल से पूछा था और हत्या वाले दिन तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को वे दोनों विश्वविद्यालय सुबह 10 बजे साथ-साथ गए थे, अपने-अपने क्लास अटेंड किए थे, लाइब्रेरी में दोनों साथ ही गए थे और ढाई बजे के बाद कमरे पर वापस आए थे, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में डी. डब्ल्यू. 5 ने स्वीकार किया है कि अकमल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब दाखिला लिया उसे नहीं मालूम । यदि अभियुक्त अकमल व डी. डब्ल्यू. 5 एक साथ कमरे में रह रहे थे तो यह असंभव है कि डी. डब्ल्यू. 5 को यह मालूम न हो कि अकमल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब दाखिला लिया । गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मकान में रहने का कोई सबूत उसके पास नहीं है । यह गवाह कम से कम उस मकान मालिक का नाम व पता बता सकता

था, उसको साक्ष्य में तलब किया जा सकता था । अभियुक्त ने वर्ष 2000 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एम. ए. राजनीति शास्त्र द्वितीय वर्ष का छात्र होने का परिचय पत्र एवं लाइब्रेरी कार्ड दाखिल किया है, लेकिन इन दोनों अभिलेखों में इनके जारी होने व कब से कब तक प्रभावी थे, का कोई इन्द्राज नहीं है । अतः यह साबित नहीं हुआ कि ये दोनों अभिलेख वर्ष 2000 से संबंधित हैं । अतः अभियुक्त अकमल का वर्ष 2000 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र साबित होना नहीं माना जा सकता है । अभियुक्त उस दिन किस-किस कक्षा में उपस्थित रहा, इसका भी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है, जो आसानी से दाखिल किया जा सकता था । जबकि तथ्य के दोनों गवाह इस अभियुक्त की मौजूदगी में कट्टे के घटनास्थल पर घटना के समय होना व सभी अभियुक्तगणों के साथ होना बता रहे हैं । अतः कोई समुचित मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण अभियुक्त अकमल की "अन्यत्र मौजूद होने की" बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और हम वादी के विद्वान् अधिवक्ता के तर्क से सहमत हैं कि अन्यत्र होने के साक्ष्य को अभियोजन पक्ष के द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य के समान ही साक्ष्य अभियुक्त को देना होगा । केवल एक गवाह के कहने मात्र से ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में हम अवर न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत हैं ।

37. इस प्रकार साक्ष्य के उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त इरफान की इस केस में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अभियुक्त अकमल के विरुद्ध दोनों गवाहों की साक्ष्य में कोई ऐसा कथन नहीं आया है, जिससे उसकी मौके पर उपस्थिति साबित न हो । इसी प्रकार से अन्य शेष 4 अभियुक्तगण की भूमिका के संबंध में भी कोई संदेह नहीं रह जाता है । जिस प्रकार से इरफान व अकरम ने अपने अन्यत्र होने का तर्क लिया, यदि शेष अभियुक्तगण घटनास्थल पर नहीं थे, वे कहीं अन्यत्र उपस्थित थे तो उन्होंने भी कहीं अन्यत्र होने का तर्क क्यों नहीं लिया, जबकि स्वयं जावेद, अशहद, शाह आलम ने अपने धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों में मौके पर उपस्थिति स्वीकार कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पांचों मुलजिमान की उपस्थिति के संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय रूप से दिया है ।

38. जहां तक इस बात का प्रश्न है कि दोनों गवाह आठों मुलजिमानों के द्वारा घटना को अंजाम देना बता रहे हैं जबकि साक्ष्य से 5 मुलजिमानों

के विरुद्ध अपराध का बनना साबित हो रहा है अतः गवाह पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं हुए, उनकी गवाही पर आंशिक रूप से ही विश्वास किया जा सकता है । उस स्थिति में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम विनिर्णयों में यह निर्धारित किया है कि ऐसे गवाहों के बयानों को पूर्ण रूप से नहीं नकारा जा सकता है, यदि कुछ अभियुक्तगण के संबंध में उनका बयान पूर्ण रूप से विश्वसनीय साबित हो रहा हो । वादी पक्ष की ओर से इस संबंध में निम्नलिखित विनिर्णय प्रस्तुत किए गए हैं :–

1. सुचा सिंह और अन्य **बनाम** पंजाब राज्य (प्रस्तुत पैरा 18), (2003) 7 एस. सी. सी. 643.

2. (श्रीमती) शकिला अब्दुल गफार खान **बनाम** वसंत रघुनाथ धोबले और अन्य, (2003) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1918.

3. कृष्णा मोची और अन्य **बनाम** बिहार राज्य (प्रस्तुत पैरा 94), ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1965.

इसी संबंध में **मणि** बनाम **राज्य**[1], **कुलविन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] और **वेदिवेलू थेवर** बनाम **मद्रास राज्य**[3] वाले मामले महत्वपूर्ण हैं तथा इस संबंध में **कुरत्ती मल्लया** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[4] वाला मामला महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि फौजदारी विचारण में गवाहों की संख्या आवश्यक नहीं है, एक गवाह ही अभियुक्तगण को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं बशर्ते उसका कथन स्पष्ट और विश्वसनीय हो । साक्ष्य का वजन देखना है, गिनती नहीं । इन सब विनिर्णयों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तमाम गवाहान नामित हैं जो मृतकों के घनिष्ट रिश्तेदार हैं और उन्हें परीक्षित नहीं किया गया है, फिर भी मौके के 2 चश्मदीद गवाह पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 ने पांच अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्ण रूप से विश्वसनीय साक्ष्य दिया है, उसे नकारने का कोई आधार नहीं है, इसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से एवं अन्य साक्ष्य से हो रही है । अतः पांचों अभियुक्तगण धारा 302 भा. दं. सं. के आरोप में पूर्ण रूप से दोषी साबित हो रहे हैं ।

39. अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि इस केस की प्रथम

[1] 2009 (67) ए. सी. सी. 526 (एस. सी.).
[2] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2868.
[3] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614.
[4] (2013) 12 एस. सी. सी. 680.

सूचना रिपोर्ट वादी ओबैदुर्रहमान ने लिखाई है, लेकिन इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में यकीन नहीं किया जा सकता । तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को जब मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग करीब डेढ़ बजे उठकर चलने लगे तब इस घटना का घटित होना बताया गया है । पी. डब्ल्यू. 1 वादी जो घटनास्थल पर मौजूद थे, ने इस घटना के तत्काल बाद तहरीर अपने रिश्तेदार रफीक अहमद से अपने घर पर लिखाकर थाने पर दी । यह तर्क कि रिपोर्ट रिश्तेदार से क्यों लिखाई, रिश्तेदार कहां से आए, इन सबका कोई महत्व नहीं है ।

40. इस रिपोर्ट में आठ लोग नामजद किए हैं, जिनमें जावेद **उर्फ** हिटलर पुत्र मोबीन, निसार **उर्फ** मिट्ठू पुत्र अंसार, अशहद **उर्फ** बुन्नू पुत्र मोबीन, अरशद **उर्फ** मिस्टर पुत्र शब्बीर, अकमल पुत्र शब्बीर, शब्बू पुत्र इंतेजार, शाह आलम पुत्र माता झिनकी व इरफान मास्टर पुत्र अशफाक अहमद को नामजद किया गया है, इनमें से किस मुलजिम के पास क्या हथियार था, यह भी लिखाया गया है ।

41. अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के पूर्व थाना अहरौला को इस घटना की सूचना मृतक एजाज के पिता इकबाल पुत्र शमी द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी और उस सूचना और आधार पर थाना अहरौला की पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में तारीख 20 अक्तूबर, 2000 समय 14.10 बजे पर सूचित किया जिसमें तीन व्यक्ति इरफान, एजाज व निरहू **उर्फ** बदरेआलम की हत्या होना बताया था और मारने वाले व्यक्तियों में हिटलर **उर्फ** जावेद, मिस्टर, बुन्नू, अकमल निवासी ग्राम सजनी, थाना अहरौला लिखाया है, यह घटना एक बजे घटित होना लिखी है । यह सूचना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के एन आर/जी आर व लाग बुक में दर्ज हुई थी, जो प्रदर्श सी-1 है और इस आधार पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व कई थानों की पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए । चूंकि इकबाल पुत्र शमी द्वारा उक्त सूचना में घटना के करीब सभी आवश्यक विवरण जैसे समय, घटनास्थल, मृतकों के नाम, मुलजिमानों के नाम आदि बताए गए थे, जो संज्ञेय अपराध के लिए आवश्यक है । अतः यह सूचना "प्रथम सूचना रिपोर्ट" की श्रेणी में आएगी । अतः ऐसी परिस्थिति में वादी ओबैदुर्रहमान द्वारा दाखिल लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर लिखी चिक एफ. आई. आर. प्रदर्श क-55 "द्वितीय सूचना रिपोर्ट" मानी जाएगी, प्रथम नहीं और यह चिक रिपोर्ट प्रदर्श क-55 धारा 162 दं. प्र. सं. से आच्छादित होना मानी जाएगी और यह प्रदर्श क-55 केवल धारा 161

दं. प्र. सं. के रूप में वादी के बयान के रूप में पढ़ी जा सकती है। इकबाल की प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल तीन मुलजिम नामजद हैं तो फिर बाद में और पांच मुलजिमानों के नाम कैसे बढ़ा दिए गए, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष नहीं दे सका है। इससे पूरे घटनाक्रम पर और गवाहों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

42. विवेचनाधिकारी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि इकबाल ने कोई घटना की सूचना चार लोगों के विरुद्ध थाने पर दी हो, जिसको आर टी सेट द्वारा डी सी आर भेज दिया गया हो और बहुत बाद में ओबैदुर्रहमान को वादी बनाते हुए दूसरी रिपोर्ट तैयार की गई हो और तब आठ लोगों को घटना में नामजद किया गया हो। एक प्रश्न यह उठता है कि यदि इकबाल ने पूर्व में कोई सूचना थाने पर दी थी, तो वह वादी को व पुलिस को स्वयं बता देते वह पुनः थाने पर रिपोर्ट लिखाने वादी के साथ क्यों जाते।

43. इकबाल जो इस केस के मृतक एजाज के पिता हैं, के द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार व्यक्तियों की हत्या का कोई जिक्र नहीं है, इससे यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने भी यह सूचना थाने पर दी, वो घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है, यदि उसने घटना देखी होती तो वह मौके पर हुई चार हत्याओं की जगह तीन हत्याओं की सूचना थाने पर क्यों देता। घटनास्थल पर चार व्यक्तियों की हत्या होने की बात अभियुक्तगण का गवाह डी. डब्ल्यू. 6 स्वयं स्वीकार करता है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो सूचना थाने पर देना बताई जा रही है, वह किसी अन्य व्यक्ति ने दी है। यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना मिलने के बावजूद थानाध्यक्ष ने कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की है, न ही ऐसी सूचना को थाना अहरौला की पुलिस ने जी. डी. में दर्ज किया है, न ही उसको जिल्द प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह मात्र एक सूचना ही थी, इसको "प्रथम सूचना रिपोर्ट" की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यद्यपि सूचना संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में है। वादी की ओर से कहा गया है कि इकबाल को अभियुक्त ने बतौर सफाई साक्ष्य तलब कर इस कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श सी-1 को साबित क्यों नहीं कराया और धारा 3 साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक जब तक किसी अभिलेख को किसी साक्षी से साबित न कराया जाए, उस अभिलेख का कोई महत्व नहीं है और सी-1 लोक अभिलेख नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि अवर न्यायालय में इस प्रदर्श सी-1 पर पहले प्रदर्श क-56 डाला गया था बाद में अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर कि यह

अभियोजन पक्ष का अभिलेख नहीं है न वह ऐसे अभिलेख पर विश्वास कर रहे हैं, तब अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर इस प्रदर्श क-56 को प्रदर्श सी-1 के रूप में पढ़े जाने का आदेश पारित हुआ । अतः स्पष्ट हुआ कि इकबाल की सूचना पर अभियोजन पक्ष विश्वास नहीं कर रहा है और अभियुक्तगण ने उसे साबित नहीं कराया है और यह कहीं साबित नहीं हुआ है कि इकबाल इस घटना का चश्मदीद गवाह है और यह सिद्ध हुआ है कि 4 व्यक्तियों का कत्ल मौके पर हुआ है, 3 का नहीं, तो इकबाल केवल 3 हत्याओं के बारे में क्यों बताएगा, जबकि वह स्वयं एक मृतक का पिता है और यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या इकबाल ने स्वयं थाने पर सूचना दी या टेलीफोन से सूचना दी या किसी माध्यम से सूचना प्राप्त हुई । वादी पक्ष की ओर से **रामसिंह बावाजी जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले विनिर्णय पेश करते हुए कहा है कि संज्ञेय अपराध की सभी टेलीफोनिक सूचनाओं को एफ. आई. आर. की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । इसी संबंध में वादी की ओर से **उमेद सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] का विनिर्णय प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार यदि रोजनामचा आम में कोई अप्रकट और अप्रमाणिक सूचना प्राप्त हो रही है तो उसे एफ. आई. आर. की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ।

44. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि क्या वादी ओबैदुर्रहमान द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी-टाइम है । अभियुक्तगण की ओर से यह भी कहा गया है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिप्तलेखन है और घटना का समय कुछ और था । इस संबंध में विवेचनाधिकारी ने बताया है कि पंचायतनामा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखकर ही भरा गया था । यदि घटना का समय कुछ और होता और समय में परिवर्तन चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद में किया गया तो फिर सारे पंचायतनामें रिपोर्ट में घटना सूचित करने का समय 14-25 की जगह कुछ और लिखा गया होता । पी. डब्ल्यू. 8 ने इस बात को इनकार किया है कि कत्ल की घटना पहले 12-25 लिखाई गई हो । बाद में लिप्तलेखन करके 13-30 बनाया गया हो । गवाह ने स्वयं कहा है कि सूचना का समय गलती से घटना के कालम में लिख दिया गया था, फिर उसे ठीक किया गया । गवाह ने इस बात से इनकार किया है कि जी. डी. व चिक रिपोर्ट एंटी-टाइम लिखी गई हैं । इससे स्पष्ट है कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुई इस लिप्तलेखन का

---

[1] 1994 क्रिमिनल ला जर्नल 3067 (एस. सी.).

[2] 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 3632.

लाभ अपीलार्थीगण को नहीं मिल रहा है ।

45. यह स्पष्ट है कि इस केस में घटना 1.30 बजे अपराह्न की है और थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 2.25 बजे अपराह्न में दर्ज करा दी गई है । इस घटना में चारों लाशों का पोस्टमार्टम तारीख 20/21 अक्तूबर, 2000 की रात्रि में ही 2.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे पूर्वाह्न के बीच कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर करा दिए गए । डाक्टर के पास पंचायतनामें व अन्य संबंधित अभिलेख प्रदर्श क-27 लगायत प्रदर्श क-43 जो मौके पर तैयार किए गए थे, सील शुदा लाशों के साथ भेजा गया, उन्हें प्राप्त हुए । इसे सभी अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इन अभिलेखों में प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी. डी. कायमी मुकदमा की प्रतिलिपि भी उनको भेजी गई है । इन सभी अभिलेखों पर इस केस का अपराध संख्या, मृतकों के नाम, थाना आदि तथ्य अंकित हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी ओबैदुर्रहमान की तहरीर के आधार पर ही घटना की रिपोर्ट तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को 2.25 बजे अपराह्न में दर्ज हुई । इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद विवेचना आरंभ हुई है । अतः ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट की एंटी-टाइम नहीं माना जा सकता है ।

46. जहां तक इस बात का प्रश्न है कि स्थानीय पुलिस थाना अहरौला द्वारा इस घटना के निमित्त स्पेशल रिपोर्ट रात्रि में 10.35 बजे अपराह्न पर भेजी गई, इससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी-टाइम लिखी गई । हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट भेजने का अभिप्राय मात्र इतना ही होता है कि जिला मजिस्ट्रेट संज्ञेय अपराध की विवेचना पर नियंत्रण रख सके, आवश्यकतानुसार विवेचक को आवश्यक निर्देश दे सके ।

47. इस संबंध में वादी की ओर से **सर्वेश नारायण शुक्ला** बनाम **दारोगा सिंह और अन्य** वाले विनिर्णय पेश किया गया है, जिसके अनुसार यदि घटना 4 अप्रैल को शाम को 3.00 बजे हुई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट 3.45 बजे अपराह्न में हुई है, पंचायतनामा की कार्यवाही उसी दिन 5.45 बजे अपराह्न पर हुई है और पुलिस कांस्टेबल यह बयान देते हैं कि उन्हें सील शुदा शव 6.30 से 7.00 बजे अपराह्न पर मिल गया था और साथ में प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्य कागजात मिल गए थे और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से रात में शवपरीक्षण पूर्ण हुआ था, सर्किल आफिसर के यहां प्रथम सूचना रिपोर्ट तारीख 5 अप्रैल को पहुंचती है और स्पेशल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट

के यहां 8 अप्रैल को पहुंचती है तो इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी-टाइम है । इस केस के तथ्य भी इस प्रकार हैं । अतः रात में 10.35 बजे पर स्पेशल रिपोर्ट भेजने के आधर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी-टाइम नहीं मानी जा सकती है । वादी की ओर से यह भी कहा गया है कि घटनास्थल से थाना मात्र 3 कि. मी. दूर है, हेड कांस्टेबल लालता प्रसाद वादी की तहरीर के आधार पर चिक रिपोर्ट व संबंधित जी. डी. तैयार कर रहे हैं, विवेचना तुरंत प्रारंभ हुई है, विवेचनाधिकारी ने तत्काल पंचायतनामा, लाशों को सील करने आदि की कार्यवाही शुरू कर दी है, मौके पर पुलिस प्रपत्र सं. 13, 33 जिन सब पर अपराध संख्या, धारा पंचायतनामा शुरू करने का समय 14.25 बजे व उनके खत्म करने का समय अंकित हैं । प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी. डी. इंट्री की फोटो कापी आदि कांस्टेबल हरिराम व कांस्टेबल रजित बहादुर यादव को देकर लाशे शवपरीक्षण के लिए भेज दी गईं । मौके पर विवेचक ने नक्शा नजरी बना लिया, वादी के बयान लिखे गए, खूनालूदा व सादी मिट्टी, खोखा कारतूस आदि की फर्द बनी, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से रात में ही लाशों का शवपरीक्षण हुआ ऐसी स्थिति में ऐसी दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को पूर्व समयांकित नहीं कहा जा सकता है और इस संबंध में वादी पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित विनिर्णय प्रस्तुत किए हैं :–

1. परमजीत सिंह **उर्फ** मिठू सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (सुसंगत पैरा 15) (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 299.

2. महमूद और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (सुसंगत पैरा 18, 22, 24) (2009) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 763.

3. जयश्री यादव **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (सुसंगत पैरा 15, 17, 21) (2005) 9 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 788.

4. गोपाल और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (सुसंगत पैरा 8) (2002) 9 एस. सी. सी. 744.

5. शिव राम **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 1 एस. सी. सी. 149.

6. राम सजीवन सिंह **बनाम** बिहार राज्य (1996) 8 एस. सी. सी. 552.

7. उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** गोकरन और अन्य ए. आई. आर.

1985 एस. सी. 131.

48. पी. डब्ल्यू. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि जब वह थाने 2.00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे तो उनके साथ इकबाल पुत्र शमी भी अपने घर से गए थे । उनके साथ जावेद पुत्र इश्तियाक, अल्ताफ पुत्र उस्मान भी गए थे । पी. डब्ल्यू. 8 हेड कांस्टेबल लालता प्रसाद भी इसकी पुष्टि करते हैं । इससे भी साबित हुआ कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी-टाइम नहीं है, बल्कि घटना के तत्काल बाद ये लोग थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने गए तो प्रश्न उठता है कि इस इकबाल ने प्रदर्श सी-1 सूचना थाने पर कब दी ; कैसे दी ; जब घटना ही डेढ़ बजे की है । इन सबसे स्पष्ट हो रहा है कि किसी और व्यक्ति ने ऐसी कथित सूचना दी है । महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि एक तरफ अभियुक्तगण का कथन है कि इकबाल की सूचना सी-1 के आधार पर थाने पर घटना की पूरी सूचना मिल गई थी तो वही प्रथम सूचना रिपोर्ट मानी जाएगी, दूसरी तरफ विवेचनाधिकारी को सुझाव दिया जा रहा है कि पंचायतनामा तैयार करने से पहले घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट थी, इसी कारण उन्होंने गवाहान के बयान नहीं लिए । इस सुझाव से अभियुक्तगण का पक्ष स्वयं सामने आ रहा है कि यदि प्रदर्श सी-1 से सूचना थाने पर पहले हुई तो उस पर थाने स्तर पर कोई कार्यवाही की गई होती तो विवेचक को कोई ऐसा सुझाव न दिया गया होता । ऐसी स्थिति में प्रदर्श सी-1 की मौजूदगी पर संदेह उत्पन्न हो रहा है कि वह इकबाल के द्वारा ही दी गई थी । पी. डब्ल्यू. 1 ने यह बताया है कि थाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपने घर करीब 2.40 बजे अपराह्न तक आ गए थे तथा करीब 3.00 बजे अपराह्न तक पुलिस भी घटनास्थल पर आ गई थी । पी. डब्ल्यू. 8 भी इसी बात को बताते हैं कि वादी के साथ ही एस. ओ. साहब घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना हो गए थे । इस प्रकार गवाहों के बयानों में एकरूपता है । कहीं संशय की बात साबित नहीं हो रही है । वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **गोकरन और अन्य** (उपरोक्त) वाले विनिर्णय प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को धारा 157 दं. प्र. सं. में देर से भेजी जाने वाली स्पेशल रिपोर्ट का तात्पर्य यह नहीं होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित समय पर नहीं की गई और वह प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व समयांकित व पूर्व दिनांकित है । जहां पंचायतनामा आदि की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ हो गई हो और शवपरीक्षण

के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्य अभिलेख भेजे गए हों, वहां देरी से भेजी गई स्पेशल रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट को एंटी-टाइम नहीं बनाती है ।

49. जैसा कि स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोष नहीं है, जिसमें कि सभी तथ्यों का समावेश किया जाए । इस दौरान बहस अपीलार्थीगण की ओर से तमाम तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि वादी ने इन तथ्यों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा और उन आधारों पर घटना के समय वादी की उपस्थिति संदेहजनक हो जाती है । अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि वादी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखना बताता है कि अशहद **उर्फ** बुन्नू ने भी गोली चलाई जो एजाज को लगी, जावेद ने निरहू को गोली मारी, यह तथ्य उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक को बताए और यह तथ्य उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट में न लिखे हों तो वह इसका कारण नहीं बता सकता है कि अब अपने बयानों में पी. डब्ल्यू. 1 इन बातों को बता रहा है । अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में इन बातों को न लिखे जाने से उनको "सुधार" की संज्ञा दी जाएगी और उन बयानों पर अब यकीन नहीं किया जा सकता है । हम अपीलार्थीगण की ओर से दिए गए इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि जिस वादी के पिता का कत्ल उसके आंखों के सामने तीन अन्य रिश्तेदार/परिचितों के साथ कुछ देर पूर्व हुआ हो, वो मात्र एक घंटे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा रहा हो, उस समय उसकी मानसिक स्थिति/स्तर की कल्पना की जा सकती है । अतः यह आवश्यक नहीं था कि वादी सारे तथ्यों का समावेश उसी समय अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में करता, कानून की ऐसी मंशा भी नहीं है और न ही आवश्यकता है और इस आधार पर अभियुक्तगण किसी लाभ को पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

50. अपीलार्थीगण की ओर से कहा गया है कि इसी प्रकार से कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो या तो गवाहों को 161 दं. प्र. सं. के बयानों में नहीं है या फिर वे प्रथम सूचना रिपोर्ट और न्यायालय में दिए गए बयान में नहीं है । अपीलार्थीगण की ओर से कहा गया है कि पी. डब्ल्यू. 1 के न्यायालय में दिए गए बयान के अनुसार अभियुक्त जावेद ने घटना के समय ललकारा और ललकारते ही अपनी राइफल से इरफान को गोली मार दी और इरफान की हत्या करने के बाद अभियुक्तगण मस्जिद के पूर्वी गेट से निकलकर मस्जिद के अन्दर घुस गए और उसी समय निरहू **उर्फ** बदरेआलम तथा नाटे **उर्फ** महफूज मस्जिद के दक्षिणी गेट से बचकर निकलना चाहते थे, से जावेद ने निरहू को गोली मार दी और अभियुक्त

बुन्नू ने नाटे **उर्फ** महफूज को गोली मार दी । जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसे कथन नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि जावेद के ललकारने पर यह सभी लोग मस्जिद से सटे उत्तर स्थित गली में अपने-अपने असलहों से गोली मारकर इरफान व एजाज की हत्या कर दी और उसके बाद जावेद आदि मस्जिद के पूर्वी गेट से घुसकर निरहू व नाटे, जो मस्जिद के दक्षिणी गेट से बाहर भागने चाहे कि इन सभी लोगों ने अपने-अपने असलहों से फायर करते हुए, निरहू व नाटे की गोली मारकर हत्या कर दी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में पी. डब्ल्यू. 1 मुलजिमान द्वारा मस्जिद को चारों ओर से अपने हाथों में असलहा लेकर घेरने वाली बात बताता है जबकि न्यायालय में ऐसी बात नहीं बताता है ।

51. इसी प्रकार बयानों में पी. डब्ल्यू. 1 विवेचनाधिकारी को वह स्थान जहां से घटना देखी-दिखाना बताता है । जबकि विवेचक ने अपने बनाए गए नक्शा नजरी प्रदर्श क-15 में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाया है । इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. 1 कहता है कि उसने विवेचनाधिकारी को यह बात कि अशहद ने एजाज को गोली मारी थी, बताई थी, लेकिन उसके 161 दं. प्र. सं. के बयान में ऐसी कोई बात नहीं है । इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. 1 कहता है कि जब निरहू को गोली मारी गई तब वह पेशाब-खाने में चला गया और उसने वहीं मस्जिद में हो रही पूरी घटना को देखा था और दरोगाजी को वह स्थान दिखाया था, जबकि धारा 161 दं. प्र. सं. के बयानों में ऐसा कुछ नहीं है । इन सबसे यह स्पष्ट है कि पी. डब्ल्यू. 1 चश्मदीद गवाह नहीं है । इसी क्रम में पी. डब्ल्यू. 1 ने कहा है कि उसने दरोगाजी को नहीं बताया कि जावेद ने राइफल से इरफान को गोली मारी तथा उसके अन्य साथी मस्जिद के उत्तरी गली में छिपे थे जबकि गवाह के धारा 161 दं. प्र. सं. के बयानों में इसका जिक्र है । अभियुक्तगण की ओर से यह भी कहा गया है कि सभी मुलजिमों द्वारा फायरिंग की बात करना बताई जा रही है, अतः ऐसी फायरिंग में निश्चित रूप से मस्जिद या उसकी चारदीवारी आदि पर भी फायर के निशान अवश्य होते और मौके से उसी मात्रा में खोखे, कारतूस छर्रे आदि की बरामदगी हुई होती । जबकि ऐसा विवेचना में नहीं पाया गया है और पेशाब-खाने से मस्जिद के अन्दर नहीं देखा जा सकता था और पेशाब-खाने से ही मस्जिद का दक्षिणी गेट जहां निरहू व नाटे की लाशें दिखाई गई हैं, वही स्थान ही दिखाई पड़ेगा । अतः इस गवाह के द्वारा पेशाब-खाने से मुलजिमानों द्वारा निरहू व नाटे को गोली मारे जाने की घटना देखना असत्य है और इस गवाह की मौजूदगी संदेह

के घेरे में है ।

52. इसी प्रकार से पी. डब्ल्यू. 2 मकबूल ने घटना किस स्थान से देखी, विवेचनाधिकारी ने वह स्थान नहीं दिखाया है और पी. डब्ल्यू. 2 अच्छे आचरण का व्यक्ति नहीं है उसके विरुद्ध बम्बई में केस चल रहा है, जो जमानत पर छूट कर आया है, जो फर्जी पासपोर्ट, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाने का कार्य करता था और इस गवाह ने भी पी. डब्ल्यू. 1 के बयान से भिन्न बयान देते हुए घटनाक्रम के बारे में बताया है जावेद ने ललकारा और सबसे पहले उसी ने इरफान को राइफल से मारा और बाद में ताबड़तोड़ सभी मुलजिमानों ने गोलीबारी की और उत्तरी गली में इरफान व एजाज की ओर मस्जिद के अन्दर निरहू व नाटे की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद सब मुलजिमानों ने मिलकर फायरिंग की । एजाज को किस मुलजिम ने गोली मारी, गवाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है । पी. डब्ल्यू. 2 ने बताया है इरफान को सबसे पहले जावेद ने गोली मारी, उसके बाद बुन्नू ने गोली चलाई और यह सब बातें दरोगाजी को बताई गई थीं, लेकिन ये सब बातें उसके बयान में नहीं लिखी गई हैं । अतः इन सब कथनों से दोनों गवाहों की मौके पर उपस्थिति साबित नहीं हो रही है । यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने मस्जिद को मुलजिमानों द्वारा घेरने की बात लिखी है । न्यायालय में मुलजिमानों द्वारा घेरने की बात वह नहीं बता रहा है । जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि घटना के तत्काल एक घंटे बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है । चूंकि घटना मस्जिद के उत्तर तरफ गली में व मस्जिद के अन्दर दक्षिण तरफ की गई है, शायद इसी कारण पी. डब्ल्यू. 1 ने लिखा दिया है कि मुलजिमानों ने मस्जिद को घेर लिया था । इस भिन्नता से मुकदमे के गुणदोष पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ रहा है । न्यायालय में अब पी. डब्ल्यू. 1 जावेद अहमद के ललकारने व उसके द्वारा अपनी राइफल से इरफान को गोली मारने, अशहद **उर्फ** बुन्नू के द्वारा एजाज को गोली मारने और इस बीच शेष सभी अभियुक्तगण द्वारा मस्जिद के पूर्वी गेट से मस्जिद के अंदर घुसने की बात और निरहू व नाटे को दक्षिणी गेट से बाहर निकलते समय जावेद के द्वारा निरहू को और बुन्नू द्वारा नाटे को गोली मारना बताता है । इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान धारा 161 दं. प्र. सं. व न्यायालय में यानों में थोड़ी बहुत भिन्नता आने से मुकदमे के गुणदोष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मस्जिद में बहुत बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हैं, इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, पूरी घटना का क्रमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में,

धारा 161 के बयानों में और काफी अंतराल के बाद न्यायालय में एक समान बयान देना भी गवाह के विपरीत आचरण माना जाएगा, क्योंकि तब गवाह सिखाया गवाह माना जाएगा ।

53. जहां तक पेशाबघर से घटनास्थल व घटना देखने का प्रश्न है, इस संबंध में तत्कालिक सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा विवेचनाधिकारी द्वारा बनाए गए नक्शा नजरी प्रदर्श क-15 को अपूर्ण पाए जाने के कारण नियमानुसार नक्शा नजरी तारीख 21 मई, 2004 तैयार किया और अपनी स्थल निरीक्षण नोट बनाया, जिससे स्पष्ट है कि पेशाबघर की मस्जिद तरफ वाली दीवार केवल चार फुट ऊंची है और जहां से मस्जिद के अन्दर देखा जा सकता है । पी. डब्ल्यू. 1 के बयानों में ऐसे कथन नहीं है जिससे उसकी उपस्थिति मौके पर संदेहजनक हो । बहुत लंबी की गई प्रतिपरीक्षा के बावजूद पी. डब्ल्यू. 1 ने जिस प्रकार पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है, वो वही व्यक्ति बता सकता है, जो मौके पर मौजूद रहा हो, जिसने स्वयं घटना देखी हो । महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 के बयानों में भिन्नता नहीं है । प्रश्न यह भी उठता है कि वादी के पिता का व उसके सगे संबंधी के करीबी व्यक्तियों का कत्ल हुआ है, दिन की घटना है, वादी सही मुलजिमानों को छोड़कर गलत व्यक्तियों को क्यों फंसाएगा । यह तो संभावना रहती है कि वास्तविक व्यक्तियों के साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को भी आरोपित कर दिया जाए, लेकिन जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या अपने सामने होता देख रहा हो और मुलजिमानों के चेहरे पर छुपे न हों, व उनको क्यों छोड़ेगा । यह उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियुक्त जावेद अहमद व मोहम्मद अरशद **उर्फ** मिस्टर धारा 313 दं. प्र. सं. के बयान में प्रश्न सं. 3 कि "अभियोजन का साक्ष्य है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2000 को लगभग डेढ़ बजे दिन के पूर्व जुमा की नमाज पढ़ने वाले मुकदमा व मृतकगण व गांव के आसपास के लोग के बीच स्थित बड़ी मस्जिद में इकट्ठा हुए थे जिसके बारे में आपको क्या कहना है ?" जवाब में इस बात को सही होना बताते हैं । इससे यह स्पष्ट हुआ कि नमाज के समय जावेद अहमद, वादी, मृतकगण व गांव के अन्य लोग उपस्थित थे । जबकि बहस में इन्हीं अभियुक्तगण की ओर से कहा जा रहा है कि मौके पर वादी नहीं था या उसने ऐसी कोई घटना नहीं देखी और अभियुक्त मोहम्मद अरशद स्वयं भी उस समय मस्जिद में नमाज पढ़ना बताता है । इस प्रकार घटना के दिन व समय पर दोनों मुलजिमानों की उपस्थिति स्वयं की स्वीकारोक्ती से भी साबित हो रही है और अभियुक्त शाह आलम ने

उक्त प्रश्न सं. 3 के जवाब में कहा है कि "यह सही है या नहीं मुझे नहीं मालूम है ।" अभियुक्त के इस कथन से साबित हो रहा है कि वह सही बात बोल नहीं पा रहा है और सच छुपा नहीं पा रहा है । जबकि अभियोजन पक्ष के गवाह पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 व विवेचनाधिकारी पी. डब्ल्यू. 3 मो. जावेद, मो. अरशद **उर्फ** निसार व शाह आलम की भी घटना में संलिप्तता पूर्ण रूप से बता रहे हैं ।

54. यद्यपि पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि विवेचक ने उसका बयान उसी दिन शाम को लिया था जबकि विवेचक का कथन है कि उन्होंने मकबूल का बयान तीसरे दिन लिया था । इसी प्रकार से यह तर्क कि दोनों गवाहों के बयान पंचायतनामें के पहले लिए या बाद में, या एजाज के दरवाजे पर या अन्य स्थान पर, महत्वपूर्ण नहीं है । मुकदमे के गुणदोष पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि धारा 161 दं. प्र. सं. के अपने बयानों की पुष्टि पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 ने अपने बयानों में की है जिसमें कोई मौलिक भिन्नता नहीं है ।

55. वादी पक्ष की ओर से कहा गया है कि यदि अभियोजन पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित सभी गवाहों को परीक्षित नहीं कराता है जो चश्मदीद गवाह भी हैं, तब भी उससे अभियोजन पक्ष के केस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि परीक्षित गवाह विश्वसनीय हों । अपने कथन के समर्थन में वादी पक्ष की ओर से :–

1. आंध्र प्रदेश राज्य **बनाम** एस. रायाप्पा और अन्य 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 1616.

2. मसालती और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202.

3. मुंशी प्रसाद और अन्य **बनाम** बिहार राज्य ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3031.

4. विट्ठल पुंडलिक जेंजे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2008) 17 एस. सी. सी. 239 और

5. राम अवतार जाज और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 880.

विनिर्णय प्रस्तुत किए गए हैं । हमने सभी विनिर्णयों का अवलोकन किया ।

56. तथ्य के गवाहों ने मृतकों की जिस प्रकार की और जहां-जहां चोटें आना बताया है, शवपरीक्षण आख्या से उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है । गवाहों ने यह भी बताया है कि मृतक क्या-क्या कपड़े पहने थे, इस तथ्य की पुष्टि भी पंचायतनामा से हो रही है । इससे स्पष्ट हुआ कि यह दोनों गवाह मौके पर उपस्थित थे ।

57. पी. डब्ल्यू. 1 अपने बयान में बताया है कि 2 व्यक्तियों के फायरिंग द्वारा कत्ल होने के बाद वह मस्जिद के अन्दर जाकर पेशाब-खाने में छिप गया । गवाह ने यह बताया है कि उसे बाहर भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि मस्जिद के पूरब मुलजिमानों के घर थे और पश्चिम की ओर मुलजिमान स्वयं खड़े थे इसलिए वह मस्जिद के बाहर नहीं भागा । गवाह ने बताया कि जब वह पूर्वी गेट से मस्जिद में घुसा था तो मुलजिमान मस्जिद के पश्चिमी गेट पर थे और पेशाबघर में वह अकेला छिपा था । पेशाबघर में घुसने के बाद मुलजिमान मस्जिद के अन्दर आए और 2 कत्ल किए । न्यायालय द्वारा पूछने पर गवाह ने कहा है कि "अगर मुलजिमान मुझे पेशाबघर में छिपे देखते तो मुझे भी मार डालते, लेकिन मुलजिमान मुझे नहीं देखें, मैंने घटना पूरा देखा, मैं ज्यादा डरा हुआ था ।" गवाह के इस स्वाभाविक बयान से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि इस गवाह ने 3 कत्ल होने के बाद मस्जिद के पेशाबघर से घटना देखी, जहां अन्य 2 कत्ल हुए हैं, इस गवाह की उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं रह जाता है । गवाह ने स्पष्ट कहा है कि पेशाबघर में यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो तो बाहर देख सकता है क्योंकि इसकी दीवार औसत आदमी के नाभि तक है जो करीब 4 फीट होगी, इसकी पुष्टि सत्र न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नक्शा नजरी से होती है । गवाह ने यह भी कहा है कि "मुलजिमान जिसको मारना चाहते थे उसे वे खोज रहे थे, लेकिन वे मुझे नहीं खोज पाए" इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि यद्यपि नमाज के समय मस्जिद में काफी तादाद में लोग थे लेकिन चूंकि भगदड़ मच चुकी थी, तमाम तादाद में लोग थे, उनमें से जिन लोगों का कत्ल मुलजिमान को करना था उन्हें वे तलाश करके मार रहे थे । पी. डब्ल्यू. 1 ने विस्तार से मौके पर घटित घटना का वर्णन किया है जिससे उसकी उपस्थिति किसी भी प्रकार संदेहजनक नहीं है । उसने बताया है कि उसके पिता को खड़ी अवस्था में गर्दन में चोट लगी थी, वह लड़खड़ाए, फिर जमीन पर गिर गए । गिरी अवस्था में भी दूसरे आग्नेयास्त्र की चोट लगी लेकिन दूसरी गोली किधर से लगी, नहीं देख पाया । एजाज

को पहली चोट उनके पैर में उसके पिता से एक कदम की दूरी पर लगा था । कुल 9-10 फायर हुए । पी. डब्ल्यू. 2 भी पुष्टि करता है । यह सब बातें गवाहों की उपस्थिति को और मजबूत बनाती है ।

58. चूंकि इस केस में 5 अभियुक्तगण की भूमिका स्पष्ट रूप से साबित हो रही है कि उन्होंने एक साथ मिलकर मस्जिद के बाहर व अन्दर घुसकर कत्ल की घटना को अंजाम दिया है, सबका एक ही सामान्य उद्देश्य है, इसलिए वह उन लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर आग्नेयास्त्र से कत्ल कर रहे थे, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 302/149 भा. दं. सं. का अपराध बनना पूर्ण रूप से साबित हो रहा है । वादी पक्ष की ओर से इस संबंध में निम्नलिखित विनिर्णय प्रस्तुत किए गए हैं :–

1. मै. सियाराम और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 2071.

2. कर्नाटक राज्य **बनाम** चिक्काहोत्तप्पा **उर्फ** वाराडे गौड़ा और अन्य 2008 क्रिमिनल ला जर्नल 3495 और

3. राजस्थान राज्य **बनाम** अब्दुल मनन (2011) 8 एस. सी. सी. 65.

59. दोनों गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि जावेद के द्वारा इरफान को, अशहद **उर्फ** बुन्नू के द्वारा एजाज को पहले गोली मारी गई उसके बाद मस्जिद के उत्तरी गली में अन्य मुलजिमानों ने भी गोली चलाई उसके बाद मस्जिद में घुसकर अभियुक्त जावेद व बुन्नू ने निरहू व नाटे पर गोली चलाई और फिर सभी लोगों ने फायर किया है । इस प्रकार गवाह गोली मारने की स्पष्ट भूमिका जावेद व अशहद **उर्फ** बुन्नू की बता रहे हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट कहा गया है कि सभी मुलजिमान ने दोनों जगह गोली चलाई । अतः धारा 149 भा. दं. सं. के तहत इन पांचों मुलजिमानों की भूमिका एक सी मानी जाएगी । चूंकि वह इस विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य हैं और कत्ल करने में एक सी भूमिका निभा रहे हैं, सबका सामान्य आशय व उद्देश्य मृतकों को जान से मारना है ।

60. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उभयपक्ष के मध्य चुनावी रंजिश चली आ रही है । अभियुक्त जावेद द्वारा धारा 307 भा. दं. सं. में दर्ज कराया गया मुकदमा व उसके व अभियुक्त अरशद के मन में

अपने-अपने वर्चस्व कायम करने की भावना घटना का एक मुख्य कारण था । दोनों पक्षों के अपने-अपने ग्रुप हैं । अभियुक्त जावेद ने मृतक बदरेआलम को जिस केस में फंसाया था, उसमें उसकी जमानत वादी के पिता इरफान अहमद द्वारा ली गई थी और इसमें बरसातू व इस्लाम पुत्र शब्बीर ने जमानत ली थी । अभियुक्त अरशद के विरुद्ध मृतक एजाज अहमद दो बार प्रधानी का चुनाव लड़े, दोनों बार अरशद चुनाव जीते और इसी प्रधानी के चुनाव में अरशद की पत्नी रिजवाना भी ग्राम प्रधान चुनी गई और उनके ग्राम प्रधान रहने के दौरान एजाज के चाचा के लड़के अरशद ने फर्जी प्रस्ताव बनाकर गल्ला व चीनी का कोटा ले लिया था, जिसके विरुद्ध इस अभियुक्त अरशद ने अपनी पत्नी की तरफ से तत्कालिक उप-प्रधान द्वारा धारा 419, 420 भा. दं. सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई । इन सबसे स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य रंजिश की पृष्ठभूमि है और यह भी स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त जावेद अहमद व अशहद **उर्फ** बुन्नू सगे भाई हैं, अभियुक्त अकमल व अभियुक्त अरशद **उर्फ** मिस्टर सगे भाई हैं, अभियुक्त शाह आलम भी इन्हीं के खानदान के हैं । अभियुक्तगण अरशद **उर्फ** मिस्टर, अकमल, जावेद फूफेजात भाई हैं और अकमल के पिता शब्बीर अभियुक्त निसार **उर्फ** मिट्‌टू के सगे मामू हैं । इस प्रकार सभी मुलजिमानों आपस में सगे संबंधी हैं । जहां पक्षकारों में ऐसी रंजिश हो, वहां एक व्यक्ति दूसरे पर वार करने की, यहां तक कि हत्या जैसे गंभीर अपराध करने का भी विचार बना लेता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा पक्ष सही मुलजिमानों के साथ-साथ गलत व्यक्तियों को भी उस मुकदमे में फंसाने की नियत रखता है, जैसाकि इस केस में साबित हुआ है । अतः उन परिस्थितियों में न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह गवाहों के साक्ष्य को सूक्ष्मता से अध्ययन कर, विश्लेषण कर उचित निष्कर्ष निकाले । इस केस में वादी पक्ष की ओर से गवाहान विवेचना के दौरान उपस्थित थे, वे आपस में संबंधी हैं, मृतकों के रिश्तेदार हैं, लेकिन न्यायालय में केवल मृतक इरफान के लड़के वादी ने व निष्पक्ष गवाह पी. डब्ल्यू. 2 मकबूल ने गवाही दी है । अन्य गवाह न्यायालय में परीक्षित क्यों नहीं हुए, इसका स्पष्टीकरण नहीं है । यह आवश्यक नहीं है कि सारे गवाह परीक्षित किए जाएं, लेकिन चूंकि इस केस में अभियोजन पक्ष ने दोनों चश्मदीद गवाहों के माध्यम से अपने कथन को संदेह से परे साबित कर दिया है, उन परिस्थितियों में इन अभियुक्तगणों को धारा 302 भा. दं. सं. के अपराध में दोषी न मानने का कोई कारण पैदा नहीं हो रहा है ।

61. पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 व विवेचनाधिकारी पी. डब्ल्यू. 3 के बयानों के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया है कि विवेचनाधिकारी ने अपने बनाए गए नक्शा नजरी प्रदर्श क-15 में महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट नहीं दिखाया था, जिसका लाभ अभियुक्तगण लेना चाह रहे थे और इसी कारण तत्कालिक सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ ने मौके पर जाकर अपने नक्शा नजरी तारीख 21 मई, 2004 व स्पाट इंस्पेक्शन नोट बनाकर मौके की स्थिति पूर्ण से स्पष्ट कर दी गवाहों ने घटना कहां-कहां से देखी, लाशें कहां-कहां पड़ी थीं । इस निरीक्षण टिप्पणी व सत्र न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नक्शा नजरी के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों गवाहों पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 के द्वारा मस्जिद के बाहर व अन्दर घटना देखा जाना संभव था और पी. डब्ल्यू. 2 की उपस्थिति मौके पर संदेहजनक नहीं रहती है, क्योंकि उसका घर घटनास्थल के बिल्कुल पास है और उसने स्वीकार किया है कि वह नमाज पढ़ने इसी मस्जिद में जाता था और पी. डब्ल्यू. 1 की उपस्थिति स्वयं अभियुक्त जावेद अहमद, मो. अरशद **उर्फ** निसार अपने बयानों में स्वीकार करते हैं । अतः संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ।

62. डी. डब्ल्यू. 6 के बयान से भी यही घटनास्थल साबित हो रहा है । डी. डब्ल्यू. 6 मुशीर अहमद का कथन है कि उसका घर सजनी गांव से 2 कि. मी. दूर है, चूंकि उसके गांव में कोई जामा मस्जिद नहीं है, इसलिए वह सजनी गांव में ही जामा मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ता है । उसके साथ उसके गांव के दो चार और लोग भी थे और दिन में डेढ़ बजे नमाज खत्म हुई थी, नजाम खत्म होने के बाद सभी लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे थे । मस्जिद के पूरब व पश्चिम में गेट है, वह पूरब वाले गेट से बाहर निकला था तथा उत्तर वाली गली से होकर अपने घर जा रहा था तभी उसने देखा कि 2 आदमी मुंह में काला ढाठा बांधे कट्टे से फायरिंग करने लगे, यह फायरिंग इरफान व एजाज पर कर रहे थे, वह दोनों गिर पड़े, गोली चलने से वह व अन्य लोग मस्जिद के पूर्वी गेट से निकले तो वहां पर 2 और आदमी मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए नाटे व निरहू को जान से मार दिया । इस प्रकार डी. डब्ल्यू. 2 ने वही सारी बातें बता रहा है जो पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 ने बताई है । इन सबसे घटनास्थल पर 4 लोगों का कत्ल होना साबित हो रहा है । अब केवल यह तथ्य देखना रह गया है कि इस घटना को कारित करने वाले 4 ही लोग थे या ज्यादा थे और

उनमें यही अभियुक्त थे या कोई अन्य व्यक्ति थे । यह गवाह आगे कहता है कि उसने अभियुक्तगण जावेद, अशहद व शाह आलम को मस्जिद में नमाज के समय नहीं देखा था । प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कहा है कि इस केस में उसने जो बयान हल्फी दिया था, वह शब्बू व निसार के पक्ष में था, यह लोग घटना करने वाले में नहीं थे । इस प्रकार इस गवाह के बयान को यदि पढ़ा जाए तो यह गवाह उन 6 अभियुक्तों में से केवल जावेद, अशहद व शाह आलम शब्बू व निसार की मौके पर उपस्थिति नहीं बताता है जबकि स्वयं अभियुक्त जावेद का अपने धारा 313 दं. प्र. सं. में कथन है कि वह उस दिन नमाज के समय मौजूद था । शाह आलम कहता है कि घटना वाले दिन वादी व मृतकगण व अन्य लोग उक्त मस्जिद में इकट्ठा हुए थे या नहीं यह सही है या नहीं उसे नहीं मालूम और अपनी उपस्थिति के बारे में प्रश्न सं. 4 के जवाब में कहता है नहीं मालूम । स्पष्ट है कि वह वहां यह हथियार मौजूद था । इस प्रकार इस तथ्य पर स्पष्ट हो गया कि यह गवाह झूठ बोल रहा है और मुलजिमान को बचाना चाहता है, ऐसी स्थिति में इस गवाह के मुलजिमों के संबंध में दिए बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता है । अतः ऐसी स्थिति में पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 के बयानों को गलत मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है । अभियुक्तगण की ओर से दिया गया यह सुझाव कि मृतकों की स्वयं की अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि थी, कोई बाहरी व्यक्ति आए और उन्होंने उन्हें मार दिया, मानने योग्य नहीं है । हम अभियुक्तगण के इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि बाहरी लोगों ने उन्हें मारा हो । इस संबंध में पी. डब्ल्यू. 1 व पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य में कोई भी संदेहजनक बात नहीं है ।

63. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम इस निश्चित राय के हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपना कथन अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा किए गए हत्या के अपराध को साबित कर दिया है और इस संबंध में अवर न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जावेद अहमद **उर्फ** हिटलर, अशहद **उर्फ** बुन्नू, अकमल, अरशद **उर्फ** मिस्टर व शाह आलम को धारा 148, 302 सपठित धारा 149 भा. दं. वि. तथा धारा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गत दोषी पाए जाने तथा अभियुक्त मास्टर इरफान अहमद को सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का निष्कर्ष विधि अनुकूल है । अतः इस संबंध में अवर

न्यायालय के निर्णय एवं आदेश तारीख 24 नवम्बर, 2004 में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाते हैं और वह पुष्ट किए जाने योग्य है ।

64. ऊपर निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर अवर न्यायालय के निर्णय एवं आदेश तारीख 24 नवम्बर, 2004 की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थीगण अरशद **उर्फ** मिस्टर, अकमल एवं शाह आलम की आपराधिक अपील सं. 257 सन् 2005, जावेद **उर्फ** हिटलर तथा अशहद **उर्फ** बुन्नू की आपराधिक अपील सं. 164 सन् 2005, वादी आबैदुर्रहमान का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 399 सन् 2005 एवं उ. प्र. राज्य की शासकीय अपील सं. 2238 सन् 2005 निरस्त की जाती है ।

65. अपीलार्थीगण जावेद अहमद **उर्फ** हिटलर, अशहद **उर्फ** बुन्नू, अकमल, अरशद **उर्फ** मिस्टर व शाह आलम जेल में हैं । शेष सजा भुगतने हेतु उनको जेल में सूचित किया जाए ।

66. अवर न्यायालय का सम्पूर्ण अभिलेख इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ को अनुपालनार्थ भेजा जाए और अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय को प्रेषित की जाए ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य/पा.

बजरंगी पांडेय*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 1 अगस्त, 2017

न्यायमूर्ति भारत भूषण और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क, 304 [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4] – दहेज मृत्यु – मरणासन्न कथन – यदि मृतका के मरणासन्न कथन से यह प्रकट हुआ कि मेरे शरीर पर आग स्टोव जलाने के दौरान लगी जिससे यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थीगण द्वारा आग नहीं लगाई तो अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 498क, 304ख [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 और 4] – जहां मामले में साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास हो और अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है और अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलार्थी सुभाष चन्द्र पांडेय, अपीलार्थीगण स्व. बजरंगी पांडेय व श्रीमती केसरी देवी का पुत्र है और उसका विवाह फरियादी अवधेश नाथ तिवारी (अभि. सा. 1) की पुत्र मक्तूला सविता के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार तारीख 6 जून, 1991 को हुआ था, जिसमें वधू पक्ष की ओर से स्कूटर, 25-30 हजार रुपए के आभूषण, बर्तन, कपड़े, घड़ी, जंजीर, अंगूठी व 1,001/- रुपया तिलक के रूप में द्वार पर दिया गया था । आरोप है कि अभियुक्त स्व. बजरंगी पांडेय ने दहेज की मांग की थी और उसी मांग के कारण उपरोक्त दहेज दिया गया था । विवाह के उपरांत मक्तूला सविता अपने ससुराल गई और लगभग 3 माह उपरांत जब वह मायके लौटी तो उसने अपने परिवार को बताया कि अभियुक्तगण अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं और जमीन खरीदने व मकान बनवाने के लिए मायके से

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

अतिरिक्त धनराशि मांगने का दबाव डालते हैं । अभियुक्त स्व. बजरंगी पांडेय ने कथित रूप से पत्राचार के माध्यम से भी अतिरिक्त नकद धनराशि की मांग की थी और उसके पूरा न होने पर दुष्परिणाम की धमकी भी दी थी । फरियादी का कथन है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा । अंत में तारीख 6 अप्रैल, 1992 को तीनों अभियुक्तगण व बजरंगी पांडेय की 2 विवाहित पुत्रियां श्रीमती नीमालू पांडेय व नीलम पांडेय ने सामान्य आशय की पूर्ति में सविता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया । अभियोजन पक्ष का कथन है कि पड़ोसियों में शोर हुआ व चर्चा हुई, इस कारण अभियुक्तगण उसकी जली हुई पुत्री को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल अस्पताल में ले गए जहां चिकित्सा के दौरान तारीख 13 अप्रैल, 1992 को सविता की मृत्यु हो गई । यह भी आरोप है कि सविता की मृत्यु के समय उसके गर्भ में लगभग 5 माह का शिशु था – वह भी जलने के कारण नष्ट हो गया । सविता की मृत्यु के उपरांत तारीख 13 अप्रैल, 1992 को उसके पिता फरियादी अवधेश नाथ तिवारी ने एक प्राथमिकी प्रदर्श क-4 टंकित कराके थाना रोहनियां, वाराणसी में दिया । इस अभियोग की प्रारंभिक विवेचना पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर, वाराणसी द्वारा की गई थी, जिन्होंने साक्षीगण अवधेश नाथ तिवारी का बयान लिया ; घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क-10 के रूप में सृजित किया ; कुछ अन्य साक्षीगण के बयान लेखबद्ध किए, सविता देवी के मृत्यु-पूर्व लिखे गए कुछ पत्र व उसकी बहन पी. डब्ल्यू. 2 कविता तिवारी के पत्रों को संकलित किया गया । मृतका के मरणासन्न कथन को ग्रहण किया तथा साक्षीगण एस. आई. के. पी. गोस्वामी, आरक्षी रामसूरत, आरक्षी महेश सिंह, जगन राम प्रधान, हरवंश पांडेय, संतोष पांडेय, महेश पांडेय व चुन्नी राम आदि के बयानों को लेखबद्ध किया । पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर के अनुसार मक्तूला सविता पांडेय की मृत्यु स्टोव जलाते समय दुर्घटनावश हुई थी तथा स्वयं अभियुक्तगण ने ही उसे इलाज हेतु बी. एच. यू. के सर सुन्दरलाल अस्पताल में भर्ती कराया था । इस विवेचक को दहेज की मांग व प्रताड़ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला । उनका मत था कि धारा 304ख भा. दं. सं. का कोई अपराध नहीं बनता है, अतः उन्होंने धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3 सपठित 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत आरोपों की विवेचना हेतु प्रकरण को थाना रोहनियां भेज दिया । उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में धारा 304ख भा. दं. सं. के अन्तर्गत

अपराध की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के द्वारा की जाती है और इसी क्रम में यह विवेचना पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर को दी गई थी, परंतु उनका निष्कर्ष था कि धारा 304ख भा. दं. सं. का कोई अपराध नहीं बनता है, अतः धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3 सपठित 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना के लिए उन्होंने प्रकरण को थाना स्तर से विवेचना हेतु थाना रोहनियां भेज दिया जहां इसकी विवेचना पी. डब्ल्यू. 5 उप निरीक्षक राजमोहन सिंह द्वारा की गई । विवेचक श्री राजमोहन सिंह ने तारीख 28 अगस्त, 1992 को अभियुक्तगण के बयान अंकित किए और मक्तूला की बहन पी. डब्ल्यू. 2 कविता का बयान भी पहली बार तारीख 28 अगस्त, 1992 को लेखबद्ध किया । उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू. 2 कविता का बयान पहली बार विवेचक ने तारीख 28 अगस्त, 1992 को घटना के लगभग 5 माह बाद लेखबद्ध किया और उसी दिन अभियुक्तगण बजरंगी पांडेय उसकी पत्नी श्रीमती केसरी देवी व उसके पुत्र अपीलार्थी सुभाष चन्द्र पांडेय के विरुद्ध धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क-9 न्यायालय में प्रेषित किया । न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि करके दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थीगण द्वारा दोषसिद्धि और दंडदोश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में दो अपीलें फाइल की गईं । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सफाई पक्ष के यह दोनों साक्षीगण राजकीय कर्मचारी हैं और उनका दोनों पक्षों से व्यक्तिगत संबंध किसी प्रकार से नहीं है । अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी पी. डब्ल्यू. 5 राज मोहन सिंह ने भी इस मृत्यु-पूर्व बयान का उल्लेख किया है । इस साक्षी ने कहा है कि मक्तूला सविता पांडेय ने यह बयान दिया था कि जब वह चाय बनाने जा रही थी और स्टोव में हवा भर रही थी तो अचानक भभक कर स्टोव जल गया, जिससे वह जल गई, उसे उसके ससुराल के लोग उसे अस्पताल लाए थे । इस साक्षी के बयान की आवश्यक पंक्तियां इस प्रकार है – "मक्तूला सविता पांडेय ने तहसील मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया था कि आज तारीख 6 अप्रैल, 1992 को प्रातःकाल लगभग 6 बजे पूर्वाह्न पर मैं स्टोव पर चाय बनाने हेतु घर के आंगन में स्टोव में हवा भर रही थी उस समय मैं मुंह ढके हुए थी । तेल ज्यादा बाहर आ जाने के कारण माचिस जलाकर लगाते ही तेजी से भभक कर स्टोव जल गया जिससे मैं जल गई । मुझे मेरे ससुराल के लोग अस्पताल ले आए ।" मृतका के इस मरणासन्न कथन को अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहकर

तिरष्कृत कर दिया है कि इसका स्रोत संदेहास्पद है । यह अत्यंत ही आश्चर्यजनक है कि डी. डब्ल्यू. 1 डा. मधुकर राम व डी. डब्ल्यू. 2 नायब तहसीलदार दोनों ही राजकीय कर्मचारी हैं और दोनों ने इसकी पुष्टि की है तथा पी. डब्ल्यू. 5 ने इस मरणासन्न कथन को प्रमाणित किया है, उसने यह भी कहा है कि इस बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि स्वयं न्यायालय द्वारा प्राप्त कराई गई थी । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि यह मरणासन्न कथन देर से दिया गया है और इसका स्रोत संदिग्ध है परंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस संबंध में स्वयं उन्हीं के न्यायालय से प्रति जारी की गई है । इतना ही नहीं यह अभियोजन पक्ष का दायित्व था कि इस "मृत्यु-पूर्व कथन" को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता । स्वयं अभियुक्त पक्ष द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मरणासन्न कथन को सुरक्षित रखा जाए । इसका अर्थ है कि स्वयं अभियुक्तगण चिंतित थे कि इस बयान को इधर उधर किया जा सकता है । इस बयान का स्रोत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय था । इतना ही नहीं इसे लेने के संबंध में डी. डब्ल्यू. 1 डा. मधुकर राम व डी. डब्ल्यू. 2 नायब तहसीलदार ने साक्ष्य दी है । स्वयं अभियोजन पक्ष के साक्षी पी. डब्ल्यू. 5 ने भी इसे प्रमाणित किया है । इन सब परिस्थितियों में मरणासन्न कथन के अस्तित्व व सत्यता पर संदेह करना उचित नहीं है । वैसे भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दोनों साक्षी विरोधाभासी हैं । दोनों ही साक्ष्य से यह आभास मिलता है कि साक्ष्य के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है । तथ्य के यह दोनों साक्षी पूर्ण रूप से भरोसेमंद साक्षी नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में मक्तूला सविता के मरणासन्न कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । यदि एक क्षण के लिए मरणासन्न कथन को अस्वीकार किया जाए तो भी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304ख व 498क भा. दं. सं. तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम का अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । इस न्यायालय का समाधान हो गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध 304ख व 498क भा. दं. सं. तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम का अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं है, इसलिए यह दोनों अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं । ऊपर निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर आपराधिक अपील सं. 2607 सन् 2005 तथा आपराधिक अपील सं. 2695 सन् 2005 स्वीकार की जाती है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं. 01, वाराणसी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तारीख 17 अप्रैल, 2005 अपास्त किया जाता है । (पैरा 55, 56, 57, 58 और 59)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 4 एस. सी. सी. 769 : **इंस्पेक्टर आफ कस्टम्स, अखनूर जम्मू और कश्मीर** बनाम **यश पाल और एक अन्य** ;	49
[1984]	ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 2607 और 2695.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री एम. डब्ल्यू. सिद्दिकी, दलीप कुमार, राजश्री गुप्ता, दया शंकर मिश्रा, गगन मेहता, रिजवान अहमद और अशोक मेहता

राज्य की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति भारत भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – अपीलार्थीगण श्रीमती केसरी देवी व सुभाष चन्द्र पांडेय द्वारा उपरोक्त फौजदारी अपीलें सत्र परीक्षण सं. 384 सन् 2002, अपराध सं. 86 सन् 1992 अन्तर्गत धारा 498क, 304ख भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में "भा. दं. सं." कहा गया है) व धारा 3 सपठित धारा 4 दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "दहेज अधिनियम" कहा गया है) में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं. 3, वाराणसी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश तारीख 17 मई, 2005 के विरुद्ध संस्थित की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक अभियुक्त को धारा 304ख भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास धारा 498क भा. दं. सं. के अन्तर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपए अर्थदंड धारा 3 दहेज अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15,000/- रुपए अर्थदंड तथा धारा 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया था । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में क्रमशः 1 वर्ष, 1 माह व 6 माह के अतिरिक्त कारावास के दंड का आदेश

किया गया था । न्यायालय ने सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का भी आदेश किया है ।

2. उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही अभियोजन एवं निर्णय के विरुद्ध संस्थित की गई हैं अतः इन्हें साथ-साथ सुना गया तथा एक संयुक्त निर्णय से ही इनका निस्तारण किया जा रहा है ।

3. अपीलार्थी बजरंगी पांडेय का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए न्यायालय के आदेश 10 मई, 2017 के द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपील उपशमित कर दी गई है ।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलार्थी सुभाष चन्द्र पांडेय, अपीलार्थीगण स्व. बजरंगी पांडेय व श्रीमती केसरी देवी का पुत्र है और उसका विवाह फरियादी अवधेश नाथ तिवारी (अभि. सा. 1) की पुत्री मक्तूला सविता के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार तारीख 6 जून, 1991 को हुआ था, जिसमें वधू पक्ष की ओर से स्कूटर, 25-30 हजार रुपए के आभूषण, बर्तन, कपड़े, घड़ी, जंजीर, अंगूठी व 1001/- रुपया तिलक के रूप में द्वार पर दिया गया था । आरोप है कि अभियुक्त स्व. बजरंगी पांडेय ने दहेज की मांग की थी और उसी मांग के कारण उपरोक्त दहेज दिया गया था ।

5. विवाह के उपरांत मक्तूला सविता अपने ससुराल गई और लगभग 3 माह उपरांत जब वह मायके लौटी तो उसने अपने परिवार को बताया कि अभियुक्तगण अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं और जमीन खरीदने व मकान बनवाने के लिए मायके से अतिरिक्त धनराशि मांगने का दबाव डालते हैं । अभियुक्त स्व. बजरंगी पांडेय ने कथित रूप से पत्राचार के माध्यम से भी अतिरिक्त नकद धनराशि की मांग की थी और उसके पूरा न होने पर दुष्परिणाम की धमकी भी दी थी । फरियादी का कथन है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा । अंत में तारीख 6 अप्रैल, 1992 को तीनों अभियुक्तगण व बजरंगी पांडेय की 2 विवाहित पुत्रियां श्रीमती नीमालू पांडेय व नीलम पांडेय ने सामान्य आशय की पूर्ति में सविता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया ।

6. अभियोजन पक्ष का कथन है कि पड़ोसियों में शोर हुआ व चर्चा हुई, इस कारण अभियुक्तगण उसकी जली हुई पुत्री को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल अस्पताल में ले गए जहां चिकित्सा के

दौरान तारीख 13 अप्रैल, 1992 को सविता की मृत्यु हो गई । यह भी आरोप है कि सविता की मृत्यु के समय उसके गर्भ में लगभग 5 माह का शिशु था – वह भी जलने के कारण नष्ट हो गया ।

7. सविता की मृत्यु के उपरांत तारीख 13 अप्रैल, 1992 को उसके पिता फरियादी अवधेश नाथ तिवारी ने एक प्राथमिकी प्रदर्श क-4 टंकित करा के थाना रोहनियां, वाराणसी में दिया । मक्तूला का पंचायतनामा प्रदर्श क-11 तारीख 13 अप्रैल, 1992 को प्रातः 11.30 बजे पंचों की उपस्थिति में तैयार किया गया, उसी समय अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख नक्शा नजरी प्रदर्श क-12 पुलिस प्रपत्र फार्म नं. 12 प्रदर्श क-13, मुख्य चिकित्साधिकारी को लिखा पत्र प्रदर्श क-14 आदि अभिलेख सृजित किए गए तथा मक्तूला के शव को पी. डब्ल्यू. 7 आरक्षी राम सूरत के माध्यम से शवगृह भेजा गया । मक्तूला के शव का परीक्षण तारीख 13 अप्रैल, 1992 को ही डाक्टर आर. पी. यादव पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा अपराह्न 2.40 बजे पर किया गया । शव-परीक्षण आख्या प्रदर्श क-8 के अनुसार मक्तूला के शरीर की निम्नलिखित स्थिति पाई गई :–

वाह्य परीक्षण

मृतका औसत कद काठी की थी और वेल नरिस्ड थी । मृत्यु के पश्चात् अकड़न सभी भाग में थी । मुंह आंख बंद थी कान, वेजाइना, गुदाद्वार ठीक थे । दोनों अपर लिम्ब व सीने के पीछे के भाग में अस्पताल की पट्टी बंधी थी ।

मृत्यु के पूर्व आई चोटें

उसके शरीर पर डर्मल तथा एपीडर्मल जलने का घाव शरीर के सभी हिस्सों पर खोपड़ी तलुए को छोड़कर था । जिसमें अपर लिम्ब व ट्रंक में स्लज थे ।

आंतरिक परीक्षण

मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियां श्वास नली ब्रान्काई दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे । फेफड़ा के काटने पर पस मौजूद था ।

हृदय में खराबी नहीं थी, वजन 240 ग्राम था । लेफ्ट साइड खाली तथा दाहिने तरफ आधा भरा था । स्टमक में 100 एलएल टर्विट फूड था । आंतरिक झिल्ली ठीक थी । छोटी आंत में बचा हुआ खाना था । लीवर का वजन 1280 ग्राम तथा पित्त की थैली भरी हुई

थी । स्पलीन 290 ग्राम था । गुर्दे 230 ग्राम तथा ठीक था । पेशाब की थैली खाली थी । यूटरस बल्की टेन वीक साइज का था । कैविटी में खून के थक्के भरे हुए थे ।

डाक्टर की राय में मृतका की मृत्यु अत्यधिक जलने से उत्पन्न सेप्टीसीमिया से हुई थी ।

उनके साथ डा. ए. के. त्रिपाठी भी पी. एम. के वक्त थे । मूल पी. एम. रिपोर्ट शामिल पत्रावली है, उनके लेख हस्ताक्षर में है जिस पर उनके दस्तखत है उन्होंने अपने दस्तखत की पुष्टि की, इस पर प्रदर्श क-8 डाला गया ।

8. इस अभियोग की प्रारंभिक विवेचना पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर, वाराणसी द्वारा की गई थी, जिन्होंने साक्षीगण अवधेश नाथ तिवारी का बयान लिया ; घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क-10 के रूप में सृजित किया ; कुछ अन्य साक्षीगण के बयान लेखबद्ध किए, सविता देवी के मृत्यु-पूर्व लिखे गए कुछ पत्र व उसकी बहन पी. डब्ल्यू. 2 कविता तिवारी के पत्रों को संकलित किया गया । मृतका के मरणासन्न कथन को ग्रहण किया तथा साक्षीगण एस. आई. के. पी. गोस्वामी, आरक्षी रामसूरत, आरक्षी महेश सिंह, जगन राम प्रधान, हरवंश पांडेय, संतोष पांडेय, महेश पांडेय व चुन्नी राम आदि के बयानों को लेखबद्ध किया ।

9. पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर के अनुसार मक्तूला सविता पांडेय की मृत्यु स्टोव जलाते समय दुर्घटनावश हुई थी तथा स्वयं अभियुक्तगण ने ही उसे इलाज हेतु बी. एच. यू. के सर सुन्दरलाल अस्पताल में भर्ती कराया था । इस विवेचक को दहेज की मांग व प्रताड़ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला । उनका मत था कि धारा 304ख भा. दं. सं. का कोई अपराध नहीं बनता है, अतः उन्होंने धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3 सपठित 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत आरोपों की विवेचना हेतु प्रकरण को थाना रोहनियां भेज दिया ।

10. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में धारा 304ख भा. दं. सं. के अन्तर्गत अपराध की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के द्वारा की जाती है और इसी क्रम में यह विवेचना पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर को दी गई थी, परंतु उनका निष्कर्ष था कि धारा 304ख भा. दं. सं. का कोई अपराध नहीं बनता है, अतः धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3

सपठित 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना के लिए उन्होंने प्रकरण को थाना स्तर से विवेचना हेतु थाना रोहनियां भेज दिया जहां इसकी विवेचना पी. डब्ल्यू. 5 उप निरीक्षक राजमोहन सिंह द्वारा की गई । विवेचक श्री राजमोहन सिंह (पी. डब्ल्यू. 5) ने तारीख 28 अगस्त, 1992 को अभियुक्तगण के बयान अंकित किए और मक्तूला की बहन पी. डब्ल्यू. 2 कविता का बयान भी पहली बार तारीख 28 अगस्त, 1992 को लेखबद्ध किया । उल्लेखनीय है कि पी. डब्ल्यू. 2 कविता का बयान पहली बार विवेचक ने तारीख 28 अगस्त, 1992 को घटना के लगभग 5 माह बाद लेखबद्ध किया और उसी दिन अभियुक्तगण बजरंगी पांडेय उसकी पत्नी श्रीमती केसरी देवी व उसके पुत्र अपीलार्थी सुभाष चन्द्र पांडेय के विरुद्ध धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क-9 न्यायालय में प्रेषित किया ।

11. मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498क भा. दं. सं. व 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत आरोप सृजित किया गया, जिससे सभी अभियुक्तगण ने इनकार किया तथा परीक्षण की याचना की । मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी की साक्ष्य लेखबद्ध की गई । इस साक्ष्य के लेखबद्ध होने के उपरांत फरियादी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि संपूर्ण प्रकरण अनन्य रूप से मात्र सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य है । इस प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण की ओर से आपत्ति प्रकट की गई, परंतु न्यायालय ने संपूर्ण विचार के उपरांत यह निष्कर्ष लिया कि धारा 304ख भा. दं. सं. के अपराध के लक्षण उपलब्ध हैं, अतः तत्कालीन प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने तारीख 7 अगस्त, 2002 को प्रकरण सत्र न्यायालय को संदर्भित कर दिया ।

12. सत्र न्यायालय में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498क, 304ख भा. दं. सं. एवं धारा 3 सपठित 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत आरोप सृजित किए गए, जिससे पुनः अभियुक्तगण ने इनकार किया और परीक्षण की याचना की ।

13. अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों के समर्थन में फरियादी पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी (मक्तूला के पिता), पी. डब्ल्यू. 2 कविता तिवारी (मक्तूला की बहन), पी. डब्ल्यू. 3 भजुराम यादव (तत्कालीन मुख्य आरक्षी) थाना रोहनियां, पी. डब्ल्यू. 4 डा. आर. पी. यादव (जिन्होंने शवपरीक्षण किया), पी. डब्ल्यू. 5 एस. आई. राजमोहन सिंह (जिन्होंने

आरोप पत्र प्रस्तुत किया), पी. डब्ल्यू. 6 उप पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र सिंह राठौर (प्रथम विवेचक) व पी. डब्ल्यू. 7 आरक्षी रामसूरत (जो शव को शवपरीक्षण के लिए शवगृह ले गए) को परीक्षित किया है ।

14. अभियुक्तगण का धारा 313 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत बयान लिया गया, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया तथा कहा है कि मक्तूला की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी और उन्होंने स्वयं ही मक्तूला को अस्पताल में चिकित्सा हेतु भर्ती कराया था, जहां नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा मक्तूला सविता का मरणासन्न कथन डाक्टर की उपस्थिति में लेखबद्ध किया गया और इस मरणासन्न कथन में मक्तूला सविता ने दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार किया है । अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि वधू पक्ष के लोगों ने उनसे मृत्योपरांत धनराशि की मांग की थी, जिसे न देने पर उनकी ओर से काफी विलम्ब से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) पंजीकृत कराई गई है ।

15. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से बचाव में जो साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं उनमें डी. डब्ल्यू. 1 डा. मधुकर राम रीडर मेडीसिन विभाग चिकित्सा विज्ञान, बी. एच. यू. वाराणसी, डी. डब्ल्यू. 2 श्री प्रकाश अपर नगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय, वाराणसी व डी. डब्ल्यू. 3 श्री निवास पांडेय की साक्ष्य को लेखबद्ध किया गया है ।

16. दोनों पक्षों को सुनने तथा उनके साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत तत्कालीन अपर सत्र न्यायालय (कोर्ट सं. 3) वाराणसी ने तीनों अभियुक्तगण को धारा 304ख, 498क भा. दं. सं. एवं धारा 3 सपठित 4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत आरोपों का दोषी पाया और उन्हें प्रश्नगत आदेश तारीख 17 मई, 2005 के द्वारा उपरोक्तानुसार दंडित किया गया । इस निर्णय को वर्तमान फौजदारी अपील द्वारा चुनौती दी गई है ।

17. हमनें अपीलार्थीगण की ओर से श्री दयाशंकर मिश्र एवं श्री राजर्षि गुप्ता विद्वान् अधिवक्तागण को तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजीत रे एवं श्री राजीव शर्मा को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।

18. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी बजरंगी पांडेय की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी अपील उपशमित कर दी गई है, अतः इस न्यायालय के समक्ष मात्र सुभाष चन्द्र पांडेय व श्रीमती केसरी देवी की अपील ही निर्णयाधीन है ।

19. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्तागण का कथन है कि धारा 304ख व 498क भा. दं. सं. के अपराधों के लक्षणों को प्रमाणित करने के लिए किंचित मात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मक्तूला सविता के "मरणासन्न बयान" पर ध्यान नहीं दिया और उसे निराधार ही तिरष्कृत कर दिया है । उनका यह भी तर्क है कि फरियादी पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने में अनावश्यक विलंब किया गया है और इसका कोई स्पष्टीकरण न्यायालय में नहीं दिया गया है । अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि मृत्यु से पूर्व मक्तूला को प्रताड़ित करने का किंचित मात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । पी. डब्ल्यू. 2 कविता का धारा 161 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत बयान, घटना के लगभग 5 माह बाद तारीख 28 अगस्त, 1992 को उस तिथि पर लिखा गया जिस तिथि पर विवेचक ने आरोप पत्र प्रेषित किया । कविता के बयान में हुए विलंब का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है । उनका यह तर्क है कि अभियुक्त स्व. बजरंगी पांडेय द्वारा कथित रूप से पी. डब्ल्यू. 2 कविता को लिखे गए पत्र को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत सिद्ध नहीं किया गया है, वैसे भी इस पत्र का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि कविता उस समय लगभग 12-13 वर्ष की कन्या थी और इस अवयस्क कन्या से दहेज की मांग करने का कोई औचित्य नहीं था । प्राथमिकी में कविता का नाम साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं है । अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों के दौरान मक्तूला सविता के लिखे गए पत्रों के संबंध में अभियुक्तगण से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं तथा अभियुक्तगण को इन पत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है । स्व. बजरंगी पांडेय व अपीलार्थिनी श्रीमती केसरी देवी से उन कथित पत्रों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय को पारित किया है ।

20. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से श्री राजीव शर्मा व श्री अजीत रे ने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मक्तूला के मरणासन्न कथन की परिस्थितियों के संबंध में संदेह व्यक्त किया है । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त बयान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया था अतः इसका स्रोत संदिग्ध था । विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता का यह तर्क है

कि धारा 323 दं. प्र. सं. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह परीक्षण के किसी भी चरण पर संतुष्ट होने पर अभियोजन को सत्र न्यायालय को समर्पित कर सकता है । उनका तर्क है कि समर्पण का आदेश तारीख 7 अगस्त, 2002 विधि सम्मत व अंतिम है, जिसे अब अपील के स्तर पर चुनौती दिया जाना संभव नहीं है ।

21. इस न्यायपीठ ने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गहनतापूर्वक विचार किया । इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 304ख भा. दं. सं. के अंतर्गत एक ऐसा कानूनी अपराध सृजित किया गया है जिसमें कुछ लक्षणों के सिद्ध होने पर अपराधी को दंडित किया जाना संभव है । इस धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के उपरांत 7 वर्षों के अंदर जलने या शारीरिक चोटों अथवा असामान्य परिस्थितियों में हो जाए और यह प्रदर्शित हो जाए कि मृत्यु से ठीक पूर्व उसे दहेज की मांग के लिए या दहेज के संबंध में उसके पति या पति के संबंधियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है तो उसे दहेज हत्या कहा जाएगा एवं पति व उसके संबंधी इस दहेज हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अंतर्गत विधिक उपधारणा की व्यवस्था भी की गई है । भा. दं. सं. की धारा 304ख व साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के दोनों उपबंध प्रसिद्ध हैं और इनका विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है ।

22. यह सही है कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा की व्यवस्था की गई है परंतु इससे अभियोजन पक्ष, धारा 304ख भा. दं. सं. के अंतर्गत अपराध के संघटकों को सिद्ध करने के अपने दायित्व से नहीं बच सकता, अर्थात् अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह सिद्ध करे कि धारा 304ख भा. दं. सं. के अंतर्गत अपराध के सभी संघटकों को विधि अनुसार संतोषजनक साक्ष्य के माध्यम से स्थापित कर दिया गया है तभी न्यायालय धारा 113ख साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा करने के लिए तत्पर होगी । यदि किसी भी संघटक को संतोषजनक साक्ष्य से स्थापित नहीं किया जाता है तो धारा 113ख साक्ष्य अधिनियम का लाभ अभियोजन पक्ष नहीं ले सकता है ।

23. धारा 304ख भा. दं. सं. के अंतर्गत समस्या यह है कि अपराध की शिकार विवाहित महिला मृत्यु हो जाने के कारण साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं होती है । विवाह के दौरान सामान्य तौर से विवाहित महिलाएं अपने पति के घर यानि अपनी ससुराल में होती हैं, इन परिस्थितियों में

परिवार के बाहर के व्यक्तियों के लिए अपराध के कारणों व अपराध के तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देना लगभग असंभव है । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले के महत्वपूर्ण निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि मक्तूला के मृत्यु पूर्व कहे गए कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य है और उन्हें "मरणासन्न कथन" की श्रेणी में रखा जाएगा ।

24. वर्तमान अपील में अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के मात्र 2 साक्षी परीक्षित किए गए हैं, एक साक्षी मक्तूला सविता के पिता पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी हैं तथा दूसरी साक्षी पी. डब्ल्यू. 2 मक्तूला की छोटी बहन कविता है । उल्लेखनीय है कि कविता देवी ने सन् 2004 में साक्ष्य के दौरान अपनी आयु 24 वर्ष बताई है, इसका अर्थ है कि कथित घटना सन् 1992 के समय कविता की उम्र मात्र 12 वर्ष की रही होगी । कविता की उम्र की पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखना अत्यंत आवश्यक है । इन दोनों, तथ्य के साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने मक्तूला सविता की ओर से अपनी बहन कविता व मां को लिखे गए पत्रों पर भी अत्यधिक बल दिया है । इन पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी विश्वास किया है ।

25. इसके अतिरिक्त अभियुक्त सुभाष चंद्र पांडेय व अभियुक्त स्व. बजरंगी पांडेय के 1-1 पत्रों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अत्यंत भरोसा किया है । इतना ही नहीं मक्तूला सविता के "मरणासन्न कथन" जिसे नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट द्वारा चिकित्सक की उपस्थिति में लेखबद्ध किया गया था, पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनिक भी भरोसा नहीं किया ।

26. पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी मक्तूला सविता के न केवल पिता हैं वरन् इसी व्यक्ति ने विलंब से प्राथमिकी भी पंजीकृत कराई थी । अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार तारीख 6 अप्रैल, 1992 को लगभग 6.30 व 7.00 बजे दिन में मक्तूला सविता पर पेट्रोल छिड़ककर अभियुक्त स्व. बजरंगी पांडेय, श्रीमती केसरी देवी, सुभाष चंद्र पांडेय तथा बजरंगी की 2 विवाहित पुत्रियां श्रीमती नीमालू व नीलम पांडेय ने आग लगा दी । इस बात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है कि प्रथम विवेचक पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर, उप पुलिस अधीक्षक ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है । उनका निष्कर्ष था कि न तो अभियुक्त पक्ष की ओर से किसी प्रकार की मांग की गई और न ही मक्तूला सविता को दहेज

---

[1] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

के लिए प्रताड़ित किया गया । इस प्रथम विवेचक के अनुसार सविता की मृत्यु स्टोव जलाते समय दुर्घटना के कारण हुई थी, उन्होंने अपना मत निम्न प्रकार से उद्धृत किया है :–

> "दौरान विवेचना मैंने उक्त घटनास्थल के ग्रामवासियों से भी घटना के संबंध में पूछताछ करके उनके बयानात लिए थे और घटना से संबंधित जानकारी हासिल की थी । जिससे मुझे मालूम हुआ था कि मुलजिम बजरंगी पांडेय की पतोहू श्रीमती सविता पांडेय स्टोव जलाते समय जल गई थी और उसे उस दुर्घटना में जलने की चोट आ गई थी जिसे उसके ससुराल वालों ने ही यानि मुलजिमान मुकदमा ने इलाज हेतु सर सुन्दर लाल अस्पताल बी. एच. यू. में भर्ती कराए थे । घटनास्थल से संबंधित ग्रामवासियों में से किसी ने भी मुझसे दौरान विवेचना यह नहीं बताया कि मृतका सविता पांडेय से किसी भी मुलजिम या उसके परिवार वालों द्वारा कभी किसी प्रकार के दहेज की कोई मांग की गई हो या उसे ऐसे किसी दहेज के संबंध में किसी प्रकार प्रताड़ित किया ।"

27. विवेचक का यह निष्कर्ष पूरी तरह से फरियादी पक्ष के प्रतिकूल था परंतु फिर भी उपरोक्त साक्षी ने दहेज की मांग आदि के संबंध में अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण थाना रोहनियां भेज दिया, जहां पी. डब्ल्यू. 5 ने धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र 3 अभियुक्तों के विरुद्ध अर्थात् बजरंगी पांडेय, श्रीमती केसरी देवी व सुभाष चन्द्र पांडेय के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्राथमिकी पंजीकृत होने के उपरांत प्रथम चरण में पी. डब्ल्यू. 6 वीरेन्द्र सिंह राठौर ने फरियादी पक्ष के आरोपों से पूरी तरह से असहमति व्यक्त की और पी. डब्ल्यू. 5 ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को आंशिक रूप से असहमति व्यक्त की, उन्होंने पाया कि धारा 498क भा. दं. सं. व धारा 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है । यह आरोप पत्र भी स्व. अभियुक्त बजरंगी पांडेय की विवाहित पुत्रियों श्रीमती नीमालू व नीलम पांडेय के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया, इसका अर्थ है कि दो व्यक्तियों द्वारा दो बार विवेचना के उपरांत फरियादी के आरोपों को आंशिक रूप से असत्य पाया । हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि फरियादी पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी ने क्रोध के वशीभूत होकर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है और कई व्यक्तियों को घटनाक्रम में संलिप्त करने का प्रयास किया है, परंतु फरियादी का यह प्रयास उसे पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्षी नहीं बनाता । यह सभी न्यायालय जानती है कि अभियोजन साक्षीगण में आरोपों और घटनाक्रम को बढ़ा

चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति होती है और यह न्यायालय का दायित्व है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करे । लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है न्यायालय को साक्षीगण की इस प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना होगा ।

28. सर्वप्रथम प्राथमिकी प्रदर्श क-4 पर विचार करना आवश्यक होगा । घटना तारीख 6 अप्रैल, 1992 की बताई जाती है परंतु प्राथमिकी तारीख 13 अप्रैल, 1992 को पंजीकृत कराई गई । प्राथमिकी में कहा गया है कि उसने डर व आतंक के कारण प्राथमिकी शीघ्रता से नहीं दिया । उसका यह भी कथन है कि जब वह अपने मक्तूला पुत्री के वैवाहिक घर में गया तो उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण और उसके परिवार के लोग मक्तूला सविता को बी. एच. यू. के सर सुन्दर लाल अस्पताल में ले गए हैं । उसका यह भी आरोप था कि बी. एच. यू. में अभियुक्त बजरंगी पांडेय नौकरी करता था अतः उसका वहां प्रभाव था । जब उसे घटना का ज्ञान हुआ तो वह बी. एच. यू. के सर सुन्दर लाल अस्पताल गया तो अस्पताल में अभियुक्तगण ने उसे पुत्री से मिलने नहीं दिया । जब उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई तो उसने विवश होकर प्राथमिकी पंजीकृत कराई ।

29. फरियादी ने पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में अपनी साक्ष्य देते हुए कहा है कि तारीख 10 अप्रैल, 1992 को वह सामान्य रूप से अपनी पुत्री से मिलने काशीपुर गया और रास्ते में ही उसे गांव वालों से पता चला कि उसकी पुत्री को स्कूटर से पेट्रोल निकालकर तारीख 6 अप्रैल, 1992 को जला दिया गया है और ज्यादा शोर होने पर उसकी पुत्री को बी. एच. यू. में भर्ती कर दिया गया है जब वह अस्पताल पहुंचा तो वहां बजरंगी पांडेय ने उसे धमकी दी, परंतु उसने अपनी पुत्री को देखा जहां चिकित्सकों ने उसे बताया कि उसकी पुत्री के बचने की आशा नहीं है । तारीख 13 अप्रैल, 1992 को सुबह उसकी पुत्री सविता अस्पताल में मर गई । उसने उसी दिन थाना रोहनियां में अभियुक्तगण के खिलाफ प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) दी ।

30. पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी के बयान एवं प्राथमिकी में महत्वपूर्ण विरोधाभास है । बयान में यह कहा है कि उसे घटना की जानकारी घटना के 4 दिन बाद एकाएक ही तारीख 10 अप्रैल, 1992 को हुई थी जबकि प्राथमिकी में इसका तनिक भी उल्लेख नहीं है । प्राथमिकी में कहा गया है कि उसे उसकी पुत्री से अस्पताल में मिलने नहीं दिया गया, परंतु मुख्य परीक्षा में कहा है कि तारीख 10 अप्रैल, 1992 को वह अस्पताल पहुंचा और अपनी पुत्री से मिला जो मूर्छित थी, उसने डाक्टर से भी संपर्क किया था । यदि एक क्षण के लिए इस विरोधाभास पर ध्यान न

भी दिया जाए तो भी यह आश्चर्य की बात है कि फरियादी ने तारीख 10 अप्रैल, 1992 को या उसके अगले दिन पुलिस से संपर्क नहीं किया, उसने पुलिस से संपर्क करने के लिए अपनी मक्तूला पुत्री के मृत्यु तक प्रतीक्षा की । परंतु एक बात स्पष्ट है कि फरियादी के अनुसार उसे अपनी पुत्री के जलने की सूचना सर्वप्रथम घटना के 4 दिन बाद तारीख 10 अप्रैल, 1992 को अचानक ही हुई थी जब वह अपनी पुत्री से मिलने काशीपुर जा रहा था । यह दोनों कथन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से समर्थन नहीं पाते हैं ।

31. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि दुर्घटना का ग्राम काशीपुर व फरियादी का गांव पचरांव दोनों ही न तो थाने से अधिक दूर हैं और न ही वाराणसी शहर से दूर हैं । ग्राम काशीपुर से थाना रोहनियां मात्र 9 किलोमीटर दूर है (प्रदर्श क-5) पी. डब्ल्यू. 2 कविता ने बताया है कि वाराणसी शहर से उसका गांव पचरांव मात्र 20 किलोमीटर दूर है । इन परिस्थितियों में यह मानना कि 4 दिन तक फरियादी को अपनी पुत्री की जली हुई अवस्था का ज्ञान नहीं हुआ, सही प्रतीत नहीं होता है और स्वयं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य उसके इस कथन को असत्य सिद्ध करता है । तारीख 14 अक्तूबर, 2003 को साक्ष्य देते हुए उसने कहा है कि उसे लड़की के मरने की जानकारी मरने वाले दिन ही हुई थी, उसके द्वारा कहा गया यह कथन निम्नलिखित रूप से उद्धृत किया जा रहा है :–

> "मुझे लड़की के मरने की जानकारी मरने वाले ही दिन हुई थी मुझे मेरी लड़की के मरने की सूचना किसी ने नहीं दिया था मैं वैसे ही एकाएक अस्पताल में पहुंचा तो उसे मरी हुई हालत में देखा । उस समय दिन के करीब नौ बजे का समय था जब मैंने लड़की को मरी हुई हालत में देखा जो वह जमीन पर मृत पड़ी थी सर सुन्दर लाल अस्पताल बी. एच. यू. में एमरजेंसी वार्ड के बाहर सड़क पर पड़ी हुई थी । .... मैं वहां से 9.30 बजे दिन में वापस आया था । उसके बाद मैंने अपनी लड़की का मुंह मणिकर्णिका घाट पर चिता पर रखे जाते समय देखा था । उसी दिन मेरी लड़की का दाह संस्कार 8.30 बजे रात को हुआ ।"

32. ऊपर उद्धृत साक्ष्य ने इस न्यायालय के समक्ष कठिनाई उत्पन्न कर दी है । प्राथमिकी में कुछ और कहा गया है, मुख्य परीक्षा में घटना की जानकारी 10 अप्रैल, 1992 को होना बताया गया है और ऊपर उद्धृत अंश में कहा गया है कि उसे अपनी पुत्री के मरने की जानकारी तारीख 13

अप्रैल, 1992 को ही हुई थी जब उसने प्रथम बार अपनी लड़की को देखा और उसके उपरांत उसने अपनी पुत्री को मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के समय ही देखा था । आश्चर्य की बात यह है कि अपनी पुत्री के जलने व उसके मृत्यु संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में फरियादी पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी के कथन सुनिश्चित नहीं हैं । प्राथमिकी जो घटना के लगभग 1 सप्ताह के उपरांत पंजीकृत कराई गई थी, उसमें मक्तूला द्वारा अपने परिवार को लिखे गए पत्रों का जिक्र नहीं किया गया है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उप पुलिस अधीक्षक को विवेचना के दौरान प्रताड़ना का आरोप नहीं लगाया उसने यह भी स्वीकार किया है कि मजिस्ट्रेट के यहां दिए गए बयानों में दहेज या प्रताड़ना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई । उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति का प्रथम साक्ष्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लिखा गया था परंतु वहां पर स्वीकृत रूप से उसने मृत्यु पूर्व प्रताड़ना संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी है ।

33. इसी बिन्दु पर उसकी पुत्री पी. डब्ल्यू. 2 कविता तिवारी की साक्ष्य कुछ और भिन्न है । कविता तिवारी के अनुसार उसके परिवार को मक्तूला सविता के जलने की सूचना 6 अप्रैल, 1992 को ही उसके ससुराल में ही प्राप्त हो गई थी, जहां उसका भाई गया हुआ था । उसे, उसके भाई से यह भी जानकारी हुई कि उसकी बहन अस्पताल में भर्ती है और वहां उसके मम्मी-पापा गए थे । कविता तिवारी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कथन को निम्न रूप से उद्धृत किया जा रहा है :—

> "6 अप्रैल, 1992 को मेरी बहन सविता को उसके ससुराल वालो ने दहेज के लिए जला दिया । वहां मेरा भाई गया था वहां घर पर कोई नहीं था । मेरे भइया को मालूम हुआ कि मेरी दीदी अस्पताल में जली हुई हालत में भर्ती है वहां मेरे मम्मी-पापा गए थे । बाद में मैं भी गई थी । मेरी दीदी बोलने की स्थिति में नहीं थी वहीं अस्पताल में मेरी दीदी जलने के कारण मर गई थी ।"

34. ऊपर उद्धृत साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी को अपनी पुत्री के जलने का ज्ञान तारीख 6 अप्रैल, 1992 को ही हो गया था और वह अपनी पत्नी व पुत्री के साथ वाराणसी में अस्पताल भी गए थे । अब प्रश्न उठता है कि पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी घटना की जानकारी की तिथि के तथ्य को क्यों छिपा रहा है ? एक स्थान पर उसने कहा है उसे तारीख 10 अप्रैल, 1992 को जानकारी हुई, बाद में कहा कि उसे तारीख 13 अप्रैल, 1992 को जानकारी हुई, जबकि

उसकी पुत्री के अनुसार पी. डब्ल्यू. 1 तारीख 6 अप्रैल, 1992 को ही अपनी पुत्री से मिलने अस्पताल गया था । इस विरोधाभास व अन्तर्विरोध का कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष ने नहीं दिया है । परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि यह अन्तर्विरोध अभियोजन पक्ष के उस प्रयास का परिणाम है जिसके माध्यम से प्राथमिकी के एक सप्ताह के विलंब का स्पष्टीकरण उत्पन्न किया जा रहा है अन्यथा स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता कि लगभग 7 दिन बाद प्राथमिकी क्यों की गई ?

35. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि विधिक सहायता के उपरांत इस स्पष्टीकरण को निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है । इस न्यायालय का भी मत है कि यदि प्राथमिकी विलंब से ही की जाती और सीधे-सीधे कथन रखा जाता तो यह सम्भवतः अपने आप में अभियोजन की कहानी को दूषित न करता, परंतु जबरन साक्ष्य निर्माण करने का यह प्रयास, हमें आशंकित कर रहा है । विशेष तौर से पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी द्वारा घटना क्रम की कहानी में अतिरिक्त अभियुक्तों को संलिप्त करने के प्रयास को देखते हुए ।

36. हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस मामले में कोई सीधा साक्ष्य नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यदि अभियोजन पक्ष की किसी साक्ष्य के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाए अथवा सत्य के प्रति उनकी निष्ठा पर भरोसा न रहे तो स्वाभाविक तौर से यह अभियोजन पक्ष की कहानी और साक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा । पी. डब्ल्यू. 2 कविता तिवारी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट तौर से कहा है कि मृतका के मरने की सूचना, घटना वाले दिन ही उसे व परिवारी जन को मिल गई थी । उसने स्पष्ट तौर से कहा है कि दुर्घटना की सूचना सर्वप्रथम नवीन को मृतका के ससुराल जाने पर गांव वालों से मालूम हुई थी और घटना वाले दिन ही यह सूचना उसके पिता व परिवारी जन को मिल गई थी । अभियोजन पक्ष ने इन दोनों अन्तर्विरोधों का निवारण नहीं किया है । यहां पर दो प्रश्न उठते हैं कि प्राथमिकी सात दिन बाद क्यों हुई व दूसरा प्रश्न उठता है कि मृतका की मृत्यु की सूचना के बारे में भिन्न-भिन्न साक्ष्य क्यों दिए गए हैं । इन दोनों प्रश्नों का कोई निवारण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं किया जा रहा है । इस न्यायालय का समाधान हो गया है कि पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी पूर्णरूपेण विश्वसनीय साक्षी नहीं है ।

37. पी. डब्ल्यू. 1 ने तो कई बार विचित्र बातें कही हैं । तारीख 14

अक्तूबर, 2003 को प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य देते हुए अपनी पुत्री के जलने को उसने दुर्घटना (एक्सीडेंट) बताया बाद में वह संभल गया और पुनः स्पष्टीकरण दिया । यहीं पर उसने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह अस्पताल में भर्ती होने के कितने दिन बाद मरी, उसे सिर्फ इतना पता है कि उसकी पुत्री अस्पताल में तारीख 13 अप्रैल, 1992 को मरी थी । उसकी पुत्री सविता के मरने की तिथि 13 अप्रैल, 1992 से साक्ष्य की तिथि तक अर्थात् 11 साल तक उसे यह जानकारी नहीं हुई कि उसकी पुत्री को अस्पताल में किसने भर्ती कराया, जबकि उसने प्रारंभ में ही प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) में यह कह दिया है कि अभियुक्तगण ने ही उसकी पुत्री सविता को बी. एच. यू. के अस्पताल में भर्ती किया था । सन् 1992 में की गई प्राथमिकी में यह कथन अंकित है परंतु 11 साल बाद साक्ष्य के दौरान उसने विचित्र बात कही है कि उसे यह जानकारी ही नहीं है कि उसकी पुत्री को किसने अस्पताल में भर्ती किया था ।

38. प्रश्नों का उत्तर असत्य देने या उससे बचने का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ । तारीख 2 जनवरी, 2004 को साक्ष्य देते हुए उसने कहा कि उसकी मृत पुत्री ने दोनों पत्र अपनी बहन कविता के नाम लिखकर दिया था यही बयान उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष देने की बात स्वीकार की है कि लेकिन बाद में सत्र न्यायालय में बयान देते हुए कहा कि एक पत्र कविता के नाम से था व दूसरा पत्र उसकी मां के नाम से था । यह छोटे छोटे अन्तर्विरोध हैं परंतु इनका सामूहिक प्रभाव फरियादी पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी की साख पर कुठाराघात करता है ।

39. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक स्थान पर उसने पंचायतनामा के 2 साक्षी प्रवीन कुमार व अरविन्द कुमार त्रिपाठी को जानने से इनकार कर दिया है और अगली तिथि पर हुई प्रतिपरीक्षा में उसने इन दोनों को आपस में चचेरे भाई होना कहा है तथा दोनों को अपना भतीजा बताया है । पंचायतनामा के यह दोनों साक्षी उसके भतीजे हैं तो पंचायतनामा के समय उनकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता । कई बार इस साक्षी ने न्यायालय में साक्ष्य देते हुए जानकारी को छिपाने का प्रयास किया है । वास्तव में आगे चलकर उसने यह भी स्वीकार कर लिया है कि पंचायतनामा के साक्षीगण प्रवीन कुमार व अरविन्द कुमार त्रिपाठी के नाम सविता की शादी के निमंत्रण कार्ड में "दर्शनाभिलाषी" के रूप में छपे हैं । उसने साक्ष्य के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि वर पक्ष द्वारा जमीन खरीदने व मकान बनवाने की बात व पैसा मांगने की बात उसने विवेचक को नहीं बताई और न ही प्रारंभ में यह बातें उसने मजिस्ट्रेट के

समक्ष साक्ष्य में बताई । उसकी यह स्वीकृति निम्न प्रकार से उद्धृत की जा रही है :–

"मैंने उपरोक्त बातें विवेचना अधिकारी को भी नहीं बताई । यह उपरोक्त बातें मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बयान में भी नहीं बताई । यह सब बातें पहली बार इस अदालत में बताई । उपरोक्त सारी बातें मेरे पूर्व बयान, मजिस्ट्रेट के समक्ष आया है । यह कहना गलत है कि उपरोक्त तथ्य मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में न हो ।"

40. इस साक्षी की पूरी साक्ष्य में, परीक्षण करने वाले न्यायालय ने इस साक्षी के आचरण के बारे में यह प्रतिकूल टिप्पणी भी की है कि साक्षी साक्ष्य देने से बच रहा है अथवा सामान्य से अधिक सोच-विचार कर रहा है । यह टिप्पणी एक से अधिक समय पर न्यायालय द्वारा की गई है । न्यायालय की सभी टिप्पणियों को उद्धृत किया जाना आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ टिप्पणियों को उद्धृत किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है :–

तारीख 2 जनवरी, 2004 को न्यायालय ने यह टिप्पणी की है –

"गवाह जवाब देने में देरी कर रहा है"

तारीख 2 जनवरी, 2004 को ही न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई है –

"गवाह प्रश्न का जवाब देने में बार-बार चुप हो जाता है"

इसी तिथि पर पुनः यह टिप्पणी की गई है –

"इस प्रश्न पर गवाह बहुत देर तक चुप रहा काफी देर बाद गवाह ने उत्तर दिया"

तारीख 30 जनवरी, 2004 को निम्नलिखित टिप्पणी की गई –

"गवाह उत्तर घुमा रहा है कि जालूपुर व पचरांव की आवादी मिली है या नहीं गवाह कहता है कि सड़क पर आवादी मिली है ।"

41. न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के अतिरिक्त भी पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी की अन्य कई स्वीकृतियां हैं जो उसके साक्ष्य पर अविश्वास उत्पन्न करते हैं । उसकी कुछ स्वीकृतियों को उद्धृत किया जाना उचित प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है :–

"विवाह के दिन विवाह के सभी कार्यक्रम बहुत ही हर्षोउल्लास और खुशी से सम्पन्न हुआ किसी के बीच में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ और मैंने राजी खुशी से अपनी लड़की की विदाई सुभाष के साथ कर दिया और मेरी पुत्री बारात के साथ अपने ससुराल चली गई मेरी लड़की के साथ मेरा लड़का भी उसके ससुराल गया था । मेरा लड़का दो-तीन दिन मेरे लड़की के ससुराल में रहकर वापस घर आ गया था । मैंने अपने लड़के से अपनी पुत्री सविता के हाल चाल के बारे में पूछा था तो मेरे पुत्र ने मुझे बताया था कि सविता अपने ससुराल में खुश व प्रसन्न है उसको उसके ससुराल में कोई परेशानी नहीं है ।"

....

"आज तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं हुई कि मेरी लड़की को अस्पताल में किसने भर्ती कराया और कब कराया था । मैंने आज तक या पूरी विवेचना के दौरान इस बात को जानने की कोशिश नहीं किया कि मेरी लड़की को कब और किसने अस्पताल में भर्ती कराया था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी लड़की अस्पताल में भर्ती होने के कितने दिन बाद मरी ।"

....

"गवाह ने प्रदर्श क-4 को पढ़कर कहा कि मेरी लड़की सविता द्वारा मुझे या मेरे परिवार वालों को पत्र लिखा था यह बात नहीं लिखा है ।"

....

"गवाह ने शामिल मिसिल प्रथम ए.सी.जे.एम. वाराणसी के न्यायालय में दिए गए बयान को देखकर कहा कि मैंने यह बयान उस न्यायालय में दिया था कि दोनों पत्र सविता ने अपनी बहन कविता के नाम लिख कर दिया था । मैंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो पूर्व में बयान दिया था कि सविता ने दोनों पत्र बहन कविता के नाम से लिखा था गलत है । एक पत्र कविता के नाम से था व एक पत्र मम्मी के नाम से था ।"

....

"मैंने लड़के द्वारा सूचना देना प्रताड़ना के संबंध में नहीं बताया

था । मैंने मजिस्ट्रेट साहब के यहां जो बयान दिया था उसमें भी दहेज या प्रताड़ना के संबंध में लड़के से कोई तथ्य जानकारी का हवाला नहीं दिया । यह बात सही है कि लड़के से दहेज की मांग व सविता के प्रताड़ना के बारे में मैंने इस न्यायालय में पहली बार कथन किया है ।"

इस प्रकार इस न्यायालय का पुनः समाधान हो गया है कि पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी पूर्णरूपेण भरोसेमंद साक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है ।

इसी क्रम में पी. डब्ल्यू. 2 कविता तिवारी के साक्ष्य भी संदेहों के घेरे में है । उसका साक्ष्य न केवल अपने पिता पी. डब्ल्यू. 1 अवधेश नाथ तिवारी से भिन्न है वरन् उसने भी कई प्रश्नों का उत्तर देने में व संदेहास्पद परिस्थितियों का निवारण करने में संकोच किया है ।

42. पी. डब्ल्यू. 2 कविता तिवारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी, उसकी समस्त साक्ष्य उन पत्रों पर आधारित है जो कथित रूप से मक्तूला ने अपने बहन कविता तिवारी व मां को लिखे हैं । गौरतलब है मक्तूला सविता की मां का साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराया गया है । पी. डब्ल्यू. 2 ने स्वीकार किया है कि उसकी मां की मृत्यु बहन की मृत्यु के एक वर्ष बाद हो चुकी है, अतः उनका साक्ष्य लेना संभव भी नहीं था, परंतु मां को लिखे गए पत्र को स्वयं को लिखे गए पत्रों के संबंध में पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य ली गई है । उसकी व्यक्तिगत जानकारी संपूर्ण घटना के संबंध में लगभग शून्य है । अभियोजन पक्ष का कथन भी मूल रूप से इन कथित पत्रों पर ही हैं । उल्लेखनीय है कि इन पत्रों को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है परंतु इन पत्रों की कोई तिथि नहीं है । कहा यह जाता है कि जब विवाह के उपरांत सविता का छोटा भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन के यहां गया तो उसे बहन ने बताया कि उसे उसके पति व अन्य अभियुक्तगण दहेज की मांग के लिए निरंतर प्रताड़ित कर रहे हैं । इन पत्रों को मक्तूला सविता की लेख में होने की पहचान करने को औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है । इन पत्रों पर कोई तिथि अंकित नहीं है, कहा यह जाता है कि यह पत्र मृतका के भाई नवीन को व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे और नवीन ने यह पत्र अपनी मां व बहन को दिए । नवीन कथित तौर पर रक्षाबंधन पर अपनी बहन के पास गया था और उसके उपरांत फरवरी, 1992 को नवीन पुनः अपनी बहन के पास गया तभी सविता ने एक पत्र अपनी बहन पी. डब्ल्यू. 2

कविता तिवारी व अपनी मां के नाम लिखकर दिया था ।

43. सर्वप्रथम इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि इन पत्रों को देने व लिखने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी नवीन हो सकता था, परंतु नवीन को साक्ष्य में परीक्षित नहीं किया गया है, यह कहा गया है कि नवीन की उम्र कम थी अतः उसे साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, परंतु यह आश्चर्य की बात है कि पी. डब्ल्यू. 2 की उम्र स्वीकृत रूप से घटना के समय मात्र 12 वर्ष थी और उसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है । नवीन, जो इन पत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी था उसे न्यायालय में बिना किसी कारण के रोका गया है । नवीन की साक्ष्य इस पत्राचार के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती थी चूंकि सविता की मृत्यु के उपरांत इन पत्रों का महत्वपूर्ण साक्षी नवीन ही हो सकता था । यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त पक्ष इन पत्रों को कूटरचित बता रहा है अतः इन आरोपों से बचने के लिए नवीन की साक्ष्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी ।

44. इसके अतिरिक्त पी. डब्ल्यू. 2 कविता को लिखे गए पत्रों को यदि एक क्षण के लिए अधिकृत भी माना जाए तो भी यह स्पष्ट है कि इसमें प्रताड़ना व दहेज की मांग का संकेत तक नहीं है । कविता को लिखे गए पत्र से यह ध्वनि तो निकलती है कि पक्षकारों के मध्य कुछ तनाव था, परंतु प्रताड़ना व दहेज की मांग का संकेत तक भी नहीं है । उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और कहीं कहीं तो नगरों में भी बहू को ताने देना, व्यंगपूर्ण कथन करना सामान्य सी बात है भले ही यह उचित न हो परंतु इन व्यंगों को प्रताड़ना की श्रेणी में लेना और इस आधार पर फौजदारी मामले में दंडित करना किसी भी दशा में उचित नहीं होगा । मां को लिखे गए पत्र में भी कुछ अधिक पीड़ा का संकेत मिलता है परंतु इसमें भी दहेज की मांग, उसके पूरा न होने पर प्रताड़ित करने का कोई संकेत भी नहीं है ।

45. अभियोजन पक्ष ने सर्वाधिक बल स्व. बजरंगी पांडेय द्वारा कविता को लिखे गए पत्र पर दिया है । उनका कथन है कि इस पत्र में न केवल दहेज की मांग की गई है वरन् उसके पूरा न होने पर असंतोष भी प्रकट किया गया है । सर्वप्रथम इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि बजरंगी पांडेय घटना के समय एक प्रौढ़ व्यक्ति था उसकी उम्र उस समय लगभग 55-56 वर्ष की थी, इस पत्र को साबित करने के संबंध में जो साक्ष्य दिए गए हैं वह संदेहास्पद हैं । इस कथित अन्तर्देशीय पत्र पर तिथि नहीं है । कविता की उम्र उस समय लगभग 12 वर्ष थी । इस पत्र का अर्थ है कि

55-56 वर्ष का व्यक्ति एक 12 वर्ष की बालिका को पत्र लिख रहा है, यह अपने आप में ही आश्चर्य की बात है, लेकिन यदि एक क्षण के लिए उम्र के इस अन्तर पर ध्यान न भी दिया जाए तो भी इस पत्र से मात्र इतना संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों में तनाव था । परंतु इस पत्र के माध्यम से किंचित मात्र भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मक्तूला के साथ कोई प्रताड़ना की जा रही थी, इसमें न तो दहेज की मांग है और न तो दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना की धमकी है । इतना ही नहीं मक्तूला सविता का तो इसमें जिक्र भी नहीं है । वास्तव में मक्तूला सविता से किसी प्रकार के असंतोष को इस पत्र में व्यक्त नहीं किया गया है ।

46. इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है इस पत्र की सत्यता ही संदिग्ध है । स्वयं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने इसे कूटरचित दस्तावेज कहा है । इस पत्र को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है । इस पत्र को अभियोजन पक्ष के साक्षीगण ने हस्तलेख के आधार पर ही बजरंगी को बताया है परंतु अभियोजन पक्ष के दोनों साक्षियों द्वारा, विशेष रूप से 12 वर्षीय कविता तिवारी, बजरंगी पांडेय के कथित हस्तलेख से पूरी तरह परिचित नहीं थी और न ही इस बात की गारंटी ली जा सकती थी कि यह पत्र बजरंगी पांडेय का ही है, इस संबंध में कोई हस्तलेख विशेषज्ञ प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

47. आश्चर्य की बात यह है कि स्व. बजरंगी पांडेय द्वारा लिखे गए इस पत्र को तथा मक्तूला सविता द्वारा अपनी बहन व मां को लिखे गए पत्रों को किंचित मात्र भी धारा 313 दं. प्र. सं. के बयान के दौरान अभियुक्तगण के समक्ष नहीं रखा गया । कम से कम स्व. बजरंगी पांडेय से यह पूछा जाना चाहिए था कि क्या यह पत्र उसने लिखा था ? स्व. बजरंगी पांडेय व अन्य अभियुक्तों को इस पत्र का स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया गया । न्यायालय ने धारा 313 दं. प्र. सं. के बयानों के दौरान इन बिन्दुओं के संबंध में अभियुक्तगण से कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं ।

48. उल्लेखनीय है कि धारा 313 दं. प्र. सं. के दौरान लिए जाने वाले बयान मात्र औपचारिकता नहीं हैं, इन बयानों का अत्यंत ही महत्व है । अभियुक्तगण के विरुद्ध आने वाली साक्ष्य के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अभियुक्तगण के सम्मुख रखा जाना अति आवश्यक है । यदि ऐसा नहीं किया गया है तो इससे अभियुक्तगण के महत्वपूर्ण अधिकारों को चोट पहुंचती है और ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण को ऐसे दूषित साक्ष्य पर दंडित किया जाना संभव नहीं है ।

49. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुत से निर्णय प्रसिद्ध हैं और सभी का विस्तार से वर्णन किया जाना आवश्यक नहीं है मात्र **इंस्पेक्टर आफ कस्टम्स, अखनूर जम्मू और कश्मीर** बनाम **यश पाल और एक अन्य**[1] वाले मामले का उल्लेख किया जाना ही, इसके लिए पर्याप्त है ।

50. इस न्यायालय का समाधान हो गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन पत्रों पर बल दिया गया है वह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हैं । वैसे भी इन पत्रों की अन्तर्वस्तु में दहेज की मांग व प्रताड़ना की धमकी का जिक्र नहीं है ।

51. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा मक्तूला सविता के "मरणासन्न कथन" का उल्लेख किया गया है । उनका कथन है कि "मरणासन्न कथन" को अधीनस्थ न्यायालय ने अविश्वसनीय माना है तथा स्वयं अभियोजन पक्ष ने इस बयान को न्यायालय में प्रस्तुत करने में संकोच किया है ।

52. डी. डब्ल्यू. 1 डा. मधुकर राम का कहना है कि तारीख 6 अप्रैल, 1992 को लगभग प्रातः 6.30 बजे मक्तूला सविता उनके अस्पताल में भर्ती हुई थी । इस वरिष्ठ डाक्टर ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतका 50 या 60 प्रतिशत जल गई थी लेकिन मरणासन्न बयान देने के लिए सक्षम थी । उसके साक्ष्य की संबंधित पंक्तियां निम्न प्रकार से हैं :–

> "तारीख 6 अप्रैल, 1992 को रात्रि लगभग 11.15 बजे के समय उसके बयान शुरू होने के पूर्व से ही मैंने उक्त मरीज सविता पांडेय पति सुभाष चन्द्र पांडेय आर/ओ काशीपुर पोस्ट पुरवहा थाना रोहनिया वाराणसी को परीक्षित किया था और उसका परीक्षण करने के बाद मैंने यह पाया कि उक्त रोगी सविता पांडेय पूरी तरह होश में है और बयान देने के काबिल है और अपना मरणासन्न बयान स्वयं बोलकर अंकित कराने की स्थिति में है ।"

53. यह प्रमाणपत्र साधारण डाक्टर द्वारा नहीं दिया गया बल्कि बी. एच. यू. के मेडिसिन विभाग के रीडर द्वारा दिया गया था । इस चिकित्सक का कहना है कि मक्तूला सविता का बयान उनके सामने नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट ने लिखा था और इस दौरान सविता पूरी तरह से होश में थी । मक्तूला का मरणासन्न कथन प्रदर्श ख 2 के रूप में पत्रावली

---

[1] (2009) 4 एस. सी. सी. 769.

पर उपलब्ध है ।

54. डी. डब्ल्यू. 2 नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट ने भी अपने बयान में कहा है कि तारीख 6 अप्रैल, 1992 को सर सुन्दर लाल, बी. एच. यू. वाराणसी में थाना प्रभारी लंका, वाराणसी ने उन्हें सविता का मरणासन्न बयान लेने के लिए बुलाया था और उन्होंने रीडर मेडिसिन विभाग डी. डब्ल्यू. 1 डा. मधुकर राम से प्रमाण पत्र लेने के उपरांत सविता का "मृत्यु-पूर्व कथन" लिखा था । डी. डब्ल्यू. 2 श्री प्रकाश तत्कालीन नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट के साक्ष्य की संबंधित पंक्तियां निम्नलिखित हैं :–

> "तदोपरांत मैंने उपरोक्त श्रीमती सविता पांडेय का मृत्यु-पूर्व बयान अंकित किया । श्रीमती सविता पांडेय उपरोक्त ने मेरे समक्ष स्पष्ट रूप से बोलकर जो-जो बयान दिया वह मैंने अक्षरशः अपने लेख से उसी समय अंकित किया । अपने पूरे बयान के दौरान उक्त सविता पांडेय अपने पूरे होश-हवाश में रही । बयान देने के बाद उसे उसका बयान पढ़कर सुनाया गया जिसे उसने तसदीक किया और उस पर श्रीमती पांडेय ने अपने बाएं पैर का अंगूठा लगाया जो उसके मृत्यु-पूर्व के कथन पर मौजूद है ।"

55. सफाई पक्ष के यह दोनों साक्षीगण राजकीय कर्मचारी हैं और उनका दोनों पक्षों से व्यक्तिगत संबंध किसी प्रकार से नहीं है । अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी पी. डब्ल्यू. 5 राज मोहन सिंह ने भी इस मृत्यु-पूर्व बयान का उल्लेख किया है । इस साक्षी ने कहा है कि मक्तूला सविता पांडेय ने यह बयान दिया था कि जब वह चाय बनाने जा रही थी और स्टोव में हवा भर रही थी तो अचानक भभक कर स्टोव जल गया, जिससे वह जल गई, उसे उसके ससुराल के लोग अस्पताल लाए थे । इस साक्षी के बयान की आवश्यक पंक्तियां इस प्रकार हैं :–

> "मक्तूला सविता पांडेय ने तहसील मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया था कि आज तारीख 6 अप्रैल, 1992 को प्रातः काल लगभग 6 बजे पूर्वाह्न पर मैं स्टोव पर चाय बनाने हेतु घर के आंगन में स्टोव में हवा भर रही थी उस समय मैं मुंह ढके हुए थी । तेल ज्यादा बाहर आ जाने के कारण माचिस जलाकर लगाते ही तेजी से भभक कर स्टोव जल गया जिससे मैं जल गई । मुझे मेरे ससुराल के लोग अस्पताल ले आए ।"

56. मृतका के इस मरणासन्न कथन को अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहकर तिरष्कृत कर दिया है कि इसका स्रोत संदेहास्पद है । यह अत्यंत

ही आश्चर्यजनक है कि डी. डब्ल्यू. 1 डा. मधुकर राम व डी. डब्ल्यू. 2 नायब तहसीलदार दोनों ही राजकीय कर्मचारी हैं और दोनों ने इसकी पुष्टि की है तथा पी. डब्ल्यू. 5 ने इस मरणासन्न कथन को प्रमाणित किया है, उसने यह भी कहा है कि इस बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि स्वयं न्यायालय द्वारा प्राप्त कराई गई थी । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि यह मरणासन्न कथन देर से दिया गया है और इसका स्रोत संदिग्ध है परंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस संबंध में स्वयं उन्हीं के न्यायालय से प्रति जारी की गई है । इतना ही नहीं यह अभियोजन पक्ष का दायित्व था कि इस "मृत्यु-पूर्व कथन" को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता । स्वयं अभियुक्त पक्ष द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मरणासन्न कथन को सुरक्षित रखा जाए । इसका अर्थ है कि स्वयं अभियुक्तगण चिंतित थे कि इस बयान को इधर-उधर किया जा सकता है । इस बयान का स्रोत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय था । इतना ही नहीं इसे लेने के संबंध में डी. डब्ल्यू. 1 डा. मधुकर राम व डी. डब्ल्यू. 2 नायब तहसीलदार ने साक्ष्य दिया है । स्वयं अभियोजन पक्ष के साक्षी पी. डब्ल्यू. 5 ने भी इसे प्रमाणित किया है । इन सब परिस्थितियों में मरणासन्न कथन के अस्तित्व व सत्यता पर संदेह करना उचित नहीं है ।

57. वैसे भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दोनों साक्षी विरोधाभासी हैं । दोनों ही साक्ष्य से यह आभास मिलता है कि साक्ष्य के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है । तथ्य के यह दोनों साक्षी पूर्ण रूप से भरोसेमंद साक्षी नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में मक्तूला सविता के मरणासन्न कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । यदि एक क्षण के लिए मरणासन्न कथन को अस्वीकार किया जाए तो भी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304ख व 498क भा. दं. सं. तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम का अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है ।

58. इस न्यायालय का समाधान हो गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध 304ख व 498क भा. दं. सं. तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम का अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं है, इसलिए यह दोनों अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं ।

59. ऊपर निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर आपराधिक अपील सं. 2607 सन् 2005 तथा आपराधिक अपील सं. 2695 सन् 2005 स्वीकार की जाती है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं. 01, वाराणसी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तारीख 17 मई, 2005 अपास्त किया जाता है ।

60. अपीलार्थी सुभाष चन्द्र पांडेय जेल में है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे अविलंब जेल से रिहा कर दिया जाए । अपीलार्थिनी केसरी देवी जमानत पर है । उसे समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है । उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है ।

61. दोनों अपीलार्थीगण धारा 437क दं. प्र. सं. का अनुपालन निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर संबंधित सत्र न्यायालय में करें ।

62. अवर न्यायालय का सम्पूर्ण अभिलेख इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी को अनुपालनार्थ भेजा जाए और अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय को प्रेषित की जाए ।

तारीख 1 अगस्त, 2017

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

(2017) 2 दा. नि. प. 246 **उड़ीसा**

रमाकांत साहू

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 16 सितंबर, 2016

न्यायमूर्ति के. आर. महापात्रा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 256, 300, 378 – द्वितीय – परिवाद – सम्पोषणीय – शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर अभियुक्त की दोषमुक्ति होना – द्वितीय परिवाद सम्पोषणीय न होना – धारा 378 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए अपील का समुचित निपटारा किया है ।

आवेदकों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका फाइल की गई है जिसमें दंड संहिता की धारा 294, 323, 341, 342, 506

और 34 के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के लिए 2012 की संस्थित दांडिक मामला सं. 209 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित निपटान न्यायालय, जयपुर रोड द्वारा तारीख 24 दिसम्बर, 2012 को पारित किए गए आदेश (उपाबंध 2) को आक्षेपित किया गया है । यद्यपि विरोधी पक्षकार सं. 2 को नोटिस दिया जाना पर्याप्त था । पक्षकार सं. 2 की ओर से जब मामले में पुकार लगाई गई कोई हाजिर नहीं हुआ । न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – परिवादी के समक्ष केवल यह विकल्प मौजूद था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील कर सकता था जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध विधि की प्रक्रिया का सम्यक् रूप से पालन किया जाना चाहिए था । उक्त मत को भी ओम गायत्री वाले मामले के विनिश्चय को समर्थन मिलता है जिसका श्री मिश्रा द्वारा अवलंब लिया गया है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित निपटान न्यायालय, जयपुर रोड के समक्ष लंबित 2012 की संस्थित दांडिक मामला सं. 209 में उन्हीं अभिकथनों पर द्वितीय परिवाद चलने योग्य नहीं है । तद्नुसार दांडिक प्रकीर्ण मामला मंजूर किया जाता है । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित निपटान न्यायालय, जयपुर रोड के समक्ष लंबित 2012 का संस्थित दांडिक मामला सं. 209 में प्रकट कार्रवाइयों को अभिखंडित किया जाता है । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	2006 क्रिमिनल ला जर्नल 601 : **ओम गायत्री और कंपनी और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** ;	6, 12
[2003]	(2003) 1 एस. सी. सी. 734 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 702 : **महेश चंद्र** बनाम **बी. जनार्दन रेड्डी और एक अन्य** ;	11
[2001]	ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 784 : **जितेन्द्र सिंह और अन्य** बनाम **रंजित कौर** ;	10
[1988]	1988 (II) ओ. एल. आर. 362 : **मदन मोहन त्रिपाठी** बनाम **रामचंद्र बेहेरा** ;	10

[1977] (1977) 1 एस. सी. सी. 417 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 357 :
कर्नाटक राज्य बनाम **के. एच. अन्नेगौड़ा और एक अन्य** ; 10

[1962] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 876 = 1962 (1) क्रिमिनल ला जर्नल 770 :
प्रमाथानाथ तालुकेदार बनाम **सरोज रंजन सरकार** । 11

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2013 का दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 512.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री अरिजीत मिश्रा, एस. के. जेना, एस. विस्वाल, एस. के. पांडा, एस. पी. मिश्रा और पी. सी. मिश्रा

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री पाणि अपर स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति के. आर. महापात्रा – आवेदकों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका फाइल की गई है जिसमें दंड संहिता की धारा 294, 323, 341, 342, 506 और 34 के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के लिए 2012 की संस्थित दांडिक मामला सं. 209 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित निपटान न्यायालय, जयपुर रोड द्वारा तारीख 24 दिसम्बर, 2012 को पारित किए गए आदेश (उपाबंध 2) को आक्षेपित किया गया है ।

2. यद्यपि विरोधी पक्षकार सं. 2 को नोटिस दिया जाना पर्याप्त था । पक्षकार सं. 2 की ओर से जब मामले में पुकार लगाई गई कोई हाजिर नहीं हुआ ।

3. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री मिश्रा द्वारा यह निवेदन किया गया कि विरोधी पक्षकार सं. 2 ने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित निपटान न्यायालय, जयपुर रोड के समक्ष 2010 की संस्थित दांडिक मामला सं. 35 पहले ही फाइल किया गया था । पूर्वोक्त परिवाद मामले में याचियों की उपस्थिति के पश्चात् मामले को सुनवाई के लिए लगाया गया था । तारीख 14 मई, 2012 को जब मामला सुनवाई के लिए आया यद्यपि याची उपस्थित हुए थे, परंतु न तो विरोधी पक्षकार सं. 2 और न उसके काउंसेल कार्रवाई करने के लिए कोई कदम कभी उठाया था । इसलिए परिवादी-विरोधी पक्षकार सं. 2 के गैर हाजिर होने के कारण परिवाद को फाइल कर

दिया गया था और याचियों को दोषमुक्त कर दिया गया था । इसके पश्चात् याचियों ने उन्हीं अभिकथनों पर एक अन्य परिवाद मामला (2012 की संस्थित दांडिक मामला सं. 209) फाइल किया और उसने यह कथन किया कि अपनी बीमारी के कारण वे सुनवाई की तारीख को हाजिर नहीं हो सके जिस पर 2010 की संस्थित दांडिक मामला सं. 35 को तारीख 14 मई, 2012 को व्यतिक्रम की दशा में खारिज कर दिया गया था । श्री मिश्रा ने यह भी निवेदन किया कि उसी अपराध के लिए दूसरा परिवाद (2012 की संस्थित दांडिक मामला सं. 209) चलने योग्य नहीं है और इसलिए कार्रवाइयां अभिखंडित की जानी चाहिए ।

4. जब तारीख 8 अगस्त, 2016 को मामला सामने आया तब इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् आदेश पारित करते हुए याचियों के विद्वान् काउंसेल को यह निदेश दिया कि इस बात की जांच करें कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन परिवाद को परिवादी गैरहाजिर होने के कारण खारिज कर दिया गया था और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया, उसी घटना से संबंधित एक दूसरा परिवाद भी फाइल किया गया है या नहीं ।

5. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए एकमात्र प्रश्न इस मामले का विनिश्चय किए जाने का शेष रह जाता है कि क्या उन्हीं अभिकथनों पर दूसरा परिवाद चलने योग्य है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन पूर्ववर्ती परिवाद को खारिज कर दिया गया ।

6. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री मिश्रा ने अपने मामले के समर्थन में **ओम गायत्री और कंपनी और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "11......... वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि परिवादी साक्ष्य देने से बचना चाहता था इसलिए उसने 1998 महाराष्ट्र ला जर्नल 576 = 1998 क्रिमिनल ला जर्नल 3754 में संप्रकाशित मामले में इस न्यायालय के नजीर का अवलंब लिया और मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त करने के आदेश को पारित करने के लिए अग्रसर हुआ । जब एक बार यह आदेश पारित हो गया तब परिवादी के उपचार को न्यायालय से इजाजत प्राप्त करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के

---

[1] 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 601.

अधीन अपील पर अधिमानता दी जानी चाहिए जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) में अपेक्षित है.........। एक से अधिक सुभिन्नताओं की वजह से इस बात को भी ध्यान में रखा जाना होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 256(1) के अधीन दोषमुक्ति का आदेश यदि पारित किया जाता है तब परिवादी उन्हीं तथ्यों पर द्वितीय परिवाद फाइल करने से अपवर्जित हो जाता है जिस पर दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त नहीं किया जाता है । इसलिए परिवादी केवल इस बात के लिए स्वतंत्र है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(5) के अधीन न्यायालय से विशेष इजाजत लेकर विद्वान् मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने को अधिमानता देना था ।"

7. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल श्री पाणि ने संज्ञान लेने के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और यह निवेदन किया कि पूर्ववर्ती परिवाद का गुणागुण पर विचार नहीं किया गया और याचियों ने विचारण का सामना नहीं किया इसलिए उन्हीं अभिकथनों पर दूसरा परिवाद चलने योग्य है ।

8. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री मिश्रा और राज्य (विरोधी पक्षकार सं. 1) की ओर से विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल को सुना गया और अभिलेख पर प्रकट मामले का परिशीलन किया गया, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित निपटान न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और परिवादी के व्यतिक्रम करने की दिशा में परिवाद को खारिज कर दिया तथा अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 में मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी के गैर-हाजिर होने या उसकी मृत्यु की दशा में अपनाई गई प्रक्रिया का उपबंध किया गया है । उपधारा (1) में यह उपबंध किया गया है कि यदि समन परिवादी को जारी किया गया है, और अभियुक्त के हाजिर होने के लिए नियुक्त किया दिन, या जिसके पश्चात् कोई और दिन जिस पर मामले की सुनवाई की जानी है उस पर स्थगन किया जा सकता है, परिवादी यदि उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त करेगा जब तक कि वह मामले को किसी अन्य दिन सुनवाई करने के लिए स्थगन देना उचित न पाता हो ।

सुनवाई की तारीख को शिकायतकर्ता के गैर हाजिर होने या उसकी मृत्यु की दशा में मजिस्ट्रेट तीन बातों के लिए स्वतंत्र है जो इस प्रकार है :–

(क) अभियुक्त को दोषमुक्त करेगा ; या

(ख) मामले की सुनवाई को स्थगित करेगा ; या

(ग) जब परिवादी का लीडर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है या अभियोजन को संचालित करने वाला अधिकारी परिवादी को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे देता है ।

9. वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के निबंधनों में तारीख 14 मई, 2012 को अपना आदेश करके परिवादी के गैर हाजिर होने पर अभियुक्त व्यक्तियों (इसमें याची) को दोषमुक्त कर दिया । उक्त आदेश को किसी भी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर चुनौती/उपांतरित नहीं किया गया है इसलिए यह अंतिमता पर पहुंच गया है । उन्हीं अभिकथनों पर पुनः परिवादी-विरोधी पक्षकार सं. 2 ने यह कहते हुए 2012 की संस्थित दांडिक मामला सं. 209 एक दूसरा परिवाद फाइल किया कि तारीख 14 मई, 2012 को परिवादी अचानक बीमार हो गया था और इसलिए न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकता ।

इस प्रकार, यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन दोषमुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के अंतर्गत आता है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि जब एक बार किसी व्यक्ति की किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है और ऐसे अपराध से उसे सिद्धदोष या दोषमुक्त किया गया है तब ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति परिवर्तन में नहीं रहेगी और उसका पुनः विचारण किया जाना चाहिए ।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 में प्रकट "एक बार विचारण किया गया है" शब्दों को अपवाद के रूप में लिया जा सकता है । जब धारा 256(1) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तब ऐसा सुस्पष्ट प्रश्न उद्भूत हो सकता है कि अभियुक्त ने विचारण का सामना नहीं किया है इसलिए दोषमुक्ति का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के अंतर्गत नहीं आ सकता । **मदन मोहन त्रिपाठी** बनाम **रामचंद्र बेहेरा**[1] के मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में उक्त प्रश्न का उत्तर दिया गया है । इस न्यायालय ने **कर्नाटक राज्य** बनाम **के. एच. अन्नेगौड़ा और एक अन्य**[2]

---

[1] 1988 (II) ओ. एल. आर. 362.

[2] (1977) 1 एस. सी. सी. 417 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 357.

वाले मामले में सम्मिलित करते हुए कई निर्णयज विधियों का अवलंब लिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के अधीन "विचारण" में संज्ञान लेने के पश्चात् सभी कार्रवाइयों को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें समन जारी करने के पश्चात् अभियुक्ति की हाजिरी की तारीख भी सम्मिलित है । इस प्रकार, इस न्यायालय ने **मदन मोहन त्रिपाठी** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अंतर्गत दोषमुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के उपबंधों के अधीन समानतः समाविष्ट है ।

जितेन्द्र सिंह और अन्य बनाम **रंजित कौर**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "9. इस संहिता में या किसी अन्य संविधि में कोई ऐसा उपबंध नहीं है जो एक ही अभिकथनों पर दूसरा परिवाद को अधिमानता देने से परिवादी को अपवर्जित करता हो, यदि प्रथम परिवाद में दोषसिद्धि या दोषमुक्ति या उन्मोचन किए जाने का परिणाम न निकलता हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 जो द्वितीय विचारण को अपवर्जित करता है उस पर यह स्पष्टीकरण देने की सावधानी बरती गई है कि 'परिवाद को खारिज किया जाना या अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना इस धारा के प्रयोजन के लिए दोषमुक्ति नहीं है' । तथापि, जब कोई मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन जांच की कार्रवाई करता है और गुणागुण के आधार पर परिवाद को खारिज कर देता है, तो उन्हीं तथ्यों पर द्वितीय परिवाद तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक कि अत्यधिक अपवादित परिस्थितियां न हों । यद्यपि द्वितीय परिवाद तभी अनुज्ञेय है जब कि प्रथम दशा में परिवाद को खारिज किए जाने के परिस्थितियों पर निर्भर होता है ।
>
> * * * * *
>
> 12. यदि परिवाद को खारिज किया जाना गुणागुण पर नहीं हुआ है परंतु परिवादी के हाजिर होने में व्यतिक्रम करने पर हुआ है तब परिवादी इस बात के लिए वर्जित नहीं है कि उन्हीं तथ्यों पर पुनः द्वितीय परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें परंतु यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन परिवाद को खारिज किया जाता है तो स्थिति के गुणागुण पर जो भिन्न हो सकती है । पूर्व में इस बारे में

[1] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 784.

निम्न राय प्रकट हुई है कि क्या दूसरा परिवाद तब फाइल किया जा सकता है जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन परिवाद को खारिज किया जाता है । प्रमाथानाथ तालुकेदार **बनाम** सरोज रंजन सरकार [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 876 = 1962 (1) क्रिमिनल ला जर्नल 770] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा संविवाद तय किया गया था । तीन न्यायाधीशों की पीठ के न्यायाधीशों के बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया गया जो पैरा 48 में इस प्रकार है –

> 'दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन खारिजी का आदेश के आधार पर उन्हीं तथ्यों पर दूसरा परिवाद ग्रहण करने में वर्जन नहीं है परंतु इसे अपवादिक परिस्थितियों में ही ग्रहण किया जाएगा उदाहरणार्थ जहां अपूर्ण अभिलेख या परिवादी के स्वभाव या प्रकृति की नासमझी की वजह से पूर्ववर्ती आदेश पारित किया गया था या ऐसा आदेश स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण या गलत हो या जहां नए तथ्य पूर्ववर्ती कार्रवाइयों में अभिलेख पर युक्तियुक्त रूप से नहीं लाई जा सकती हो अब उन्हें पेश किया गया हो । न्यायहित में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि परिवादी के मामले पर पूर्ण रूप से विचार करके उसके विरुद्ध किए गए विनिश्चय के पश्चात् या कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक अन्य अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि उसके परिवाद के बारे में उससे पूछताछ की जा सके ।'

पूर्वोक्त निर्णयज विधि में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन पूर्ववर्ती परिवाद को खारिज करने के पश्चात् उसी अपराध के लिए द्वितीय परिवाद की चलने के बारे में परीक्षा की थी और यह निष्कर्ष निकाला था कि ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय परिवाद चलने योग्य है । परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन परिवाद को खारिज किए जाने पर विचार किए जाने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन परिवाद खारिज किया जाना पूर्णतया भिन्न है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन शक्ति का विचारण के प्रक्रम पर ही केवल प्रयोग किया जा सकता है । इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन दोषमुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा ।"

11. इस प्रक्रम पर **प्रमाथानाथ तालुकेदार** बनाम **सरोज रंजन सरकार**[1]

---

[1] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 876 = 1962 (1) क्रिमिनल ला जर्नल 770.

वाले मामले के पैरा 40 का उल्लेख करना लाभदायक है जैसाकि उसमें ऊपर उत्कथित किया गया है । इस मत कि **महेश चंद्र** बनाम **बी. जनार्दन रेड्डी और एक अन्य**[1] वाले मामले में पुनः अभिपुष्टि की गई जिसमें यह चरितार्थ किया गया है कि एक ही तथ्यों पर दूसरा परिवाद केवल अपवादिक परिस्थितियों में ग्रहण किया जा सकता है :–

(i) जहां अपूर्ण अभिलेख पर पूर्ववर्ती आदेश पारित किया गया था ; या

(ii) परिवादी की स्वभाव की गलतफहमी पर ;

(iii) ऐसा सुस्पष्ट रूप से गलत या अन्यायोचित हो ; या

(iv) जहां ऐसे नए तथ्य जिन्हें पूर्ववर्ती कार्रवाइयों में अभिलेख पर युक्तियुक्त रूप से नहीं लाया जा सका हो, उन्हें पेश किया जाना चाहिए ।

वर्तमान मामला ऊपरकथित किसी भी प्रवर्ग में नहीं आता है । इसलिए **जितेन्द्र सिंह** (उपरोक्त) वाला मामला का विनिश्चयाधार यहां पर लागू नहीं होता ।

12. परिवादी के समक्ष केवल यह विकल्प मौजूद था कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील कर सकता था जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के अधीन दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध विधि की प्रक्रिया का सम्यक् रूप से पालन किया जाना चाहिए था । उक्त मत को भी **ओम गायत्री** (उपरोक्त) वाले मामले के विनिश्चय को समर्थन मिलता है जिसका श्री मिश्रा द्वारा अवलंब लिया गया है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित निपटान न्यायालय, जयपुर रोड के समक्ष लंबित 2012 की संस्थित दांडिक मामला सं . 209 में उन्हीं अभिकथनों पर द्वितीय परिवाद चलने योग्य नहीं है ।

13. तद्नुसार दांडिक प्रकीर्ण मामला मंजूर किया जाता है । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित निपटान न्यायालय, जयपुर रोड के समक्ष लंबित 2012 की संस्थित दांडिक मामला सं. 209 में प्रकट कार्रवाइयों को अभिखंडित किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

---

[1] (2003) 1 एस. सी. सी. 734 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 702.

कैलाश मंडल

बनाम

असम राज्य

तारीख 3 नवंबर, 2016

मुख्य न्यायमूर्ति अजित सिंह और न्यायमूर्ति एन. चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304 भाग 2 – हत्या – सबूत – पारिस्थितिक साक्ष्य – पीड़िता (पत्नी) अभियुक्त (पति) का एक साथ रहना – अभियुक्त-अपीलार्थी शराब पीकर पीड़िता को पीटा करता था – यदि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के कारित हुई क्षतियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और पीड़िता के शव को मकान के पीछे बांस के झुंड में छुपाया जाना साबित हुआ है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 में उपांतरित करना न्यायसंगत है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि बसंती पोद्दार जो इत्तिलाकर्ता है ने यह अभिकथन करते हुए तारीख 22 अक्तूबर, 2011 को बोंगाई गांव पुलिस थाना में लिखित इजहार दर्ज की कि उसकी पुत्री शिवली मंडल का लगभग छह वर्ष पूर्व अपीलार्थी के साथ विवाह हुआ था, अपीलार्थी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को अपने मकान के बाहर जंगल के नजदीक में दफना दिया गया । उसके अनुसार अपीलार्थी ने रात्रि में शराब पीकर पीड़िता से दहेज की मांग करते हुए उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाई थी । बोंगाई गांव पुलिस थाना में दंड संहिता की धारा 304ख/34 के अधीन 2011 का मामला सं. 504 दर्ज किया गया था और यह मामला अपीलार्थी और उसकी माता भाई नरेश मंडल के विरुद्ध दर्ज किया गया था । पुलिस ने शव को बरामद किया और मृत्यु समीक्षा तथा शवपरीक्षण की कार्रवाई की और साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात् अपीलार्थी कैलाश मंडल और उसकी माता अमोदिनी मंडल के विरुद्ध जी. आर. मामला सं. 692/2011 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोंगाई गांव के समक्ष आरोप पत्र सं. 506 के माध्यम से तारीख 25 नवम्बर, 2011 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया तथा मामले से नरेश मंडल के नाम को हटाने का अनुरोध किया गया था । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 2 फरवरी,

2012 को अपना आदेश पारित करते हुए सेशन न्यायालय में मामले को सुपुर्द कर दिया गया जहां पर सेशन मामला सं. 18 (बीजीएन/2012) को दर्ज किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 22 फरवरी, 2012 को अपना आदेश पारित करते हुए वर्तमान अपीलार्थी कैलाश मंडल और उसकी माता अमोदिनी मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप विरचित किया । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्त ने निचले न्यायालय द्वारा कारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त जो पीड़िता का पति है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मकान में नहीं था जिसने ऐसी क्षति कारित की हो जैसाकि ऊपर कथन किया गया है । वस्तुतः साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि अभियुक्त शराब के नशे में प्रत्येक शाम पीड़िता को पीटा करता था । घटना के पूर्व रात्रि को भी इस बात का कोई अपवाद नहीं है । अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल हुआ कि कैसे उसके पत्नी के शरीर पर क्षतियां कारित हुईं । वह उन परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं बता सका कि उसकी पत्नी का शव अभि. सा. 4 के मकान के पीछे बांस के झुंड में कैसे पाया गया और उसके मकान का दरवाजा खुला हुआ था । इन परिस्थितियों से अपरिहार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतका को पहुंची क्षतियां अभियुक्त कैलाश के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित नहीं की गई । यह क्षतियां शराब के नशे में चूर होकर उसने अपने पत्नी के शरीर के ऊपर पहुंचाई और परिणामस्वरूप इन क्षतियों से पीड़िता की मृत्यु हो गई । अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी इंगित नहीं होता है कि अभियुक्त पीड़िता का हत्या करने का कोई आशय था और उस दशा में वह किसी आयुध से उस पर हमला भी कर सकता था और वह रोज शराब पीने के पश्चात् अपनी पत्नी को पीटने का अभ्यस्त रहा था और ऐसा भी संभव है कि उसको इस बात की जानकारी नहीं रही हो कि दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को उसको पीटने की वजह से उसकी पत्नी का जीवन समाप्त हो जाएगा जिसके साथ वह छह वर्षों से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहा था और उनका एक अप्राप्तवय पुत्र भी था । इसलिए अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा । इस प्रकार अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अपराधिक

मानव वध की कोटि में आता है न कि हत्या की कोटि में और इसलिए, वह दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन सिद्धदोष किए जाने योग्य है । तद्नुसार अपील भागतः मंजूर की जाती है और दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत संपरिवर्तित किया जाता है । दंड को पांच वर्ष के कठोर कारावास से उपांतरित किया जाता है और इसके साथ-साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने को कायम रखा जाता है । न्यायालय में यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त पहले ही पांच वर्ष एक मास दस दिन की अवधि कारागार में भोग चुका है और इसलिए वह पहले ही दंड भोग चुका है और उसे कारागार से तत्काल निर्मुक्त किया जाए । (पैरा 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील (जे.) सं. 38.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री बी. शर्मा न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. केनवर, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. चौधरी ने दिया ।

न्या. चौधरी – 2012 के सेशन मामला सं. 18 (बीजीएन) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश बोंगाई गांव द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2012 को निर्णय और आदेश पारित करके दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी कैलाश मंडल को दोषसिद्ध किया गया और उसे कठोर आजीवन कारावास भोगने तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय करने के लिए और संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर छह मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंड दिया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि बसंती पोद्दार जो इत्तिलाकर्ता है ने यह अभिकथन करते हुए तारीख 22 अक्तूबर, 2011 को बोंगाई गांव पुलिस थाना में लिखित इजहार दर्ज की कि उसकी पुत्री शिवली मंडल का लगभग छह वर्ष पूर्व अपीलार्थी के साथ विवाह हुआ था, अपीलार्थी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को अपने मकान के बाहर जंगल के नजदीक में दफना दिया गया । उसके अनुसार अपीलार्थी ने रात्रि में शराब पीकर पीड़िता से दहेज की मांग करते हुए उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाई थी । बोंगाई गांव पुलिस थाना में दंड संहिता की धारा 304ख/34 के अधीन 2011 का मामला सं. 504 दर्ज

किया गया था और यह मामला अपीलार्थी और उसकी माता अमोदिनी मंडल, भाई नरेश मंडल के विरुद्ध दर्ज किया गया था । पुलिस ने शव को बरामद किया और मृत्युसमीक्षा तथा शवपरीक्षण की कार्रवाई की और साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात् अपीलार्थी कैलाश मंडल और उसकी माता अमोदिनी मंडल के विरुद्ध जी आर मामला सं. 692/2011 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोंगाई गांव के समक्ष आरोप पत्र सं. 506 के माध्यम से तारीख 25 नवम्बर, 2011 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया तथा मामले से नरेश मंडल के नाम को हटाने का अनुरोध किया गया था । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 2 फरवरी, 2012 को अपना आदेश पारित करते हुए सेशन न्यायालय में मामले को सुपुर्द कर दिया गया जहां पर सेशन मामला सं. 18 (बीजीएन/2012) को दर्ज किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 22 फरवरी, 2012 को अपना आदेश पारित करते हुए वर्तमान अपीलार्थी कैलाश मंडल और उसकी माता अमोदिनी मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप विरचित किया । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

3. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलकार विचारण के दौरान नौ साक्षियों की परीक्षा की और चार दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले । इजहार को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, शवपरीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, घटनास्थल के कच्चे नक्शे पर प्रदर्श 3 डाला गया था और आरोप पत्र को प्रदर्श 4 के रूप में प्रदर्शित किया गया था । अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के कथनों सहित अभिलेख की सामग्रियों पर विचार किया गया उस पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2012 को आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके अभियुक्त अमोदिनी मंडल को दोषमुक्त कर दिया परंतु अपीलार्थी कैलाश मंडल को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध कर दिया गया । इस प्रकार कैलाश मंडल द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है ।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से नियुक्त किए गए सुश्री बी. शर्मा विद्वान् न्यायमित्र और असम राज्य के विद्वान् अपर लोक अभियोजन श्री के. केनवर को सुना । हमने निचले न्यायालयों के अभिलेखों का भी परिशीलन किया ।

5. अभि. सा. 1 श्रीमती बसंती पोद्दार ने अपने अभिसाक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि पीड़िता शिवली मंडल का बागेश्वरी मंदिर में छह वर्ष पहले कैलाश मंडल से विवाह हुआ था । कैलाश मंडल के साथ उसके विवाह होने के बाद पांच वर्ष पूर्व संतान हुई थी । चूंकि प्रारंभ में पीड़िता को अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है । उसने उसके विवाह के दौरान पीड़िता के शरीर में क्षतियां देखी । परंतु उसकी पुत्री अपीलार्थी के साथ दाम्पत्य जीवन को निभाना चाहती थी । घटना के सात मास पूर्व जब उसकी पुत्री सामाजिक नातेदारी निभाने के लिए उससे मिलने के लिए पहुंचे तो उसने उसे यह बताया कि उसे कठोर रूप से प्रताड़ित किया गया है, इसलिए, वह अभि. सा. 1 के पास कुछ दिन रुकना चाहती है । जब वहां अभियुक्त व्यक्ति पहुंचे तो वे उसे पूजा के अवसर पर कपड़े देने का आश्वासन देकर वापस उठा ले गया । परंतु अभि. सा. 1 को अन्य स्रोतों से यह सूचना मिली थी कि उसकी पुत्री के साथ वैवाहिक गृह में दया भाव का बर्ताव नहीं किया जाता था और अंततोगत्वा तारीख 21 अक्तूबर, 2011 को चपरा काता क्लब के सदस्यों द्वारा उसे यह सूचना दी गई कि उसकी पुत्री का शव उसके मकान के नजदीक जंगल से बरामद किया गया था । अभि. सा. 1 तत्काल अपने नातेदारों के साथ उस स्थान पर गया और उसने शव को देखा । इसके पश्चात् उसने पुलिस के पास प्रदर्श 1 के रूप में इजहार दर्ज की । उसके अनुसार कैलाश मंडल और उसकी माता अमोदिनी मंडल ने शिवली मंडल की हत्या की । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह भी प्रकट किया है कि शिवली के उसकी सास से अच्छे संबंध थे जो नरेश मंडल के वहां जो उसका दूसरा लड़का है, के वहां रहती थी । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि प्रारंभ में शिवली का विदेशी मंडल नामक व्यक्ति से विवाह हुआ था । परंतु विवाह के एक वर्ष बाद उसने अपने प्रथम पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी और यह मामला अंततोगत्वा विदेशी मंडल द्वारा 30,000/- रुपए नकद भुगतान करने के पश्चात् समाप्त हो गया था । विदेशी मंडल के साथ उसका विवाह-विच्छेद नहीं हुआ था परंतु फिर भी उसका कैलाश मंडल से विवाह कर दिया गया था और उसने पुरुष संतान को जन्म दिया ।

6. अभि. सा. 2 बीरेन मंडल अपीलार्थी का पड़ोसी है । उसने यह कहते हुए अभि. सा. 1 का समर्थन किया है कि कैलाश शराब पीने का आदि था और पीए हुए हालात में घर पहुंचने के पश्चात् शिवली पर हमला

किया करता । उसने श्रीचरण देवनाथ के मकान के पीछे की ओर बांस के झुंड में शिवली के शव को पहली बार देखा और तदुपरि उसने श्रीचरण देवनाथ को इस घटना के बारे में बताया जो घटनास्थल पर गया और उसने बीडीपी सचिव को इस बारे में भी बताया था । इस प्रकार पुलिस को मामले के बारे में सूचना दी गई । उसने अपने प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि कैलाश और उसका भाई नरेश अलग-अलग रहते थे और अमोदिनी नरेश के साथ रहती थी । घटना के लगभग 2/3 मास पूर्व कैलाश का रास्ते के बारे में चरण देवनाथ से विवाद हुआ था । जिस विवाद को गांव की पंचायत द्वारा निपटा दिया गया और उनके बीच समझौता करा दिया गया । निस्संदेह, उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह कैलाश द्वारा शिवली पर हमला करते हुए देखे जाने का साक्षी नहीं है ।

7. अभि. सा. 3 फूलचंद मंडल अपीलार्थी का एक दूसरा पड़ोसी है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शिवली मंडल की 7/8 मास पूर्व मृत्यु हुई । उसे यह पता था कि कैलाश शराब पीए हुए हालात में मकान पर आया करता था और शिवली पर हमला किया करता था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहते हुए अभि. सा. 2 का समर्थन किया है कि अमोदिनी नरेश के साथ रहती थी न कि कैलाश के साथ और गांव के रास्ते के बारे में कैलाश और श्रीचरण देवनाथ के बीच विवाद हुआ था । इससे पूरा गांव इस बारे में दो समूहों में बंट गया था ।

8. अभि. सा. 4 श्रीचरण देवनाथ भी पड़ोसी है जिसके मकान के पीछे की तरफ पीड़िता का शव पाया गया था । उसके मकान के पीछे की ओर बांस की लकड़ी का झुंड था और अभि. सा. 3 द्वारा वहां पर उसके शव को देखा गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि कैलाश पीए हुए हालात में घर पर पहुंचा करता और घर का माहौल खराब करता था । वह निरंतर पीड़िता पर हमला किया करता । घटना की पूर्व रात्रि को भी अभि. सा. 4 को उसकी पत्नी परबाती देवी द्वारा यह बताया गया था कि पीड़िता उसके पति कैलाश मंडल के बीच उत्तेजित वाक्कलह और झगड़ा हुआ था ।

9. अभि. सा. 5 डा. जाहिरूद्दीन रहमान जिन्होंने शव का शवपरीक्षण किया । उन्होंने यह पाया कि पीड़िता 30 वर्ष की आयु की स्वस्थ महिला थी और उसके शव पर कुछ गुमटे देखे गए । मृतका के दाहिने घुटने और जांघ पर 5 सें. मी. × 5 सें. मी. एक गुमटा भी देखा गया । इसी तरह बाएं प्रबाहू पर 2 सें. मी. × 4 सें. मी. की एक गुमटा देखा गया और उसके वक्ष के बाएं निचले

भाग पर 6 सें. मी. × 6 सें. मी. की एक बड़ी गुमटा देखा गया । उन्होंने आंतों से लगे हुए कई थैलों के भाग पर पेरेरोनियल भंग और मेसेन्टरी भंग देखा था । यकृत का दाहिना पालि फटा हुआ था । उसके अनुसार ये आंतरिक क्षतियां कुंद उदरहीय क्षति के परिणामस्वरूप और उदरहीय रक्तस्राव के परिणाम थी । उन्होंने प्रदर्श 2 शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की ।

10. अभि. सा. 6 मंटू महंत ने शपथ पर यह कथन किया कि शिवली की लगभग 10 माह पूर्व मृत्यु हुई थी और उसने यह सुना था कि कैलाश प्रत्येक रात्रि शराब पीए हुए हालात में घर पर पहुंचा करता और शिवली से झगड़ा किया करता । उसने यह भी सुना कि कैलाश दहेज की मांग किया करता और उसे श्रीचरण देवनाथ के मकान के पीछे की ओर बांस के झुंड में शिवली के शव की बरामदगी के बारे में समाचार की जानकारी हुई थी, वह वहां गया और उसने शव को देखा ।

11. दूसरी ओर, अभि. सा. 7 प्रदीप कौल ने यह प्राख्यान किया है कि यद्यपि कैलाश और शिवली के बीच कभी-कभी झगड़ा होता था परंतु वे दोनों विवाह के पश्चात् अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी से रहते थे । उसने कभी भी उनके बीच झगड़ा नहीं देखा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी रहस्योद्घाटन किया कि शिवली के शव की बरामदगी के तत्काल पश्चात् श्रीचरण, धिरेण, फूलचंद और अन्य गांववासी कैलाश को उसके मकान से बाहर लाए और विद्यालय के खेत में उसको बांधा गया । अमोदिनी को मकान से बुलाया गया था और उससे वहां बैठने के लिए कहा गया । जब पुलिस पहुंची तो उन दोनों को पुलिस के सुपुर्द किया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा यह भी संकेत दिया गया कि श्रीचरण और कैलाश के बीच गांव के रास्ते के बारे में बैर-भाव था और श्रीचरण कैलाश की पत्नी की शव की बरामदगी होने के पश्चात् उसके विरुद्ध अपने विवाद को तय करने का अवसर को गंवाना नहीं चाहता था । इस प्रकार इस साक्षी ने अभि. सा. (श्रीचरण) और कैलाश के बीच बैर-भाव को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयास किया परंतु उसी समय उसने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि कैलाश शराब पीने का अभ्यस्त था और प्रत्येक रात्रि पर अपनी पत्नी पर हमला करने का अभ्यस्त था । इन सभी पड़ोसी साक्ष्यों के अभिसाक्ष्यों से एक सामान्य बात यह प्रकट होती है कि कैलाश अभ्यस्त पीयक्कड़ था और जब कभी वह पीए हुए हालात में होता तब वह बुरी तरह अपनी पत्नी को पीटा करता । जबकि सभी अन्य पड़ोसी साक्षियों ने कैलाश के बारे में अपनी पत्नी को निरंतर पीटे जाने की बात कही, उसी समय यह भी कथन किया गया कि कैलाश शराब पीए हुए

हालात में जब भी घर वापस लौटता तो शाम को वह उसे पीटा करता था ।

12. अभियोजन पक्ष ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर प्रदर्श नहीं डाला है परंतु यह अभिलेख पर उपलब्ध है । हमने इस बारे में अपना समाधान प्रकट करने के लिए उसका परिशीलन किया कि जिस दशा में पीड़िता का शव बरामद किया गया था । शव को बांस के झुंडों के बीच बरामद किया गया था और पुलिस द्वारा तारीख 22 अक्तूबर, 2011 को मृत्युसमीक्षा की गई थी । मृत्युसमीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि मृतका पतली दुबली शरीर की महिला थी । पड़ोसियों ने मृत्युसमीक्षा के समय यह बात भी बताई कि अभियुक्त कैलाश मंडल शराब पीने के पश्चात् प्रत्येक रात्रि उस पर हमला किया करता था । घटना की पूर्व रात्रि को शिवली मंडल को कैलाश द्वारा पीटा गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि अमोदिनी कैलाश और पीड़िता के साथ नहीं रहती थी । कैलाश पीड़िता के साथ रहता था और उनका पांच वर्ष आयु का अप्राप्तवय पुत्र था । कैलाश प्रायः शराब पीने के पश्चात् प्रत्येक रात्रि घर वापस लौटता था और अपनी पत्नी पर हमला किया करता था । घटना की पूर्व रात्रि को भी पीड़िता को नहीं छोड़ा गया था । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट से यह भी प्रकट है कि पीड़िता लगभग 30 वर्ष आयु की महिला है और उसकी पांच फीट ऊंचाई थी । वह शरीर से कमजोर थी । संभवतया यह भी हुआ हो कि वह घटना की पूर्व रात्रि को प्रताड़ना को न सह सकी हो । मृतका की शरीर पर कारित हुई क्षतियों की प्रकृति खास तौर पर उसके बाएं वक्ष के निचले भाग पर पाई गई जो क्षति शराब पीने के कारण थी और मेसेन्टेरिल भी फटा हुआ था । डाक्टर ने शवपरीक्षण के समय आंत में कई छिद्रंण केंद्र पाए थे । कोई बही हुई या वाधित क्षति नहीं थी । इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसी क्षतियां कारित करने में कोई आयुध का प्रयोग नहीं किया गया था । डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि आंतरिक उदरवीय रक्तस्राव कुंद उदरवीय क्षति के कारण थी । इस प्रकार यह प्रकट है कि ऐसी क्षतियां संभाव्यतः बलपूर्वक मुक्का या लात जो पीड़िता के अपनी उदर पर मारने के कारण थी ।

13. अभियुक्त जो पीड़िता का पति है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मकान में नहीं था जिसने ऐसी क्षति कारित की हों जैसाकि ऊपर कथन किया गया है । वस्तुतः साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि अभियुक्त शराब के नशे में प्रत्येक शाम पीड़िता को पीटा करता था । घटना के पूर्व रात्रि को भी इस बात का कोई अपवाद नहीं है । अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में

इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल हुआ कि कैसे उसकी पत्नी के शरीर पर क्षतियां कारित हुईं । वह उन परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं बता सका कि उसकी पत्नी का शव अभि. सा. 4 के मकान के पीछे बांस के झुंड में कैसे पाया गया और उसके मकान का दरवाजा खुला हुआ था । इन परिस्थितियों से अपरिहार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतका को पहुंची क्षतियां अभियुक्त कैलाश के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित नहीं की गईं । यह क्षतियां शराब के नशे में चूर होकर उसने अपनी पत्नी के शरीर के ऊपर पहुंचाई और परिणामस्वरूप इन क्षतियों से पीड़िता की मृत्यु हो गई । अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी इंगित नहीं होता है कि अभियुक्त का पीड़िता की हत्या करने का कोई आशय था और उस दशा में वह किसी आयुध से उस पर हमला भी कर सकता था और वह रोज शराब पीने के पश्चात् अपनी पत्नी को पीटने का अभ्यस्त रहा था और ऐसा भी संभव है कि उसको इस बात की जानकारी नहीं रही हो कि दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को उसको पीटने की वजह से उसकी पत्नी का जीवन समाप्त हो जाएगा जिसके साथ वह छह वर्षों से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहा था और वह उनका एक अप्राप्तवय पुत्र भी था । इसलिए अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा । इस प्रकार अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अपराधिक मानव वध की कोटि में आता है न कि हत्या की कोटि में और, इसलिए, वह दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन सिद्धदोष किए जाने योग्य है । तद्नुसार अपील भागतः मंजूर की जाती है और दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत संपरिवर्तित किया जाता है । दंड को पांच वर्ष के कठोर कारावास से उपांतरित किया जाता है और इसके साथ साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने को कायम रखा जाता है । न्यायालय में यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त पहले ही पांच वर्ष एक मास दस दिन की अवधि कारागार में भोग चुका है और इसलिए वह पहले ही दंड भोग चुका है और उसे कारागार से तत्काल निर्मुक्त किया जाए ।

14. अभिलेख निचले न्यायालय को भेजे जाते हैं ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

संत राम

बनाम

दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) राज्य

तारीख 1 मार्च, 2017

न्यायमूर्ति एस. पी. गर्ग

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, 2(छ) [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6] – अनैतिक व्यापार और सामूहिक बलात्संग – अभियुक्त के विरुद्ध यह अभिकथन किया जाना कि उसने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया और उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला – अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य अविश्वसनीय होगा क्योंकि अभियोक्त्री लगभग एक मास अभियुक्त के साथ रही और उसने भागने की भी कोशिश नहीं की – वेश्यावृत्ति के स्थान का साक्ष्य प्रकट नहीं होना – अभियोजन को अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए और वह प्रतिरक्षा पक्ष की कमजोरियों का लाभ नहीं ले सकता – अभियुक्त प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376, 109 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6] – बलात्संग और दुष्प्रेरण के लिए दंड – दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है परन्तु यह तब जब कि उसके साक्ष्य की संपुष्टि हो अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अभियुक्त मदन लाल राणा और रमन कुमार ने अभियोक्त्री के साथ उनके नई दिल्ली में ककरौला स्थित कार्यालय और महावीर एन्कलेव, भाग-1 स्थित मकान में सामूहिक रूप से बलात्संग कारित किया । अपीलार्थी और ज्योति नामक एक अन्य बच्ची को सह-अभियुक्त मदन लाल राणा, रमन कुमार और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अभियोक्त्री, जिसकी आयु 19 वर्ष थी, के साथ बलात्संग कारित करने के प्रयोजनार्थ दुष्प्रेरण, महावीर एन्कलेव, भाग-1 में स्थित मकान को वेश्यावृत्ति के लिए वेश्यालय के रूप में प्रयोग करने, जानबूझकर

अभियोक्त्री की आमदनी से जीवन-यापन करने और वेश्यावृत्ति के लिए उसकी दलाली करने और उसको वेश्यावृत्ति में जबरन धकेलने के आरोपों के लिए अन्तर्वलित किया गया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 9 जुलाई, 2014 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376/109 और 1956 के अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं 3, 4, 5 और 6 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया जिससे व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अपील फाइल की गई है । अपीलार्थी को विभिन्न कारावास और जुर्माने को भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । इस निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अन्वेषण भी उचित रीति में किया गया प्रतीत नहीं होता । पड़ोसियों के कथन कि वेश्यावृत्ति केन्द्र कहां पर चलाया जा रहा था, अभिलिखित नहीं किए गए । अभिलेख पर यह भी नहीं आया है कि निकट के मकानों में रहने वाले किसी पड़ोसी ने इस किराए के मकान में किए जा रहे आक्षेपणीय या अवैध क्रियाकलापों का संज्ञान लिया हो । किसी भी पड़ोसी द्वारा इस प्रकार की कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई । अभियोक्त्री और अपीलार्थी के काल विवरण अभिलेख पर नहीं लाए गए हैं । अन्वेषण अभिकरण ने इस तथ्य का सत्यापन नहीं किया कि क्या अपीलार्थी ने ज्योति से विवाह किया था और यदि किया था तो किस तारीख को । आहत ने इस संबंध में विपरीत और परस्पर विरोधी कथन किए हैं । इस बात का पता लगाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि क्या अपीलार्थी ने ज्योति से विवाह किया था । ज्योति, उसके पिता-माता और उसका निवास स्थान के विस्तारपूर्वक विवरण का सत्यापन नहीं किया गया । यह स्पष्ट नहीं है कि वह कैसे और किस रीति में प्रश्नगत परिसर में निवास करने लगी थी या क्या वह स्वयं एक आहत है । यह अभिलेख पर उपलब्ध है कि अपीलार्थी का विवाह मीरा नामक महिला के साथ हुआ था, जिसके काल विवरण अभिलेख एकत्रित किए गए थे । अभि. सा. 7 भवन स्वामी (डी. एस. चौहान) ने मीरा, जो अपीलार्थी के साथ किराए वाले परिसर में रहती थी, की पहचान की थी । अभियोजन द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए उसका परीक्षण नहीं किया था कि वह कहां रहती थी या उसका पति प्रश्नगत परिसर में ज्योति के साथ रहता था । अभि. सा. 17 (निरीक्षक नरेश कुमार) ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसके द्वारा अभिप्राप्त स्कूल के अभिलेखों के अनुसार, ज्योति की आयु

12 वर्ष थी । आहत ने किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम का प्रकटीकरण नहीं किया जिसके साथ उसने अपीलार्थी के कहने पर शारीरिक संबंध स्थापित किए हों । इस बाबत किसी भी बात का प्रकटीकरण नहीं किया गया कि अपीलार्थी द्वारा "एक्स" को वेश्यावृत्ति में अन्तर्वलित करने के लिए कितनी रकम प्राप्त की गई । अभि. सा. 17 (निरीक्षक नरेश कुमार) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि आहत ने किसी ऐसी विशिष्ट रकम का उल्लेख नहीं किया जो अपीलार्थी द्वारा ग्राहकों से ली गई थी । आहत के कथन से दर्शित होता है कि उसका ज्योति से सम्पर्क पार्क में हुआ था । दोनों के मध्य मित्रता हो गई थी और जब वह अपने गांव गई थी तब भी दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में रहते थे । इसके पश्चात्, अभिकथित रूप से उसको ज्योति और वर्तमान अपीलार्थी ने वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था । तथापि, आहत ने इस बाबत कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसको इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि ज्योति यौन व्यापार में अन्तर्वलित है, वह ज्योति के साथ क्यों रहती थी । प्रकटतः, "एक्स" सम्पूर्ण प्रकरण के दौरान इच्छुक और सहमति प्रदान करने वाली पक्ष थी । आहत के कथन का स्वतंत्र पुष्टिकरण, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है, के बिना अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता । किसी बलात्संग के मामले में अभियुक्त को अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि उसका परिसाक्ष्य न्यायालय के विवेक में विश्वास को बढ़ाने वाला हो, सावधान किया कि न्यायालय को ऐसे परिसाक्ष्य को स्वीकार करते समय अत्यंत सावधान होना चाहिए जब संपूर्ण मामला अधिसंभाव्यता पर आधारित हो और उसके घटित होने की संभाव्यता मात्र हो । लैंगिक आक्रमण के मामले को किसी अन्य मामले की भांति युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए और इस बाबत कोई उपधारणा नहीं है कि अभियोक्त्री संपूर्ण वृत्तांत सत्यतापूर्वक ही बताएगी । अभियोजन को अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए और वह प्रतिरक्षा पक्ष के पक्षकथन की कमजोरियों से लाभ नहीं ले सकता । अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर उचित विधिक साक्ष्य और सामग्री होनी चाहिए । दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है परन्तु यह तब जब कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो । तथापि, यदि न्यायालय को अभियोक्त्री के वृत्तांत को स्वीकार करने के पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं, तो न्यायालय उनकी पुष्टि करा सकता है । यदि साक्ष्य को

संपूर्णता में पढ़ा जाए और अभियोक्त्री द्वारा दर्शित घटना अधिसंभाव्य पाई जाती है, तो अभियोक्त्री का पक्षकथन अस्वीकार किए जाने योग्य हो जाता है । (पैरा 9, 10, 11, 12 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 7 एस. सी. सी. 171 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2281 : **नरेन्द्र कुमार** बनाम **राज्य (दिल्ली राज्य क्षेत्र)** ;	13
[2010]	(2010) 12 एस. सी. सी. 115 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 742 : **अब्बास अहमद चौधरी** बनाम **असम राज्य** ;	12
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 92 : **सदाशिव रामाराव हेडबे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** ।	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 47.

अभियुक्त द्वारा 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री प्रमोद के. दूबे, टी. विष्णु और राहुल त्रिपाठी
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति एस. पी. गर्ग – पुलिस थाना डाबरी में रजिस्ट्रीकृत 2012 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 390 से उद्भूत 2013 के सेशन मामला सं. 61 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 9 जुलाई, 2014 के निर्णय, जिसके द्वारा अपीलार्थी संत राम को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376/109 और 1956 के अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं 3, 4, 5 और 6 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया, से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अपील फाइल की गई है । अपीलार्थी को तारीख 17 जुलाई, 2014 के आदेश द्वारा विभिन्न अवधियों का कारावास और जुर्माने को भोगने के लिए दंडादिष्ट किया

गया है ।

2. संक्षेप में, आरोप पत्र के आधार पर अभियोजन का पक्षकथन यह था कि मदन लाल राणा और रमन कुमार (जिनको अब दोषमुक्त किया जा चुका है) ने तारीख 3 अक्तूबर, 2012 को लगभग एक माह पूर्व अभियोक्त्री "एक्स" (पहचान छुपाने के लिए परिवर्तित नाम) के साथ उनके नई दिल्ली में ककरौला स्थित कार्यालय में और नई दिल्ली के महावीर एन्कलेव, भाग-1 में स्थित मकान संख्या आर. जैड-120, सी-2 में सामूहिक रूप से बलात्संग कारित किया था । अपीलार्थी और ज्योति नामक एक अन्य व्यक्ति (जो किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचारण का सामना कर रहा है) को सह-अभियुक्त मदन लाल राणा, रमन कुमार और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अभियोक्त्री "एक्स" जिसकी आयु 19 वर्ष थी, के साथ बलात्संग कारित करने के प्रयोजनार्थ दुष्प्रेरण के लिए ; महावीर एन्कलेव के भाग-1 में स्थित मकान संख्या आर. जैड-120, सी-2 को वेश्यावृति के लिए वेश्यालय के रूप में प्रयोग करने ; जानबूझकर अभियोक्त्री की आमदनी से जीवन यापन करने और वेश्यावृत्ति के लिए उसकी दलाली करने और उसको वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए अन्तर्वलित किया गया था ।

3. तारीख 3 अक्तूबर, 2012 को आहत के कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/1) अभिलिखित किए जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की, "एक्स" का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और उसका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित कराया गया । अपीलार्थी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया । साक्षियों जो मामले के तथ्यों से भली-भांति अवगत थे, के कथन अभिलिखित किए गए । अन्वेषण की समाप्ति पर अपीलार्थी मदन लाल राणा और रमन कुमार के विरुद्ध विभिन्न अपराध कारित किए जाने के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन ने 18 साक्षियों का परीक्षण कराया और विभिन्न दस्तावेजों का अवलंब लिया । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन में अपराध में अन्तर्वलित होने से इनकार किया और दावा किया कि उसको असत्य रूप से मामले में अन्तर्वलित कर दिया गया है । उसने अपनी प्रतिरक्षा में डी. डब्ल्यू. 1 विजय कुमार का परीक्षण कराया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात् आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए मदन लाल राणा और रमन कुमार को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । यहां पर यह

उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि राज्य ने उनकी दोषमुक्ति को चुनौती नहीं दी । यह अस्पष्ट है कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ज्योति के विरुद्ध लम्बित कार्यवाहियों का क्या परिणाम निकला ।

4. मैंने पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और फाइल का परीक्षण किया । स्वीकृति स्थिति यह है कि अभियोक्त्री "एक्स" घटना के दिन वयस्क थी । उसने अपनी शिकायत में अपनी आयु 19 वर्ष होने का दावा किया है । तथापि, अन्वेषण अभिकरण ने उसकी सही जन्मतिथि को साबित करने के लिए कोई तर्कपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में स्थापित बोर्ड, जिसका अभि. सा. 9 (डा. उमा के.) सदस्य थे, द्वारा तैयार की गई आक्सीफिकेशन रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क) में "एक्स" की आयु के 20-25 वर्ष होने का मत व्यक्त किया ।

5. अपीलार्थी की दोषसिद्धि प्राथमिक रूप से अभियोक्त्री "एक्स" के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है । स्थिरीकृत विधिक स्थिति यह है कि दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है परन्तु यह तब जब कि वह विश्वसनीय हो और उत्तम कोटि की हो ।

6. हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में, अभियोक्त्री के कथन में विभिन्न शिथिलताएं, असंगतताएं और विषगतताएं प्रकट हुई हैं । जिसके कारण यह असुरक्षित हो गया है कि दोषसिद्धि उसके एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर और बिना पुष्टिकरण के की जाए । आक्षेपित निर्णय में यह अभिलिखित है कि अभियोक्त्री ने न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने कथन में कुछ सुधार किए थे । तथापि, विचारण न्यायालय का मत था कि वे सुधार अभियोजन के मामले के केन्द्र बिन्दु से संबंधित नहीं है और उसको प्रभावित नहीं करते । यहां पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अन्वेषण के दौरान अभियोक्त्री ने मदन लाल राणा और रमन कुमार को उन व्यक्तियों के रूप में अन्तर्वलित किया था जिन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया था । उसने अपराधकर्ता के रूप में उन दोनों की पहचान भी की थी और रमन कुमार को तिहाड़ जेल में संचालित शिनाख्त परीक्षण कार्यवाहियों के दौरान पहचाना भी था । शिकायतकर्ता की उपस्थिति में उनके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथनों के अनुसरण में कुछ बरामदगियां भी की गई थीं । तथापि, उसने न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने कथन में उन दोनों को पहचानने से पूर्णतया इनकार कर दिया और

उनको उन व्यक्तियों के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया जिन्होंने उसको अपीलार्थी और ज्योति के कार्यालय में धनीय लाभ के लिए ले जाने के पश्चात् उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया था । उसको विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था और उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने दावा किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन विद्वान् महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित उसका कथन पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित था । उसने किसी भी पुलिस अधिकारी, जिसने उसको विद्वान् महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष असत्य कथन करने के लिए विवश किया था, के विरुद्ध किसी भी प्रक्रम पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई । यह प्रतीत किया गया कि अभियोक्त्री ने मदन लाल राणा और रमन कुमार के साथ अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और अपने पूर्ववर्ती कथन से पीछे हटने का विकल्प चुन लिया है जिससे कि उन दोनों को आरोपों से मुक्त किया जा सके । इसके अलावा उसके पास कोई कारण नहीं था कि वह शिनाख्त पहचान कार्यवाहियों में बलात्संग करने वाले अभियुक्त रमन कुमार की पहचान करती । प्रकटतः, अभियोक्त्री ने सत्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किए ।

7. अभियोक्त्री शहर में अजनबी नहीं थी । अभि. सा. 6 के रूप में उसके परिसाक्ष्य से प्रकट होता है कि वह दिल्ली में, विगत लगभग 8 वर्षों से रह रही थी और शालीमार बाग में लगभग 8 वर्षों से विभिन्न घरों में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य कर रही थी । वह अपने गांव चली गई थी और फिर पुनः दिल्ली वापस आ गई थी । उसने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि वह कहां निवास करती थी, उसके चाचा और चाची का नाम क्या था जिनके साथ वह निवास करती थी, उसके चचेरे भाई का नाम क्या था जिसके साथ वह निकटवर्ती पार्क में जाया करती थी और जहां उसकी मुलाकात ज्योति से हुई थी । उसने न तो अपना मोबाइल फोन प्रस्तुत किया और न ही उसके नम्बर का प्रकटीकरण किया । अन्वेषण अधिकारी किसी काल विवरण, जिसके आधार पर ज्योति या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसकी बातचीत को दर्शित किया जा सके, को एकत्रित करने में विफल रहा । अभिलेख पर यह स्पष्ट हुआ है कि आहत के पास एक मोबाइल फोन था जिससे वह अपने भाई से बात किया करती थी । अन्वेषण अधिकारी ने इस बात को अभिनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि अभियोक्त्री "एक्स" ज्योति और अपीलार्थी के साथ महावीर एन्कलेव, भाग-1 में स्थित मकान सं. आर. जैड-120, सी-2 में कब और

कैसे रही, उसके किसी भी नातेदार का परीक्षण नहीं किया । यह बिल्कुल भी अविश्वसनीय है अभियोक्त्री "एक्स" को अपने गांव से वापस आने के पश्चात् अपीलार्थी और ज्योति ने उसको कोई नौकरी दिलवाए बिना अपने साथ रहने की अनुज्ञा प्रदान की होगी । आहत ने ऐसा कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने अपने नातेदारों को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी कि अपने गांव जाने से पूर्व वह किसके साथ रहती थी और उसने अचानक ज्योति, जो लगभग 12 वर्ष की बच्ची है, से नौकरी दिलाने के लिए सम्पर्क क्यों किया । ज्योति स्वयं परिस्थितियों की शिकार प्रतीत होती है । यह पूर्णतया अविश्वसनीय है कि वह अभियोक्त्री, जिसकी आयु लगभग 20-25 वर्ष है, का वेश्यावृति के कार्य में अन्तर्वलित करने के लिए उसके ऊपर हावी हो गई होगी । "एक्स" ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया कि उसने अपीलार्थी के आचरण के बारे में अपने भाई से टेलीफोन पर बात करते समय शिकायत क्यों नहीं की थी । इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आहत का भाई या उसका नातेदार उसके बारे में पता करने का कोई प्रयास लम्बे समय तक न करते । स्वीकृततः, अभियोक्त्री अपीलार्थी और ज्योति के साथ लगभग एक माह तक रही । इस अवधि के दौरान उसने अभिकथित रूप से अनेक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे । उसने किसी भी प्रक्रम पर शोर नहीं मचाया । उसने घटनास्थल से अवसर मिलने पर भी भागने का प्रयास नहीं किया । अभिलेख पर यह भी लाया गया है कि अपीलार्थी अपने कार्य पर जाता था । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि आहत को प्रश्नगत परिसर में बलपूर्वक बंदी बनाकर रखा गया था । उसने अपनी शिकायत में अभिकथित किया है कि अपीलार्थी और उसके सहयोगी शारीरिक रूप से उसकी पिटाई करते थे और उसको प्रताड़ित करते थे । शिकायत दर्ज कराने के तुरन्त पश्चात् आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था जो चिकित्सीय विधि प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/ए) है । उसके शरीर पर क्षति का कोई बाह्य चिह्न नहीं पाया गया ।

8. आगे यह उल्लेख किया जाता है कि मदन लाल राणा और रमन कुमार के डी. एन. ए. रिपोर्ट (प्रदर्श पी. ए.) से उसका (अभियोक्त्री का) वृत्तांत असत्य साबित होता है चूंकि अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के परिणाम दर्शित करते हैं कि अभियोक्त्री के अन्तरीय वस्त्रों, चादर, कपड़े के टुकड़े और तौलिया, जिसको पुलिस द्वारा अभिगृहीत किया गया, से पृथक् किया गया डी. एन. ए. पार्श्वचित्र और अभियोक्त्री की चुन्नी से पृथक् किया गया

डी. एन. ए. पार्श्वचित्र मदन लाल और रमन कुमार के रक्त के नमूनों से पृथक् किए गए डी. एन. ए. के समरूप नहीं पाया गया । चूंकि उनके विरुद्ध फंसाने वाली कुछ भी सामग्री हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का कथन भी उनको घटना में अन्तर्वलित नहीं करता, उनको आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । चूंकि मदन लाल राणा और रमन कुमार धारा 376(2)(छ) के अधीन अपराध के कारण के दोषी नहीं पाए गए थे, अपीलार्थी और उसकी सहयोगी ज्योति द्वारा उसके दुष्प्रेरण की कोई भी संभाव्यता नहीं थी । आहत का कथन अपर्याप्त पाया गया जिसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । क्या ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है जो अपने पूर्ववर्ती कथन से पलट गया हो और जिसने अपने पूर्ववर्ती कथन में सारभूत सुधार किए हों ।

9. अन्वेषण भी उचित रीति में किया गया प्रतीत नहीं होता । पड़ोसियों के कथन कि वेश्यावृत्ति केन्द्र कहां पर चलाया जा रहा था, अभिलिखित नहीं किए गए । अभिलेख पर यह भी नहीं आया है कि निकट के मकानों में रहने वाले किसी पड़ोसी ने इस किराए के मकान में किए जा रहे आक्षेपणीय या अवैध क्रियाकलापों का संज्ञान लिया हो । किसी भी पड़ोसी द्वारा इस प्रकार की कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई । काल विवरण अभिलेख भी एकत्रित नहीं किए गए । फोन नंबर 9958552898 और 9717958461 से संबंधित काल विवरण अभिलेख श्रीमती आश्रिता भेंनगुरा और अंसार अहमद नामक व्यक्तियों के हैं । इसी प्रकार से मोबाइल नंबर 9873663266, 99990655877 और 9654972436 से संबंधित काल विवरण अभिलेख मदन लाल राणा और मीरा नामक व्यक्तियों से संबंधित है । यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह काल विवरण प्रस्तुत मामले में किस प्रकार से सुसंगत हैं । अभियोक्त्री और अपीलार्थी के काल विवरण अभिलेख पर नहीं लाए गए हैं । अन्वेषण अभिकरण ने इस तथ्य का सत्यापन नहीं किया कि क्या अपीलार्थी ने ज्योति से विवाह किया था और यदि किया था तो किस तारीख को । आहत ने इस संबंध में विपरीत और परस्पर विरोधी कथन किए हैं । इस बात का पता लगाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि क्या अपीलार्थी ने ज्योति से विवाह किया था । ज्योति, उसके पिता-माता और उसका निवास स्थान के विस्तारपूर्वक विवरण का सत्यापन नहीं किया गया । यह स्पष्ट नहीं है कि वह कैसे और किस रीति में प्रश्नगत परिसर में

निवास करने लगी थी या क्या वह स्वयं एक आहत है । यह अभिलेख पर उपलब्ध है कि अपीलार्थी का विवाह मीरा नामक महिला के साथ हुआ था, जिसके काल विवरण अभिलेख एकत्रित किए गए थे । अभि. सा. 7 भवन स्वामी (डी. एस. चौहान) ने मीरा, जो अपीलार्थी के साथ किराए वाले परिसर में रहती थी, की पहचान की थी । अभियोजन द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए उसका परीक्षण नहीं किया था कि वह कहां रहती थी या उसका पति प्रश्नगत परिसर में ज्योति के साथ रहता था । अभि. सा. 17 (निरीक्षक नरेश कुमार) ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसके द्वारा अभिप्राप्त स्कूल के अभिलेखों के अनुसार, ज्योति की आयु 12 वर्ष थी । आहत ने किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम का प्रकटीकरण नहीं किया जिसके साथ उसने अपीलार्थी के कहने पर शारीरिक संबंध स्थापित किए हों । इस बाबत किसी भी बात का प्रकटीकरण नहीं किया गया कि अपीलार्थी द्वारा "एक्स" को वेश्यावृत्ति में अन्तर्वलित करने के लिए कितनी रकम प्राप्त की गई । अभि. सा. 17 (निरीक्षक नरेश कुमार) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि आहत ने किसी ऐसी विशिष्ट रकम का उल्लेख नहीं किया जो अपीलार्थी द्वारा ग्राहकों से ली गई थी ।

10. आहत के कथन से दर्शित होता है कि उसका ज्योति से सम्पर्क पार्क में हुआ था । दोनों के मध्य मित्रता हो गई थी और जब वह अपने गांव गई थी तब भी दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में रहती थीं । इसके पश्चात्, अभिकथित रूप से उसको ज्योति और वर्तमान अपीलार्थी ने वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था । तथापि, आहत ने इस बाबत कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसको इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि ज्योति यौन व्यापार में अन्तर्वलित है, वह ज्योति के साथ क्यों रहती थी । प्रकटतः, "एक्स" सम्पूर्ण प्रकरण के दौरान इच्छुक और सहमति प्रदान करने वाली पक्ष थी । आहत के कथन का स्वतंत्र पुष्टिकरण, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है, के बिना अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता ।

11. **सदाशिव रामाराव हेडबे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को दोहराते हुए कि किसी बलात्संग के मामले में अभियुक्त को अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि उसका

---

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 92.

परिसाक्ष्य न्यायालय के विवेक में विश्वास को बढ़ाने वाला हो, सावधान किया कि न्यायालय को ऐसे परिसाक्ष्य को स्वीकार करते समय अत्यंत सावधान होना चाहिए जब संपूर्ण मामला अधिसंभाव्यता पर आधारित हो और उसके घटित होने की संभाव्यता मात्र हो । माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभिनिर्धारित किया वह निम्नलिखित है :–

"यह सत्य है कि बलात्संग के मामले में, अभियुक्त को अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि वह परिसाक्ष्य न्यायालय के विवेक में विश्वास बढ़ाने वाला हो । यदि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया वृत्तांत किसी चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है या परिवेशी परिस्थितियां अत्यंत अधिसंभाव्य हैं और अभियोक्त्री द्वारा किए गए पक्षकथन का समर्थन नहीं करती हैं, तो न्यायालय मात्र अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही नहीं करेगा । न्यायालयों को अभियोक्त्री की एकमात्र परिसाक्ष्य को स्वीकार करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए यदि संपूर्ण मामला अधिसंभाव्यताओं पर आधारित हो और उन अधिसंभाव्यताओं के घटित होने की संभाव्यता न हो ।"

12. **अब्बास अहमद चौधरी** बनाम **असम राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति करते हुए अभिनिर्धारित किया कि लैंगिक आक्रमण के मामले को किसी अन्य मामले की भांति युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए और इस बाबत कोई उपधारणा नहीं है कि अभियोक्त्री संपूर्ण वृत्तांत सत्यतापूर्वक ही बताएगी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभिनिर्धारित किया वह अभिनिर्धारित है :–

"यद्यपि अभियोक्त्री के कथन को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए किन्तु तत्समय यह व्यापक सिद्धांत कि अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए, समान रूप से बलात्संग के मामलों में भी लागू होता है और इस बाबत कोई उपधारणा नहीं होनी चाहिए कि अभियोक्त्री संपूर्ण वृत्तांत सदैव ही सत्यतापूर्वक बताएगी । हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में, न केवल आहत महिला द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य अत्यंत विवादित और अविश्वसनीय है, बल्कि उसके परिसाक्ष्य को डी. डब्ल्यू.-1 के परिसाक्ष्य द्वारा

[1] (2010) 12 एस. सी. सी. 115 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 742.

पूर्णतया धराशायी कर दिया गया है ।"

13. **नरेन्द्र कुमार** बनाम **राज्य (दिल्ली राज्य क्षेत्र)**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :–

> "23. न्यायालयों को बलात्संग के आरोप का सामना करने वाले अभियुक्त का विचारण करते हुए अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए और मामले की व्यापक अधिसंभाव्यताओं का परीक्षण करना चाहिए और साक्षियों के साक्ष्य में मामूली अन्तर्विरोधों या अनावश्यक विसंगतताओं, जो सारभूत प्रकृति के न हों, से प्रभावित नहीं होना चाहिए ।
>
> तथापि, बलात्संग के मामले में भी इस बात को साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है कि अपराध के प्रत्येक घटक को, जिसको वह साबित करना चाहता है, निश्चायक रूप से साबित किया जाए और यह भार कभी भी अंतरित नहीं होता । यह स्पष्ट करना प्रतिरक्षा पक्ष के कर्तव्य का भाग नहीं है कि किसी बलात्संग के मामले में आहत या अन्य साक्षियों ने कैसे और क्यों अभियुक्त को असत्य रूप से अन्तर्वलित कर दिया है । अभियोजन के पक्षकथन को अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए और वह प्रतिरक्षा पक्ष के पक्षकथन की कमजोरियों से लाभ नहीं ले सकता । चाहे अभियुक्त के विरुद्ध संदेह कितना भी अधिक हो और न्यायालय का नैतिक विश्वास और दृढ़ता कितनी भी दृढ़ क्यों न हो फिर भी जब तक अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे अभिलेख पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य और सामग्री के आधार पर साबित नहीं हो जाता, उसको अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की आरम्भिक उपधारणा होती है और अभियोजन को विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा उसके विरुद्ध अपराध को साबित करना होता है । अभियुक्त प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है [देखें – तुका राम **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (1979) 2 एस. सी. सी. 143 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 185 और उदय **बनाम** कर्नाटक राज्य 2003 II ए. डी. (एस. सी.) 358 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639] ।

---

[1] (2012) 7 एस. सी. सी. 171 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2281.

24. अभियोजन को अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना चाहिए और वह प्रतिरक्षा पक्ष के पक्षकथन की कमजोरियों से लाभ नहीं ले सकता । अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर उचित विधिक साक्ष्य और सामग्री होनी चाहिए । दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है परंतु यह तब जबकि उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो । तथापि, यदि न्यायालय को अभियोक्त्री के वृत्तांत को स्वीकार करने के पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं, तो न्यायालय उनकी पुष्टि करा सकता है । यदि साक्ष्य को संपूर्णता में पढ़ा जाए और अभियोक्त्री द्वारा दर्शित घटना अधिसंभाव्य पाई जाती है, तो अभियोक्त्री का पक्षकथन अस्वीकार किए जाने योग्य हो जाता है ।"

14. परिणामतः, अपील मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाएगा यदि उसको किसी अन्य मामले में निरुद्ध किया जाना वांछित न हो ।

15. विचारण न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ तुरंत वापस भेज दिया जाए ।

16. मामले की सूचना जेल अधीक्षक को भेज दी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

(2017) 2 दा. नि. प. 276 **मध्य प्रदेश**

शिवराम साहू

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 9 दिसंबर, 2016

न्यायमूर्ति एस. के. सेठ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304, भाग-I, 300 – हत्या – मृतक द्वारा अभियुक्त को थप्पड़ मारना – अभियुक्त द्वारा सर्विस

रिवाल्वर से गोली चलाया जाना – मृतक का शव से पांच या अधिक गोली निकाला जाना – हत्या की दोषसिद्धि – जब यह साबित हो जाता है कि गोली अभियुक्त ने मारी है तो न्यायालय ने दोषसिद्ध करने में सही दोषी ठहराया है ।

संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि मामले में यह विवाद नहीं किया गया है कि धुमारी लाल (मृतक) और उसका भाई भगवान दास अभि. सा. 10 और उनका चचेरा भाई चमारु अभि. सा. 9 ग्राम बाहमनी के निवासी हैं और अपीलार्थी घटना की तारीख की सुबह उक्त ग्राम में गया हुआ था । पंचम अभि. सा. 8 द्वारा इस घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 दर्ज की गई थी जो ग्राम कोतवार, पुलिस थाना बरेला, जिला जबलपुर का निवासी है । मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया गया । शव की मृत्युसमीक्षा करने के पश्चात् उसे शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया । डा. कुपरेले अभि. सा. 12 द्वारा शवपरीक्षण किया गया था जिन्होंने मृतक की मानव वध की पुष्टि की । शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12 है । इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक के संकास्थि वक्ष और अन्य भागों में पांच बंदूक की गोलियां पाई गईं हैं जिनसे शरीर के भाग में कालापन था । मस्तिष्क में क्षति सं. 1 से बुलेट निकाली गई थी और डा. कुपरेले द्वारा उसे मुहरबंद करके पुलिस को सौंप दिया गया था । मृत्यु 30 घंटे के अंदर हुई थी । डा. कुपरेले के अनुसार मृत्यु तीव्र रक्तस्राव के कारण हुई थी जो नाजुक अंगों पर बंदूक की गोलियों से क्षतियां कारित की गईं थीं । विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस धारा का प्रथम पैरा, आपराधिक मानव वध के अपराध पर लागू होता है न कि हत्या की कोटि में आने वाला अपराध । ऐसी हत्या आपराधिक मानव वध के विशिष्ट प्ररूप में ही एकमात्र से आता है । प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध है, परंतु उसके विपरीत नहीं है । जब कोई ऐसा कार्य जिससे सआशय मृत्यु कारित हो जाती है, यह हत्या है तथापि, इस संबंध में कतिपय अपवाद है । वर्तमान अपील में हम अपवाद 1 के बारे में विचार करते हैं जिसमें यह उपबंध किया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन के सहनियंत्रण के शक्ति से वंचित हो जाता है और व्यक्ति की हत्या हो जाती है जिस व्यक्ति ने ऐसा प्रकोपन किया या किसी गलती या दुर्घटनावश ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है तब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है ।

उपरोक्त निर्दिष्ट स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रकोपन यानी मृतक द्वारा अभियुक्त को थप्पड़ मारने से अपीलार्थी का अचानक प्रकोपन में आ जाना जिससे कि मृतक के शरीर में पांच या उससे अधिक गोली दाग दी जाए । अतः हम उपरोक्त दलीलों को अस्वीकार करते हैं कि मामला दंड संहिता की धारा 304, भाग I के अंतर्गत आएगा । (पैरा 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 1667.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से —

प्रत्यर्थी की ओर से —

न्यायमूर्ति एस. के. सेठ – यह अपील 2004 के सेशन विचारण सं. 146 में सेशन न्यायाधीश जबलपुर द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश से व्यथित होकर फाइल की गई है जिसमें अपीलार्थी को आजीवन कारावास और 10,000/- रुपए जुर्माना से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है ।

2. अपीलार्थी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में हेड कांस्टेबल है । उसे ग्राम बाहमनी पुलिस थाना बरेला जिला जबलपुर में प्रातः लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न तारीख 2 मई, 2003 को धुमारी लाल को गोली मारने के आरोप में विचारण न्यायालय के समक्ष लाया गया है ।

3. मामले में यह विवाद नहीं किया गया है कि धुमारी लाल (मृतक) और उसका भाई भगवान दास अभि. सा. 10 और उनका चचेरा भाई चमारु अभि. सा. 9 ग्राम बाहमनी के निवासी हैं और अपीलार्थी घटना की तारीख की सुबह उक्त ग्राम में गया हुआ था ।

3क. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि धुमारी लाल ईंट भट्टी का मालिक था और उसने अपीलार्थी को 10,000/- रुपए की ईंटें दी थीं । तारीख 2 मई, 2003 को अपीलार्थी अपनी धनराशि की वसूली के लिए ग्राम बाहमनी गया हुआ था जो उसे अग्रिम रूप में चमारु अभि. सा. 9 के समक्ष दी गई थी । उनकी बातों को सुनकर धुमारी लाल वहां पहुंचा और ईंटों को देने के बाबत अपनी बकाया राशि तय करने के लिए अपीलार्थी से कहा । इस पर अपीलार्थी ने अपना विवेक खो दिया और धुमारी लाल को दो थप्पड़ मारे और जिसके बदले में अभियुक्त को एक थप्पड़ मारा । इस बात को देखते हुए अभियुक्त अत्यधिक क्रोधित हो गया

और उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकाल दी और धुमारी लाल पर लगातार तीन गोलियां बरसाईं जो मुंह के बल आगे गिर गया और तब अपीलार्थी ने उसके पीछे भी गोली मारी और उसके शरीर के संकास्थि क्षेत्र पर गोली मारकर उसने यह कहा कि तुम अपना हिसाब-किताब तय करो । इस प्रकार आहत का यह विवाद एक छोटा सा मामला था ।

4. पंचम अभि. सा. 8 द्वारा इस घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 दर्ज की गई थी जो ग्राम कोतवार, पुलिस थाना बारेला, जिला जबलपुर का निवासी है । मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया गया । शव की मृत्युसमीक्षा करने के पश्चात् उसे शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया । डा. कुपरेले अभि. सा. 12 द्वारा शवपरीक्षण किया गया था जिन्होंने मृतक की मानव वध की पुष्टि की । शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12 है । इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक के संकास्थि वक्ष और अन्य भागों में पांच बंदूक की गोलियां पाई गईं हैं जिनसे शरीर के भाग में कालापन था । मस्तिष्क में क्षति सं. 1 से बुलेट निकाली गई थी और डा. कुपरेले द्वारा उसे मुहरबंद करके पुलिस को सौंप दिया गया था । मृत्यु 30 घंटे के अंदर हुई थी । डा. कुपरेले के अनुसार मृत्यु तीव्र रक्तस्राव के कारण हुई थी जो नाजुक अंगों पर बंदूक की गोलियों से क्षतियां कारित की गईं थीं ।

5. अपीलार्थी को लगभग 4 मास पश्चात् गिरफ्तार किया गया था और उसकी सर्विस रिवाल्वर जिसमें छह राउंड थे अभिग्रहण ज्ञापन द्वारा अभिगृहीत किया गया था । प्रदर्श पी. 1 के अनुसार अभिग्रहण ज्ञापन में ब्योरेवार वृत्तांत दिए गए हैं ।

6. मृतक के शव से एकत्रित किया गया ब्लड और अभियुक्त से बरामद किया गया सर्विस रिवॉल्वर फोरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया था तथा रिपोर्ट प्रदर्श 17 के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि मृतक की बंदूक की गोलियों से क्षतियों के कारण मृत्यु हुई थी ।

7. अपीलार्थी ने अपने दोषी होने से इनकार किया और आरोप के उत्तर देने में कोई भी शब्द व्यक्त नहीं किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षा में अभियुक्त ने यह बात बताई कि घटना के समय पर जो मारपीट की घटना घटी वह संपत्ति विवाद से संबंधित है और इस घटना के घटने से पूर्व वह चला गया । बंदूक की गोलियों से क्षतियां सर्विस रिवाल्वर द्वारा कारित नहीं हुईं थीं बल्कि देसी कट्टे से कारित हुईं जिसे चमारु द्वारा लाया गया था । इन सब बातों के पीछे अभियुक्त

अपीलार्थी ने अपने पक्षकथन के समर्थन में एक प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा कराई ।

8. अभियोजन साक्ष्य का अवलंब लेते हुए खास तौर पर वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रदर्श पी. 17 जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु सर्विस रिवाल्वर 0.38 बोर की बंदूक की गोलियों से क्षतियों के कारण हुई थी न कि देसी कट्टा से क्योंकि अभियुक्त ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास सहित जुर्माने से दोषसिद्ध किया गया है । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304, भाग-I से भी कम दोषसिद्धि के दंड को भोगने की वैकल्पिक दलील को भी अस्वीकार कर दिया था ।

9. अभियुक्त ने इन दोनों दंडों से व्यथित होकर अपील फाइल की ।

10. इस प्रक्रम पर हमारे समक्ष यह विवाद नहीं किया गया है कि धुमारी लाल (मृतक) की बंदूक की गोलियों से क्षतियों के कारण मृत्यु हुई थी । अन्यथा भी इस तथ्य की डा. कुपरेले अभि. सा. 12 के साक्ष्य से तथा शव-परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 12 से व्यापक रूप से सिद्ध हुआ । डा. कुपरेले अभि. सा. 12 के साक्ष्य के अनुसार मृतक की मृत्यु रूप बंदूक की गोलियों की क्षतियों के कारण तीव्र रक्तस्राव और गहरे आघात जो नाजुक अंगों पर कारित हुई थी के परिणामस्वरूप मानवघाती मृत्यु है । शवपरीक्षण रिपोर्ट में डा. कुपरेले अभि. सा. 12 ने यह पाया है कि मृतक को काफी नजदीक से पांच बंदूक की गोलियों के घाव हुए थे । वास्तविक रूप में डा. कुपरेले अभि. सा. 12 से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई जब वह साक्षी कठघरे में खड़ा था । चिकित्सा परिसाक्ष्य की प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा सम्यक् रूप से संपुष्टि की गई है । हमारी राय में यह मुद्दा स्पष्ट है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखने को पर्याप्त है परंतु हमें अपीलार्थी के काउंसेल के निवेदनों पर विचार करते समय अन्य साक्ष्य पर भी ध्यान देना चाहिए ।

11. आरोपी को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने संपूर्ण घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में चमारु अभि. सा. 9 की परीक्षा की । उसने संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है । और ऐसा ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भगवान दास अभि. सा. 10 ने भी प्रकट किया है । विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य का अवलंब लिया है और हम कोई

भिन्न मत व्यक्त करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । इनकी साक्ष्य की फोरेंसिक रिपोर्ट प्रदर्श 17 द्वारा पूर्ण रूप से संपुष्टि हुई है और इस पर मामले को अंतिम रूप से तय किया गया है ।

12. अभियुक्त ने अपने और चमारु अभि. सा. 9 के बीच कुछ संप्रति संव्यवहार के अभिलेखों को लाकर के संदेह पैदा करने की कोशिश की और इस निमित्त प्रतिरक्षा में (देखिए प्रदर्श डी. 1 और प्रदर्श डी. 2) दस्तावेजों को भी फाइल किया गया । हमारे अनुसार इन सभी बातों को देखते हुए इस मामले में विनिश्चय करने के लिए तनिक भी संदेह प्रकट करने की कोई सुसंगतता नहीं है चाहे अभियुक्त मानवघाती मृत्यु का दोषी हो या नहीं ।

13. अभियुक्त के बारे में अपनी प्रतिरक्षा में किए गए कृत्य पर अभिवाक् किया जाना प्रतीत होता है जैसाकि दो अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रतिरक्षा से प्रकट है । परंतु इस अभिवाक् पर इस अपील में अस्पष्ट होने के कारण विचार नहीं किया जा सकता । निचले न्यायालय तथा इस न्यायालय में किया गया द्वितीय अभिवाक् यह था कि अचानक गंभीर प्रकोपन की वजह से अपीलार्थी ने प्रतिकार रूप में मृतक पर बंदूक से गोलियां दाग दीं जिसके परिणामस्वरूप क्षतियां प्रकट हुईं । द्वितीय आधार को गंभीरतापूर्वक हमारे समक्ष उठाया गया है ।

14. दंड संहिता की धारा 304 का परिशीलन करने पर निम्न प्रकार है :–

> "304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड – जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया गया है तो वह (आजीवन कारावास) से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;
>
> अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी

अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।"

15. इस धारा का प्रथम पैरा, आपराधिक मानव वध के अपराध पर लागू होता है न कि हत्या की कोटि में आने वाला अपराध । ऐसी हत्या आपराधिक मानव वध के विशिष्ट प्ररूप में ही एकमात्र से आता है । प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध है, परंतु उसके विपरीत नहीं है । जब कोई ऐसा कार्य जिससे सआशय मृत्यु कारित हो जाती है, यह हत्या है तथापि, इस संबंध में कतिपय अपवाद है । वर्तमान अपील में हम अपवाद 1 के बारे में विचार करते हैं जिसमें यह उपबंध किया गया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन के सहनियंत्रण के शक्ति से वंचित हो जाता है और व्यक्ति की हत्या हो जाती है जिस व्यक्ति ने ऐसा प्रकोपन किया या किसी गलती या दुर्घटनावश ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है तब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है । उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है :–

(i) यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो ।

(ii) यह कि यह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवकों के शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो ।

(iii) यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हों ।

स्पष्टीकरण – प्रकोपन इतना गंभीर अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दें, यह तथ्य का प्रश्न है ।

16. उपरोक्त निर्दिष्ट स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रकोपन यानी मृतक द्वारा अभियुक्त को थप्पड़ मारने से अपीलार्थी का अचानक प्रकोपन में आ जाना जिससे कि मृतक के शरीर में पांच या उससे अधिक गोली दाग दी जाए । अतः हम उपरोक्त दलीलों को अस्वीकार करते हैं कि मामला दंड संहिता की धारा 304, भाग-I के अंतर्गत आएगा ।

17. विचार के लिए कोई अन्य प्रश्न शेष नहीं रह जाता है ।

18. मामले का परिणाम यह है कि अपील बिना गुणागुण के है और इस प्रकार यह खारिज किए जाने योग्य है । तद्नुसार आदेश किया गया ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2017) 2 दा. नि. प. 283 **हिमाचल प्रदेश**

सुभाष चंद

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 3 अक्तूबर, 2016

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304क, 278, 337 – असावधानी से मृत्यु कारित किया जाना – आवेदक-अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसके द्वारा स्कूटर से मृतक को चोट पहुंचाई गई परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई – साक्षियों का परिसाक्ष्य, अकाट्य और विश्वसनीय है अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा दी है कि मृतक को मारुति कार से टक्कर लगी, यह बात कहना मिथ्या है – आवेदक-अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) – धारा 4 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 304क, 279 और 337] – निर्मुक्त करने की शक्ति – असावधानी से स्कूटर चलाकर मृत्यु कारित किया जाना – इस तथ्य की स्पष्ट साक्ष्य से पुष्टि होना – आवेदक-अभियुक्त की आयु पर विचार किया गया तथा आवेदक-अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है – यह तथ्य प्रकट हुआ है कि यह दुर्घटना 23 वर्ष पूर्व घटित हुई, इसलिए दंड को एक वर्ष से घटाकर पंद्रह दिन किया जाता है ।

संक्षेप में, अभिलेख से जो तथ्य प्रकट हुए हैं उनके बारे में यह कहा गया है कि तारीख 17 मार्च, 1993 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न पुलिस ने चिकित्सा अधिकारी एस. डी. एच. कांगड़ा अस्पताल से सूचना प्राप्त की

कि जहां दुर्घटना के पश्चात् आहत भगवान दास भर्ती हुआ है । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि चिकित्सा अधिकारी ने लिखित में यह राय व्यक्त की कि आहत कोई भी कथन करने की स्थिति में नहीं है । तद्नुसार शिकायतकर्ता स्वरूप कुमार का कथन अभिलिखित किया गया था, जिन्होंने पुलिस से यह कथन किया कि तारीख 17 मार्च, 1993 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न वह स्व. श्री भगवान दास के साथ कचहरी से मतौर वापस लौट रहा था तब स्कूटर जिसका सं. जेके 02 5747 मतौर से आ रहा था जिसे अभियुक्त-आवेदक द्वारा चलाया जा रहा था । शिकायतकर्ता ने पुलिस के समक्ष यह भी कथन किया कि अभियुक्त की पत्नी बच्चे के साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी और स्कूटर बहुत तेज गति से उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । शिकायतकर्ता के अनुसार आवेदक-अभियुक्त ने मृतक भगवान दास जो गलत दिशा से आ रहा था, को उसे मोड़ पर आघात पहुंचाया । जिसके परिणामस्वरूप उसके पैर पर क्षतियां पहुंचीं और वह नीचे गिर गया । शिकायतकर्ता ने यह भी रिपोर्ट की है कि अभियुक्त की पत्नी और उसके बच्चे को भी क्षतियां पहुंचीं । शिकायतकर्ता ने निर्दिष्ट रूप से पुलिस को यह भी रिपोर्ट दी कि दुर्घटना अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक स्कूटर चलाने से घटित हुई जो स्कूटर सं. जेके 02 5747 को चला रहा था । स्वरूप कुमार द्वारा दर्ज की गई पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । हेड कांस्टेबल कृष्ण दत्त ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् अन्वेषण कार्य पूरा किया और घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए । परंतु दुर्भाग्यवश आहत भगवान दास की दुर्घटना के कारण अगले दिन क्षतियों से मृत्यु हो गई और मामले को दंड संहिता की धारा 279/304 के अधीन दंडनीय अपराध में संपरिवर्तित कर दिया गया । पुलिस ने स्कूटर को भी अपने कब्जे में लिया और उसे तकनीकी जांच के लिए रखा गया । अन्वेषक अधिकारी ने अस्पताल से एम. एल. सी. और शव-परीक्षा रिपोर्ट भी प्राप्त की । पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् आवेदक-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337 और 304क के अधीन अपराध किए जाने का दोषी पाया और तद्नुसार सक्षम विधि के न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायालय सं. 2 कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं समाधान करने के पश्चात् कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, इसलिए, अभियोजन के लिए नोटिस दिया गया जिस

पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का अभियुक्त को दोषी पाया और उसे दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया जैसाकि पहले ही ऊपर वर्णित किया गया है । वर्तमान आवेदक-अभियुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-द्वितीय, कांगड़ा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन अपील फाइल की जिन्होंने तारीख 23 अक्तूबर, 2007 को निर्णय पारित करके अपील को खारिज कर दिया । इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् पूरी तरह आश्वस्त हुआ है कि मृतक को स्कूटर द्वारा चोट पहुंचाई गई थी जिसे अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था और मारुति कार को बीच में लाना भ्रम उत्पन्न करने का षड्यंत्र था और इस प्रकार इस न्यायालय ने निचले न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों में कोई अवैधता और दुर्बलता नहीं पाई है और इसलिए उन्हें कायम रखा जाता है । वर्तमान मामले में अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले श्री विवेक सिंह ठाकुर, अधिवक्ता द्वारा विधि पर सोच-विचार करने के पश्चात् यह उद्धृत किया गया कि मेरा यह विचार है कि वर्तमान मामले में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का फायदा मंजूर करना वर्तमान मामले में प्रयोज्य नहीं हो सकता । ऊपर उद्धृत निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का फायदा देकर अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायालय की पद्धति को ह्रास करता है । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जहां अभिभूत करने वाले साक्ष्य से यह इंगित है कि गाड़ी अभियुक्त द्वारा अत्यधिक उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाई जा रही थी तो ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई उदारता नहीं बरती जा सकती । (पैरा 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 5 एस. सी. सी. 182 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 2459 (एस. सी.) : **पंजाब राज्य** बनाम **सौरभ बक्शी** ;	23

[1999] (1999) 2 एस. सी. सी. 452 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 981 : **केरल राज्य** बनाम **पुथुमन्ना इलाथ जाथवेदन नम्बुदिरी** ; 6

[1998] 1998 (1) एस. एल. जे. 58. : **यदुवीर सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 22

[1997] (1997) 4 एस. सी. सी. 241 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 987 : **कृष्णन् और एक अन्य** बनाम **कृष्णावेणी और एक अन्य ।** 9

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2007 का पुनरीक्षण आवेदन सं. 152.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के अधीन दांडिक पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री विवेक सिंह ठाकुर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री रूपेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर महाधिवक्ता साथ में रजत चौहान

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन फाइल किया गया है जिसमें दांडिक अपील सं. 32-के/एक्स/2002 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वितीय, कांगड़ा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 23 अक्तूबर, 2007 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, उक्त निर्णय में दांडिक मामला सं. 387-II/96/93 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 20 सितम्बर, 2002 को पारित किए गए निर्णय की अभिपुष्टि की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-आवेदक को दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए तीन मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है । इसके अतिरिक्त, आवेदक को दंड संहिता की धारा 337 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए तीन मास का साधारण कारावास भोगने और दंड संहिता की धारा 304क के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए छह मास की अवधि का कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

2. संक्षेप में, अभिलेख से जो तथ्य प्रकट हुए हैं उनके बारे में यह कहा गया है कि तारीख 17 मार्च, 1993 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न पुलिस ने चिकित्सा अधिकारी एस. डी. एच. कांगड़ा अस्पताल से सूचना प्राप्त की कि जहां दुर्घटना के पश्चात् आहत भगवान दास भर्ती हुआ है । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि चिकित्सा अधिकारी ने लिखित में यह राय व्यक्त की कि आहत कोई भी कथन करने की स्थिति में नहीं है । तद्नुसार शिकायतकर्ता स्वरूप कुमार का कथन अभिलिखित किया गया था, जिन्होंने पुलिस से यह कथन किया कि तारीख 17 मार्च, 1993 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न वह स्व. श्री भगवान दास के साथ कचहरी से मतौर वापस लौट रहा था तब स्कूटर जिसका सं. जेके 02 5747 मतौर से आ रहा था जिसे अभियुक्त-आवेदक द्वारा चलाया जा रहा था । शिकायतकर्ता ने पुलिस के समक्ष यह भी कथन किया कि अभियुक्त की पत्नी बच्चे के साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी और स्कूटर बहुत तेज गति से उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । शिकायतकर्ता के अनुसार आवेदक-अभियुक्त ने मृतक भगवान दास जो गलत दिशा से आ रहा था, को उसे मोड़ पर आघात पहुंचाया । जिसके परिणामस्वरूप उसके पैर पर क्षतियां पहुंचीं और वह नीचे गिर गया । शिकायतकर्ता ने यह भी रिपोर्ट की है कि अभियुक्त की पत्नी और उसके बच्चे को भी क्षतियां पहुंचीं । शिकायतकर्ता ने निर्दिष्ट रूप से पुलिस को यह भी रिपोर्ट दी कि दुर्घटना अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक स्कूटर चलाने से घटित हुई जो स्कूटर सं. जेके 02 5747 को चला रहा था । स्वरूप कुमार द्वारा दर्ज की गई पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । हेड कांस्टेबल कृष्ण दत्त ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् अन्वेषण कार्य पूरा किया और घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए । परंतु दुर्भाग्यवश आहत भगवान दास की दुर्घटना के कारण अगले दिन क्षतियों से मृत्यु हो गई और मामले को दंड संहिता की धारा 279/304 के अधीन दंडनीय अपराध में संपरिवर्तित कर दिया गया । पुलिस ने स्कूटर को भी अपने कब्जे में लिया और उसे तकनीकी जांच के लिए रखा गया । अन्वेषक अधिकारी ने अस्पताल से एम. एल. सी. और शव-परीक्षा रिपोर्ट भी प्राप्त की । पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् आवेदक-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337 और 304क के अधीन अपराध किए जाने का दोषी पाया और तद्नुसार सक्षम विधि के न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया ।

3. विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायालय सं. 2 कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं समाधान करने के पश्चात् कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, इसलिए, अभियोजन के लिए नोटिस दिया गया जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का अभियुक्त को दोषी पाया और उसे दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया जैसाकि पहले ही ऊपर वर्णित किया गया है ।

4. वर्तमान आवेदक-अभियुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-द्वितीय, कांगड़ा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन अपील फाइल की जिन्होंने तारीख 23 अक्तूबर, 2007 को निर्णय पारित करके अपील को खारिज कर दिया । इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है ।

5. आवेदक का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री विवेक सिंह ठाकुर, अधिवक्ता ने पुरजोर यह दलील दी कि निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय कायम योग्य नहीं हैं क्योंकि वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यांकन पर आधारित नहीं है । इस प्रकार उन्हें अभिखंडित और अपास्त किया जाए । श्री ठाकुर ने आगे यह भी दलील दी कि निचला विचारण न्यायालय ने आवेदक-अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित करते समय साक्षियों के कथनों का गलत निर्वचन किया है खासतौर पर स्कूटर के पिछली सीट पर बैठे हुए प्रतिरक्षा साक्षी 1 के कथन का जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि मृतक भगवान दास को स्कूटर द्वारा आघात नहीं पहुंचाया गया था बल्कि मारुति कार द्वारा जो अत्यधिक तेज गति से मतौर से आई थी । श्री ठाकुर ने आगे यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में अभियोजन साक्षियों के कथनों पर असमयिक विश्वास किया है क्योंकि अभिलेख पर ऐसा वशीभूत करने वाला साक्ष्य प्रकट हुआ है जिससे कि यह संकेत मिलता है कि मृतक भगवान दास को स्कूटर द्वारा आघात नहीं पहुंचाया गया था बल्कि उसे मारुति कार द्वारा आघात पहुंचाया गया था जिसे पुलिस द्वारा जानबूझकर

मारुति कार के ड्राइवर की मदद करने के विचार से अभिरक्षा में नहीं लिया गया था । श्री विवेक ने आगे यह कथन किया कि शनाख्त के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक-अभियुक्त को मृतक या अभियोजन साक्षियों में से किसी के द्वारा आवेदक-अभियुक्त की पहचान की गई हो क्योंकि उनमें से किसी ने भी अभिकथित दुर्घटना के समय पर वास्तविक रूप से उसे नहीं देखा था । इसलिए विचारण न्यायालय ने वर्तमान आवेदक-अभियुक्त की दोषसिद्धि अभिलिखित करते समय गंभीर अवैधानिकता बरती है और ऐसा केवल हितबद्ध साक्षियों के कथनों पर हुआ है । अपने पूर्वोक्त दलील को सिद्ध करने के विचार से श्री ठाकुर ने अभियोजन साक्षियों द्वारा वर्णित कथनों की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया जिससे यह संकेत मिलता है कि तात्विक अभियोजन साक्षी जिनके बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का अभिकथन किया गया था, ने स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वे भगवान दास के नातेदार हैं और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा आवेदक की दोषसिद्धि अभिलिखित करते समय अत्यधिक सावधानी का प्रयोग किया जाना चाहिए था जब हितबद्ध साक्षियों द्वारा किए गए अभिसाक्ष्य का अवलंब लिया गया । उन्होंने घटनास्थल के नक्शे के बारे में इस न्यायालय का ध्यान दिलाया जिससे यह संकेत मिलता है कि घटनास्थल के चारों ओर कई दुकानें थीं परंतु अभियोजन पक्ष उन दुकानों को भी अच्छी तरह से जानता था और उसने उन दुकानों से किसी स्वतंत्र साक्षी या व्यक्ति को उद्धृत नहीं किया क्योंकि ऐसा साक्षी युक्तियुक्त संदेह के परे इस मामले को साबित कर सकता था । श्री ठाकुर ने अपनी दलीलों का समापन करते हुए पुरजोर यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य में तात्विक विभेद हैं जो अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हैं और निचले न्यायालय द्वारा मात्र अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के कथनों के आधार पर किसी तरह की दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती थी जो विश्वसनीय नहीं है बल्कि हितबद्ध साक्षी हैं । श्री ठाकुर ने यह भी अनुरोध किया कि ऐसी दशा में इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अभियुक्त जिस अपराध को किए जाने का दोषी है वह प्रथम अपराध का है और जिसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का फायदा दिया जा सकता है ।

6. इसके प्रतिकूल राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले श्री रूपेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर महाधिवक्ता जिनकी श्री रजत चौहान, विधि अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सहायता की गई है, ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है । श्री रूपेन्द्र ने

पुरजोर यह दलील दी कि आक्षेपित निर्णयों का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि ये निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित है और अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में समर्थ हुआ है । उन्होंने यह भी दलील दी कि मामले के वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों में कोई हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है जो इस न्यायालय के लिए आवश्यक हो जहां अभिलेख पर यह साबित हुआ हो कि अभियुक्त ने स्कूटर द्वारा मृतक भगवान दास को चोट पहुंचाई थी । श्री रूपेन्द्र ने अभियुक्त की इस प्रार्थना का भी विरोध किया है कि उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का फायदा दिया जाए । उन्होंने इस न्यायालय को यह भी पुनः ध्यान दिलाया कि ऐसे करने की बहुत सीमित शक्तियां हैं जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिस पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है खासतौर पर जब अभिलेख पर सम्यक् रूप से यह साबित हुआ हो कि निचले न्यायालयों ने मामले के प्रत्येक पहलू पर बड़ी बारीकी से विचार किया हो । इस संबंध में **केरल राज्य** बनाम **पुथुमन्ना इलाथ जाथवेदन नम्बुदिरी**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता के संबंध में उच्च न्यायालय किसी निष्कर्ष, दंड या आदेश की वैधता और सत्यता के बारे में अपना स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी भी कार्रवाई के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है । दूसरे शब्दों में, अधिकारिता पूर्ण पर्यवेक्षणीय अधिकारिता है जिसे न्याय की अपहानि को सही करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाता है । परंतु उक्त पुनरीक्षणीय शक्ति अपील न्यायालय की शक्ति के समतुल्य नहीं हो सकती और न इसे द्वितीय अपील अधिकारिता के रूप में भी नहीं माना जा सकता है । इसलिए साधारणतया उच्च न्यायालय के लिए यह समुचित होगा कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे और उस बात पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाले जब किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा अपील में पहले ही साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है जब तक कि उच्च न्यायालय की जानकारी में कोई मुख्य लक्षण प्रकट न होता हो जिससे न्याय की गंभीर अपहानि हो जाती है ।"

---

[1] (1999) 2 एस. सी. सी. 452 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 981.

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

8. यह बात सत्य है कि इस न्यायालय के पास अपनी पुनरीक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन अत्यधिक सीमित शक्तियां हैं परंतु वर्तमान मामले में जहां अभियुक्त को दोषसिद्धि और दंडादिष्ट किया गया है तो इसे न्याय के हित में अंगीकार किया जाना होगा जिससे कि यह सुनिश्चित करने के विचार से एकमात्र अभियोजन साक्षियों के कथनों की आलोचनात्मक परीक्षा की जा सके कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय प्रतिकूल नहीं हैं और वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यांकन करने पर आधारित है ।

9. जहां तक धारा 397 के अधीन पुनरीक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय इस न्यायालय की शक्ति की क्षेत्र का संबंध है, **कृष्णन् और एक अन्य** बनाम **कृष्णावेणी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामले में जहां न्यायालय ने ध्यान दिया है कि न्याय की विफलता या न्यायिकतंत्र या प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है और दंड या आदेश सही नहीं है, उच्च न्यायालय का एकमात्र कर्तव्य यह है कि न्याय की अपहानि या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या निम्न न्यायालयों द्वारा अपनी न्यायिक प्रक्रिया में या दंड आदेश की अवैधानिकता में कारित की गई अनियमितताओं/अशुद्धता को सही करना है । निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है :–

"8. धारा 483 का उद्देश्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण शक्ति को प्रदत्त करने के पीछे का प्रयोजन जो उच्च न्यायालय पर पर्यवेक्षण अधिकारिता के अंतर्गत विहित की गई है जिससे कि न्याय की अपहानि को रोकने या प्रक्रिया की अनियमितता को सही करने जिससे न्याय मिल सके । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति जिसे धारा 482 द्वारा सुरक्षित रखा गया है । इसलिए उच्च न्यायालय की शक्ति बहुत आज्ञापक है तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का अलग-अलग और सावधानीपूर्वक से प्रयोग किया जाना चाहिए जब सेशन न्यायाधीश ने धारा 397(1) के अधीन सामान्यतः पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है । तथापि, जब

[1] (1997) 4 एस. सी. सी. 241 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 987.

उच्च न्यायालय के ध्यान में यह आया है कि न्याय की विफलता या न्यायिक तंत्र या प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है और दंडादेश या आदेश सही नहीं है तब उच्च न्यायालय का एकमात्र कर्तव्य यह है कि प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की अपहानि को रोके या निम्न दांडिक न्यायालय द्वारा कारित की गई अनियमितताओं या अशुद्धियों को सही करे जो निम्न न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक प्रक्रिया या दंड या आदेश की अवैधता में की गई है ।''

10. अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों तथा निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर और पक्षकारों की ओर से हाजिर काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों का भी परिशीलन करने पर यह निर्विवाद है कि मृतक भगवान दास की तारीख 17 मार्च, 1993 को मतौर जिला कांगड़ा में घटित दुर्घटना के कारण और उस दुर्घटना में पहुंची हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हुई थी । यह भी विवाद नहीं किया गया है कि प्रश्नगत स्कूटर उस सुसंगत समय पर आवेदक-अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था । आवेदक-अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में दुर्घटना के बारे में विवाद नहीं किया है परंतु उसने अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया है कि मृतक भगवान दास को मारुति कार से उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक कार चलाने के कारण क्षति पहुंची थी जो मतौर की दिशा की ओर से बहुत तेज गति से आ रही थी और जिससे मृतक को चोट पहुंची और इसके पश्चात् स्कूटर जिसे उसके द्वारा चलाया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप वह और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी क्षतियां पहुंची । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन आवेदक के कथन का परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि उसके द्वारा दुर्घटना के बारे में विवाद नहीं किया गया है परंतु यह कथन किया गया है कि मृतक भगवान दास को पहुंची क्षतियां मारुति कार के ड्राइवर से हुई थी न कि उसके द्वारा ।

11. इस न्यायालय द्वारा मामले की कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर दिए गए संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया गया और उसे यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ होगा कि भगवान दास को आवेदक-अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक स्कूटर चलाने के वजह से क्षतियां पहुंचीं । यद्यपि आवेदक-अभियुक्त ने यह बताने का प्रयास किया कि उस सुसंगत समय पर एक

मारुति कार जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी जो मतौर की दिशा की ओर से आ रही थी जिसके ड्राइवर द्वारा सर्वप्रथम भगवान दास को चोट पहुंचाई गई और उस जगह पर स्कूटर पहुंचा । परंतु यह न्यायालय इस बारे में किसी भी साक्ष्य को लेने में असमर्थ है और ऐसा साक्ष्य आवेदक-अभियुक्त द्वारा अभिलेख पर मौखिक या दस्तावेजी रूप में देना चाहिए था जिससे कि यह संकेत मिलता कि उक्त दुर्घटना में एक मारुति कार शामिल थी और इस प्रकार इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष निकालने में भिन्न मत व्यक्त करने में कठिनाई का सामना किया ।

12. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के विचार से कुल मिलकार दस साक्षियों की परीक्षा की । अभि. सा. 1 स्वरूप कुमार जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह अभिकथित दुर्घटना के समय पर मृतक भगवान दास के साथ कचहरी से मतौर की ओर जा रहा था । उसने यह कथन किया कि वे सड़क के बाईं ओर चल रहे थे, उसी बीच में प्रश्नगत स्कूटर अत्यधिक तेज गति से आया और भगवान दास को चोट पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप उसको क्षतियां पहुंचीं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई । उसने यह भी कथन किया कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अपना कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क किया है जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मामले में अन्वेषण किए जाने से पूर्व औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि भगवान दास का रक्त बह रहा था जब उसे अस्पताल में ले जाया जा रहा था । उसने विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसको दिए गए सुझाव से इनकार किया है कि मारुति कार पालमपुर की ओर से पहुंची और भगवान दास को टक्कर मार दी । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि इसके पश्चात् कार ने स्कूटर को टक्कर मारी । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि स्कूटर सड़क पर पड़े हुए ग्रीट के कारण फिसला और तदोपरि स्कूटर सड़क के दाहिनी ओर चला गया । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा और मुख्य परीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि स्कूटर अत्यधिक तेज गति में था और अभियुक्त के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक दुर्घटना घटित हुई है क्योंकि वह सड़क पर गलत दिशा से आ रहा था और जिससे मृतक को चोट पहुंची । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि दुर्घटना कार

ड्राइवर के दोस्त के कारण घटित हुई न कि अभियुक्त-आवेदक के दोष के कारण ।

13. अभि. सा. 2 मेहर चंद एक अन्य साक्षी ने यह भी कथन किया कि स्कूटर मतौर की दिशा से पहुंचा जब मृतक और एक अन्य व्यक्ति सड़क पर आ रहे थे । उन्होंने यह भी कथन किया कि स्कूटर सवार ने आहत को चोट पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप वह बाद में क्षतियों के कारण मृत्यु के कगार पर पहुंच गया । उसके कथन में यह भी प्रकट हुआ है कि स्कूटर अत्यधिक तेज गति में था और अभियुक्त के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक दुर्घटना घटित हुई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि स्वरूप कुमार उसे नहीं जानता है और वह दुर्घटना के समय पर उस स्थल पर मौजूद था । उसने अभि. सा. 1 के भांति प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए सुझाव से इनकार किया है कि कार पालमपुर की दिशा से पहुंची थी और जिसने मृतक को चोट पहुंचाई और तत्पश्चात् स्कूटर से चोट पहुंची । उसने अपने समक्ष रखे गए इस सुझाव से इनकार किया है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से अपने समक्ष रखे गए सुझाव से भी इनकार किया है कि दुर्घटना मारुति कार से घटित हुई थी । अभि. सा. 3 स्वर्ण देवी ने यह कथन किया है कि 6.30 बजे अपराह्न स्कूटर अत्यधिक तेज गति से मतौर दिशा से आया और गलत दिशा से पहुंच कर भगवान दास को चोट पहुंचाई । तथा क्षति के कारण वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात से भी इनकार किया है कि कार पालमपुर की दिशा से पहुंची और कार के फिसलने की वजह से स्कूटर को आघात पहुंचा तथा कार के अत्यधिक गति के चलने की वजह से दुर्घटना घटित हुई । पूर्वोक्त साक्षी ने अपने समक्ष रखे गए इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसने मिथ्या रूप से अभिसाक्ष्य दिया ।

14. अभि. सा. 4 डा. ए. वी. गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी अस्पताल, कांगड़ा ने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त की पत्नी क्षतिग्रस्त सुषमा देवी की परीक्षा की जो कोली की निवासिनी है, देखिए एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क, सुभाष चंद का पुत्र बंटी जो कोली का निवासी है, देखिए एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख तथा सुभाष जो अमर सिंह का पुत्र है, कोली का निवासी है, देखिए एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ग तथा क्षतियों की प्रकृति के बारे में यह राय दी गई कि उनके शरीर पर साधारण क्षतियां थीं । तथापि, उसने यह भी कथन किया कि उसने मृतक भगवान

दास की परीक्षा की, देखिए एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/घ तथा क्षतियों की प्रकृति उसके शरीर पर गंभीर पाई गई थीं और उसे धर्मशाला भेजा गया था । अभि. सा. 10 डा. सुलक्षणा पुरी चिकित्सा अधिकारी ने मृतक भगवान दास के शव का शवपरीक्षण किया, देखिए शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क ।

15. अभि. सा. 5 दुर्गा दास ने स्कूटर की तकनीकी रूप से जांच की और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क के माध्यम से रिपोर्ट दी । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वह यह नहीं बता सकता कि स्कूटर का हैंडल कार के टकराव के कारण टूट सकता है ।

16. अभि. सा. 6 सहायक उप निरीक्षक दुनी चंद, अभि. सा. 7 हेड कांस्टेबल, उत्तम चंद और अभि. सा. 8 लेख राज औपचारिक साक्षी हैं तथा उस प्रक्रम पर सुसंगत नहीं हो सकते जब निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की सत्यता की परीक्षा की गई हो ।

17. अभि. सा. 9 सहायक उप निरीक्षक कृष्ण चंद अन्वेषक अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 17 मार्च, 1993 को एस. डी. एच. कांगड़ा से सूचना प्राप्त की और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन स्वरूप कुमार का कथन अभिलिखित किया जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क को अभिलिखित किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि उसने आहत के कथन को लेने के लिए आवेदन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ख) को पेश किया था । परंतु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे अस्वीकार किया गया था क्योंकि मृतक कथन करने की स्थिति में नहीं था । उसने यह कथन किया कि स्कूटर को बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/घ भी तैयार किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि वह यह नहीं कह सकता कि उसने श्रीमती सुषमा के कथन को अभिलिखित किया तथापि, बाद में उसने यह कथन किया कि उसने सभी क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के कथनों को अभिलिखित किया था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि साक्षी स्वरूप कुमार को विराता से बुलाया गया था । उसने स्पष्ट रूप से इस सुझाव से भी इनकार किया कि मारुति कार पालमपुर की दिशा से आ रही थी और जिसने भगवान दास को चोट पहुंचाई तथा इसके पश्चात् स्कूटर से चोट पहुंची । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि कार का पता नहीं लगाया गया था और अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला

फाइल किया गया था जबकि दुर्घटना कार ड्राइवर के दोस्त के कारण घटित हुई थी ।

18. सभी अभियोजन साक्षियों के कथनों का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर जैसाकि ऊपर चर्चा की गई, उससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि तारीख 17 मार्च, 1993 को मृतक भगवान दास को प्रश्नगत स्कूटर द्वारा चोट पहुंचाई गई जिससे आवेदक-अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था । उसके बारे में स्कूटर को अत्यधिक तेज गति के साथ अत्यधिक उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाना अभिकथित है । अभि. सा. 1 से 3 जिनके बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना कहा गया है, उन्होंने सामान्यतया यह कथन किया है कि तारीख 17 मार्च, 1993 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न से 7.00 बजे अपराह्न तक आवेदक-अभियुक्त द्वारा स्कूटर चलाया जा रहा था जिससे भगवान दास को चोट पहुंची जिसके परिणामस्वरूप उसे क्षतियां पहुंचीं और अन्ततोगत्वा क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने पर उन्हें कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया कि प्रतिरक्षा पक्ष अभियोजन साक्षियों के प्रतिकूल किसी बात के सार को प्रकट करने में समर्थ होता है । यद्यपि, प्रतिरक्षा के समक्ष यह भी सुझाव रखा गया कि मृतक को पालमपुर की ओर से आ रही मारुति कार द्वारा चोट पहुंचाई गई थी जिससे यह संकेत देने का प्रयास किया गया कि मृतक को आवेदक-अभियुक्त द्वारा चलाए जा रहे स्कूटर द्वारा चोट नहीं पहुंचाई गई थी बल्कि उसे मारुति कार द्वारा चोट पहुंचाई गई थी और उस कार द्वारा मृतक को चोट पहुंचाने के पश्चात् स्कूटर से मृतक को चोट पहुंचाई गई जिसके परिणामस्वरूप आवेदक उसकी पत्नी और बच्चे को साधारण क्षतियां भी पहुंची थीं परंतु किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उनके समक्ष रखे गए पूर्वोक्त सुझाव को स्वीकार नहीं किया । इन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की ओर से किए गए वृत्तांत की डाक्टर्स के कथनों द्वारा पूर्ण रूप से संपुष्टि की गई है सामान्यतः यह कथन किया है कि उसने मृतक की परीक्षा की थी जिसे गंभीर क्षतियां पहुंची थीं और जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई । अभि. सा. 10 सुश्री सुलक्षणा पुरी ने अभिलेख पर शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क साबित की । इसी तरह, अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 9) द्वारा वर्णित कथन का परिशीलन किया गया जिसकी पूर्वोक्त तात्विक साक्षियों द्वारा किए गए वृत्तांत से पूर्णतया संपुष्टि होती है । अन्वेषक अधिकारी से की गई प्रतिपरीक्षा से कहीं भी यह इंगित नहीं होता है कि

प्रतिरक्षा पक्ष उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में कही गई बातों के प्रतिकूल कुछ भी प्रकट करने में समर्थ हुआ था ।

19. मामले की पुनरावृत्ति करने पर यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों के समक्ष यह सुझाव रखा गया कि मृतक को कार द्वारा चोट पहुंचाई गई थी जिससे यह इंगित करने का प्रयास किया है कि भगवान दास को मारुति कार द्वारा चोट पहुंचाने के कारण क्षतियां हुईं परंतु यह न्यायालय इस बारे में किसी साक्ष्य को लेने में असमर्थ हुआ है, यह बात न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उक्त दुर्घटना में मारुति कार के शामिल होने के तथ्य को इंगित करने के लिए पेश किए गए अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को देने में असमर्थ रहा । उस सुसंगत समय पर अभियुक्त की पत्नी प्रतिरक्षा साक्षी 1 श्रीमती सुषमा देवी अपने बच्चे के साथ स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी हुई थी और उसने यह कथन किया है कि तारीख 17 मार्च, 1993 को पालमपुर की ओर से अत्यधिक तेज गति से आ रही मारुति कार के कारण दुर्घटना घटित हुई । उसने यह कथन किया कि कार से मृतक और इसके पश्चात् स्कूटर को क्षति पहुंची । उसने यह भी कथन किया कि कार गलत दिशा से पहुंची थी तथापि, उसने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह अस्पताल में भर्ती रही थी और अभियुक्त भी भर्ती रहा था । उसके अनुसार उसकी चिकित्सीय परीक्षा भी की गई थी, देखिए एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क । उसने यह भी कथन किया कि सड़क पक्की बनी हुई थी और पर्याप्त चौड़ी थी परंतु उसने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने स्कूटर को रोकने के लिए बलपूर्वक ब्रेक लगाया था । उसके कथन में यह भी बात प्रकट हुई है कि वह तथा उसका पति अभियुक्त-आवेदक ने मारुति कार के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पुलिस के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की है । जिस कार के बारे में मृतक को चोट पहुंचाने का अभिकथन किया गया है । प्रतिरक्षा साक्षी 1 के कथन को छोड़ कर अभिलेख पर कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि मृतक को कार द्वारा चोट पहुंचाई गई जैसाकि प्रतिरक्षा साक्षी 1 और अभियुक्त-आवेदक द्वारा दावा किया गया । परंतु प्रतिरक्षा साक्षी 1 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित आवेदक के कथनों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि स्कूटर आवेदक-अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था जो दुर्घटना में शामिल था । जिस वजह से मृतक भगवान दास का जीवन समाप्त हो गया था । अभियोजन साक्षियों में से

किसी ने भी प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दिए गए वृत्तांत की संपुष्टि नहीं की है कि मृतक को कार द्वारा चोट पहुंचाई गई थी बल्कि सभी अभियोजन साक्षियों ने समान रूप से यह कथन किया है कि मृतक भगवान दास को आवेदक द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक अत्यधिक तेज गति से स्कूटर चलाकर चोट पहुंचाई गई थी । इन अभियोजन साक्षियों से की गई प्रतिपरीक्षा की बारीकी से समीक्षा करने पर भी कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रतिरक्षा पक्ष ने सही समय पर उनको ऐसा सुझाव दिया था कि वे आवेदक-अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहे थे । इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष अभिलेख पर हेतु को साबित करने में समर्थ नहीं रहा था और किसी भी हेतु के बारे में अभियोजन साक्षियों ने आवेदक के विरुद्ध मिथ्या रूप से किए जाने का अभिसाक्ष्य नहीं दिया है ।

20. प्रतिरक्षा साक्षी 1 के कथन में यह बात प्रकट हुई है कि वह मृतक के निवास के नजदीक रहती है । यह बात भी समझ में नहीं आती है कि उसी स्थान के लोग आवेदक-अभियुक्त को मिथ्या रूप से क्यों आलिप्त करते हैं । उपरोक्त बातों के अलावा, इस न्यायालय ने अभि. सा. 2 द्वारा मिथ्या कथन करने के बारे में कोई कारण नहीं पाया कि मृतक स्कूटर द्वारा चोट पहुंचाए जाने के कारण क्षतियों से ग्रसित था न कि कार द्वारा । इसके अतिरिक्त, सभी अभियोजन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव से इनकार किया है कि मृतक को सर्वप्रथम कार द्वारा चोट पहुंचाई गई थी, इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर दिए गए संपूर्ण साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मारुति कार की बात को सामने लाकर संपूर्ण मुद्दे को जानबूझकर भ्रमित करने की कोशिश की । यह बात भी समझ में नहीं आती कि यदि पुलिस ने सदृश्य मारुति कार के ड्राइवर के विरुद्ध मामले को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया था तब आवेदक ने मामले में उल्लेख करते हुए पुलिस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के बारे में क्यों कार्रवाई नहीं की कि पुलिस द्वारा मामले में गंभीर अनियमितता बरती गई है ।

21. यह न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् पूरी तरह आश्वस्त हुआ है कि मृतक को स्कूटर द्वारा चोट पहुंचाई गई थी जिसे अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था और मारुति कार को बीच में लाना भ्रम उत्पन्न करने का षड्यंत्र था और इस प्रकार इस न्यायालय ने निचले न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों में कोई अवैधता और दुर्बलता नहीं पाई है और इसलिए उन्हें कायम रखा

जाता है ।

22. आवेदक-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने इस स्थिति का सामना करते हुए यह भी अनुरोध किया कि अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(ख) के अधीन परिवीक्षा का फायदा दिया जा सकता है । जिसमें उसकी आयु और उसके प्रथम अपराध को ध्यान में रखा जाए । उसने यह भी कथन किया कि इस मामले में दंड को कम करने वाली परिस्थितियों को देखने पर इस दुर्घटना को व्यतीत हुए 23 साल से भी अधिक हो चुके हैं और तारीख 20 सितम्बर, 2002 को निर्णय पारित करने के पश्चात् 14 वर्ष बीत चुके हैं, जिसके द्वारा अभियुक्त को सिद्धदोष किया गया था और वह विद्वान् सेशन न्यायाधीश कांगड़ा के न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान पहले से ही वेदना ग्रस्त है । पूर्वोक्त दलीलों के समर्थन में श्री ठाकुर ने **यदुवीर सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय पर इस न्यायालय का ध्यान भी दिलाया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "9. केवल गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियां जो यहां पर मौजूद हैं कि घटना की तारीख तथा इस पुनरीक्षण आवेदक के विनिश्चय की तारीख के बीच लगभग 6 वर्ष का अंतराल है । इस संपूर्ण अवधि के दौरान वर्तमान मामला आवेदक के सिर पर खड़ा हुआ था जो कि हमेशा न्यायालय में मौजूद रहा था । यदि ऐसा है तो इस न्यायालय का यह मत है कि याची को कारागार में भेजने के बजाय जैसाकि निचले न्यायालयों द्वारा आदेश किया गया, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का फायदा दिया जाता है । तद्नुसार यह आदेश किया गया कि वह आज से चार सप्ताह के अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समाधान हेतु 5,000/- रुपए की राशि का निजी बंधपत्र देगा जिससे कि निचले न्यायालय के समक्ष बंधपत्र के निष्पादन के तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए शांति बनाए रखने और सदव्यवहार बनाए जाने के लिए किया जाएगा और इसके साथ ही साथ कोई ऐसा अपराध कारित नहीं करेगा । अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का फायदा दिए जाने के अतिरिक्त आवेदक को अभियोजन साक्षी बलदेव सिंह और दिलबाग सिंह आहत को प्रतिकर देने के लिए अलग-अलग 3,000/- रुपए की

[1] 1998 (1) एस. एल. जे. 58.

राशि का संदाय करने का भी निदेश दिया गया । श्री आर. के. गौतम ने यह निवेदन किया कि प्रतिकर की यह रकम तारीख 31 अगस्त, 1997 को या उससे पूर्व विचारण न्यायालय में जमा करनी होगी जो इसके पश्चात् उक्त व्यक्तियों को उक्त रकम का संदाय करेगा ।"

23. इस न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य** बनाम **सौरभ बक्शी**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्ति को भी ओझल नहीं किया जा सकता । दुर्घटना वाले मामले पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निचले न्यायालयों द्वारा दंडादेशों को कम करने पर गंभीर मत व्यक्त किया है । पूर्वोक्त निर्णय में माननीय न्यायमूर्तियों ने पैरा 1, 14, 24 और 25 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"1. बहुत पहले प्रतिष्ठित विचारक और लेखक सौफोक्लेस ने यह कहा था –

'विधि को कभी भी तब तक बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि भय उनका समर्थन न करता हो ।'

यद्यपि पूर्वोक्त कथन कई शताब्दियों पूर्व किया गया था । आज के समाज में बड़ी ताकत के रास्ते में उसकी सुसंगतता है । हरेक सही सोच रखने वाले नागरिकों का यह कर्तव्य है कि विधि के प्रति आदर प्रकट करें ताकि सुव्यवस्थित, सभ्य और शांति से ओतप्रोत समाज दिखाई दे । इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि विधि में हर प्रकार की अव्यवस्था का निवारण होना चाहिए । अराजकता पूरी तरह असहनीय है । यदि विधि में कोई विधि की अवज्ञा करता है तो उसे आनुपातिकतः की अवधारणा जिसे विधिमान्यता प्रदान करती है के आधार पर विधि के क्रोध का मुकाबला करना पड़ता है ।

इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अपराधी विधि का प्रयोजन जिसे सक्षम विधान-मंडल द्वारा विधायी रूप दिया गया है संवैधानिक विस्थापित परिधियों के भीतर न्यायिक समीक्षा के अध्यधीन है जिससे सामूहिक हित की रक्षा तथा प्रत्येक व्यक्ति को बचाने की कोशिश होती है । अनापेक्षित कठिनाइयों के समूहों को गठित करने का एक प्ररूप है । यदाकदा असम्य तरीके से यह कहा जाता है कि विधि व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर बंधन नहीं लगा सकती जो लोगों के समूह को वेदना पहुंचाती है परंतु सच्चाई यह है कि और यह होनी भी

---

[1] (2015) 5 एस. सी. सी. 182 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 2459 (एस. सी.).

चाहिए कि जब विधि को प्रजातंत्र में संवैधानिक समीक्षा की कसौटी में परखा जाता है और व्यक्तिगत विचार की उपेक्षा की जाती है । वर्तमान समय में कतिपय अपराध अत्यधिक पुराने होने की उपधारणा की जाती है और उनकी प्रकृति पर गंभीरता निर्भर करती है जो समाज पर अपराध के प्रभाव को छोड़ती है । कोई भी न्यायालय दया भाव दिखाकर ऐसे अपराधों की उपेक्षा नहीं कर सकता । न्यायालय का यह दायित्व है कि हमेशा इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि पीड़िता के अधिकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि कतिपय अवसरों पर व्यथित व्यक्ति तथा समाज जो पीड़ित हो सकता है, कभी भी अधिकारहीन नहीं हो सकता । इस संदर्भ में न्यायमूर्ति बेंजामिन एन. कार्डिजो का यह कहना है 'यद्यपि अभियुक्त को न्याय देना उसके दोष पर निर्भर करता है' और इसलिए, अध्यपेक्षित मानक पूर्ववर्ती निर्णय में अभिकथित सिद्धांतों द्वारा साबित किए जाने चाहिए । जिनका मार्गदर्शन संवेदना से नहीं होना चाहिए और न पूर्वाग्रहों से शासित होना चाहिए ।

14. इस संदर्भ में हम **बलविन्दर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले के विनिश्चय के फायदे का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण मंजूर किया था और दंड संहिता की धारा 304क, 337 और 279 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अधिनिर्णीत दंड की मात्रा को कम किया गया जिसमें पहले ही भोगा गया कारावास के दंड को कम किया गया जो 15 दिन का था । न्यायालय ने दलवीर सिंह **बनाम** हरियाणा राज्य के विनिश्चय का उल्लेख किया है और दो पैराओं को पेश किया गया है जिनसे हम उस बात को दोहराना अत्यधिक आवश्यक महसूस करते हैं – **बलविन्दर सिंह** (उपरोक्त) वाला मामला एस. सी. सी. पृष्ठ 186-87 पैरा 12.

12. जब मोटर, कार से कई मृत्यु हो जाती हैं तब ड्राइवर के पक्ष में कोई उदारता बरती जानी चाहिए जिसे उतावलेपन से मोटर कार चलाने के कारण दोषी पाया जाता है । इससे सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिलता है और जो जोखिम भरा है । वे सभी जो मोटर कार के स्टेयरिंग के इस्तेमाल में लेते हैं खास तौर पर व्यवसायिक ड्राइवरों को अपने-अपने कर्तव्यों का निरंतर रूप से स्मरण करना चाहिए कि वे अत्यधिक ध्यान से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और

चूक की दशा में उनका परिणामिक रूप से विफल होना भी है । ऐसे ड्राइवरों को अत्यधिक प्रभावशाली रूप से अपने मानसिक स्थिति के अंतर्गत प्रभावी रहना चाहिए । उन्हें ऐसे कार्यक्षेत्र में निवारक उपायों का निर्वाह करना चाहिए । क्या उन पर उदारता बरती जानी चाहिए जब ड्राइवरिंग करते वक्त वे निष्क्रिय कार्य करते हैं ।

13. भारत में सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और पीड़ित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों को हुए नुकसान को दृष्टिगत करते हुए आपराधिक न्यायालय दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराध की प्रकृति पर विचार नहीं कर सकते । क्योंकि अपराधी परिवीक्षाधीन अधिनियम की धारा 4 के उपबंध भी ऐसे मामले में लागू होते हैं । मोटर कार को चलाते वक्त उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक मृत्यु कारित करने के अपराध के लिए दंड की मात्रा को अधिरोपित किए जाने पर विचार करते समय एक मुख्य यह विचार भी सामने आता है कि उनके रोकने के क्या उपचार हैं । एक व्यवसायिक ड्राइवर जो मोटर कार को चलाने वाला है उसके कार्य के घंटे पर भी ध्यान देना चाहिए । वह स्वयं इस बात के लिए स्थिर रहता है कि वह एक क्षण भी अपना ध्यान नहीं हटा सकता है या जब यान के पैडल पर उसका पैर रहता है तब उसे सोचने के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं मिल सकता है कि उतावलेपन से गाड़ी चलाना अपरिहार्य रूप से आवश्यक नहीं है जिससे कि कोई दुर्घटना घटित हो जाए । यद्यपि कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसका अपरिहार्य रूप से यह परिणाम कि किसी मानव की मृत्यु ही हो जाए, जरूरी नहीं । यद्यपि ऐसी मृत्यु से उसे अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध किया जाना, नहीं हो सकता और अंततः यदि उसे दोषसिद्धि किया जाता है तब न्यायालय द्वारा उस पर उदारता बरती जाती है । वह हमेशा अपने दिमाग में भय को रखता है कि यदि यान को चलाते वक्त किसी कारणवश मनुष्य की मृत्यु कारित हो जाती है तो उसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और वह कारागार दंड से बच नहीं सकता । इस पर न्यायालयों की यह भूमिका हो सकती है जिसका वे पालन करते हैं । विशिष्ट रूप से विचारण न्यायालयों के स्तर पर मोटर दुर्घटनाओं की दर कम होने पर न्यायालय ड्राइवरों के पक्ष में अपना मत अपना सकती है । दलवीर सिंह वाला मामला एस. सी. सी. पृष्ठ 84, 85 और 87 पैरा 1 और 13.

24. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सही उपायों को मान्यता देते हुए दंड के सिद्धांत परंतु कई ऐसे अवसर हैं जब मामले के तथ्यों पर निर्भर होते हुए आज्ञापक आवश्यकताओं पर रोक लगानी पड़ती है । हमारी यह राय है कि यह उपयुक्त मामला है जहां हम यह कहने के लिए विवश होते हैं कि उच्च न्यायालय सिद्धांत को लागू करने में दया के भाव छोड़ देता है कि प्रतिकर का संदाय एक कारक है जिसमें 24 दिन के दंड को कम किया गया है । इसमें पूर्णतया सहानुभूति को निभाया नहीं गया है । दूसरे प्रकार से यह न्याय का मजाक है जो कि न्याय सर्वोच्च है, प्रभुसत्ता संपन्न अधिकारिणी और गुणों की रानी है जैसाकि सिसरो ने कहा था । ऐसा कोई अपराध पीड़ितों के जीवन के लिए न केवल अभिशाप है बल्कि उसके आस-पास रहने वाले कई अन्य लोगों के लिए भी अभिशाप है । अंततः न्यायिक तंत्र पर लोगों के विश्वास में बिखराव लाता है । हमारा यह मत है कि एक वर्ष का दंड जैसाकि विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया है जिसकी अपील न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है उसे छह महीने कम किया जाना चाहिए ।

25. मामले को निपटाने से पूर्व हम यह मत व्यक्त करने के लिए विवश हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कई अशोभनीय अभिलेख हैं । ड्राइवरों के संबंध में कई उदासीन दृष्टिकोण हैं । उन्होंने यह महसूस किया कि सभी सर्वेक्षणों से यह प्रतीत होता है कि वे सम्राट बने रहते हैं । असावधानी से ड्राइविंग में पीने की बात भी सहभागी है जहां पर लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं । गरीब आदमी यह महसूस करता है कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और अनिश्चित है । सभी व्यक्ति के मन में निरंतर भय बना रहता है और लोगों की घृणित दृष्टिकोण की आशंका बनी रहती है जो अपने आप को जीवन के खतरे के रूप में प्रयोजित करते हैं ऐसी परिस्थितियों में हम यह मत व्यक्त करने के लिए बाध्य कि विधि के बनाने वालों को दंड संहिता की धारा 304क में दंड की पॉलिसी की समीक्षा और उस पर पुनः विचार करना चाहिए जिससे कि ऐसी वेदना से दूर हुआ जाए ।"

24. वर्तमान मामले में अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले श्री विवेक सिंह ठाकुर, अधिवक्ता द्वारा विधि पर सोच-विचार करने के पश्चात् यह उद्धृत किया गया कि मेरा यह विचार है कि वर्तमान मामले में अपराधी

परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का फायदा मंजूर करना वर्तमान मामले में प्रयोज्य नहीं हो सकता । ऊपर उद्धृत निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के फायदा देकर अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायालय की पद्धति को ह्रास करता है । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जहां अभिभूत करने वाले साक्ष्य से यह इंगित है कि गाड़ी अभियुक्त द्वारा अत्यधिक उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाई जा रही थी तो ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई उदारता नहीं बरती जा सकती ।

25. परिणामस्वरूप उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय को कायम रखा जाता है क्योंकि ये निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित है । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखने के पश्चात् कि यह घटना 17 मार्च, 1993 को घटित हुई थी जिसे घटित हुए लगभग 23 वर्ष बीत चुके हैं और आवेदक की आयु को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने दंड को उपांतरित करना उपयुक्त समझा है जैसाकि निचले न्यायालयों द्वारा सभी अपराधों के लिए संपूर्ण रूप से 15 दिन अधिरोपित किया है और आवेदक-अभियुक्त को यह निदेश दिया जाता है कि वह तत्काल दंड भोगने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करे जैसाकि विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांगड़ा द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2002 को पृथक् आदेश अधिनिर्णीत किया गया है और इस निर्णय के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा दंड को उपांतरित भी किया गया है । यह कहना व्यर्थ है कि इस न्यायालय द्वारा तारीख 7 दिसम्बर, 2007 को पारित किया गया आदेश जिसके द्वारा निचले न्यायालय द्वारा दंड अधिरोपित किया गया है उसका निलंबन किया गया था और वह स्वतः रद्द हो गया है । यदि कोई लंबित आवेदन है तो उनका निपटारा किया जाता है ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

हेमंत कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 6 दिसंबर, 2016

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279, 337, 338 – उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाना – जीवन का संकटापन्न कृत्य द्वारा दुखद हानि कारित होना – अधिकथित रूप से अभियुक्त बस चालक के उतावलेपन से चलाने के कारण दुर्घटना से बस में यात्रा करने वालों को पहुंची क्षति – अभियोजन साक्षी का घटनास्थल पर उपस्थित न होना – यात्री को पहुंची क्षति का साबित न किया जाना – न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषमुक्ति सही है ।

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन फाइल किया गया है जिसमें 2010 की दांडिक अपील सं. 45 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 30 अगस्त, 2011 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध मामला फाइल किया गया है जिसमें पुलिस चालान सं. 190-1/2003, 119-II/2003 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सं. 2 मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय को कायम रखा गया है जिसमें आवेदक-अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है । न्यायालय द्वारा याचिका/आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – माननीय न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय को पारित करते समय यह मत व्यक्त किया है कि अभियोजन पक्ष को इस पहलू पर सटीक बात कहनी चाहिए जो बस की गति के संबंध में है, और यह जिसकी गति को देखा जाना भी आवश्यक था और दंड संहिता की धारा 304क के अधीन मामले को साबित किया जाना चाहिए था । निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा की गई पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता । परंतु इस बारे में यह प्रश्न उद्भूत होता है कि दुर्घटना के समय पर आघाती बस की ठीक-ठीक गति को मापने के लिए क्या रीति अपनाई जा सकती है, ने निर्विवादतः वर्तमान मामले में गड्ढे में गिरने के

पश्चात् आघाती बस का इंजन रुक गया होगा इसलिए सुसंगत समय पर बस की ठीक-ठीक गति का अभिनिश्चयन करने के लिए स्पीड मीटर से तनिक भी कोई सहायता नहीं मिल सकती । पूर्वोक्त स्थिति में मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी यह अभिसाक्ष्य देने के लिए उत्तम व्यक्ति हो सकते हैं कि क्या आघाती बस अत्यधिक गति में थी या नहीं । उपरोक्त बातों से अलग उच्च गति का पहलू आघाती यान के किनारा होने या किसी दिशा में होने से माप की जा सकती है और उतावलेपन से उपेक्षापूर्वक अत्यधिक गति से बस चलाने का निश्चित रूप से अनुमान निकाला जा सकता है, इन बातों को घटनास्थल से नक्शे, फोटोग्राफ और तकनीकी रिपोर्ट में दर्शाया जा सकता है । जिनमें समर्थित साक्ष्य के रूप में बस की गति को दर्शाया जा सकता है, परंतु यह स्पष्ट है कि बस की गति के मापने के विनिर्दिष्ट तरीके अभाव में केवल दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बस के अत्यधिक/वास्तविक गति के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए उत्तम व्यक्ति हो सकते हैं । वर्तमान मामले में जैसाकि ब्यौरेवार चर्चा की गई है कोई भी अभियोजन साक्षी ने आघाती बस के विनिर्दिष्ट गति के बारे में कोई भी कथन नहीं किया है बल्कि सभी अभियोजन साक्षियों ने हर तरह से केवल यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत यान को आवेदक-अभियुक्त द्वारा सामान्य गति से चलाया जा रहा था और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रश्नगत यान को आवेदक द्वारा उस सुसंगत समय पर अत्यधिक गति से चलाया जा रहा था । परिणामस्वरूप विस्तृत चर्चा तथा इसमें ऊपर उल्लिखित विधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने आवेदक की ओर से रखी गई दलीलों में पर्याप्त बल पाया है और इस प्रकार वर्तमान याचिका/आवेदक को मंजूर किया जाता है । तद्नुसार निचले न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय अपास्त किए जाते हैं । अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त के जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं । यदि कोई अंतरिम आदेश हैं तो उन्हें निरस्त किया जाता है । सभी आवेदन यदि कोई भी है उनका निपटारा किया जाता है । (पैरा 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2009] एच. पी. एल. जे. 2009 एच. पी. 72 :
अक्षय कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 19

[1999] (1999) 2 एस. सी. सी. 452 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 981 :
केरल राज्य बनाम **पुतुमन्ना इलाथ जथावेदन नम्बुदरि ;** 4

[1997] (1997) 4 एस. सी. सी. 241 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 987 :
कृष्णा और एक अन्य बनाम **कृष्णावेणी और एक अन्य ;** 7

[1990] 1990 (2) ए. सी. जे. 598 = 1991 क्रिमिनल ला ला जर्नल 771 (एच. पी.) :
गुरुचरण सिंह बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य ।** 20

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2011 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 219.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री रोहित चौहान

प्रत्यर्थी की ओर से श्री रमेश ठाकुर, उप महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन फाइल किया गया है जिसमें 2010 की दांडिक अपील सं. 45 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 30 अगस्त, 2011 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध मामला फाइल किया गया है जिसमें पुलिस चालान सं. 190-1/2003, 119-II/2003 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सं. 2 मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय को कायम रखा गया है जिसमें आवेदक-अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और इसमें नीचे वर्णन के अनुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है :–

"1. दंड संहिता की धारा 279 के अधीन अपराध किए जाने के लिए छह मास का साधारण कारावास भोगने और 500/- रुपए का जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है ।

2. दंड संहिता की धारा 337 के अधीन अपराध किए जाने के लिए छह मास का साधारण कारावास भोगने और 500/- रुपए का जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का

साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

3. दंड सहिता की धारा 338 के अधीन 9 मास का कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए का जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर दो मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है ।

4. तथापि, यह आदेश और निदेश दिया गया कि मुख्य कारावास का दंड साथ-साथ चलेंगे । जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर दिया गया दंड अलग-अलग चलेंगे ।"

2. संक्षेप में तथ्यों के बारे में जो भी कथन किया गया है वे अभिलेख से प्रकट हैं कि शिकायतकर्ता अर्थात् नेतार सिंह ने यह कथन किया है कि तारीख 25 मार्च, 2003 को 5.45 बजे अपराह्न वह प्राइवेट बस (भारत सर्विस) सं. एच पी 32 4140 पर अपने घर को जाने के लिए चढ़ा था जिसमें 25-30 यात्री थे । लगभग 6.15 बजे के आस-पास जब बस वजीर बैन के नजदीक पहुंची तो वह तंग घाटी की ओर लुढ़क गई जिसके परिणामस्वरूप, उसे तथा अन्य यात्रियों को क्षतियां पहुंचीं । शिकायतकर्ता ने आगे यह भी शिकायत की कि उस सुसंगत समय पर जब प्रश्नगत बस को अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक तथा तीव्र गति से चलाया जा रहा है । पूर्वोक्त कथन के आधार पर पुलिस ने रुक्का भेजा जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 96/2003 तारीख 25 मार्च, 2003 को पुलिस थाना बालह, जिला मंडी पर दर्ज की गई । पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के अधीन न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने संतुष्ट होने के पश्चात् प्रथमदृष्ट्या मामला अभियुक्त के विरुद्ध विद्यमान होने की बात कही, और उस पर अभियोग चलाने के लिए नोटिस तैयार किया । जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई सामग्री के आधार पर अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के अधीन दोषसिद्धि करके दंडादिष्ट किया जैसाकि इसमें ऊपर वर्णन किया गया है । अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन अपर सेशन न्यायाधीश मंडी के समक्ष अपील फाइल की जिसे खारिज भी कर दिया था । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में अभियुक्त ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय में समावेदन किया जिसमें निचले न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त करने के पश्चात् दोषमुक्ति की

प्रार्थना की गई थी ।

3. श्री रोहित चौहान, अधिवक्ता ने पुरजोर यह दलील दी कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय कायम योग्य नहीं है क्योंकि वे अभिलेख पर दिए गए साक्ष्य का सही मूल्यांकन पर आधारित नहीं है और इस प्रकार वे खारिज किए जाने योगय है । श्री चौहान ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए पुरजोर यह दलील दी है कि निचले न्यायालयों ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है बल्कि निर्णय अटकलबाजियों पर आधारित है और इस प्रकार उन्हें कायम रखे जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है । श्री चौहान ने अपने द्वारा दी गई दलीलों के दौरान न्यायालय के सामने यह बात रखी कि यह न्यायालय अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्यों का परिशीलन करें, इससे यह इंगित होता है कि निचले न्यायालयों द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के समूह पर कोई दोषसिद्धि अधिरोपित नहीं की जा सकती है क्योंकि मामले में तात्विक विभेद है और अधिकांश अभियोजन साक्षी मामले में पक्ष विरोधी घोषित हो गए थे । अभि. सा. 1 नेतार सिंह के कथन का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने यह कथन किया कि यद्यपि शिकायतकर्ता ने उस सुसंगत समय पर गाड़ी की विशिष्ट गति के बारे में कहीं भी कोई कथन नहीं किया है । इस प्रकार निचले न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकालकर गलती की है कि उस सुसंगत समय पर प्रश्नगत गाड़ी को अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था और गाड़ी तीव्र गति पर थी । श्री चौहान ने अपने दलीलों पर निष्कर्ष निकालते हुए बलपूर्वक यह दलील दी कि निचले न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख करने में बुरी तरह विफल हुए हैं कि उस सुसंगत समय पर कि एक गाय बस के समक्ष आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त ने अचानक गाड़ी को मोड़ दिया था । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में श्री चौहान ने यह अनुरोध किया कि अभियुक्त को निचले न्यायालयों के निर्णय को अपास्त करते हुए उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जा सकता है ।

4. विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री रमेश ठाकुर ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों का समर्थन किया है । श्री ठाकुर ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए पुरजोर यह दलील दी है कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित तथ्यों और विधि के समवर्ती निष्कर्षों को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है । श्री ठाकुर ने इस न्यायालय के ध्यान में निर्णयों का उल्लेख करते हुए बलपूर्वक यह

दलील दी है कि मामले के अलग-अलग प्रत्येक पहलू पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित करते समय ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार वर्तमान याचिका/आवेदन में कोई गुणागुण नहीं है और उसे खारिज किया जाना चाहिए । याची की ओर से रखी गई दलीलों को खंडित करने के विचार से श्री ठाकुर ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 नेतार सिंह (शिकायतकर्ता) के कथनों का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि उस सुसंगत समय पर प्रश्नगत गाड़ी को अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक अतिरिक्त गति से चलाया जा रहा था, इस प्रकार निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और इस प्रकार यह निर्णय कायम रखे जाने योग्य नहीं है । श्री ठाकुर ने अपने दलीलों का निष्कर्ष देते हुए इस न्यायालय को धारा 397 के अधीन अपनी सीमित अधिकारिता के बारे में पुनः स्मरण दिलाया जहां तक साक्ष्य के मूल्यांकन का संबंध है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने **केरल राज्य** बनाम **पुतुमन्ना इलाथ जथावेदन नम्बुदरि**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

"उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता के संबंध में किसी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की सत्यता के बारे में अपने समाधान के उद्देश्य से कार्रवाइयों के अभिलेख को मंगा सकता है और उन पर परीक्षा कर सकता है । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा न्याय की अपहानि को दुरस्थ करने के लिए अपनी पर्यवेक्षण अधिकारिता का भी प्रयोग किया जा सकता है । परंतु उक्त पुनरीक्षण शक्ति को अपील न्यायालय के शक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता है और न इस पर द्वितीय अपीली अधिकारिता के रूप में विचार किया जा सकता है । अतः साधारणतया उच्च न्यायालय के लिए यह समुचित नहीं होगा कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे और उस पर स्वयं के निष्कर्ष निकाले जब अपील में मजिस्ट्रेट तथा सेशन न्यायालय द्वारा पहले ही साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया हो और जब तक उच्च न्यायालय की जानकारी में कोई महत्वपूर्ण लक्षण सामने न लाया जाता हो जिससे कि गंभीर न्याय की अपहानि हो सकती है ।"

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और उपलब्ध किए गए अभिलेखों का भी सावधानीपर्वूक परिशीलन किया ।

---

[1] (1999) 2 एस. सी. सी. 452 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 981.

6. यह बात सत्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन सत्य का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के पास अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन की अत्यधिक सीमित सत्य है । परंतु वर्तमान मामले में जहां अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादिष्ट किया गया है तब इस न्यायालय को एकमात्र रूप से यह अभिनिश्चय करने का मत व्यक्त करना चाहिए कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय में प्रतिकूल नहीं है और यह निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यांकन पर आधारित है और मामले में न्यायोचित विनिश्चय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की अवरचनात्मक रूप से परीक्षा की जानी चाहिए ।

7. जहां तक धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता को प्रयोग करने के संबंध में इस न्यायालय की शक्ति के क्षेत्र का संबंध है । **कृष्णा और एक अन्य** बनाम **कृष्णावेणी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी दशा में न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दंड या आदेश के बारे में न्यायिक तंत्र या प्रक्रिया न्याय प्रदान किए जाने के लिए वह विफल या उसका दुरुपयोग हुआ है, क्या यह बात सही नहीं है । उच्च न्यायालय का एकमात्र कथन यह है कि न्याय की अपहानि या उसके प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना चाहिए या निम्न दांडिक न्यायालय द्वारा दंड या आदेश पर अवैधता या न्यायिक प्रक्रिया को सही करना चाहिए । निर्णय का यह सुसंगत भाग जो इस प्रकार दिया गया है वह इस प्रकार है :–

> "8. धारा 483 का उद्देश्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 401 के अधीन प्रदत्त पुनरीक्षण शक्ति के पीछे का उद्देश्य यह है कि उच्च न्यायालय के पास निरंतर पर्यवेक्षण अधिकारी था, विहित है जिससे कि न्याय की अपहानि को रोका जाए या न्याय दिलाने के लिए प्रक्रिया की अनियमितता को सही किया जाए । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति धारा 482 के विपरीत है । इसलिए उच्च न्यायालय की शक्ति अत्यधिक व्यापक है । तथापि, उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए । जब सेशन न्यायाधीश ने धारा 397(1) के अधीन पुनरीक्षण शक्ति का समानतः प्रयोग किया ।

[1] (1997) 4 एस. सी. सी. 241 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 987.

तथापि, उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि न्याय की विफलता हुई हो या न्यायिक तंत्र या प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ हो, दंडादेश या आदेश सही नहीं हुआ हो, इसमें उच्च न्यायालय के एकमात्र कर्तव्य यह है कि प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की अपहानि को रोक या निम्न दांडिक न्यायालय द्वारा अपनाई गई न्यायिक प्रक्रिया में दंड या आदेश की अवैधानिकता के बारे में उसकी अनियमितता को सही किया जाए ।"

8. इस मामले की कार्रवाइयों के दौरान इस न्यायालय ने अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया था जिसके परिशीलन करने से यह संकेत मिलता है कि निचले न्यायालयों ने अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित करके गलती की है और अभियोजन साक्षियों द्वारा विभेदकारी और असंगत अभिवाक् भी दिए गए हैं । तथापि, इस न्यायालय ने क्रमशः पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों की सत्यता को सुनिश्चित करने का विचार व्यक्त करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा की जानी चाहिए कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय प्रतिकूल नहीं है और वे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर आधारित हो ।

9. यह निर्विवाद है कि तारीख 25 मार्च, 2003 को बस जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 32 4140 है, जिसमें 25 से 30 यात्री यात्रा कर रहे थे और यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसके परिणामस्वरूप अभि. सा. 1 नेतार सिंह (शिकायतकर्ता) और अन्य व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचीं । यह भी अविवादित है कि उस सुसंगत समय पर बस जिसे अभियुक्त द्वारा चलाई जा रही थी जिसके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किया गया, उसने अपने निर्दोष होने का दावा किया है, यद्यपि उसने अपने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । परंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि मामले के कार्रवाइयों के दौरान अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा दी कि चूंकि एक गाय अचानक बस के समक्ष आ गई थी जिस पर उसने बस को दाहिनी ओर मोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप बस तंग घाटी पर गिर गई । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की । परंतु निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का भी परिशीलन करने पर स्पष्टतया यह इंगित होता है कि अभि. सा. 1 नेतार सिंह (शिकायतकर्ता) के सिवाय

कोई भी तात्विक अभियोजन साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अभि. सा. 1 नेतार सिंह के अलावा दो तात्विक साक्षी अर्थात् अभि. सा. 2 धनेश्वरी देवी और अभि. सा. 3 दुर्गा दास जो उस सुसंगत समय पर शिकायतकर्ता नेतार सिंह के साथ उसी बस में भी यात्रा कर रहे थे जबकि अभि. सा. 5 पवन कुमार बरामदगी का साक्षी है, अभि. सा. 6 पार्वती है, अभि. सा. 7 ओम प्रकाश ने चालान तैयार किया और अभि. सा. 8 डा. पी. के. सोनी ने आहत की परीक्षा की और अपनी राय एम. एल. सी. (प्रदर्श पीबी) में व्यक्त की है । अभि. सा. 9 दीपक कुमार बरामदगी का भी साक्षी है । अभि. सा. 10 दीनानाथ ने अन्वेषण किया था । अभि. सा. 12 ब्रीसतु राम ने प्रश्नगत बस की तकनीकी परीक्षा की थी ।

10. निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों की बारीकी से समीक्षा करने पर यह संकेत मिलता है कि निचले न्यायालयों ने अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि को अभिलिखित करते समय अभि. सा. 1 नेतार सिंह तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए घटनास्थल का नक्शा और फोटाग्राफ जिन्हें दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया गया था उन बातों का अतिरिक्त अवलंब लिया है । अभि. सा. 1 नेतार सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने अभि. सा. 1 में यह कथन किया है कि वह बस में यात्रा कर रहा था । जब यह वजीर बैन के नजदीक पहुंची तो यह नीचे गिर गई । यह भी कथन किया है कि उस सुसंगत समय पर अभियुक्त बस को अतिरिक्त तेज गति से चला रहा था जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना घटित हुई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि बस नेर चौक से 5.00 बजे अपराह्न चली थी । उसने यह भी कथन किया कि लगभग 4-5 मिनट में यात्रियों को बस में चढ़ाया था और उसने यह भी कथन किया कि बस गुलमर्ग पुल कोटलू और लखवान के नजदीक तीन चार मिनट रुकी । उसके कथन में यह भी प्रकट हुआ है कि नेर चौक और बाजिर गुवारी के बीच लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और बस लगभग 50-55 मिनट में उस दूरी को तय करती है । अभि. सा. 1 नेतार सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बस को लगभग 50-55 मिनट लगते हैं । इससे यह अभिप्रेत है कि इस पर कोई ऐसी कल्पना प्रकट नहीं की जा सकती और स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस सुसंगत समय पर बस उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति तथा अत्यधिक तेज गति से चलाई जा रही थी, वस्तुतः इस न्यायालय ने दूरी के पूर्वोक्त पहलू तथा गाड़ी की रफ्तार का सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात् जैसाकि अभि. सा. 1 नेतार

सिंह द्वारा बताया गया है उसके कथन को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत यान उस सुसंगत समय पर साधारण गति से चलाई जा रही थी । इसी तरह अभि. सा. 6 पार्वती देवी ने अपने कथन में यह कहा है कि वह शोरगुल सुनकर घटनास्थल पर पहुंची । उसने अपने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि जो उसके समक्ष रखा गया था कि अभियुक्त अत्यधिक तेज गति से बस को चला रहा था और बस अभियुक्त के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण नीचे गिरी थी । उसने अपने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि दुर्घटना के स्थान के नजदीक बोरी है जिस पर निश्चित रूप से अभियोजन का पक्षकथन साबित नहीं होता है ।

11. अभि. सा. 2 धनेश्वरी देवी ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा जब उससे प्रतिपरीक्षा की गई तो उसने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि उस सुसंगत समय पर अभियुक्त अतिरिक्त गति से बस को चला रहा था और बस अभियुक्त की असावधानी के कारण नीचे गिर गई थी । उसने यह कथन किया है कि बस आगे की ओर गिर गई थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना डांगा के टूट जाने के कारण घटित हुई थी ।

12. अभि. सा. 3 दुर्गा दास ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । तद्नुसार उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक बस को चला रहा था और वह अत्यधिक गति से बस को चलाने के कारण उसे नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि दुर्घटना किसी पशु को बचाने के कारण घटित हुई है जो सड़क पर आया था । उपलब्ध अभिलेख के अनुसार पूर्वोक्त अभियोजन साक्षी एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था जिन्होंने दुर्घटना को घटित होते देखा था परंतु अभि. सा. 1 नेतार सिंह के सिवाय किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना घटित हुई ।

13. इसी तरह पूर्वोक्त अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी यह कथन नहीं किया है कि उस सुसंगत समय पर उन्होंने अत्यधिक गति से बस को चलाते हुए अभियुक्त को देखा था । बल्कि यदि उनके प्रतिपरीक्षा को संपूर्णतः पढ़ा जाए तो उससे यह संकेत मिलता है कि बस सामान्य गति से चलाई जा रही थी ।

14. अभि. सा. 1 नेतार सिंह शिकायतकर्ता जिसके कथन का निचले न्यायालयों द्वारा प्रबल अवलंब लिया गया जिससे अभियोजन पक्षकथन को कोई समर्थन नहीं मिलता है क्योंकि उसके स्वयं का कथन जैसेकि ऊपर चर्चा की गई उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि बस ने 12 किलोमीटर की दूरी 50-55 मिनट में तय की थी । यदि वर्णित दलीलों को देखा जाए तो यह धारण प्रकट होती है कि 50-55 मिनट के दौरान बस से गुलमर्ग पुल कोटलू और लखवान पर यात्री को उतार दिया गया था जैसाकि अभि. सा. 1 द्वारा वृत्तांत किया गया है । यदि 55 मिनट से 10 मिनट कम कर दिए जाएं तो इससे यह अभिप्रेत होता है कि बस ने 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगाए और 12 किलोमीटर की दूरी आसानी से 45 मिनट में तय की जाती है । यदि बस ने 12 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय की तो कोई साधारण व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह यह कह सकता हो कि बस उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाई जा रही थी ।

15. इसके अतिरिक्त, इस मामले का एक दूसरा पहलू यह भी है कि जिससे यह संकेत मिलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस तथ्य को इंगित करने के लिए अभिलेख पर कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य नहीं दिया है कि प्रश्नगत बस उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक अत्यधिक गति से चलाई जा रही थी । अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी उस सुसंगत समय पर यान की गति के बारे में कोई भी विनिर्दिष्ट कथन नहीं किया है जो अभियुक्त की उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक बस चलाने के बात का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो । यद्यपि अभि. सा. 1 नेतार सिंह जिन्होंने केवल अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया था अपने कथन में यह भी कहा है कि बस उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक अत्यधिक गति से चलाई जा रही थी परंतु उसने स्वयं यह भी स्वीकार किया है कि 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए बस को 50-55 मिनट लगते हैं जिससे अभियोजन पक्षकथन मिथ्या प्रकट होता है कि उस सुसंगत समय पर बस उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाई जा रही थी ।

16. यह बात सही है कि अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य देकर वह अभि. सा. 1 नेतार सिंह तथा अन्य यात्रियों को पहुंची क्षतियों को साबित करने में समर्थ रहा था जो उस सुसंगत समय पर बस में यात्रा कर रहे थे, परंतु यह बात अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है जो उस सुसंगत समय पर प्रश्नगत बस को चला रहा था ।

17. चूंकि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में बुरी तरह विफल हुआ है कि प्रश्नगत बस उतावलेपन से तथा उपेक्षापूर्वक अत्यधिक तेज गति से चलाई जा रही थी, इसलिए यह न्यायालय निचले न्यायालयों के निष्कर्षों को स्वीकार करने में असमर्थ है जो अभि. सा. 1 नेतार सिंह के कथन तथा दस्तावेज अर्थात् फोटोग्राफ्स पर आधारित है तथा घटनास्थल का नक्शा जिसमें अभियुक्त की ओर से असावधानी दिखाई दी है उसे भी सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई भी दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती ।

18. उपरोक्त बातों से अलग किसी भी अभियोजन साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से बस की गति के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा मात्र शिकायतकर्ता के कथन पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उस सुसंगत समय पर बस उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाई जा रही थी । क्या किसी अभियोजन साक्षी ने विनिर्दिष्ट गति के बारे में कोई बात कही है यदि ऐसा होता तो यह शिकायतकर्ता के दावे की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय में आवेदक-अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक बस चलाने के बारे में उत्तम साक्ष्य दिया जा सकता है ।

19. इस प्रक्रम पर **अक्षय कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले नवीनतम मामले में हमारे स्वयं के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया जाता है जिसका सुसंगत पैरे का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "8. वास्तव में, जो क्षति पहुंची है वह असावधानीपूर्वक समझी जाएगी और जिसे स्वेच्छापूर्वक कार्य किया जाना समझा गया है, परंतु युक्तियुक्त सावधानी के अभाव के परिणामस्वरूप जो भी कार्य किया गया है या तो बिना ऐसी जानकारी के या जिससे कि ऐसे कार्य के परिणाम की उपयुक्तता प्रकट होती है या ऐसी क्षति का परिणाम उनके द्वारा प्रयोग की गई युक्तियुक्त प्रयोग में नहीं है या ऐसा किया गया कार्य दृष्टि को रोकने के लिए बिना किसी युक्तियुक्त सावधानी के किया गया है । ऐसे किसी कार्य को मिटाने के लिए जिससे खतरे का आभास होता हो और जो जानकारी के साथ किया गया हो, यदि ऐसा है तो क्षति कारित की गई जिसमें ऐसी क्षति बिना आशय या

---

[1] एच. पी. एल. जे. 2009 एच. पी. 72.

जानकारी की गई लेकिन संभवतः इससे क्षति कारित हुई अपराधिता असावधानीवश ऐसे कार्य करने को जोखिम पर निर्भर है उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कार्य को आपराधिक उतावलेपन या असावधानी के रूप में वर्णित किया जा सकता है । इसमें असावधानी या निर्णय की गलती भी हो सकती है ।

निचले न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों का मूल्यांकन नहीं किया कि सड़क के टेढ़ा-मेढ़ा होने के कारण बस के फिसलने का कारण रहा है । मोड़ को देखते हुए जैसाकि ऊपर कथन किया गया है कुछ साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि डांगा बस के रास्ते पर था जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई और आवेदक द्वारा बस को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाने के बात से इनकार किया गया है इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा आवेदक के रूप में निकाले गए निष्कर्ष साक्ष्य के विधिक और उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था । पूर्वोक्त परिस्थितियों में आवेदक के बारे में आपराधिक उतावलेपन या असावधानी के बारे में नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार वह संदेह का लाभ पाने का हकदार है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दो मत प्रकट होते हैं ।"

20. **गुरुचरण सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसका सुसंगत पैरा निम्नलिखित रूप में नीचे दिया गया है :–

"14. इस मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए साक्ष्य में यह प्रकट है कि प्रश्न गत ट्रक 90 क्विंटल उरवर्क को रखे हुए था । यह स्पष्ट है कि इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि गाड़ी की गति बहुत तेज थी । दूसरा, यह मार्ग राज्यमार्ग है न कि राष्ट्रीय राज्यमार्ग इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रक की गति का अत्यधिक होने पर विचार नहीं किया जा सकता ।

15. इस पहलू पर साक्षियों के कथनों के बारे में विचार करने पर यह कथन किया गया है कि ट्रक अत्यधिक गति से जा रहा था परंतु इस बारे में यह नहीं कहा गया है कि उस ट्रक की वास्तविक गति क्या थी । यह कहा गया है कि ट्रक अत्यधिक गति से जा रहा था इस बारे में न तो अत्यधिक गति से जाने के बारे में कोई उचित

[1] 1990 (2) ए. सी. जे. 598 = 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 771 (एच. पी.).

या विधिक साक्ष्य नहीं है और न ड्राइवर की ओर से उतावलेपन से ट्रक को चलाना उपदर्शित किया गया है । अभियोजन पक्ष को ट्रक की गति के इस पहलू पर सटीक बात को प्रकट करना चाहिए जो इस बात को देखे जाने के लिए आवश्यक बिन्दु है और दंड संहिता की धारा 304क के अधीन मामले को साबित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त कोई फिसलन का चिन्ह नहीं है जिससे ट्रक के त्वरित गति का साक्ष्य विलुप्त हो गया हो । इसके अतिरिक्त साक्षियों ने यह भी कथन किया गया है कि ट्रक दुर्घटना के स्थान से 50 फीट की दूरी पर रुक गया । इससे बढ़ा-चढ़ाकर बात कहा जाना प्रकट होता है । तथापि, इन दो बिन्दुओं यानि दुर्घटना का प्रथम प्रभाव और ट्रक का फिसलन टायर को देखने पर कोई लंबी दूरी तय किया जाना नहीं दिखाती है और प्रश्नगत ट्रक की पूरी लंबाई यानि दुर्घटना का प्रथम प्रभाव और ट्रक का पिछला टायर और प्रश्नगत ट्रक की संपूर्ण लंबाई को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इसके द्वारा लंबी दूरी तय नहीं की गई है । यदि इन कोणों से देखा जाए तो साक्षियों द्वारा कथित दूरी अत्यधिक होना विचार नहीं किया जा सकता और इस प्रकार अत्यधिक गति का संकेत पर भी नहीं किया जा सकता । आवेदक का वृत्तांत यह है कि उसने मोड़ के नजदीक हार्न बजाया था जिससे बच्चा भयभीत हुआ इस बात को बिना किसी सार के होने की वजह से विचार नहीं किया जा सकता । इससे युक्तियुक्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदक ने सड़क पर बच्चे को देखकर हार्न बजा लिया होता जैसाकि साक्ष्य में प्रकट है तो बच्चा सड़क के पक्के भाग पर आ गया था जबकि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि क्या साक्षीगण खास तौर पर घनश्याम अभि. सा. 7, चंद्रकांता अभि. सा. 8, माता और कुछ अन्य साक्षी उस विशिष्ट समय पर वहां पर थे । वस्तुतः इन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि वे किसी गांव से आ रहे थे जो प्रश्नगत मुख्य सड़क पर खड़े थे । ईसाइयों के बच्चे प्रायः सामान्य रूप से मनचले होते हैं और माता-पिता से तेज गति से भागते हैं और जब वे घुम रहे होते हैं । वर्तमान मामले में ऐसा होना ही प्रतीत होता है । इस मामले की परिस्थितियों की बारीकियों से परीक्षा करने पर तथा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि मृतक अपने माता-पिता और इस साक्षियों के पहुंचने से काफी पूर्व ही सड़क के पक्के भाग पर पहुंचा था । उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है

कि बच्चे के ऊपर ट्रक चढ़ गया था । दूसरी ओर आवेदक ने यह कथन किया कि उसके द्वारा हार्न बजाकर सड़क को पार किया गया जिसपर उसके द्वारा उस बच्चे को नहीं देखा जा सके परिणामस्वरूप दुर्घटना घटित हुई बच्चे की मृत्यु हो गई । ऐसी दशा में यहां पैदल पारपथ को अचानक सड़क पर पार किया जाता है और गाड़ी का ड्राइवर पैदल चलने वाले को बचा नहीं सकता जबकि वह बस को धीरे भी चला सकता है । ऐसी स्थिति में उसे असावधान होना नहीं ठहराया जा सकता । वस्तुतः यह भी प्रकट होता है कि बच्चे के माता-पिता बच्चे की उचित देखभाल नहीं करके असावधानी बरती थी और सड़क पर अकेले चलने के लिए उसे इजाजत देते हैं जबकि वे उनके पीछे होते हैं और वे बस के संपर्क में आने से पहले बच्चे को खींचने के लिए दौड़ भी सकते हैं क्योंकि उनके अभिसाक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि ट्रक ड्राइवर अतिरिक्त गति से दूरी तय कर रहा था और ऐसी दशा में बच्चा सड़क को पार करना चाहता था और ऐसा कुछ समय के अंतर्गत किया जा सकता है । वास्तविक रूप से यह दुर्घटना कैसे घटी थी इसको स्पष्ट नहीं किया गया है और किसी भी साक्ष्य द्वारा विस्तार से इस पर कोई कथन नहीं किया गया है जिससे कि ड्राइवर के कार्य को प्रतिकूल माना जाए । अतः उनका वृत्तांत आवेदक के कार्य के प्रति रंगा हुआ प्रतीत होता है और यह तथ्य कि बालक के जीवन लीला को समाप्त किया गया ।"

21. पूर्वोक्त मामले में, माननीय न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय को पारित करते समय यह मत व्यक्त किया है कि अभियोजन पक्ष को इस पहलू पर सटीक बात कहनी चाहिए जो बस की गति के संबंध में है, और यह जिसकी गति को देखा जाना भी आवश्यक था और दंड संहिता की धारा 304क के अधीन मामले को साबित किया जाना चाहिए था । निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा की गई पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता । परंतु इस बारे में यह प्रश्न उद्‌भूत होता है कि दुर्घटना के समय पर आघाती बस की ठीक-ठीक गति को मापने के लिए क्या रीति अपनाई जा सकती है, ने निर्विवादतः वर्तमान मामले में गड्‌ढे में गिरने के पश्चात् आघाती बस का इंजन रुक गया होगा इसलिए सुसंगत समय पर बस की ठीक-ठीक गति का अभिनिश्चयन करने के लिए स्पीड मीटर से तनिक भी कोई सहायता नहीं मिल सकती । पूर्वोक्त स्थिति में मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी यह

अभिसाक्ष्य देने के लिए उत्तम व्यक्ति हो सकते हैं कि क्या आघाती बस अत्यधिक गति में थी या नहीं । उपरोक्त बातों से अलग उच्च गति का पहलू आघाती यान के किनारा होने या किसी दिशा में होने से माप की जा सकती है और उतावलेपन से उपेक्षापूर्वक अत्यधिक गति से बस चलाने का निश्चित रूप से अनुमान निकाला जा सकता है, इन बातों को घटनास्थल से नक्शे, फोटोग्राफ और तकनीकी रिपोर्ट में दर्शाया जा सकता है । जिनमें समर्थित साक्ष्य के रूप में बस की गति को दर्शाया जा सकता है, परंतु यह स्पष्ट है कि बस की गति के मापने के विनिर्दिष्ट तरीके अभाव में केवल दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बस के अत्यधिक/वास्तविक गति के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए उत्तम व्यक्ति हो सकते हैं । वर्तमान मामले में जैसाकि ब्यौरेवार चर्चा की गई है कोई भी अभियोजन साक्षी ने आघाती बस के विनिर्दिष्ट गति के बारे में कोई भी कथन नहीं किया है बल्कि सभी अभियोजन साक्षियों ने हर तरह से केवल यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत यान को आवेदक-अभियुक्त द्वारा सामान्य गति से चलाया जा रहा था और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रश्नगत यान को आवेदक द्वारा उस सुसंगत समय पर अत्यधिक गति से चलाया जा रहा था ।

22. परिणामस्वरूप विस्तृत चर्चा तथा इसमें ऊपर उल्लिखित विधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने आवेदक की ओर रखी गई दलीलों में पर्याप्त बल पाया है और इस प्रकार वर्तमान याचिका/आवेदक को मंजूर किया जाता है । तद्नुसार निचले न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय अपास्त किए जाते हैं । अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त के जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं । यदि कोई अंतरिम आदेश हैं तो उन्हें निरस्त किया जाता है । सभी आवेदन यदि कोई भी है उनका निपटारा किया जाता है ।

याचिका/आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

गतांक से आगे..........

अध्याय 28

मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना

366. सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना – (1) जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित न किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए ।

(2) दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा ।

367. अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति – (1) यदि ऐसी कार्यवाही के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय यह ठीक समझता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति को दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा उसके किए जाने या लिए जाने का निदेश दे सकता है ।

(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, दोषसिद्ध व्यक्ति को, जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से, अभिमुक्ति दी जा सकती है ।

(3) जब जांच या साक्ष्य (यदि कोई हो) उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिया गया है तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा ।

368. दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति – उच्च न्यायालय धारा 366 के अधीन प्रस्तुत किसी मामले में, –

(क) दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है ; अथवा

(ख) दोषसिद्धि को बातिल कर सकता है और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोषसिद्ध कर सकता था, या उसी या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है ; अथवा

(ग) अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकता है :

परन्तु पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो या यदि ऐसी अवधि के अन्दर अपील पेश कर दी गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा न हो गया हो ।

369. नए दंडादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना – इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश, या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीश हों तो, उनमें से कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया, पारित किया और हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

370. मतभेद की दशा में प्रक्रिया – जहां कोई ऐसा मामला न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है और ऐसे न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं वहां मामला धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से विनिश्चित किया जाएगा ।

371. उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया – मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात् उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलंब के बिना, आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा ।

अध्याय 29

अपीलें

372. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना – दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय न होगी :

[1][परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले या कम अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 29 द्वारा अंतःस्थापित ।

ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है ।]

373. परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील – कोई व्यक्ति,–

(i) जिसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा

(ii) जो धारा 121 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है,

सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :

परन्तु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 122 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार रखी गई है ।

374. दोषसिद्धि से अपील – (1) कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश [1][उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोषसिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है] उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति, –

(क) जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है, अथवा

(ख) जो धारा 325 के अधीन दंडादिष्ट किया गया है, अथवा

(ग) जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है,

सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है ।

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 28 द्वारा "दिया गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

375. कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना – धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, और ऐसे अभिवचन पर वह दोषसिद्ध किया गया है वहां, –

(क) यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा

(ख) यदि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील, दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं ।

376. छोटे मामलों में अपील न होना – धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी, अर्थात् :–

(क) जहां उच्च न्यायालय केवल छह मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दंडादेश पारित करता है ;

(ख) जहां सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या दो सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दंडादेश पारित करता है ;

(ग) जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है ; अथवा

(घ) जहां संक्षेपतः विचारित किसी मामले में, धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है :

परन्तु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है किन्तु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय न हो जाएगा कि –

(i) दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है ; अथवा

(ii) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निदेश को दंडादेश में सम्मिलित किया गया है ; अथवा

(iii) उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है ।

377. राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील – (1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की [1][अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध –

(क) सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है ; और

(ख) उच्च न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है,

अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है]

(2) यदि ऐसी दोषसिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो [2][केन्द्रीय सरकार भी] लोक अभियोजक को दंडादेश की [1][अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध –

(क) सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है ; और

(ख) उच्च न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है,

अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है]

(3) जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब [3][यथास्थिति, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय] उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 31 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 29 द्वारा "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 31 द्वारा "उच्च न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति के लिए या दंडादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है ।

378. दोषमुक्ति की दशा में अपील – (1) [1][(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, –

(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी मामले में, लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ;

(ख) राज्य सरकार, किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीली आदेश से [जो खंड (क) के अधीन आदेश नहीं है] या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में,

अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी ।]

(2) यदि ऐसा दोषमुक्ति का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो [2][केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक अभियोजक को –

(क) दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है सेशन न्यायालय में ;

(ख) दोषमुक्ति के ऐसे मूल या अपीली आदेश से, जो किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है [जो खंड (क) के अधीन आदेश नहीं है] या दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उच्च

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 32 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 32 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

न्यायालय में, अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है ।]

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन [1][उच्च न्यायालय को कोई अपील] उच्च न्यायालय की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी ।

(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, दोषमुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष इजाजत देता है तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है ।

(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा, उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है उस दोषमुक्ति के आदेश की तारीख से संगणित, छह मास की समाप्ति के पश्चात् और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे संगणित साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(6) यदि किसी मामले में दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है तो उस दोषमुक्ति के आदेश से उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

379. कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील – यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोषसिद्ध किया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष अथवा अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है ।

380. कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार – इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोषसिद्ध किए जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है तब ऐसे विचारण में दोषसिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा ।

381. सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी – (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 32 द्वारा "कोई अपील" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

द्वारा सुनी जाएगी :

परन्तु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटायी जा सकेगी ।

(2) अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय, विशेष आदेश द्वारा, उसे निदेश दे ।

382. अपील की अर्जी – प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी, और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ (जब तक वह न्यायालय जिसमें वह उपस्थित की जाए अन्यथा निदेश न दे) उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है ।

383. जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया – यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को जेल के भारसाधक अधिकारी को दे सकता है, जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा ।

384. अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना – (1) यदि धारा 382 या धारा 383 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकता है ।

परन्तु –

(क) धारा 382 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके प्लीडर को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो ;

(ख) धारा 383 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी, जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी ;

(ग) धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक संक्षेपतः खारिज न की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के

लिए अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो चुका हो ।

(2) किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकता है ।

(3) जहां इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपील न्यायालय, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वहां वह ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा ।

(4) जहां धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील इस धारा के अधीन संक्षेपतः खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसी अपीलार्थी की ओर से धारा 382 के अधीन सम्यक् रूप से उपस्थित की गई अपील की अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है वहां, धारा 393 में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकता है और उसका निपटारा कर सकता है ।

385. संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया – (1) यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेपतः खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की, जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी, सूचना –

(i) अपीलार्थी या उसके प्लीडर को ;

(ii) ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे ;

(iii) यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोषसिद्ध के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, तो परिवादी को ;

(iv) यदि अपील धारा 377 या धारा 378 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को,

दिलवाएगा और ऐसे अधिकारी, परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा ।

(2) यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख, पहले से ही उपलभ्य नहीं है तो वह न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा :

परन्तु यदि अपील केवल दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में

है तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा कर सकता है ।

(3) जहां दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है वहां अपीलार्थी न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में न तो कहेगा और न उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा ।

386. अपील न्यायालय की शक्तियां – ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात्, अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, अथवा, –

(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है और निदेश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त, यथास्थिति, पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है ;

(ख) दोषसिद्धि से अपील में, –

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा

(ii) दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में अथवा स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए ;

(ग) दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में, –

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकता है, या

(ii) दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दंड के स्वरूप या परिमाण में अथवा स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए ;

(घ) किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है ;

(ङ) कोई संशोधन या कोई पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश, जो न्यायसंगत या उचित हो, कर सकता है :

परन्तु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो :

परन्तु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था ।

387. अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय – आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 27 में अन्तर्विष्ट नियम, जहां तक साध्य हो, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे :

परन्तु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न तो लाया जाएगा और न उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निदेश न दे ।

388. अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना – (1) जब कभी अपील में कोई मामला उच्च न्यायालय द्वारा इस अध्याय के अधीन विनिश्चित किया जाता है तब वह अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा वह निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा ; और यदि ऐसा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश जिला मजिस्ट्रेट की मार्फत भेजा जाएगा ।

(2) तब वह न्यायालय, जिसे उच्च न्यायालय अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके भेजे ऐसे आदेश करेगा जो उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुरूप हों ; और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा ।

389. अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलम्बन ; अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना – (1) अपील न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया जाए :

[1][परन्तु अपील न्यायालय ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति को, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ने से पूर्व, लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में, जहां किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।]

(2) अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है ।

(3) जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालय, –

(i) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति, जमानत पर होते हुए, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, या

(ii) उस दशा में जब वह अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है, जमानतीय है और वह जमानत पर है,

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 33 द्वारा अंतःस्थापित ।

अपील प्रस्तुत करने और उपधारा (1) के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा जमानत पर छोड़ दिया जाए जब तक कि जमानत से इनकार करने के विशेष कारण न हों और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक कारावास का दंडादेश निलम्बित समझा जाएगा ।

(4) जब अंततोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब वह समय, जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है, उस अवधि की संगणना करने में, जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

390. दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी – जब धारा 378 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय वारण्ट जारी कर सकता है जिसमें यह निदेश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसके या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है, अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है या उसकी जमानत ले सकता है ।

391. अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा – (1) इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, लिए जाने का निदेश दे सकता है ।

(2) जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया जाता है तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिए अग्रसर होगा ।

(3) अभियुक्त या उसके प्लीडर को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है ।

(4) इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 23 के उपबंधों के अधीन होगा मानो वह कोई जांच हो ।

392. जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों, वहां प्रक्रिया – जब इस अध्याय के अधीन अपील उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में समान रूप से विभाजित हैं तब अपील उनकी रायों के सहित उसी

न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश, ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, अपनी राय देगा और निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा :

परन्तु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहां अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहां वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील, न्यायाधीशों के वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी ।

393. अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना – अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश धारा 377, धारा 378, धारा 384 की उपधारा (4) या अध्याय 30 में उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होंगे :

परन्तु किसी मामले में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी, अपील न्यायालय –

(क) धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को ; अथवा

(ख) धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को, सुन सकता है और गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है ।

394. अपीलों का उपशमन – (1) धारा 377 या धारा 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन (जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय) प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा :

परन्तु जहां अपील, दोषसिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है वहां उसका कोई भी निकट नातेदार, अपीलार्थी की मृत्यु के तीस दिन के अन्दर अपील जारी रखने की इजाजत के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है ; और यदि इजाजत दे दी जाती है तो अपील का उपशमन न होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "निकट नातेदार" से माता-पिता, पति या पत्नी, पारंपरिक वंशज, भाई या बहन अभिप्रेत है ।

अध्याय 30

निर्देश और पुनरीक्षण

395. उच्च न्यायालय को निर्देश – (1) जहां किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील है किन्तु उस उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "विनियम" से साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में यथापरिभाषित कोई विनियम अभिप्रेत है ।

(2) यदि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, जिसे उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ठीक समझता है तो वह, ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि-प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है ।

(3) कोई न्यायालय, जो उच्च न्यायालय को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक, अभियुक्त को जेल को सुपुर्द कर सकता है या अपेक्षा किए जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत पर छोड़ सकता है ।

396. उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा – (1) जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है तब उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे और उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देश किया गया था और वह न्यायालय उस मामले को उक्त आदेश के अनुरूप निपटाएगा ।

(2) उच्च न्यायालय निदेश दे सकता है कि ऐसे निदेश का खर्चा कौन देगा ।

397. पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना – (1) उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निदेश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया जाए ।

स्पष्टीकरण – सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हों या न्यायिक और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों, या अपीली अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा ।

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

398. जांच करने का आदेश देने की शक्ति – किसी अभिलेख की धारा 397 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है कि वह, ऐसे किसी परिवाद की, जो धारा 203 या धारा 204 की उपधारा (4) के अधीन खारिज कर दिया गया है, या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले की, जो उन्मोचित कर दिया गया है, अतिरिक्त जांच स्वयं करे या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के द्वारा कराए तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है :

परन्तु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निदेश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निदेश क्यों

नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो ।

399. सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां – (1) ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है ।

(2) जहां सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्यवाही उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई है वहां धारा 401 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी कार्यवाही को लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश हैं ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी ।

400. अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति – अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में, जो सेशन न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा या अधीन उसे अंतरित किया जाता है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग कर सकता है ।

401. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां – (1) ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में, जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, वह धाराएं 386, 389, 390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है और जब वे न्यायाधीश, जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन हैं, राय में समान रूप से विभाजित हैं तब मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश, जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक न किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो ।

(3) इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली

न समझी जाएगी ।

(4) जहां संहिता के अधीन अपील हो सकती है किन्तु कोई अपील की नहीं जाती है वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर, जो अपील कर सकता था, पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण न की जाएगी ।

(5) जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है किन्तु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की अर्जी मान सकता है और उस पर तद्नुसार कार्यवाही कर सकता है ।

402. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति – (1) जब एक ही विचारण में दोषसिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं और उसी विचारण में दोषसिद्ध कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को करता है तब उच्च न्यायालय, पक्षकारों की सुविधा और अन्तर्ग्रस्त प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय करेगा कि उन दोनों में से कौन सा न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदनों को अंतिम रूप से निपटाएगा और जब उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पुनरीक्षण के लिए सभी आवेदन उसी के द्वारा निपटाए जाने चाहिए तब उच्च न्यायालय यह निदेश देगा कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के लिए आवेदन उसे अन्तरित कर दिए जाएं और जहां उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पुनरीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने आवश्यक नहीं है वहां वह यह निदेश देगा कि उसे किए गए पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अन्तरित किए जाएं ।

(2) जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अन्तरित किया जाता है तब वह न्यायालय उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक्तः किया गया आवेदन है ।

(3) जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अन्तरित किया जाता है तब वह न्यायाधीश उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक्तः किया गया आवेदन है ।

(4) जहां पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को अन्तरित किया जाता है वहां उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों

की प्रेरणा पर जिनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए हैं पुनरीक्षण के लिए कोई और आवेदन उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा ।

403. पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प – इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है ; किन्तु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके प्लीडर द्वारा सुन सकेगा ।

404. महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना – जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किसी महानगर मजिस्ट्रेट का अभिलेख धारा 397 के अधीन मंगाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट अपने विनिश्चय या आदेश के आधारों का और किन्हीं ऐसे तथ्यों का, जिन्हें वह विवाद्यक के लिए तात्विक समझता है, वर्णन करने वाला कथन अभिलेख के साथ भेज सकता है और न्यायालय उक्त विनिश्चय या आदेश को उलटने या अपास्त करने से पूर्व ऐसे कथन पर विचार करेगा ।

405. उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना – जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई मामला इस अध्याय के अधीन पुनरीक्षित किया जाता है तब वह धारा 388 द्वारा उपबंधित रीति से अपना विनिश्चय या आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा, जिसके द्वारा पुनरीक्षित निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था, और तब वह न्यायालय, जिसे विनिश्चय या आदेश ऐसे प्रमाणित करके भेजा गया है ऐसे आदेश करेगा, जो ऐसे प्रमाणित विनिश्चय के अनुरूप है और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तद्नुसार संशोधन कर दिया जाएगा ।

अध्याय 31

आपराधिक मामलों का अन्तरण

406. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति – (1) जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या

एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अन्तरित कर दी जाए ।

(2) उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जब कि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा ।

(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है वहां, यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह एक हजार रुपए से अनधिक इतनी राशि, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था ।

407. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति – (1) जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि –

(क) उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में ऋजु और पक्षपातरहित जांच या विचारण न हो सकेगा ; अथवा

(ख) किसी असाधारणतः कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभाव्यता है ; अथवा

(ग) इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है, या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारण सुविधाप्रद होगा, या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है,

तब वह आदेश दे सकेगा कि –

(i) किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 185 तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) अधीन तो अर्हित नहीं है किन्तु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है ;

(ii) कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय

को अंतरित कर दिया जाए ;

(iii) कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए ; अथवा

(iv) कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अन्तरित कर दी जाए, और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए ।

(2) उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकता है :

परन्तु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अन्तरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अन्तरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा, जो उस दशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा ।

(4) जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, तब उच्च न्यायालय उसे निदेश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए, जो उच्च न्यायालय उपधारा (7) के अधीन अधिनिर्णीत करे, प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे ।

(5) ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिन पर वह किया गया है, और आवेदन के गुणागुण पर तब तक कोई आदेश न किया जाएगा जब तक ऐसी सूचना के दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम चौबीस घंटे न बीत गए हों ।

(6) जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए है, वहां यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकता है कि जब तक आवेदन का निपटारा न हो जाए तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियां, ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे, रोक दी जाएंगी :

परन्तु ऐसी रोक धारा 309 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है वहां, यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह एक हजार रुपए से अनधिक इतनी राशि, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था ।

(8) जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अन्तरण अपने समक्ष विचारण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन आदेश देता है तब वह ऐसे विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिस मामले का ऐसा अन्तरण न किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता ।

(9) इस धारा की कोई बात धारा 197 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी ।

408. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति – (1) जब कभी सेशन न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अन्तरित कर दिया जाए ।

(2) सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकता है ।

(3) धारा 407 की उपधारा (3), (4), (5), (6), (7) और (9) के उपबंध इस धारा की उपधारा (1) के अधीन आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 407 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा (7) इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें आने वाले "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रख दिए गए हैं ।

409. सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना – (1) सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकता है या कोई मामला या अपील, जिसे उसने उसके हवाले किया हो, वापस मंगा सकता है ।

(2) अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को, जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है, वापस मंगा सकता है ।

(3) जहां सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है वहां वह, यथास्थिति, या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकता है या उस अपील को स्वयं सुन सकता है या उसे विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकता है ।

410. न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना – (1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है, वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है ।

(2) कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को, जो उसने धारा 192 की उपधारा (2) के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है, वापस मंगा सकता है और ऐसे मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है ।

411. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना – कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट –

(क) किसी ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है, निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है ;

(ख) अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो, वापस मंगा सकता है और ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकता है या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है ।

412. कारणों का अभिलिखित किया जाना – धारा 408, धारा 409, धारा 410 या धारा 411 के अधीन आदेश करने वाला सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ।

अध्याय 32

दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण

क – मृत्यु दंडादेश

413. धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन – जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में, सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, तो वह वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाकर, जो आवश्यक हो, उस आदेश को क्रियान्वित कराएगा ।

414. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन – जब अपील में या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश किया जाता है तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा ।

415. उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना – (1) जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुल्तवी किए जाने का आदेश देगा जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है अथवा यदि उस अवधि के अन्दर कोई अपील की गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता है ।

(2) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है, और दंडादिष्ट व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 के अधीन या अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुल्तवी किए जाने का आदेश देगा जब तक उस आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता है या यदि ऐसे आवेदन पर कोई प्रमाणपत्र दिया गया है, तो जब तक उस प्रमाणपत्र पर उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है ।

(3) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दंडादिष्ट व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए

विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी पेश करना चाहता है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन इतनी अवधि तक के लिए, जितनी वह ऐसी अर्जी पेश करने के लिए पर्याप्त समझे, मुल्तवी किए जाने का आदेश देगा ।

416. गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुल्तवी किया जाना – यदि वह स्त्री, जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है, गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय [1][***] दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा ।

ख – कारावास

417. कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि किसी व्यक्ति को, जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है, किस स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस संहिता के अधीन कारावासित किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है, सिविल जेल में परिरुद्ध है तो कारावास या सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के दांडिक जेल में भेजे जाने का निदेश दे सकता है ।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन कोई व्यक्ति दांडिक जेल में भेजा जाता है तब वहां से छोड़ दिए जाने पर उसे उस दशा के सिवाय सिविल जेल को लौटाया जाएगा जब या तो –

(क) दांडिक जेल में उसके भेजे जाने से तीन वर्ष बीत गए हैं ; जिस दशा में वह, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) की धारा 23 के अधीन सिविल जेल से छोड़ा गया समझा जाएगा, या

(ख) सिविल जेल में उसके कारावास का आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा दांडिक जेल के भारसाधक अधिकारी को यह प्रमाणित करके भेज दिया गया है कि वह, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 58 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) की धारा 23 के अधीन छोड़े जाने का हकदार है ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 30 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

418. कारावास के दंडादेश का निष्पादन – (1) जहां उन मामलों से, जिनके लिए धारा 413 द्वारा उपबंध किया गया है, भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया है, वहां दंडादेश देने वाला न्यायालय उस जेल या अन्य स्थान को, जिसमें वह परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना है तत्काल वारण्ट भेजेगा और यदि अभियुक्त पहले से ही उस जेल या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारण्ट के साथ उसे ऐसी जेल या अन्य स्थान को भिजवाएगा :

परन्तु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है, वहां वारण्ट तैयार करना या वारण्ट जेल को भेजना आवश्यक न होगा और अभियुक्त को ऐसे स्थान में, जो न्यायालय निदिष्ट करे, परिरुद्ध किया जा सकता है ।

(2) जहां अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित नहीं है जब उसे ऐसे कारावास का दंडादेश दिया गया है जैसा उपधारा (1) में उल्लिखित है, वहां न्यायालय उसे जेल या ऐसे अन्य स्थान में, जहां उसे परिरुद्ध किया जाना है, भेजने के प्रयोजन से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी करेगा ; और ऐसे मामले में दंडादेश उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा ।

419. निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन – कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारण्ट उस जेल या अन्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को निदिष्ट होगा, जिसमें बंदी परिरुद्ध है या परिरुद्ध किया जाना है ।

420. वारण्ट किसको सौंपा जाएगा – जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया जाना है, तब वारण्ट जेलर को सौंपा जाएगा ।

ग – जुर्माने का उद्ग्रहण

421. जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए वारण्ट – (1) जब किसी अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित प्रकारों में से किसी या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है, अर्थात् वह –

(क) अपराधी की किसी जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्गृहीत करने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है,

(ख) व्यतिक्रमी की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों से भू-राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहीत करने के लिए जिले

के कलक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी कर सकता है :

परन्तु यदि दंडादेश निदिष्ट करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारण्ट तब तक न जारी करेगा जब तक वह विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसा करना आवश्यक न समझे अथवा जब तक उसने जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 357 के अधीन आदेश न किया हो ।

(2) राज्य सरकार उस रीति को विनियमित करने के लिए, जिससे उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वारण्ट निष्पादित किए जाने हैं और ऐसे वारण्ट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों के संक्षिप्त अवधारण के लिए, नियम बना सकती है ।

(3) जहां न्यायालय कलक्टर को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वारण्ट जारी करता है वहां कलक्टर उस रकम को भू-राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा मानो ऐसा वारण्ट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र हो :

परन्तु ऐसा कोई वारण्ट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित न किया जाएगा ।

422. ऐसे वारण्ट का प्रभाव – किसी न्यायालय द्वारा धारा 421 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी किया गया कोई वारण्ट उस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता के अन्दर निष्पादित किया जा सकता है और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी संपत्ति पाई जाए, पृष्ठांकित कर दिया गया है ।

423. जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट – इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराधी को किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी दंड न्यायालय द्वारा जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है और दंडादेश देने वाला न्यायालय ऐसी रकम को, भू-राजस्व की बकाया के तौर पर उद्गृहीत करने के लिए, उन राज्यक्षेत्र के,

जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी जिले के कलक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारण्ट जारी करता है, तब ऐसा वारण्ट उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी न्यायालय द्वारा धारा 421 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी किया गया वारण्ट समझा जाएगा और तद्नुसार ऐसे वारण्ट के निष्पादन के बारे में उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंध लागू होंगे ।

424. कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन – (1) जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तत्काल नहीं दिया जाता है तब न्यायालय –

(क) आदेश दे सकता है कि जुर्माना या तो ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक बाद की न होगी, पूर्णतः संदेय होगा, या दो या तीन किस्तों में संदेय होगा जिनमें से पहली किस्त ऐसी तारीख को या उससे पहले संदेय होगी, जो आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक बाद की न होगी और, अन्य किस्त या किस्तें, यथास्थिति, तीस दिन से अधिक के अन्तराल या अन्तरालों पर संदेय होगी या होंगी ;

(ख) कारावास के दंडादेश का निष्पादन निलम्बित कर सकता है और अपराधी द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा न्यायालय ठीक समझे, इस शर्त का बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर कि, यथास्थिति, जुर्माना या उसकी किस्तें देने की तारीख या तारीखों को वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा, अपराधी को छोड़ सकता है, और यदि, यथास्थिति, जुर्माने की या किसी किस्त की रकम उस अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जिसको वह आदेश के अधीन संदेय हो, प्राप्त न हो तो न्यायालय कारावास के दंडादेश के तुरंत निष्पादित किए जाने का निदेश दे सकता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे मामले में भी लागू होंगे जिसमें ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश किया गया है जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णीत किया जा सकता है और धन तुरंत नहीं दिया गया है, और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है उस उपधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र लिखने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यायालय कारावास का दंडादेश तुरन्त पारित कर सकता है ।

घ – निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध

425. वारण्ट कौन जारी कर सकेगा – किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारण्ट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है ।

426. निकल भागे सिद्धदोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा – (1) जब निकल भागे सिद्धदोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरन्त प्रभावी हो जाएगा ।

(2) जब निकल भागे सिद्धदोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब, –

(क) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का हो जिसे ऐसा सिद्धदोष, जब वह निकल भागा था, तब भोग रहा था तो नया दंडादेश तुरन्त प्रभावी हो जाएगा ;

(ख) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का न हो जिसे ऐसा सिद्धदोष, जब वह निकल भागा था तब, भोग रहा था, तो नया दंडादेश, उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात् प्रभावी होगा, जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कठोर कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोरतर किस्म का समझा जाएगा ।

427. ऐसे अपराधी की दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है – (1) जब कारावास का दंडादेश पहले से ही भोगने वाले व्यक्ति को पश्चात्वर्ती-दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब जब तक न्यायालय यह निदेश न दे कि पश्चात्वर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर, जिसके लिए, वह पहले दंडादेश हुआ था, प्रारंभ होगा :

परन्तु, जहां उस व्यक्ति को, जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 122 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां पश्चात्कथित दंडादेश तुरन्त प्रारंभ हो जाएगा ।

(2) जब किसी व्यक्ति को, जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब पश्चात्वर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा ।

428. अभियुक्त द्वारा भोगी गई विरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना – जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषसिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, [1][जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है] वहां उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए, यदि कोई हो, निरोध की अवधि का, ऐसी दोषसिद्धि पर उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और ऐसी दोषसिद्धि पर उस व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्व उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष भाग तक, यदि कोई हो, निर्बन्धित किया जाएगा ।

[2]["परन्तु धारा 433क में निर्दिष्ट मामलों में निरोध की ऐसी अवधि का उस धारा में निर्दिष्ट चौदह वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा ।"]

429. व्यावृत्ति – (1) धारा 426 या धारा 427 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के किसी भाग से क्षम्य करने वाली न समझी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर भागी है ।

(2) जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य दंडादेश के साथ उपाबद्ध है और दंडादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के पश्चात् कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेश को भोगना है तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय तब तक क्रियान्वित न किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति अतिरिक्त दंडादेश या दंडादेशों को भुगत चुका हो ।

430. दंडादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना – जब दंडादेश पूर्णतया निष्पादित किया जा चुका है तब उसका निष्पादन करने वाला अधिकारी वारण्ट को, वारण्ट स्व-हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा उस रीति को, प्रमाणित करते हुए, जिससे दंडादेश का निष्पादन किया गया था, उस न्यायालय को, जिसने उसे जारी किया था, लौटा देगा ।

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 34 द्वारा अंतःस्थापित ।

431. जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना – कोई धन (जो जुर्माने से भिन्न है) जो इस संहिता के अधीन दिए गए किसी आदेश के आधार पर संदेय है और जिसकी वसूली का ढंग अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं है, ऐसे वसूल किया जा सकता है मानो वह जुर्माना है :

परन्तु इस धारा के आधार पर, धारा 359 के अधीन किसी आदेश को लागू होने में धारा 421 का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो धारा 421 की उपधारा (1) के परन्तुक में "धारा 357 के अधीन आदेश" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या खर्चों के संदाय के लिए धारा 359 के अधीन आदेश" शब्द और अंक अन्तःस्थापित कर दिए गए हैं ।

ङ – दंडादेशों का निलम्बन, परिहार और लघुकरण

432. दंडादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति – (1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है तब समुचित सरकार किसी समय, शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करे उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन या जो दंडादेश उसे दिया गया है उसका पूरे का या उसके किसी भाग का परिहार कर सकती है ।

(2) जब कभी समुचित सरकार से दंडादेश के निलम्बन या परिहार के लिए आवेदन किया जाता है तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी, अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस बारे में कि आवेदन मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए, अपनी राय ऐसी राय के लिए अपने कारणों सहित कथित करे और अपनी राय के कथन के साथ विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की, जैसा विद्यमान हो, प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजे ।

(3) यदि कोई शर्त, जिस पर दंडादेश का निलम्बन या परिहार किया गया है, समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं हुई है तो समुचित सरकार निलम्बन या परिहार को रद्द कर सकती है और तब, यदि वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में दंडादेश का निलम्बन या परिहार किया गया था मुक्त है तो वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और दंडादेश के अनवसित भाग को भोगने के लिए प्रतिप्रेषित किया जा सकता है ।

(4) वह शर्त, जिस पर दंडादेश का निलम्बन या परिहार इस धारा के अधीन किया जाए, ऐसी हो सकती है जो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके पक्ष में दंडादेश का निलम्बन या परिहार किया जाए, पूरी की जाने वाली हो या

ऐसी हो सकती है जो उसकी इच्छा पर आश्रित न हो ।

(5) समुचित सरकार दंडादेशों के निलम्बन के बारे में, और उन शर्तों के बारे में जिन पर अर्जियां उपस्थित की और निपटाई जानी चाहिएं, साधारण नियमों या विशेष आदेशों द्वारा निदेश दे सकती है :

परन्तु अठारह वर्ष से अधिक की आयु के किसी पुरुष के विरुद्ध किसी दंडादेश की दशा में (जो जुर्माने के दंडादेश से भिन्न है) दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई कोई ऐसी अर्जी तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में न हो, तथा –

(क) जहां ऐसी अर्जी दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा दी जाती है वहां जब तक वह जेल के भारसाधक अधिकारी की मार्फत उपस्थित न की जाए ; अथवा

(ख) जहां ऐसी अर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है वहां जब तक उसमें यह घोषणा न हो कि दंडादिष्ट व्यक्ति जेल में है ।

(6) ऊपर की उपधाराओं के उपबंध दंड न्यायालय द्वारा इस संहिता की या किसी, अन्य विधि की किसी धारा के अधीन पारित ऐसे आदेश को भी लागू होंगे जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बन्धित करता है या उस पर या उसकी सम्पत्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित करता है ।

(7) इस धारा में और धारा 433 में "समुचित सरकार" पद से, –

(क) उन दशाओं में जिनमें दंडादेश ऐसे विषय से सम्बद्ध किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए हैं, या उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश ऐसे विषय से संबद्ध किसी विधि के अधीन पारित किया गया है, जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केन्द्रीय सरकार, अभिप्रेत है ;

(ख) अन्य दशाओं में, उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसमें अपराधी दंडादिष्ट किया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है ।

433. दंडादेश के लघुकरण की शक्ति – समुचित सरकार दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना –

(क) मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबन्धित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है ;

(ख) आजीवन कारावास के दंडादेश का, चौदह वर्ष से अनधिक

अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है ;

(ग) कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है ;

(घ) सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है ।

[1][**433क. कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन** – धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए मृत्यु दंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने चौदह वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो ।]

434. मृत्यु दंडादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति – धारा 431 और 433 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां मृत्यु दंडादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं ।

435. कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कार्य करना – (1) किसी दंडादेश का परिहार करने या उसके लघुकरण के बारे में धारा 432 और 433 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा प्रयोग उस दशा में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा जब दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिए है –

(क) जिसका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा या इस संहिता से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है, अथवा

(ख) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्ग्रस्त है, अथवा

(ग) जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा तब

---

[1] 1978 के अधिनियम सं. 45 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।

किया गया है जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था ।

(2) जिस व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे पृथक्-पृथक् अवधि के कारावास का, जो साथ-साथ भोगी जानी है, दंडादेश दिया गया है, उसके संबंध में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश प्रभावी तभी होगा जब ऐसे विषयों के बारे में जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में ऐसे दंडादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है ।

क्रमशः ....(शेष आगामी अंक में)

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	—	—	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	—	—	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	—	—	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	—	—	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	—	—	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	—	—	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	—	—	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	—	—	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	—	—	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	—	—	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	—	—	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	—	—	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	—	—	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	—	—	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	—	—	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	—	290	—
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	—	60	—

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105